SBI

भारतीय स्टेट बैंक

चिरस्थायी मूल्यों का सृजनकर्ता

वार्षिक रिपोर्ट | 2016-17

विषय सूची

सूचना	1
भारतीय स्टेट बैंक के बारे में	2
भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा	3
चिरस्थायी मूल्यों का सृजनकर्ता	4
एसबीआई समूह संरचना	14
रेटिंग्स	16
पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन	17
निष्पादन संकेतक	18
केंद्रीय निदेशक बोर्ड	20
बोर्ड की समितियां/स्थानीय बोर्ड के सदस्य/ केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/बैंक के लेखा-परीक्षक	22
अध्यक्ष की कलम से	26
निदेशकों की रिपोर्ट	
(i) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश	32
(ii) वित्तीय निष्पादन	35
(iii) प्रमुख परिचालन	36
राष्ट्रीय बैंकिंग समूह	36
वैयक्तिक बैंकिंग	36
सर्वसमय चैनल	40
लघु एवं मध्यम उद्यम	43
ग्रामीण बैंकिंग	45
अन्य नई व्यवसाय पहल	47
सरकारी व्यवसाय	47
दक्षता एवं लागत नियंत्रण	48
कॉरपोरेट बैंकिंग समूह	48
कॉरपोरेट बैंकिंग	48
लेनदेन बैंकिंग इकाई	50
परियोजना वित्त एवं पट्टा	50
मध्य कॉरपोरेट बैंकिंग	51
अंतरराष्ट्रीय परिचालन	52
दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन	56
राजकोषीय परिचालन	57
(IV) सहायक एवं नियंत्रण परिचालन	59
मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण	59
सूचना प्रौद्योगिकी	62
जोखिम प्रबंधन	65
राजभाषा	69
विपणन एवं सम्प्रेषण	70
सतर्कता तंत्र	70
आस्ति एवं देयता प्रबंधन	71
आचरण नीति एवं व्यवसाय संचालन	71
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व	72
(V) सहयोगी एवं अनुषंगियां	74
कॉरपोरेट अभिशासन	80
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	101
वित्तीय विवरण	
तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	
भारतीय स्टेट बैंक (एकल)	102
भारतीय स्टेट बैंक (समेकित)	169
स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)	209
ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण	235
प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची	237
वार्षिक महासभा के स्थल तक पहुँचने का मार्ग	240

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 62 वीं वार्षिक महासभा "वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम", वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र) में मंगलवार, 27 जून 2017 को अपराह्न 3.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी :

"स्टेट बैंक का 31 मार्च 2017 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों पर केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।"

कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021
दिनांक : 16 मई 2017

(अरुंधति भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

महत्त्वपूर्ण सूचना	
घोषित लाभांश :	₹ 2.60 प्रति शेयर
लाभांश भुगतान की तारीख :	16 जून 2017
बहीबंदी की अवधि :	30.05.2017 से 03.06.2017
रिकॉर्ड-तारीख :	29.05.2017

भारतीय स्टेट बैंक के बारे में

वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित भारत का सबसे पहला बैंक अब में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। 200 वर्षों से अधिक की समृद्ध परंपरा वाला यह भारतीय उप-महाद्वीप का पहला वाणिज्यिक बैंक राष्ट्र की हजार खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण और इसकी विशाल जनसमुदाय की आकांक्षाओं की पूर्ति में निरंतर सेवारत है।

भारतीय स्टेट बैंक परिसंपत्तियों, जमाराशियों, शाखा, ग्राहक और कर्मचारी संख्या में देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। यह करोड़ों ग्राहकों के निरंतर विश्वास के साथ आज हर भारतीय का बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह अपनी विभिन्न शाखाओं और सेवा केंद्रों, संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों तथा सहयोगी कंपनियों के माध्यम से व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है।

हमारा विज़न

मेरा भारतीय स्टेट बैंक।
मेरा ग्राहक सर्वोपरि।
मेरा एसबीआई: ग्राहक संतुष्टि में प्रथम।

हमारा मिशन

हम अपने ग्राहकों के प्रति तत्पर, विनम्र एवं संवेदनशील रहेंगे।
हम युवा भारत की भाषा बोलेंगे।
हम ऐसी सेवाएं बनाएंगे जो हमारे ग्राहकों के सपनों को पूरा कर सकें।
हम कर्तव्य से आगे जाकर अपने ग्राहकों को यह एहसास कराएंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं।
हम देश के सुदूर भागों में भी सेवाएं प्रदान करेंगे।
विदेश-स्थित लोगों को हम वैसी ही सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान करेंगे, जैसी भारतवासियों को प्रदान करते हैं।
उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाएंगे।

हमारा मूल्य

हम सदा ईमानदार, निश्छल और नीतिप्रिय रहेंगे।
हम अपने ग्राहकों एवं सहकर्मियों का सम्मान करेंगे।
ज्ञान हमारा मार्गदर्शक होगा।
हम सीखने की प्रक्रिया जारी रखेंगे और प्राप्त ज्ञान का प्रसार करेंगे।
हम कभी सुविधावादी मार्ग नहीं अपनाएंगे।
जिस समाज में हम कार्य करते हैं उसके उत्थान हेतु हम हर संभव प्रयास करेंगे।
हम भारत में गर्व का विकास करेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

वैयक्तिक बैंकिंग
हम अपने सभी उत्पादों एवं योजनाओं में अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर ऐसा करके हम उनके सहयोग से हमेशा "स्मार्ट बैंक" बने रहेंगे।

कॉरपोरेट बैंकिंग
हमारी कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं पूर्णतया व्यावसायिक एवं अवरोधमुक्त सेवाएं हैं जो छोटे बड़े सभी आकार के कॉरपोरेट इंडिया को स्टार्ट-अप से लेकर, बीएसई/एनएसई में सूचीकृत 100 कंपनियों , बड़े वैश्विक कॉरपोरेशनों एवं वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

निवेश बैंकिंग
घरेलू बाजारों और संपूर्ण वैश्विक पहुँच दोनों से, हम अपनी निवेश बैंकिंग में बदलाव ला रहे हैं ताकि हम अपने लक्षित ग्राहकों की मदद करना जारी रख सकें जिससे वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

1 नम्बर
देश का सबसे बड़ा बैंक (जमाराशियां, अग्रिम, शाखाएं और कर्मचारी)

33.75 करोड़ +
ग्राहक आधार

₹36 लाख करोड़ +
व्यवसाय आकार

एसबीआई ऑनलाइन भारत में सबसे प्रमुख और विश्व की बैंकिंग साइटों में पांचवां स्थान प्राप्त

59,263
देश भर में एटीएम

2.45 करोड़ +
वित्तीय समावेशन खाते जो वर्ष के दौरान खोले गए

होम लोन बाजार अंश
25.88%

77%
लेनदेन वैकल्पिक चैनलों से

34.50 करोड़ +
स्टेट बैंक समूह डेबिट कार्ड धारक

3.27 करोड़ +
इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ता

1.98 करोड़ +
मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ता

5.09 लाख +
पीओएस मशीनें

1.12 लाख +
ग्रीन रेमिट कार्ड के माध्यम से औसत दैनिक लेनदेन

1,426
गांव जो एसबीआई का अपना गांव योजना के तहत अपनाए गए

5.85 करोड़ +
रुपे डेबिट कार्ड जो वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत जारी किए गए

8.57 करोड़ +
प्रधान मंत्री जन धन योजना खाते

वैयक्तिक खंड में अब देशगत ऋणों का अंश 30%

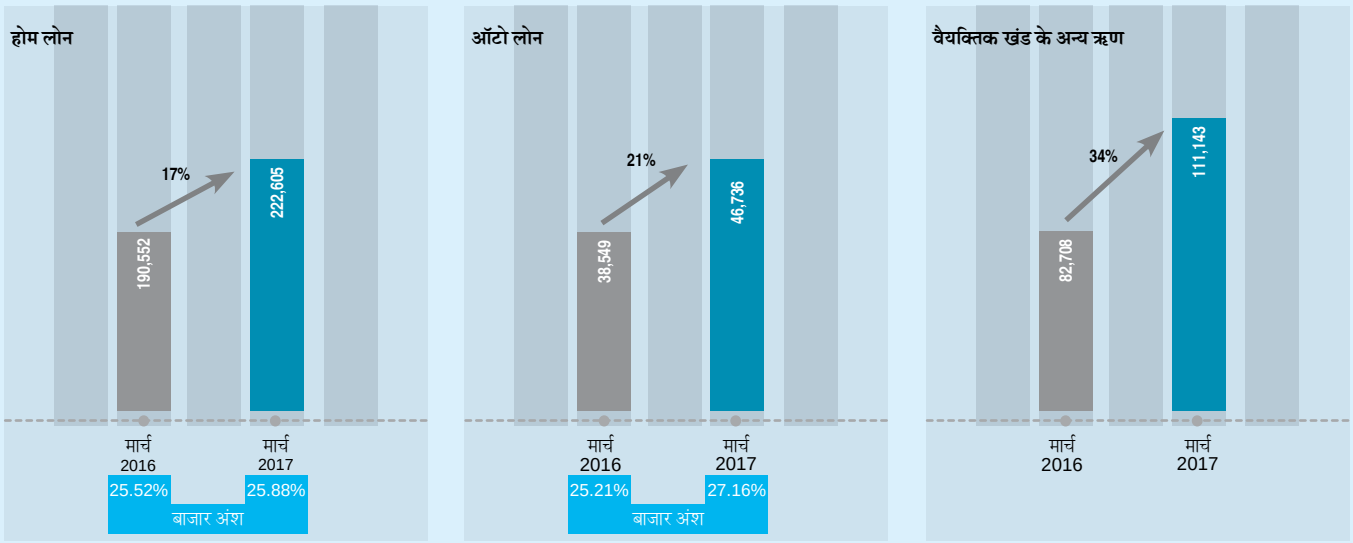

चिरस्थायी मूल्यों का सृजनकर्ता

एसबीआई में हम जानते हैं कि किसी भी संस्था के लिए आत्मसुधार की प्रक्रिया कितनी जरूरी होती है। यह हमारे लिए भी आवश्यक है कि बैंक के भीतर, संगठन के ताने बाने को निरंतर मजबूत बनाने के लिए भी सुधार किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं और चुनौतियों से भी हम भलीभांति अवगत हैं। हम अपने को बेहतर बनाने और अपने में बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं। हमारे इन प्रयासों में अपने संगठन, कार्यकलाप और कार्य संस्कृति से इष्टतम परिणाम प्राप्त करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट परिलक्षित होती है। खास तौर से हमारा ध्यान हमेशा ऐसा सामंजस्य बनाने पर रहा है जिससे जोखिमों को निरंतर नियंत्रित रखा जा सके, विकास की गति भी तेज रहे और लाभप्रदता भी बढ़ती रहे।

अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमने अपने कारोबार के तौर-तरीकों में आमूल-चूल बदलाव लाए हैं, जिससे हमें बैंकिंग कारोबार में उत्कृष्टता के उच्च मापदंड हासिल करने में मदद मिली है। हमने अपनी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण किया है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाया है। टेक्नोलोजी के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी विकास का लाभ लेकर ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने का प्रयास किया है। हमने गुणवत्तापूर्ण ऋण कारोबार जुटाने और पूंजी का इष्टतम आबंटन करने के लिए सुनियोजित कार्य नीतियां भी लागू की हैं। इसके अतिरिक्त, हमने 1 अप्रैल 2017 को अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के साथ विलय कर अपने कार्यकलापों में बेहतर सामंजस्य लाने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। हमें पक्का विश्वास है कि इन युगांतरकारी प्रयासों से हम अपने हितधारकों के लिए पहले के मुकाबले अधिक मूल्यवान और निरंतरतापूर्ण प्रतिफल सुनिश्चित कर पाएंगे।

इस कायाकल्प के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। हम अपने गौरवपूर्ण भविष्य के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम चिरस्थायी मूल्यों के सूत्रधार और अपने निवेशकों के लिए उत्कृष्टतापूर्ण दीर्घावधि धन-संपत्ति के सृजनकर्ता के रूप में उभरेंगे।

विकास में सहयोगी और मूल्य सृजन के लिए समर्पित

... युगांतरकारी नीतियों के साथ उभरता एक एकीकृत महासंगठन

अपने ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य का सृजन करने के लिए हमने आधुनिकतम डिजिटल टेक्नोलोजी को उपयोग में लाने की शुरुआत की है। हमने अपनी प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन किया है, जिससे ग्राहक को कम लागत और बेहतर उत्पादकता का लाभ मिल सके।

13%
पिछले वर्ष से इन्टरनेट बैंकिंग में वृद्धि

44.37%
मोबाइल बैंकिंग का बाजार अंश (लेनदेनों का मूल्य)

हम आपके बैंक को पूर्णतया डिजिटल संगठन के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने इस ध्येय में हम पिछली पंक्ति के कार्यकलाप के लिए भी आधुनिकतम टेक्नोलोजी का उपयोग कर रहे हैं।

अपने ग्राहकों को बेहतर मूल्य देने के लिए हमने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया है और इसमें प्रक्रियागत परिवर्तन किए हैं, जिससे ग्राहकों को कम लागत और अधिक उत्पादकता का लाभ मिल सके। हम उत्पादों, सेवाओं और कारोबार के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पिछली पंक्ति के कार्य व्यापार में भी आधुनिकतम टेक्नोलोजी का उपयोग निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं।

आज के दौर में अद्वितीय और आनंदपूर्ण ग्राहक अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है। केवल बैंकिंग सेवाएं ही प्रदान कर देना पर्याप्त नहीं है। हमने अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें सशक्त बनाया है। व्यक्तिगत पसंद और साधनों की उपलब्धता अलग अलग हो सकती है, पर हमने अपने ग्राहकों को पारंपरिक नकद लेनदेन और शाखा आधारित बैंकिंग के स्थान पर नए युग की इंटरनेट उन्मुख टेक्नोलोजी और मोबाइल आधारित बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराए हैं।

इसके अतिरिक्त, टेक्नोलोजी के विकास के साथ शाखा बैंकिंग अपेक्षाकृत नए डिजिटल चैनलों की तुलना में उतनी किफायती नहीं रह गई है। एसबीआई में सभी उपलब्ध डिजिटल चैनलों के उपयोग की आवश्यकता को समझकर हम सभी प्लेटफॉर्मों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे हैं। हमने अनेक प्रकार की नवोन्मेषी टेक्नोलोजी भी उपलब्ध कराई है। कई तरह की नई डिजिटल सेवाएं शुरू करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। लाखों व्यापारी एसबीआई से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। एसबीआई पे (जो एक मोबाइल आधारित पेमेंट सॉल्यूशन है जो एनपीसीआई के यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम पर काम करता है) और स्टेट बैंक बड़ी जिसे किसी भी कॉरपोरेट पेमेंट इंटरफेस के साथ जोड़ा जा सकता है, के जरिये हाल ही में एसबीआई द्वारा डिजिटल कलेक्शन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

इसके साथ-साथ, सरकार के विमुद्रीकरण अभियान से डिजिटल बैंकिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। एसबीआई हर भारतीय का बैंक होने के नाते बैंकिंग क्षेत्र में सभी प्रकार के डिजिटल चैनलों की शुरुआत करने में सबसे आगे है। विमुद्रीकरण के बाद हमारे डिजिटल चैनलों से लाखों भारतीयों को आसानी से, तेजी के साथ और सुरक्षित ढंग से कैशलेस होने में मदद मिली है। विमुद्रीकरण का हमारे डिजिटल लेनदेनों की मात्रा पर व्यापक प्रभाव हुआ है और इसमें नवंबर 2016 के बाद भारी वृद्धि हुई है।

डिजिटलीकरण से ग्राहक केंद्रित कारोबारी प्रक्रियाओं के संपन्न होने से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिली है। टेक्नोलोजी से जुड़े उपकरणों का उपयोग बढ़ने और दुनिया भर में बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप चलने के लिए हमारी पिछली पंक्ति की प्रक्रियाओं का व्यापक डिजिटलीकरण अनिवार्य हो गया है। इस कारण हमने अनेक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने का निर्णय किया है।

इस डिजिटल ढांचागत परिवर्तन के अनुरूप हम व्यवसाय-वृद्धि मॉडल का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं। कारोबार को बड़े पैमाने पर उपलब्ध डेटा के साथ जोड़ने की शुरुआत करके हम ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप समकालिक और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की योजना तैयार कर रहे हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सीआरएम टूल के उपयोग की शुरुआत करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें वित्त वर्ष 2018 से एनालिटिक्स और डंटैलिजेंस डेटा का उपयोग किया जाएगा।

हमारा मानना है कि इन डिजिटल साधनों एवं टेक्नोलोजी और नई तथा त्वरित प्रक्रियाओं से एसबीआई की बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सामान्य बैंकिंग समय में पूर्ण परिवर्तन लाया जा सकेगा। इसके अनेक लाभ है। सूचना आधारित प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने से लागत में भारी कमी लाई जा सकेगी और बैंकिंग कारोबार भी पहले की तुलना में जल्दी संपन्न होने लगेगा। इससे हमारे बैंक की दक्षता और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और यह चिरस्थायी मूल्य सृजनकर्ता बनने के लिए अत्यंत आवश्यक भी है।

चैनल	बाजार अंश (%) एसबीआई
समूह एटीएम की संख्या	28.44
समूह एटीएम: लेनदेन की राशि	38.84
समूह डेबिट कार्डों की सख्या	40.35
मोबाइल बैंकिंग: लेनदेनों की संख्या	24.67
मोबाइल बैंकिंग: लेनदेनों का मूल्य	44.37
पीओएस की संख्या	20.16

नकदी से डिजिटल की ओर
लेनदेनों का हिस्सा (%)

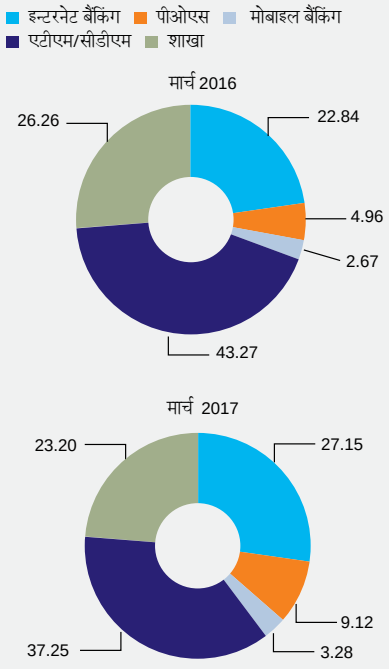

डिजिटल लेनदेन में वृद्धि 74% मार्च 2016 से 77% मार्च 2017

विकास में सहयोगी और मूल्य सृजन के लिए समर्पित

... बैंकिंग महासंगठन के नवनिर्माण के लिए विशेषज्ञता विकसित करने हेतु संकल्पबद्ध

एसबीआई की सफलता के केंद्र में रहा है इसका मानव संसाधन और हम उन पर निवेश करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, ताकि वे निरंतर बेहतर परिणाम देते रहे।

2,09,572
टीम संख्या

प्रतिदिन कर्मचारी प्रशिक्षण कक्ष क्षमता
3,400

समावेशी और विविधतापूर्ण संस्कृति के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत, जिससे सभी सहकर्मी अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।

किसी भी कारोबार की वृद्धि और विकास के लिए एक क्षमतावान मैनेजमेंट टीम का होना अत्यंत आवश्यक है। एसबीआई में हमारा मैनेजमेंट दल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैंक के पास सर्वोत्तम श्रेणी की एक अनुभवी मैनेजमेंट टीम है, जो प्रतिबद्ध मूल्य सृजनकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, उन्हें मार्गदर्शन देने और उन्हें उनके विकास के लिए कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम है। बैंक के शीर्ष प्रबंधन का समस्त करियर एसबीआई को अपनी कुशल सेवाएं देने में समर्पित रहा है। इन्हें बैंकिंग के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का विशद अनुभव है। इन सभी को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग कारोबार को संचालित करने का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त है। हमने ज्ञान और कौशल विकास को सदैव सबसे महत्वपूर्ण माना है। हम निरंतर सीखने, अपनी मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हमने कारोबार की वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है।

हम अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास पर निवेश करने, उन्हें नवीनतम टेक्नोलोजी विकास के प्रति जागरूक रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। इससे वे हमारे ग्राहकों को उच्च प्रभाव वाली सेवा दे पाते हैं, जिससे हमारा व्यापक विकास सुनिश्चित हो पाता है। इसके अतिरिक्त, हमारा प्रत्येक कर्मचारी की कार्य प्रकृति और भूमिका के आधार पर उसके सेवाकाल के प्रत्येक स्तर पर विशेषीकृत प्रशिक्षण देने पर भी ध्यान रहा है। एसबीआई में प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे बौद्धिक संसाधन परिचालन के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ बैंकिंग प्रथाओं से सुसज्जित हों। ऐसे कर्मचारी केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं में वृद्धि करना है। सघन प्रशिक्षण भी प्रत्येक कर्मचारी को नेतृत्व कुशलताएं विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण विकास अवसर उपलब्ध कराते हैं। बैंक में प्रत्येक संभावित नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम तैयार करने की प्रकिया जारी है जिससे उन्हें सशक्त एवं विकास पथ पर अग्रसर किया जा सके।

... सदैव ग्राहकों पर ध्यान जो प्रतिलाभ प्राप्ति में सहायता करते हैं

एक चिरस्थायी बैंक बनने के लिए जरूरी है कि हम गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय वृद्धि के लिए प्रयासरत रहें और अपना ध्यान ग्राहकों पर केंद्रित रखें जो बेहतर प्रतिलाभ प्राप्ति में सहायता करते हैं।er returns.

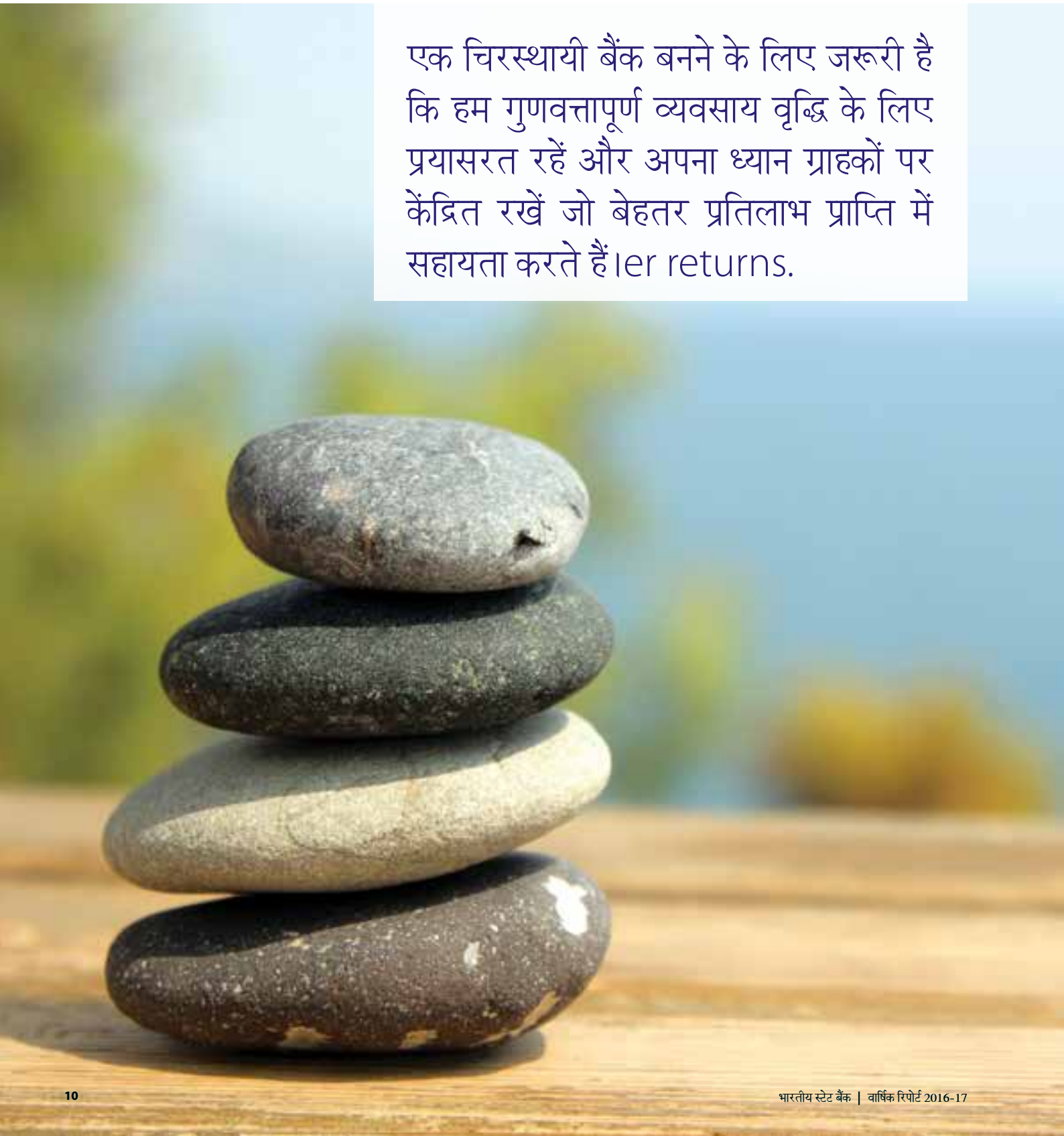

एसबीआई का प्रयास रहता है कि ऐसी परिसंपत्तियों को बढ़ाने में धीरे चलें जो ज्यादा जोखिम भार वाली हैं और जिन पर ज्यादा पूंजी खर्च होती है।

कॉरपोरेट पूंजी खर्च में समग्रतः धीमे चलने का बड़े और मझौले आकार वाले कॉरपोरेटों को ऋण देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए हमने निर्णय लिया है कि हम रिटेल ऋणों पर अधिक ध्यान दें। इन प्रयासों का लक्ष्य ऐसी परिसंपत्तियों को बढ़ाने पर धीरे चलने से है जो ज्यादा जोखिम भार वाली हैं और जिन पर ज्यादा पूंजी खर्च होती है।

कॉरपोरेट ऋणों का जहां तक संबंध है, बैंक की इन पर अधिक निर्भरता रही है पर इनके द्वारा ऋण मांग में नरमी तथा बैंक द्वारा ऋण देने में कम उत्साह दिखाए जाने के चलते ऋण वृद्धि जोर नहीं पकड़ पाई जबकिa पिछले वर्ष ब्याज दरों में भारी गिरावट देखी गई। इसके अतिरिक्त एसबीआई में अच्छे रिकॉर्ड वाले उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेटों को नए ऋण चुनिंदा मामलों में ही अनुमोदित किए गए। एसबीआई कॉरपोरेटों की इन चुनौतियों को समझता है और गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। इस बीच हमारा ध्यान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखने पर रहा है रिटेल खंड का वित्त वर्ष 2017 में बैंक के ऋण कारोबार को निरंतर बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। आवास ऋण रिटेल ऋणों में 58% से अधिक हैं। हमारे आवास ऋणों में 17% की वृद्धि हुई है और मार्केट शेयर शानदार 25.88% रहा। ऑटो ऋण व्यवसाय ने भी इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई और 21% की वृद्धि दर्ज की है। इस व्यवसाय में भी हमारा बाजार अंश 27.16% रहा। रिटेल खंड में हमारी सफलता का कारण हमारी व्यापक पहुंच, ग्राहक अनुभव बढ़ाने में डिजिटल टेक्नोलोजी का उपयोग; और ऋण वितरण के पहले ऋण प्रस्तावों का कड़ाई से मूल्यांकन करना रहा।

चिरस्थायी बैंक मूल्य सृजनकर्ता बनने के लिए हम गुणवत्तापूर्ण ऋणों की वृद्धि के लिए प्रयासरत रहे हैं और हमारा ध्यान निरंतर ग्राहकों पर रहा है जो बेहतर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने में हमारी सहायता करते हैं। हम अपने रिटेल चैनलों और उत्पादों के लिए नई नीतियां तैयार कर रहे हैं जिससे हम और अधिक ग्राहक हितैषी बन सकें। हमारा प्रयास रहा है कि हम सभी चैनलों में ग्राहकों के लिए निरंतर और निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करें। अपने डिजिटल टेक्नोलोजी प्लेटफॉर्म के कारण हम अपनी समग्र सेवाप्रदायगी बढ़ा पाए हैं। आज हमारे रिटेल कारोबार का अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ-साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की नीति को अपनाने में बड़ा योगदान रहा है।

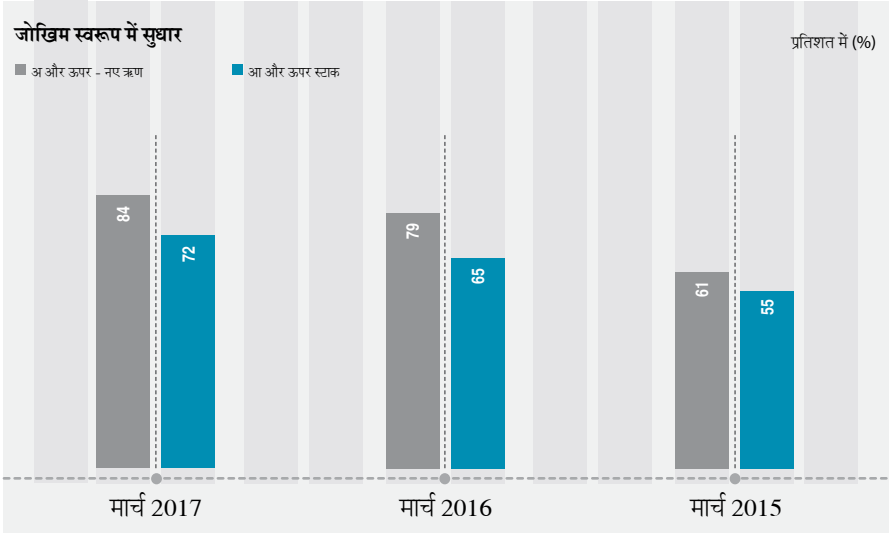

विकास में सहयोगी और मूल्य सृजन के लिए समर्पित

... युगांतरकारी नीतियों के साथ उभरता एक एकीकृत महासंगठन

एसबीआई में इसके सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय, भारतीय बैंकिंग उद्योग में अब तक का पहला सबसे बड़ा एकीकरण

15,000
प्रति सैकंड लेनदेनों की प्रक्रिया (मर्जर के बाद)

₹ 9,01,642
करोड़
ट्रेजरी कारोबार (मर्जर के बाद) विरुद्ध ₹7,25,421 करोड़ मर्जर से पहले

23.07%
&
21.16%
एसबीआई का मार्केट शेयर (मर्जर के बाद)
जमा एवं अग्रिम में

एसबीआई में हमारा मानना है कि विलय के दूरगामी लाभ निकट भविष्य की चुनौतियों के मुकाबले कहीं अधिक होंगे।

दिनांक 01.04.2017 को पांच सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का आपके बैंक में विलय हुआ है । सहयोगी बैंक जिनका विलय हुआ है- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और भारतीय महिला बैंक।

व्यवसाय की दृष्टि से इस एकीकरण के बैंक को बड़े दीर्घावधि लाभ मिलेंगे। इस विलय के द्वारा हमने अपनी पहुंच और नेटवर्क को कई गुना बढ़ा लिया है। ट्रेजरी कारोबार के एक साथ आ जाने से बहुत फायदा होगा। एसबीआई की गिनती अब विश्व के सबसे बड़े बैंकों में होने लगी है। इन सभी बैंकों को मिलाने के बाद ट्रेजरी कारोबार ₹9,01,642 करोड़ के साथ शाखाओं की कुल संख्या 24,017 और एटीएम मशीनें 59,263 हो गई हैं। इस विलय से कारोबारी सामंजस्य का लाभ मिलेगा। बैंक नए ग्राहकों तक पहुंच सकेगा, और हमारे बाजार अंश में सुधार होगा। अब बैंक नए ग्राहकों की संख्या 42.04 करोड़ हो गई है और जमा एवं अग्रिमों में इसका बाजार अंश क्रमशः 23.07% एवं 21.16% हो गया है जबकि विलय से पूर्व यह क्रमशः 18.05% और 17.02% था। इस विलय के बाद, भारत के अगले सबसे बड़े बैंक का जमा एवं अग्रिमों में बाजार अंश एसबीआई के भारी भरकम कारोबार के मुकाबले मात्र क्रमशः 5.96% और 7.04% रह गया है।

एक बढ़ रहे संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एसबीआई में मजबूत कारोबारी ढांचा मौजूद है। विलय के बाद हम प्रति सेकंड 15,000 लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे जबकि इसके पहले प्रति सेकंड केवल 4,600 लेनदेन ही प्रक्रियागत हो पाते थे। कारोबार की मात्रा बढ़ने और साझा खर्चों को युक्तिसंगत बनाए जाने से पर्याप्त बचत होगी। इसके अलावा, कुशल संसाधनों के नए सिरे से कारगर नियोजन से बैंक की उत्पादकता भी निरंतर बढ़ने की उम्मीद है।

इस विलय से एसबीआई की कायापलट हो गई है। इससे भारत के सबसे बड़े ऋण प्रदाता की गिनती विश्व के 50 शीर्ष बैंकों में होने लगी है। विलय के बाद बैंक की कुल जमाराशियां ₹25.85 लाख करोड़ और ऋण बही ₹18.62 लाख करोड़ की हो गई है। इस विलय का सुदृढ़कारी प्रभाव होगा, जिससे बैंक की ताकत बढ़ेगी और कर्जदारों को भी फायदा होगा। बैंक को आकार-वृद्धि और खर्च में कमी का लाभ मिलेगा जिससे कारोबार करने की लागत कम होगी और कर्जदारों को सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा।

एसबीआई में हमारा मानना है कि विलय के दूरगामी लाभ निकट भविष्य की चुनौतियों के मुकाबले कहीं अधिक होंगे। कम लागत, बेहतर पहुंच और खर्च में कमी इस विलय के प्रमुख लाभ होंगे। इससे एसबीआई को चिरस्थायी मूल्य सृजनकर्ता बनने के मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी।

एसबीआई समूह संरचना

31 मार्च, 2017 को

एसबीआई

देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

- 75.07% स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
- 100% स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- 90% स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- 100% स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- 79.09% स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

गैर- बैंकिंग अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम

- 100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लि.
  - एसबीआई कैप (यू के लि.)
  - एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि.
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.)
- 63.78% एसबीआई डीएफएचआई लि.
- 100% एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
- 100% एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 86.18% एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
- 60% एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
- 63% एसबीआई फंड्स मैनेजमैंट प्रा. लि.
  - एसबीआई फंडस मैनेजमैंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि .
- 60% एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
- 70.10% एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
- 65% एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.

(स्वामित्व अंश %)

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम

- 74% एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि .
- 49% सी-एज टेक्नोलोजीज लि.
- 40% जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमैंट सर्विसेस प्रा. लि.
- 45% मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.

मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.

- 45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- 45% एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
- 50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्ट्मेंट फंड मैनेजमैंट कंपनी प्रा. लि.
- 50% ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- 100% एसबीआई फाउंडेशन
- 100% एसबीआई इंफ्रा मैनेजमैंट सॉलूशन्स प्रा. लि.
- 30% जियो पेमेंट्स बैंक लि.

- 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)
- 100% एसबीआई कनाडा बैंक
- 60% कामर्शियल इंडो बैंक एल एल सी. मास्को
- 96.60% एसबीआई माँरिशस लि.
- 99% बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
- 55% नेपाल एसबीआई बैंक लि.
- 100% बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.
- 20% बैंक ऑफ भूटान लि.

रेटिंग्स

31 मार्च 2017 को

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	पोजिटिव/बीएए 3/पी-3/बीए1 बीबीबी-/ स्टेबल/ए-3 बीबीबी-/एफ़ 3/ स्टेबल	मूडीस एस एण्ड पी फिच
₹ लिखत व्यक्त		
नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत	एएए/ स्टेबल केयर एएए	क्रिसिल केयर
उच्चतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल केयर एएए	क्रिसिल केयर
निम्नतर टियर II गौण ऋण	एएए/ स्टेबल केयर एएए (आईसीआरए) एएए	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III टियर II	एएए/स्टेबल केयर एएए (आईसीआरए) एएए (एचवाईबी)	क्रिसिल केयर आईसीआरए
बेसल III एटी 1 नवोन्मेषीबेमियादी ऋण	क्रिसिल 'एए +/स्टेबल' "केयर एए+'	क्रिसिल केयर

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
एस एंड पी : स्टेंडर्ड एण्ड पुअर

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
देयताएं										
पूंजी (करोड़ ₹)	631	635	635	635	671	684	747	747	776	797
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष (करोड़ ₹)	48,401	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200	1,17,536	1,27,692	1,43,498	187,489
जमाराशियां (करोड़ ₹)	5,37,404	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,740	13,94,409	15,76,793	17,30,722	20,44,751
उधारियां (करोड़ ₹)	51,728	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183	1,83,131	2,05,150	3,23,345	3,17,694
अन्य (करोड़ ₹)	83,362	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,404	96,927	1,37,698	1,59,276	1,55,235
कुल (करोड़ ₹)	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**	**23,57,617**	**27,05,966**
आस्तियां										
निवेश (करोड़ ₹)	1,89,501	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,878	3,98,800	4,81,759	5,75,652	7,65,990
अग्रिम (करोड़ ₹)	4,16,768	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,617	12,09,829	13,00,026	14,63,700	15,71,078
अन्य आस्तियां (करोड़ ₹)	1,15,257	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,716	1,84,119	2,66,295	3,18,265	3,68,898
कुल (करोड़ ₹)	**7,21,526**	**9,64,432**	**10,53,414**	**12,23,736**	**13,35,519**	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**	**23,57,617**	**27,05,966**
निवल ब्याज आय (करोड़ ₹)	17,021	20,873	23,671	32,526	43,291	44,329	49,282	55,015	57,195	61,860
एनपीए के लिए प्रावधान (करोड़ ₹)	2,001	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368	14,224	17,908	26,984	32,247
परिचालन परिणाम (करोड़ ₹)	13,108	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082	32,109	39,537	43,258	50,848
कर-पूर्व निवल लाभ (करोड़ ₹)	10,439	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951	16,174	19,314	13,774	14,855
निवल लाभ (करोड़ ₹)	6729	9121	9,166	8,265	11,707	14,105	10,891	13,102	9,951	10,484
औसत आस्तियों से आय (%)	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88	0.97	0.65	0.68	0.46	0.41
ईक्विटी से आय (%)	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94	10.49	11.17	7.74	7.25
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	49.03	46.62	52.59	47.6	45.23	48.51	52.67	49.04	49.13	47.75
प्रति कर्मचारी लाभ (000 ₹)	373	474	446	385	531	645	485	602	470	511
प्रति शेयर आय (₹)	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06	156.76	17.55	12.98	13.43
प्रति शेयर लाभांश (₹)	21.5	29	30	30	35	41.5	30	3.5	2.60	2.60
एसबीआई शेयर (एनएससी में मूल्य) (₹)	1,600.25	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75	1,917.70	267.05	194.25	293.40
लाभांश भुगतान अनुपात %(₹)	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12	20.56	20.21	20.28	20.11
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बासेल-II (करोड़ में)	N.A.	85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362	1,45,845	1,54,491	1,81,800	2,06,685
बासेल-II (%)		14.25	13.39	11.98	13.86	12.92	12.96	12.79	13.94	13.56
टियर I (करोड़ में)	N.A.	56,257	64,177	63,901	82,125	94,947	1,12,333	1,22,025	1,35,757	1,56,506
टियर I (%)		9.38	9.45	7.77	9.79	9.49	9.98	10.1	10.41	10.27
टियर II (करोड़ में)	N.A.	29,136	26,798	34,629	34,200	34,415	33,512	32,466	46,043	50,179
टियर II (%)		4.87	3.94	4.21	4.07	3.43	2.98	2.69	3.53	3.29
बासेल-III (करोड़ में)	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1,40,151	1,46,519	1,75,903	2,04,731
बासेल-III (%)							12.44	12	13.12	13.11
टियर I (करोड़ में)	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1,09,547	1,17,157	1,33,035	1,61,644
टियर I (%)							9.72	9.6	9.92	10.35
टियर II (करोड़ में)	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	30,604	29,362	42,868	43,087
टियर II (%)							2.72	2.4	3.20	2.76
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82	2.1	2.57	2.12	3.81	3.71
देश में शाखाओं की संख्या	10,186	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816	15,869	16,333	16,784	17,170
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	84	92	142	156	173	186	190	191	198	195

*22 नवंबर 2014 से बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को ₹10 प्रति शेयर से ₹1 प्रति शेयर किया गया। वर्ष 2014-15 से आँकड़ें ₹1 प्रति शेयर और शेष पिछले वर्ष के लिए ₹10 प्रति शेयर के अनुसार हैं।

निष्पादन संकेतक

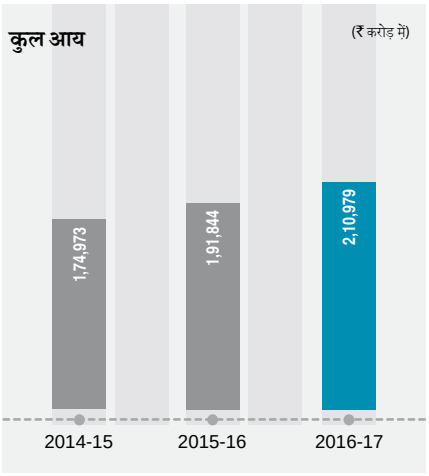
कुल आय
(₹ करोड़ में)
1,74,973
1,91,844
2,10,979
2014-15
2015-16
2016-17

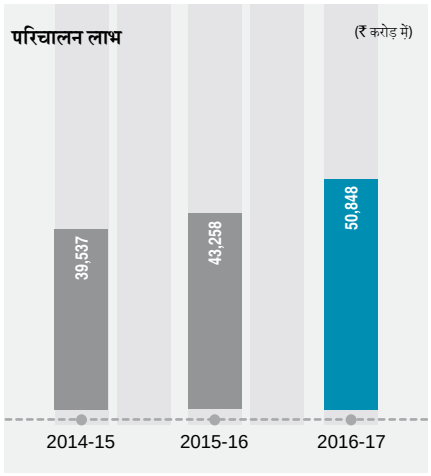
परिचालन लाभ
(₹ करोड़ में)
39,537
43,258
50,848
2014-15
2015-16
2016-17

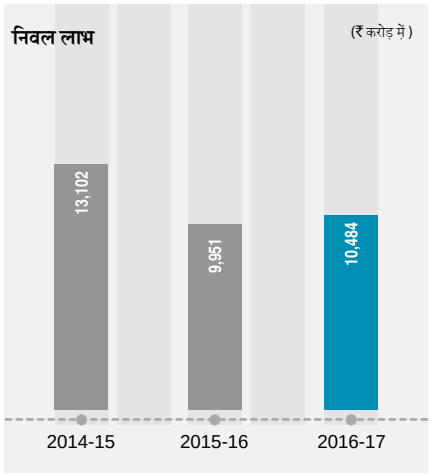
निवल लाभ
(₹ करोड़ में)
13,102
9,951
10,484
2014-15
2015-16
2016-17

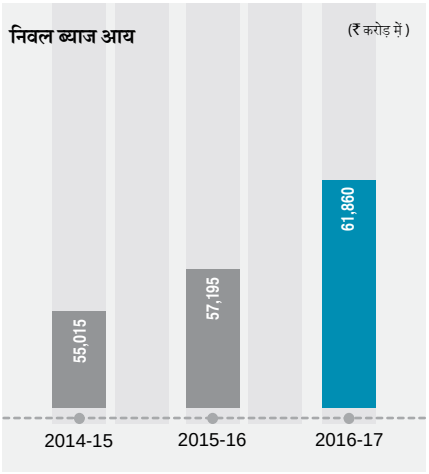
निवल ब्याज आय
(₹ करोड़ में)
55,015
57,195
61,860
2014-15
2015-16
2016-17

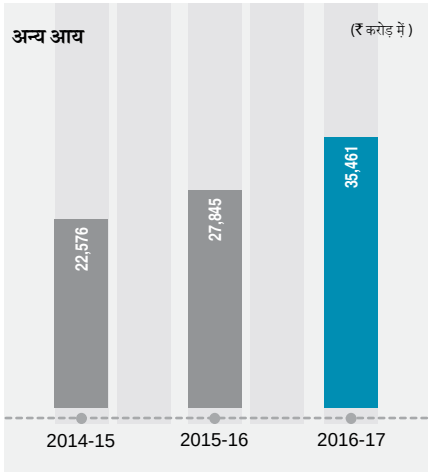
अन्य आय
(₹ करोड़ में)
22,576
27,845
35,461
2014-15
2015-16
2016-17

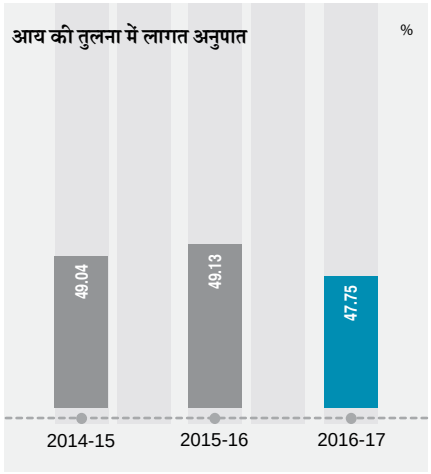
आय की तुलना में लागत अनुपात
%
49.04
49.13
47.75
2014-15
2015-16
2016-17

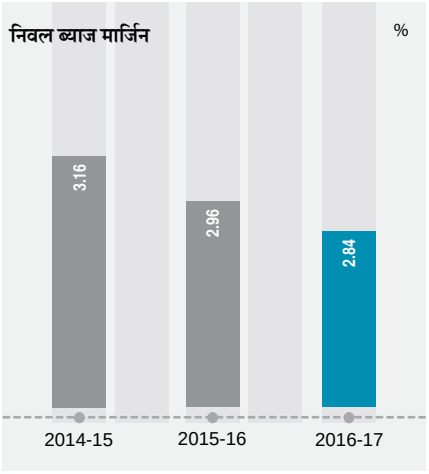
निवल ब्याज मार्जिन
%
3.16
2.96
2.84
2014-15
2015-16
2016-17

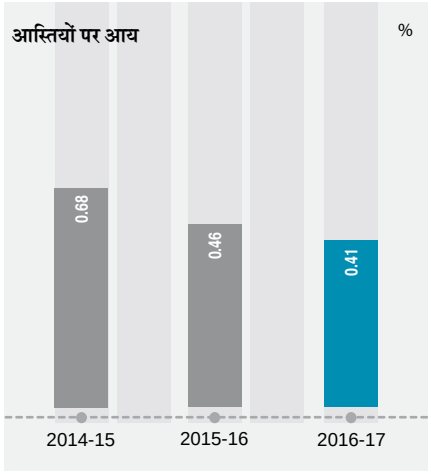
आस्तियों पर आय
%
0.68
0.46
0.41
2014-15
2015-16
2016-17

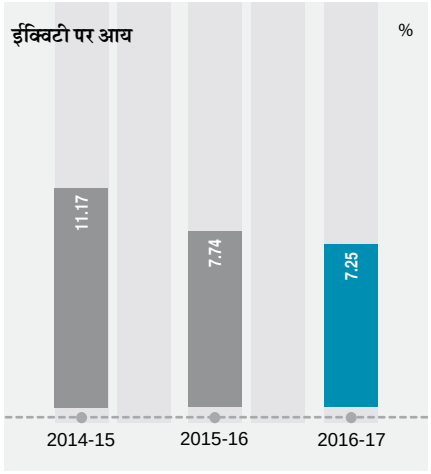
ईक्विटी पर आय
%
11.17
7.74
7.25
2014-15
2015-16
2016-17

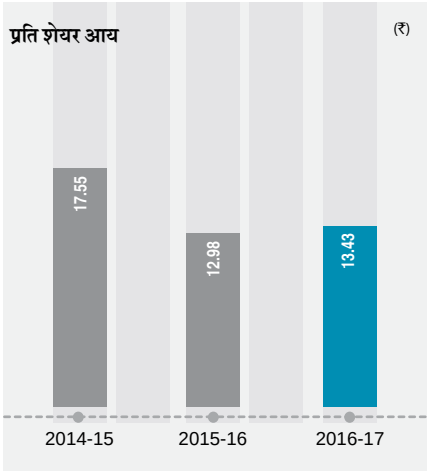

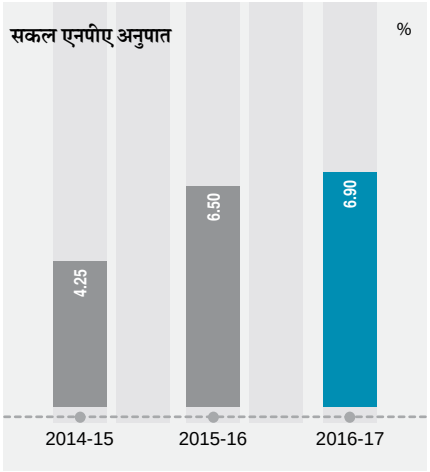

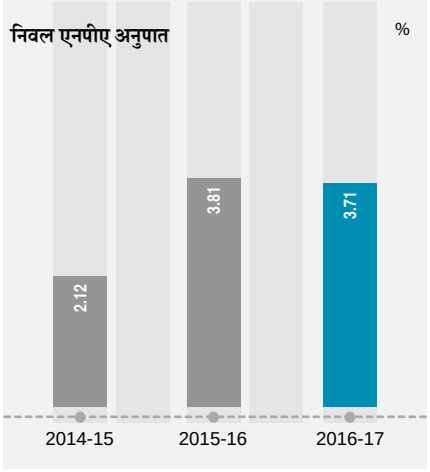

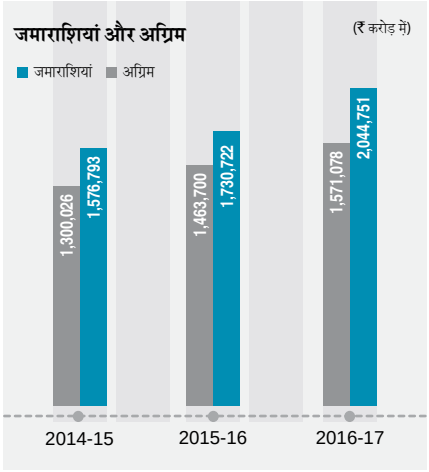

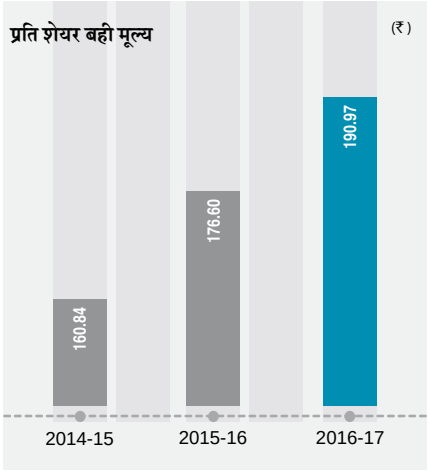

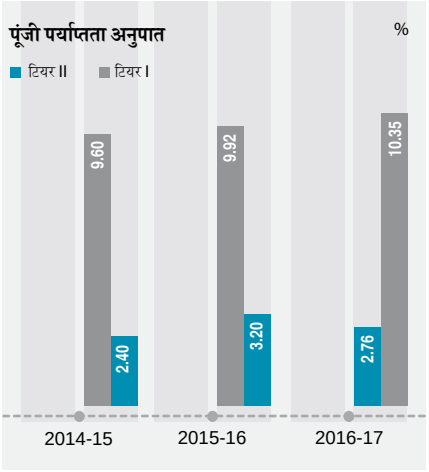

वित्त वर्ष 2016-17 में अर्जन

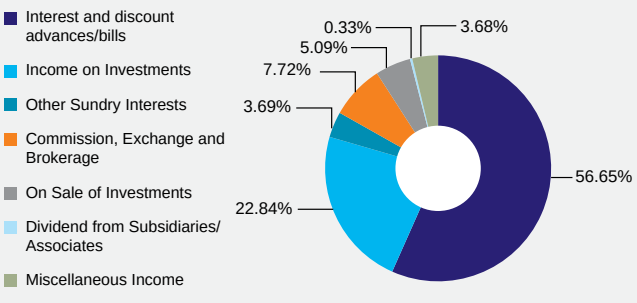

वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च

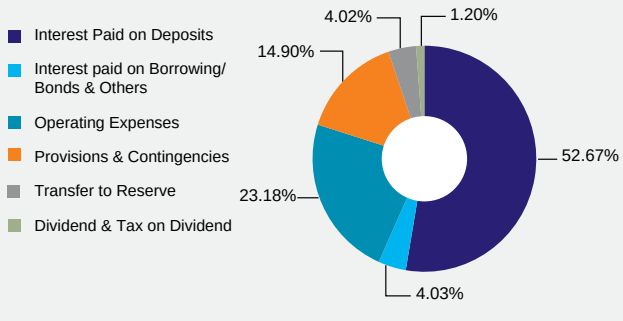

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

19 मई 2017 को

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक

श्री संजीव मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक

श्री एम. डी. माल्या
शेयरधारक निदेशक

श्री दीपक आई. अमीन
शेयरधारक निदेशक

डॉ. गिरीश के. आहुजा
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. पुष्पेंद्र रॉय
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
सचिव, डीएफएस
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री चंदन सिन्हा
ईडी आरबीआई
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक
श्री बी. श्रीराम
श्री रजनीश कुमार
श्री पी. के. गुप्ता
श्री दिनेश कुमार खारा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत निदेशक
डॉ. गिरीश के. आहूजा
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत निदेशक
श्री चंदन सिन्हा

बोर्ड की समितियां
(19 मई 2017 को)

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)
अध्यक्ष
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक,
श्री बी. श्रीराम, श्री रजनीश कुमार,
श्री पी. के. गुप्ता और श्री दिनेश के. खारा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती), अर्थात श्री चंदन सिन्हा और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)
डॉ. गिरीश के. आहूजा, निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई अमीन, निदेशक-सदस्य
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, भारत सरकार की नामिती-सदस्य
श्री चंदन सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती-सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कारपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-सी एवं आर-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग समूह-सदस्य-(पदेन) समिति के अध्यक्ष
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक-सी एवं आर-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम.डी.माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई अमीन, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई अमीन, निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के. आहूजा, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-सदस्य (पदेन)
श्री दिनेश के. खारा, प्रबंध निदेशक, सहयोगी एवं अनुषंगी (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)- समिति के अध्यक्ष
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सी एंड आर)-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमीन, निदेशक-सदस्य
डॉ. गिरीश के आहूजा, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमीन, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)
श्री दीपक आई. अमीन, सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सी एंड आर)-सदस्य (पदेन)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष
श्री दिनेश के. खारा, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा, निदेशक-सदस्य
श्री एम. डी. माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमीन, निदेशक-सदस्य
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, भारत सरकार के नामिती-सदस्य (पदेन)
श्री चंदन सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती-सदस्य (पदेन)
श्री एम डी माल्या, निदेशक-सदस्य
श्री दीपक आई. अमीन, निदेशक-सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)-सदस्य
श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)-सदस्य
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सी एंड आर)-सदस्य
श्री दिनेश के. खारा, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी)-सदस्य
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल, भारत सरकार के नामिती-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की नामांकन समिति
डॉ. गिरीश के. आहूजा, निदेशक-समिति के अध्यक्ष
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय, निदेशक-सदस्य
श्री चंदन सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती-सदस्य (पदेन)

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के निर्धारण हेतु समीक्षा समिति
श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - कॉरपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) - समिति के अध्यक्ष
बैंक के अन्य दो स्वतंत्र निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 (1) (क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) से भिन्न (19 मई 2017 को)

अहमदाबाद
श्री संजीव नौटियाल
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलुरु
श्री एस. एम. फारुकी शहाब
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री के. टी. अजित
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर
श्री बी. वी. जी. रेड्डी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़
श्री अनिल किशोरा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चेन्नई
श्री बी. रमेश बाबू
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद
श्री हरदयाल प्रसाद
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता
श्री पार्थ प्रतीम सेनगुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्री गौतम सेनगुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

मुंबई
श्री दीपंकर बोस
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री संजीव मल्होत्रा*
श्री एम.डी. माल्या*
श्री दीपक आई अमीन*

दिल्ली
श्री आलोक कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
डॉ. गिरीश के आहूजा*
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय*

उत्तर पूर्वी
श्री पी.वी.एस.एल.एन. मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

पटना
श्री अजित सूद
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तिरुवंतपुरम
श्री एस. वेंकटरमन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य

19 मई 2017 की स्थिति के अनुसार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)

श्री सुनील श्रीवास्तव
उप प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री सिद्धार्थ सेनगुप्ता
उप प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्रीमती अंशुला कांत
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

डॉ. एम. एस. शास्त्री
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री जे. पकरीसामी
उप प्रबंध निदेशक
(मिड कॉरपोरेट ग्रुप)

श्री मृत्युंजय महापात्रा
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

श्री शेखर कर्णम
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी एवं सीएसओ

श्रीमती मंजु अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक
(डिजिटल बैंकिंग एवं नव व्यवसाय)

श्री वी. सी. नागेश्वर
उप प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल मार्केट्स)

डॉ. पल्लव महापात्रा
उप प्रबंध निदेशक
(दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह)

श्री बी. सी. दास
उप प्रबंध निदेशक
(निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा)

श्री नीरज व्यास
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी

श्री प्रशान्त कुमार
उप प्रबंध निदेशक एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी

श्री के. वी. हरीदास
उप प्रबंध निदेशक
(खुदरा व्यवसाय)

बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स वर्मा एंड वर्मा
कोचि

मेसर्स वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
मुंबई

मेसर्स एस एन मुखर्जी एंड कंपनी
कोलकाता

मेसर्स बी छावछरिया एंड कंपनी
कोलकाता

मेसर्स मनुभाई एंड शाह, एलएलपी
अहमदाबाद

मेसर्स एम.भास्कर राव एंड कंपनी
हैदराबाद

मेसर्स जीएसए एंड एसोसिएट्स
नई दिल्ली

मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी
कोलकाता

मेसर्स बंसल एंड कंपनी
नई दिल्ली

मेसर्स अमित रे एंड कंपनी
इलाहाबाद

मेसर्स एस एल छाजेड़ एंड कंपनी
भोपाल

मेसर्स मित्तल गुप्ता एंड कंपनी
कानपुर

मेसर्स राव एंड कुमार
विशाखापट्नम

मेसर्स ब्रम्हय्या एंड कंपनी
चेन्नई

अध्यक्ष की कलम से

मुझे वित्त वर्ष 2016-17
के दौरान आपके बैंक के
प्रदर्शन के उल्लेखनीय
तथ्यों की जानकारी आपके
सामने प्रस्तुत करते हुए
बेहद खुशी हो रही है।

प्रिय शेयरधारक

मुझे वित्त वर्ष 2016-17 में आपके बैंक के प्रदर्शन के उल्लेखनीय तथ्यों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आपके बैंक की उपलब्धियों और नए प्रयासों की विस्तृत जानकारी वर्ष 2016-17 की संलग्न वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

आर्थिक परिदृश्य

विश्व की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के नवीनतम अनुमानों के अनुसार जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2016 में 3.1% पर पहले सी रही। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में पिछले साल के मुकाबले मामूली सा सुधार हुआ, जिसमें यूएस का प्रदर्शन सुस्त रहा। इस दौरान उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा।

अच्छी बात यह है कि वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में मामूली सुधार की जो शुरुआत हुई थी उसकी गति इस साल बढ़ रही है। इस साल की पहली तिमाही के दौरान जापान के प्रदर्शन में सुधार हुआ। ऐसा निर्यातों में भारी वृद्धि होने तथा टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए बड़ी मात्रा में निवेश होने के कारण हुआ। इस दौरान, बेरोजगारी कम होने और कारखानों के उत्पादन में वृद्धि होने से पता चलता है कि यूरो क्षेत्र की गति में भी वृद्धि हो रही है। यूएस की अर्थव्यवस्था में भी आगे सुधार होने की उम्मीद है। यह संभावना वित्तीय सुधारों के कारण जगी है। कुल मिलाकर, वर्ष 2017 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 2% रहने का अनुमान है। वर्ष 2017 में, उभरते और विकासशील देशों में विकास दर के 4.5% पर अच्छी रहने की उम्मीद है। यह उम्मीद रूस और ब्राजील में सुधार होने, भारत की वृद्धि दर बढ़ने और चीन में स्थिति के कुछ बेहतर होने के चलते दिख रही है। फिर भी, विदेश में देशी उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतियों को आगे बढ़ाए जाने, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भौगोलिक-राजनीतिक तनावों को देखते हुए वृद्धि दर के घटने का जोखिम भी बना हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत की जीवीए वृद्धि दर के वित्त वर्ष 17 में 6.7% बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए (भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुसार) वित्त वर्ष 18 में इसमें 7.4% के आसपास बढ़ोतरी होने की आशा है। परंतु, पुनर्मुद्रीकरण की तेज गति और भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के अनुमान के कारण आर्थिक गतिविधियों में चालू वित्त वर्ष में और सुधार होगा। इसके अलावा, विदेशी मोर्चे पर भी सितंबर 2016 के बाद निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि होने के चलते प्रदर्शन के निरंतर बेहतर रहने की संभावना है। चालू खाता घाटे के वित्त वर्ष 2017 में घटकर 1% के नीचे रहने की आशा है। भविष्य में भी हालांकि तेल की कीमतों में सुधार होने की संभावना के चलते विदेशी संतुलन पर कुछ दबाव आने की संभावना है। चालू खाता घाटे के जीडीपी के 1-1.4% के बीच रहने की उम्मीद है।

आपके बैंक का प्रदर्शन

जमाराशियों में भारी वृद्धि

वित्त वर्ष 2017 में आपके बैंक की कुल जमाराशियों में पिछले कई वर्षों से काफी अधिक 18.14% की वृद्धि दर्ज की गई और ये पिछले वर्ष के स्तर ₹ 17,30,722 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹ 20,44,751 करोड़ पर पहुंच गई हैं। कुल जमारशियों में इतनी भारी वृद्धि मुख्यतया विमुद्रीकरण के बाद बचत बैंक खाते में (27.81% की बढ़ोतरी) होने के कारण हुई। समग्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुकाबले आपके बैंक की जमाराशियों में भारी वृद्धि होने से मार्च 2017 में मार्केट शेयर 38 आधार अंक के उछाल के साथ 18.05% पर पहुंच गया। आपके बैंक ने अपने कासा अनुपात को बढ़ाकर 45.58% कर लिया है, जो पिछले वर्ष के 43.84% से 174 आधार अंक ज्यादा है। इनमें जमाराशियों का बड़ा हिस्सा मार्च 2017 के मध्य में पैसा निकालने की सीमा समाप्त करने के बावजूद बैंक में ही बना हुआ है।

उधारराशियों में वृद्धि

आपके बैंक की उधारराशियों में वृद्धि वित्त वर्ष 2017 के दौरान नरम रही। आपके बैंक के कुल अग्रिम ₹ 16,00,000 करोड़ के स्तर को पार कर गए और पिछले वर्ष ₹ 15,09,500 करोड़ के स्तर की तुलना में 7.80% बढ़ोतरी के साथ मार्च 2017 तक ₹ 16,27,273 करोड़ के स्तर पर पहुँच गए। बैंकिंग उद्योग की वृद्धि दर के मुकाबले आपके बैंक की अग्रिमों के मामले में वृद्धि दर में बढ़ोतरी के चलते वित्त वर्ष 2017 में मार्केट शेयर 65 आधार अंक बढ़कर 17.02% पर पहुँच गया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके बैंक का मार्केट शेयर पिछले वर्षों में निरंतर बढ़ रहा है। अग्रिमों में अधिकांश वृद्धि आवास और ऑटो रिटेल लोन्स के कारण हुई। समग्रतः रिटेल लोन्स में वित्त वर्ष 2017 में 21.18% की बढ़ोतरी हुई, जो इस खंड में तेजी से वृद्धि करने की बैंक की नीति के अनुरूप ही है। रिटेल में भी, ऑटो लोन्स में वित्त वर्ष 2017 में 21.24% की अच्छी वृद्धि हुई है और ये वित्त वर्ष 2016 के स्तर ₹ 38,549 करोड़ से बढ़कर ₹ 46,736 करोड़ हो गए हैं। होम लोन्स का जहां तक संबंध है, वित्त वर्ष 2016 में ये ₹ 1,90,552 करोड़ थे जो वित्त वर्ष 2017 में 17% की वृद्धि के साथ ₹ 2,22,605 करोड़ के हो गए हैं। आपके बैंक का होम लोन पोर्टफोलिओ रिटेल लोन्स का करीब 56% है। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक बैंकिंग सेक्टर में लगातार सबसे बड़ा होम लोन प्रदाता बना हुआ है और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 31 मार्च 2017 को इसका मार्केट शेयर 25% से अधिक है।

इसके अलावा, ऐसे सेक्टर भी हैं, जिनमें आपके बैंक के ऋण घटे हैं। इनमें एक साल पहले के मुकाबले टेलीकॉम में 12.23%, सड़क एवं पोर्ट्स सेगमेंट में 15.58%, इंजीनियरिंग सेक्टर में 25%, टेक्सटाइल में 15.72% और आयरन एवं स्टील में 1.92% घटा है। बड़े कॉरपोरेटों और एसएमई को अग्रिम राशि देने में वर्ष 2017 में क्रमशः 3.59% और 3.41% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिड कॉरपोरेट ऋण पहले के समान ही रहे। अंततः, कृषि ऋण के मामले में आपका बैंक सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पार कर पाया। वित्त वर्ष 2017 में ₹ 95,168 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में ₹ 1,25,270 करोड़ के ऋण संवितरित किए गए।

शाखा विस्तार

386 नई शाखाएं खोलने के साथ आपके बैंक का नेटवर्क मार्च 2017 में 17,170 पर पहुँच गया। इसमें 64% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। बेहतर ग्राहक सेवा देने, भीड़भाड़ का बेहतर नियंत्रण करने, प्रतीक्षा समय में कमी लाने, सेवा समय (प्रक्रिया समय) में समग्र कमी लाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने ग्राहक अनुभव उत्कर्ष परियोजना शुरू की है, जो वित्त वर्ष 2017 में तेज गति से चली। वित्त वर्ष 2017 में 1519 शाखाओं में ग्राहक अनुभव उत्कर्ष परियोजना शुरू की गई थी और मार्च 2017 में ग्राहक अनुभव उत्कर्ष परियोजना वाली शाखाओं की कुल संख्या 4525 हो गई है।

इसके अलावा, आपका बैंक अपनी व्यापक वैश्विक उपस्थिति के साथ, वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों की संख्या इस समय 195 है, जो सभी महाद्वीपों में 36 देशों में फैले हैं। वित्त वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक ने दो नई शाखाएं खोलीं - ये हैं आईबीयू गिफ्ट सिटी, गुजरात और एसबीआई यंगून, म्यंमार (यह पहले रिप्रेजेंन्टेटिव ऑफिस था)।

नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, जो एसबीआई की एक सहायक कंपनी है, की तीन नई शाखाएं खोली गईं। आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह का बैंक के व्यवसाय और लाभ में लगातार मुख्य योगदान रहा है।

टेक्नोलोजी

भारतीय स्टेट बैंक कार्यक्षमता में सुधार करने और अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रबल पक्षधर रहा है। आपका बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी समय ओर कहीं भी बैंकिंग लेनदेन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए और अतुल्य उत्पादों की पेशकश करता रहा है। आपके बैंक की टेक्नोलोजी उपयोग की नीति सोशल कोलेबोरेशन, मोबिलिटी, क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म और बड़े डेटा एनालिटिक्स की वर्तमान ग्राहक अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की गई है।

डिजिटलीकरण और कामकाज में उत्कृष्टता ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई आपके बैंक की नीति के मूलमंत्र है। इनसे बैंक के ग्राहकों को शीघ्रता से सेवाएं और अन्य सुविधाएं मिलने लगी हैं।

स्टेट बैंक डेबिट कार्डों की संख्या 31 मार्च 2017 को 28 करोड़ से अधिक हो गई है और आपका बैंक देश में डेबिट कार्ड जारी करने में लगातार सबसे आगे बना हुआ है। आपके बैंक द्वारा डेबिट कार्डों के जरिये `कभी भी कहीं भी बैंकिंग' की सुविधा ग्राहकों को देने के लिए किए गए सम्मिलित प्रयासों से डेबिट कार्डों के द्वारा खरीदारी के मामले में मार्केट शेयर मार्च 2016 के 26.29% से बढ़कर मार्च 2017 में 29.23% पर पहुंच गया, जो किसी भी अन्य बैंक से कहीं अधिक है। विभिन्न नवोन्मेषन जैसे sbiINTOUCH,कान्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, मुंबई मेट्रो डेबिट कार्ड आदि की शुरुआत और जोरदार मार्केटिंग अभियानों तथा डेबिट कार्ड जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाने से डेबिट कार्ड खरीदारियों के मामले में बैंक शीर्ष स्थान पर आ गया है।

आपके बैंक की अपने सहयोगी बैंकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटीएम नेटवर्कों में गिनती होने लगी है। 31 मार्च 2017 को बैंक समूह के 59,200 एटीएम हो गए हैं, जिनमें किओस्क, कैश डिपॉजिट मशीनें और रीसाइक्लर्स शामिल हैं। वित्त वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक द्वारा 3000 से अधिक पुरानी एटीएम मशीनों और रीसाइक्लरों के स्थान पर नवीनतम टेक्नोलोजी वाली बेहतर मशीनें लगाई गई हैं। आपके बैंक ने अब तक 6,400 रीसाइक्लर्स लगाए हैं जिनपर 24x7 कैश निकालने और पैसा जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। 28.44% मार्केट शेयर के साथ स्टेट बैंक समूह के एटीएम नेटवर्क पर देश के कुल एटीएम लेनदेन में से 54.06% लेनदेन एनीटाइम चैनलों के जरिये किए जाते हैं। बैंक के लगभग 77% वित्तीय लेनदेन एनीटाइम चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। औसतन प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक लेनदेन हमारे नेटवर्क पर संचालित होते हैं और ₹ 3,485 करोड़ कैश प्रतिदिन हमारे समूह की एटीएम मशीनों द्वारा दिया जाता है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने को देखते हुए आपके बैंक ने वर्ष 2017 के दौरान 2.06 लाख प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाकर शीर्ष मर्चेंट अर्जक बैंक के रूप में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है। इन टर्मिनलों की संख्या 5.09 लाख के ऊपर हो गई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 69% की बढ़ोतरी के साथ पीओएस टर्मिनलों में मार्केट शेयर 20.16% हो गया है।

आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा है। देश में मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्मों पर कुल लेनदेन राशि का 44.37% हमारे मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर होता है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान आपके बेंक के मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले लेनदेनों में भारी वृद्धि देखी गई है। लेन-देनों की मात्रा में 56% से अधिक और लेन-देनों के मूल्य में 507% की वृद्धि हुई है।

आपके बैंक ने हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर टेक्नोलोजी उपलब्ध कराई है। इस दिशा में एक बड़ा कदम था - अतुल्य उच्च टेक्नोलोजी से सुसज्जित बैंकिंग आउटलेट्स sbiINTOUCHकी स्थापना करना। आपके बैंक की सात sbiINTOUCHप्रीमियम आउटलेट्स और 250 sbiINTOUCHशाखाएं हैं, जो देश भर में 143 से अधिक जिलों में आधुनिकतम डिजिटल टेक्नोलोजी की सुविधा के साथ खोली गई हैं।

नवंबर 2016 में एसबीआई पे नामक इंटर-ऑपरेबल मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन शुरू किया गया। यह यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम पर संचालित होता है जो एनपीसीआई द्वारा तैयार किया गया है। यह ऐप एसबीआई के साथ-साथ अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए एक पेमेंट सॉल्यूशन है। इसमें यूनीक आइडेंटीफायर के तौर पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर आधारित पैसा भेजने और पाने की सुविधा उपलब्ध है।

स्टेट बैंक बडी - मोबाइल वॉलेट ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों के लिए उपलब्ध कराया गया एक और पेमेंट चैनल है। अगस्त 2015 में शुरू किया गया यह वॉलेट 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अपनी शुरुआत के बाद से बडी के उपयोगकर्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि खास तौर से विमुद्रीकरण के बाद और तेज हुई। इस मोबाइल वॉलेट की शुरुआत होने के 20 महीनों के अंदर इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ हो गई।

बैंक की पहुँच का ग्रामीण जनता तक विस्तार करने और डिजिटलीकरण के लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए आपके बैंक द्वारा स्टेट बैंक मोबीकैश की इन लोगों को ध्यान में रखकर एक अन्य संस्था की सहायता से शुरुआत की गई। इस वॉलेट की शुरुआत बीएसएनएल के साथ भागीदारी में की गई है और यह बुनियादी बहु-विशेषतायुक्त उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध है।

विश्लेषण विज्ञान और बृहद डेटा का उपयोग

आपका बैंक कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए विश्लेषण विज्ञान का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। भविष्यसूचक विश्लेषण और ग्राहक वर्गीकरण का उपयोग क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के जरिए ग्राहकों से होने वाली आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जोखिम विश्लेषण विज्ञान का उपयोग नए आवेदनों के मूल्यांकन और लोन पोर्टफोलिओ की प्रगति पर निरंतर नजर रखने के लिए किया जाता है। वर्ष 2016 में विश्लेषण आधारित, प्री क्वालिफाइड ऋणान्वयन कार्यक्रम शुरू करने से व्यवसाय बढ़ाने और अर्जन लागत घटाने में मदद मिली है। शाखाओं/कारोबार संभालने वाले स्टाफ की बेहतर ढंग से और समय पर कार्यदक्षता बढ़ाने में सहयोग मिलने से ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने और वॉलेट शेयर बढ़ाने में बहुत सहायता मिली है।

बड़े डेटा क्षेत्र में, लगातार बढ़ रहे डेटा के प्रकार और बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंध करने के लिए, आपका बैंक एक डेटा लेक स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इससे बड़ी मात्रा में संरचित और असंरचित डेटा की शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने और उन्नत विश्लेषण करने में आसानी होगी जिससे व्यवसाय निर्णय करने में और नए उत्पादों को तैयार करने के लिए गहरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ - आय और लागत दोनों मानदंडों के अनुसार बेहतर परिचालन लाभ से परिचालन लाभ में 17.55% की वर्ष-दर-वर्ष दर हासिल हुई। तथापि बढ़ी हुई ऋण लागतों के कारण निवल लाभ 5.36% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर पर स्थिर रहा और इसकी राशि ₹ 10,484 करोड़ तक हो गई। यह वित्त वर्ष तीसरी तिमाही में विमुद्रीकरण के प्रभाव और दक्षिण भारत में भयंकर सूखे की स्थिति के कारण भी विशेष हो गया था। फिर भी, विगत निष्पादन के कारण लाभ की स्थिति के चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट - जो वर्तमान कारोबार के निरंतर बेहतर होने को इंगित करता है - वित्त वर्ष 2017 में बहुत बढ़िया रहा। वित्त वर्ष में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹ 50,000 करोड़ को पार करके ₹ 50,848 करोड़ पर पहुँच गया।

जिस प्रकार ऊपर उल्लेख किया गया है, बैंक की ब्याजेतर आय, निवेशों की बिक्री पर आय, विदेशी मुद्रा आय में काफी वृद्धि हुई है और लागत की तुलना में आय अनुपात में 138 आधार अंकों का सुधार हुआ और वह 47.75% रहा। निवल ब्याज दर मार्जिन (एनआईएम) निरंतर अच्छा बना रहा। बैंक कासा अनुपात के 174 आधार अंकों के सुधार के साथ 45.58% पर पहुंच जाने के कारण अपने मार्जिन को बरकरार रख पाया।

ऋणों की गुणवत्ता

पिछले साल से शुरू की गई ऋणों की तिमाही समीक्षा के कारण बैंक के एनपीए में अच्छी वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2017 के दौरान यह वृद्धि काफी कम रही और एनपीए की राशि ₹ 98,173 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,12,343 करोड़ हो गई। कुल एनपीए मार्च 2017 में 6.90% रहे जो 40 आधार अंक अधिक हैं। कुल एनपीए में वृद्धि के बावजूद निवल एनपीए के अनुपात में 10 आधार अंकों की गिरावट के साथ यह वर्ष-दर-वर्ष 3.71% के स्तर पर रहा। इस प्रकार प्रावधान कवरेज अनुपात वित्त वर्ष 2017 में 5.26% की वृद्धि के साथ 65.95% के स्तर पर रहा।

वर्ष के दौरान ऋण वसूली और अपग्रेडेशन में पिछले वर्ष की तुलना में 23.57% की वृद्धि दर्ज हुई। वित्त वर्ष 2017 के दौरान ऋणों की श्रेणी में नई गिरावट की राशि पिछले वर्ष की तुलना में 39.13% कम रही।

दबावग्रस्त ऋणों में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से को देखने पर पता चलता है कि एसएमई, कृषि, रिटेल और अंतरराष्ट्रीय ऋणों के हिस्से में विशुद्ध कमी दर्ज की गई है जबकि बड़े कॉरपोरेटों तथा मिड-कॉरपोरेटों के हिस्से में वृद्धि हुई है।

पूंजी संरचना

पिछले वित्त वर्ष की चुनौतियों के बावजूद आपके बैंक के पास भविष्य के झटकों को झेलने और भविष्य में वृद्धि दर को बढ़ाने में गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। बासेल III के तहत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2017 13.11% और टियर 1 में 10.35% था।

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2017 के दौरान ₹ 28,828 करोड़ की नई पूंजी जुटाने के लिए पूंजी जुटाने के सभी विकल्पों का उपयोग किया। वित्त वर्ष 2017 के दौरान ₹ 9,100 करोड़ की नई AT1 पूंजी जुटाई गई। सरकार द्वारा ₹ 5,681 करोड़ की पूंजी लगाई गई जबकि बैंक के नॉन-कोर असेट्स/दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से ₹ 2,662 करोड़ मिले। पूंजी वृद्धि प्रक्रिया की शेष ₹ 8,379 करोड़ की राशि में प्रतिधारित आमदनियों का बड़ा हिस्सा रहा।

लाभांश

वित्त वर्ष 2017 के लिए मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने प्रति ₹ 1 के अंकित मूल्य वाले शेयर पर प्रति ₹ 2.60 का लाभांश घोषित किया है।

नई पहल

वर्ष 2016-17 के दौरान, आपके बैंक द्वारा अनेक नई पहल की गईं जिससे प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र यानी होम लोन्स, ऑटो लोन्स, एसएमई, ग्रामीण व्यवसाय आदि पर और ज्यादा जोर दिया जा सके। इस संबंध में की गई कुछ बड़ी पहल निम्नानुसार हैं:

- लेस कैश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए आपके बैंक ने वैकल्पिक डिजिटल मर्चेंट पेमेंट स्वीकृति सॉल्यूशन यानी **भारत क्यूआर** और आधार आधारित भुगतान यथा **भीम-आधार-एसबीआई** की शुरुआत की है। बुनियादी अर्जन सेवाओं के अतिरिक्त, बैंक मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे डेबिट कार्ड धारकों को कैश देने के लिए **Cash@PoS**, डीसीसी - (डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन) और Posटर्मिनलों पर ईएमआई का भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।
- आपके बैंक द्वारा **'एसबीआई डिजिटल विलेज'** की भी शुरुआत की गई है जिससे चुनिंदा गांवों को कैशलेस अर्थव्यवस्था वाले गांवों में बदला जा सके। इस योजना के तहत देश भर में 21 गांवों में 1 जुलाई 2016 को इसका शुभारंभ किया जा चुका है।
- आपका बैंक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप को भी और बेहतर बना रहा है। जनवरी 2017 में स्टेट बैंक एनीव्हेयर-पर्सनल की शुरुआत की गई।
- एसबीआई ने फ्लिपकार्ट के साथ भी भागीदारी की है। इसके तहत इसने अपने उपभोक्ताओं को खरीदारियों पर प्री-अप्रूव्ड ईएमआई की सुविधा की पेशकश की है। इस भागीदारी में आपका बैंक प्री-क्वालिफाइड अनेक ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगा जिससे वे फ्लिपकार्ट से न्यूनतम ₹ 5,000 की खरीदारी करने के लिए लेन-देन कर सकेंगे।
- आपके बैंक द्वारा **'एसबीआई मिंगल'**- जो फेसबुक और ट्विटर उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, की भी शुरुआत की गई है। एसबीआई मिंगल का उपयोग करके बैंक के ग्राहक अनेक प्रकार की बैंकिंग सेवाएं जैसे फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर बैलेंस जान सकेंगे और मिनी स्टेटमेंट के लिए अपने अनुरोध कर सकेंगे।
- भारत के लोगों की मकान की जरूरतों के पूरा करने के लिए आवासन क्षेत्र के सबसे बड़े सहयोग के तहत एक संयुक्त प्रयास के तौर पर एसबीआई और टाटा हाउसिंग ने एक भागीदारी करार किया। इससे आवासन क्षेत्र को एक अलग मंच मिल पाएगा जहां आसान वित्त और घर खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- एसएमई क्षेत्र में ऋण गुणवत्ता सुधारने के लिए **प्रोजेक्ट विवेक** के तहत आपका बैंक अपनी ऋण हामीदारी (अंडरराइटिंग) प्रक्रिया को बेहतर बना रहा है, जिसमें यह पारंपरिक बैलेंस शीट आधारित अंडरराइटिंग नहीं करेगा और इसके स्थान पर संशोधित वित्त मॉड्यूल- बैलेंस शीट होगी जिसे अनेक स्रोतों से पुनर्व्यवस्थित कैश उपलब्ध होगा। इसके अलावा, ऋण वितरण के एक समान मानदंड अपनाने, गुणवत्ता सुधारने और कॉरपोरेट मेमरी बनाए रखने के लिए एलओएस, एलएलएमएस व्यवस्था छोटे और उच्च मूल्य वाले ऋणों के लिए क्रमशः शुरू की गई है।
- एसबीआई द्वारा अपने बैंककर्मियों के लिए 'एसबीआई वर्कस्पेस' के जरिये घर से काम करने की सुविधा की भी शुरुआत की गई है। कर्मचारियों को मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलोजी का उपयोग करना होगा। इसके साथ-साथ केंद्रीय तौर पर उपलब्ध सभी संबंधित उपकरणों को निरंतर अपने नियंत्रण में रखना होगा तथा मोबाइल उपकरणों पर डेटा को सुरक्षित भी रखना होगा।
- आपके बैंक ने बैंक में एमएमजीएस-III तक के अधिकारियों को परिलब्धियों का मुद्रीकरण और सम्मिलन करके बाजार मांग के अनुसार अपने वेतन/परिलब्धियों के पुनर्निर्धारण द्वारा 'स्मार्ट कम्पनसेशन पैकेज' के तौर पर एक अतिरिक्त ऑप्शन दिया है।
- यद्यपि आपका बैंक अपने सैद्धांतिक लोकाचार और गहन गंभीर नैतिक व्यवहारों के लिए विख्यात है, फिर भी हमने मुख्य आचरण नीति अधिकारी के एक नए पद का सृजन कर उस पर नियुक्ति भी कर दी है। इन अधिकारी को चिरस्थापित लोकाचार को संगठन के ताने बाने में और अधिक सुनियोजित ढंग से पल्लवित, पोषित और संयोजित करने का गुरु भार सौंपा गया है।

सहयोगी एवं सहायक कंपनियां

आपके बैंक द्वारा अपने पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से अपने में विलय कर लिया गया है। यह भारत के बैंकिंग उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा पहला ऐसा एकीकरण है जिससे बैंक की बैलेंस शीट का आकार बढ़ सकेगा। इस विलय से, एसबीआई ने ₹ 33 लाख करोड़ के तुलनपत्र आकार, 42 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाली 24,017 शाखाओं और 59,263 एटीएमों के साथ विश्व के 50 बड़े बैंकों की सूची में स्थान प्राप्त कर लिया है। इस बढ़े हुए तुलनपत्र आकार से बैंक की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में बेहतर स्थिति होगी। संवर्धित शाखा नेटवर्क, ग्राहक आधार और स्टाफ संख्या से बैंक को अपनी पहुँच में विस्तार करने

और संसाधनों को युक्तिसंगत बनाने तथा विदेशों में अपनी शाखाएं खोलने में मदद मिलेगी। बैंक का प्रयास होगा कि वह विलय संयोजनों से लागत में कमी लाए और अधिकतम आय उत्पन्न करे, पर्याप्त लागत बचत की ओर बढ़े तथा कीमत की तुलना में आय अनुपात में कमी करे।

गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों का जहां तक संबंध है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2017 के दौरान ₹ 252 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया गया है। एसबीआई लाइफ का नव व्यवसाय प्रीमियम वर्ष दर वर्ष 43% वृद्धि के साथ ₹ 10,144 करोड़ रहा और प्रबंध अधीन ऋण वित्त वर्ष 2017 में 22% वृद्धि के साथ ₹ 97,737 करोड़ के हो गए। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 में ₹ 955 करोड़ का निवल लाभ कमाया, जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह ₹ 861 करोड़ रहा था। एसबीआई कार्ड्स ने वित्त वर्ष 2017 में अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि की और ₹ 390 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2016 में इसे ₹ 284 करोड़ का लाभ हुआ था। जहां तक खरीदारियों का संबंध है इसका मार्केट शेयर 13.1% है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2017 में ₹ 224 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2016 में ₹ 165 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। इस प्रकार इसमें 36% की वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 2017 के दौरान कंपनी की औसत प्रबंध अधीन आस्तियां ₹ 1,57,025 करोड़ रहीं, जो पिछले वर्ष से 47% अधिक हैं और इसे प्रबंध अधीन आस्तियों के मामले में पूरे उद्योग में 5वां स्थान प्राप्त है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2017 के अपने सारे वर्ष के कारोबार के मामले में 6ठी बार लाभ-अलाभ की स्थिति हासिल की और इसका कर पश्चात लाभ ₹ 153 करोड़ रहा।

सम्मान एवं पुरस्कार

आपके बैंक को प्राप्त हुए कुछ पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी देती हुए मैं गौरवान्वित हूँ। फाइनैंशियल एक्सप्रेस द्वारा आपके बैंक को देश का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। हमें बिजनेस टुडे ने भी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बैंक (सरकारी क्षेत्र) के रूप में पुरस्कृत किया है। आपके बैंक को ग्लोबल फाइनैंस मैग्जीन द्वारा 'बेस्ट ट्रेड फाइनैंस बैंक' का सम्मान दिया गया है। अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय निष्पादन के प्रतीक के रूप में, आपके बैंक को वित्तीय सेवा (बैंकिंग) क्षेत्र में 'गोल्डन पीकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड' के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। विशिष्ट क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए समान रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु हेलन केलर अवार्ड 2016 और उप-श्रेणी सर्वोत्कृष्ट नियोक्ता में विशिष्ट क्षमता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु नैशनल अवार्ड 2016 भी हमें प्रदान किए गए हैं। समग्र बैंकिंग अनुभव में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी स्तर में वृद्धि करने के हमारे सतत प्रयासों के लिए, प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग के नवोन्मेषी उपयोग के लिए 'आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सिलेंस अवार्ड, श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, श्रेष्ठ डिजिटल एण्ड चैनल टेक्नोलॉजी, विश्लेषणों का श्रेष्ठ उपयोग और श्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल के लिए आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलोजी अवार्ड, एनपीसीआई में सभी श्रेणियों में जीतने पर विशेष अवार्ड, नैशनल पेमेंट्स एक्सिलेंस अवार्ड, डेटा स्टोरेज और अन्य के साथ-साथ ग्रीन आईटी के नवोन्मेषी उपयोग के लिए नेटऐप्प इनोवेशन अवार्ड 2017 शामिल हैं।

सहयोगी बैंकों में, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा ईको-टेक्नॉलॉजी सैवी बैंक अवार्ड प्रदान किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को एसएमई एक्सिलेंस अवार्ड 2016 में एमएसएमई और सामाजिक समावेशन तथा श्रेष्ठ एमएसएमई बैंक में खंड नेतृत्व के लिए स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है।

अनुषंगियों में, एसबीआई कार्ड्स को 25वें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में पांच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ रीडर्स डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2016, एनुअल 10/10 कम्पलायंस अवार्ड में भारतीय उद्योगों में उत्कृष्टता अनुपालन निष्पादक-2016 शामिल हैं। एसबीआई लाइफ को इंडियन इंश्योरेंस अवार्ड 2016 में इस वर्ष की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बैंकएश्योरेंस लीडर लाइफ एश्योरेंस (लार्ज कंपनी) अवार्ड दिया गया है। यह सबसे विश्वासप्रद ब्रांड, 2016 में से एक है जो दि इकनॉमी टाइम्स ब्रांड नीलसन सर्वे द्वारा लगातार छठे वर्ष दिया गया है। एसबीआई जनरल को "अल्प सेवा उपलब्धता वाले बाजार में प्रवेश" और "व्यापार आधारित वृद्धि नेतृत्व" श्रेणियों में इंडिया इंश्योरेंस अवार्ड 2016 प्राप्त हुआ है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

आपके बैंक की संस्कृति में सामाजिक दायित्व की भावना बहुत गहरी है। औपचारिक सीएसआर अवधारणा एक सामान्य प्रथा या उद्योग मानदंड बनने से काफी पहले से ही आपका बैंक सामाजिक कल्याण के कार्य करता रहा है। आपका बैंक इस बात में विश्वास करता है कि समाज के वंचित और अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों के जीवन में संवहनीय सामाजिक बदलाव लाना इसका परम कर्तव्य है। आपके बैंक ने हमेशा से ही अपने प्रमुख कार्यों में जन-साधारण, विशेष रूप से अत्यधिक गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखा है। एसबीआई सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन रहा है और संवहनीय व्यवसाय प्रथाएं हमारे व्यवसाय परिचालनों का प्रमुख भाग है।

वित्त वर्ष 2017 के लिए आपके बैंक का सीएसआर योगदान ₹ 109.82 करोड़ रहा है। बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालयों (मंडलों) ने ₹ 89.82 करोड़ खर्च किए हैं और शेष ₹ 20 करोड़ एसबीआई फाउंडेशन को दान स्वरूप दिए हैं। यह लगातार पांचवां वर्ष है, जब आपके बैंक का सीएसआर व्यय ₹ 100 करोड़ की राशि को पार कर गया।

सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग

आपका बैंक बहुविध पद्धतियों के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में निरंतर चैम्पियन रहा है। इन पद्धतियों में अन्य विषयों के साथ साथ कार्यनीतिक निर्णयन में सामाजिक और पर्यावरण जोखिम प्रबंधन, ऋण वितरण शामिल हैं। इस दिशा में बैंक द्वारा नए उत्पाद एवं सेवाएं विकसित की जा रही हैं। आपका बैंक देश में सरकारी क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसने वित्त वर्ष 2016 के लिए अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अपनी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए दूसरी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2017 के लिए ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव के तहत निर्धारित अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। इन दिशानिर्देशों में विश्व स्तर पर व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पद्धति सम्मिलित है।

भावी परिदृश्य

अर्थव्यवस्था में दवाब और निम्न कैपेक्स मांग की स्थिति के कारण वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता दवाबों में तेजी से वृद्धि हुई। तथापि, आरबीआई को अत्यधिक अधिकार निहित करके एनपीए मुद्दे का समाधान करने वाला हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे आशा है कि ऐसा करने से अगले दो वर्षों में इन विषयों का समाधान हो जाएगा, जिसके संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं ।

बैंक में बेसल III मानदंड अपनाने का कार्य समय पर चल रहा है। लागत को नियंत्रित करने के बैंक के प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और लागत की तुलना में आय अनुपात में 138 आधार बिन्दुओं की गिरावट आई है। गैर-ब्याज आय क्षेत्र में भी आपके बैंक का निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में काफी संतोषजनक रहा है और हम अपने आय संसाधनों में लगातार विविधता ला रहे हैं।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विमुद्रीकरण ने बैंक के डिजिटल आधार में विस्तार करने का काफी बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। इससे बैंक के पीओएस नेटवर्क विस्तार, एसबीआई इनटच की अधिक स्वीकार्यता, एसबीआई मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि होगी। मुझे उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी और आने वाले वर्षों में बैंक के व्यवसाय का काफी बड़ा भाग डिजिटल चैनलों से होने लगेगा, इससे बैंक की शाखाओं में भीड़ कम होगी और हमारे ओवरहैड्स में कमी आएगी। साइबर सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। यद्यपि, रैन्समवेयर की हाल की घटना के कारण भारत में कोई अवरोधक घटनाएं नहीं हुई, फिर भी अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि बैंक की साइबर सुरक्षा नीति कम महत्व के स्थान पर अधिक महत्व वाली बन गई है। आपका बैंक अगले कुछ वर्षों में इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

अगले वित्त वर्ष से बैंक के एकल परिणामों में सहयोगी बैंकों की परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा। विलय ने बैंक को विश्व के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में स्थान दिला दिया है और देश में बैंकिंग के क्षेत्र में बाजार अंश को बढ़ा दिया है। बड़े आकार के अपने फायदें होते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि बैंक की लागत मुख्य रूप से किफायत बरतने और एकरूप श्रेष्ठ प्रथाओं को लागू करने के कारण अनुकूलता की ओर बढ़ेगी। विलय से बैंक की डिजिटल शाखाओं पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और बैंक का काफी बड़ा ग्राहक आधार बैंक की डिजिटल बैंकिंग से लाभान्वित होगा।

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2018 के चुनौतीपूर्ण किंतु सम्भावनाशील रहने की उम्मीद है क्योंकि नीतिगत परिवेश अब और अधिक विश्वसनीय हो गया है। राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है और अगले दो वर्षों में और बड़े सुधार देखने को मिलेंगे।

मैं अपने सभी शेयरधारकों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी शक्तियों और क्षमताओं पर भरोसा बरकरार रखा है। ग्राहकों से भी हमें बहुमूल्य समर्थन प्राप्त हुआ है और उनका निरंतर हममें विश्वास बना हुआ है। मैं बैंककर्मियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से ही हम आपके बैंक के लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं।

आपकी शुभचिंतक,

(अरुंधति भट्टाचार्य)

निदेशकों की रिपोर्ट

1. आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक वृद्धि दर 3.1% पर यथावत रही। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन में वर्ष 2016 में वर्ष 2015 की तुलना में मामूली सुधार हुआ जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन कुछ बेहतर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011 के बाद से नीचा रहा है, जिस कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं की समग्र वृद्धि दर में कमी आई। युनाइटेड किंग्डम की वृद्धि दर कमजोर निवल निर्यातों के चलते धीमी हुई। परंतु यूरो क्षेत्र द्वारा वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में कुल मिलाकर थोड़ी बेहतर वृद्धि दर दर्ज की गई। इस बीच पहले के मुकाबले अधिक पूंजी खर्च के कारण रूस वर्ष 2016 की चौथी तिमाही में मंदी के दौर से बाहर आ पाया। इसके चलते उभरते और विकासशील देशों की समग्र वृद्धि दर बेहतर हुई (वर्ष 2016 में 4.1% थी)।

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में सुधार हो रहा है। ऐसा बेहतर प्रदर्शन विशेषकर विकसित देशों में पहले की तुलना में अच्छे परिणाम दिखाए जाने के कारण हुआ। इसके अलावा, यूरो क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन में भी विभिन्न कारणों से थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इनमें प्रमुख हैं; बेरोजगारी की दर में कमी और कारखानों के उत्पादन में वृद्धि होना जिसके चलते प्रदर्शन में सुधार परिलक्षित हो रहा है। जापान के कार्यकलाप में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। ऐसा जापान के औद्योगिक उत्पादन और निर्यातों में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ। यद्यपि वर्ष 2017 की प्रथम तिमाही में यूएस जीडीपी वृद्धि दर मंद रही है, फिर भी अच्छी बात यह है कि संभव वित्तीय प्रोत्साहनों से आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है।

उभरते हुए एवं विकासशील देशों में, चीन में प्राधिकरणों के सतत सहयोग से विकास में लगातार थोड़ा सुधार हो रहा है। तथापि, मूडी ने निवेशक की सेवा के लिए चीन की रेटिंग को A1 से घटाकर Aa3 कर दिया और अपने संभावनाओं को निगेटिव से स्थिर कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने यह निर्णय इस अपेक्षा से लिया है कि चीन की अर्थव्यवस्था के विस्तार से आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगी, नियोजित सुधार कार्यक्रम संभवतः धीमा रहेगा, परंतु यह वृद्धि को नहीं रोक पाएगा, और स्थायी नीतिगत प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था में ऋण जुटाने का कारण बनेंगे।

भारत में विमुद्रीकरण के कारण धीमेपन के बाद आर्थिक कार्यकलाप में तेजी से सुधार होने की संभावना है।

वर्ष 2016 में धीमे निवेश और स्टॉक समायोजन के कारण वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर 2.2% पर थोड़ी नीची रही। तथापि, इससे वैश्विक मांग में अपेक्षित बढ़ोतरी होने से वृद्धि दर के बढ़ने की संभावना है हालांकि देशी उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतियां एक चिंता का विषय है। वर्ष 2017 में समग्र वर्ल्ड जीडीपी में 3.5% की वृद्धि होने की संभावना है। तथापि, मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका क्षेत्र में बढ़ रहा भौगोलिक-राजनीतिक तनाव, अपेक्षित फेड रेट वृद्धि से अधिक वृद्धि और विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा देशी उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतियों को बढ़ावा देना ऐसे प्रमुख जोखिम हैं जो विश्व की आर्थिक गतिविधियों पर अधोगामी दबाव ला सकते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू यह है कि हाल ही के सप्ताहों में कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुँह गिरकर प्रति बैरल 50 डॉलर से भी कम हो गईं। कीमतों में तेजी से कमी आने से बाजार में इस बात की गहरी चिंता है कि ओपेक द्वारा उत्पादन घटाने से सरंचनात्मक असंतुलन और ज्यादा बिगड़ सकता है। नवंबर में उत्पादन कम करने के पहले, ओपेक तथा अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश ऊँची कीमतों का लाभ उठा रहे थे। बाद में वे एक ऐसी कार्यनीति तैयार करने के लिए सहमत हुए थे जिससे अतिरिक्त आपूर्ति वाले वैश्विक बाजारों से छुटकारा पाया जा सके। कच्चे तेल की कीमतों में कमी सऊदी अरब और ओपेक के अन्य सदस्यों ने अब यह महसूस किया है कि कच्चे तेल के स्टॉक में कमी लाने के लिए तेल के उत्पादन में कमी को कम से कम 12-18 महीनों तक चालू रखने की आवश्यकता है।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2017 में विमुद्रीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 18 में जीएसटी के रूप में एक और आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जीवीए की वृद्धि दर के भी वित्त वर्ष 17 में 6.7% की बढ़ोतरी होने तथा वित्त वर्ष 2018 में 7.4% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार)। यह उम्मीद पुनर्मुद्रीकरण की गति तेज होने, पूंजीगत खर्च बढ़ने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने, मानसून के सामान्य रहने तथा जुलाई 2017 तक जीएसटी के लागू होने को देखते हुए की जा रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मानसून के "सामान्य" या दीर्घावधि औसत (एलपीए) का करीब 96% रहने की उम्मीद है। इस अनुमान में 5% ± का अंतर हो सकता है। देश के प्रमुख भागों में पर्याप्त वर्षा का भी अनुमान है। यदि यह पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो इससे ग्रामीण मांग बढ़ने और गांवों के संकट की स्थिति से बाहर निकलने की आशा है।

मानसून 2016 के दौरान काफी अच्छी वर्षा होने और सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय शुरू किए जाने के कारण वित्त वर्ष 2017 में रिकार्ड खाद्यान उत्पादन दिखाई दिया। वर्ष 2016-17 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान उत्पादन 273.38 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2014 के दौरान हुए 265.04 मिलियन टन खाद्यान उत्पादन से 8.34 मिलियन टन अधिक है तथा पिछले वर्ष के खाद्यान उत्पादन से 21.81 मिलियन टन काफी अधिक है।

मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों पूरे वित्त वर्ष 2017 के दौरान यद्यपि नियंत्रित रहे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2013 में 9.9% के उच्च स्तर से वित्त वर्ष 2017 में काफी नीचे 4.5% पर आ गई। मुद्रास्फीति के अगले 2 वर्षों में 4-5% के बीच रहने की उम्मीद है और इसमें और गिरावट की संभावना है, सरकारी प्रयासों को धन्यवाद। यह आशा मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के उपाय अपनाए जाने और एमपीसी के गठन को देखते हुए जगी है।

नए आधार वर्ष (2011-12) के आधार पर, वित्त वर्ष 2017 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वित्त वर्ष 2016 में हुई 3.4% वृद्धि की तुलना में 5.0% की वृद्धि हुई, जिससे विमुद्रीकरण का निगेटिव प्रभाव कम हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र, जो अत्यधिक अस्थिर रहा है, में वित्त वर्ष 2017 में 4.9% की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 2016 में इसमें 3.0% की वृद्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2017 में खनन एवं बिजली उत्पादन में क्रमशः 5.3% और 5.8% की वृद्धि हुई।

वर्ष वार अनेक निवेश प्रस्तावों (ग्रीनफिल्ड और ब्राउनफिल्ड) में एक कैलेण्डर वर्ष आधार पर 18% की वृद्धि हुई, जैसा आईईएम (औद्योगिक उद्यम ज्ञापन जिसमें प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस शामिल नहीं) में दर्शाया गया है। वर्ष 2015 में ऐसे प्रस्तावों की संख्या 1909 थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 2256 हो गई। जनवरी - मार्च 2017 से निवेश प्रस्तावों की संख्या 557 रही जबकि जनवरी-मार्च 2016 तक इनकी संख्या 543 रही थी। राशि के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 2016 के लिए निवेश प्रस्तावों (प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों को छोड़कर) की राशि ₹4,10,422 करोड़ (वर्ष 2015 में ₹3,07,357 करोड़) जो 33% से अधिक वृद्धि को दर्शाती है। जिन प्रमुख क्षेत्रों ने निवेश आकर्षित किए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवहन, धातुकर्म उद्योग, केमिकल्स (फर्टिलाइजर को छोड़कर), सीमेंट और टेक्सटाइल्स शामिल हैं।

विदेश के मोर्चे पर चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2017 में उत्तरोत्तर गिरकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.1% पर आ गया जो वित्त वर्ष 2014 में 1.7% था और इसके और सुधरने की उम्मीद है। चालू खाता घाटे में गिरावट मुख्यतया कमतर ब्यापार घाटे के कारण आई, जो निर्यातों की तुलना में बिक्री योग्य आयातों में पहले के मुकाबले बड़ी गिरावट के चलते संभव हुआ। भारत के निर्यातों की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017 की पहली छमाही में ऋणात्मक थी जिसमें दूसरी छमाही में काफी सुधार हुआ और वित्त वर्ष 2017 के आखिरी महीने में 27.6% की वृद्धि दर्ज की गई। आयातों में भी ऐसा ही रुझान दिखाई दिया।

बैंकिंग परिवेश

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, प्रमुख एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बैंकों ने वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र से अधिक अच्छा निष्पादन किया है। इस क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे फिनटैक सेक्टर से नए प्रकार के प्रतिस्पर्धियों और बड़े बैंकों (हाल ही में एसबीआई विलय) को संख्या पहले से ही बढ़ती दिखाई दे रही है जिससे बैंकों को सीमा पार परिचालन करने में आसानी होगी।

इसी बीच, वित्त वर्ष 17 के शुरू में विलम्बित आस्ति गुणवत्ता के विषय को लेकर और उसके बाद विमुद्रीकरण के कारण भारतीय बैंक सुर्खियों में बने रहे। वित्त वर्ष 2017 की प्रथम छमाही में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा एवं अग्रिम राशियों, दोनों की वृद्धि दर धीमी रही और यह 8-11% के बीच घटती-बढ़ती रही।

दिनांक 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उच्च मूल्य वाले ₹500 और ₹1,000 के नोटों का विमुद्रीकरण घोषित कर दिया गया जिसकी राशि ₹15.44 करोड़ रही (अर्थात प्रचलित करेंसी की कुल राशि का 86%)। बैंकों के संयुक्त प्रयासों से सरकार को 50 दिन की समयावधि में उच्च मूल्य वाले नोटों को जमा/की बदली करने की मीयाद में इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में मदद मिली। विमुद्रीकरण के कारण बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि हुई। समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पाक्षिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2017 में सकल जमाराशियों में 11.8% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2017 में ऋण उठाव पिछले 63 वर्षों के सबसे निचले स्तर वर्ष-दर-वर्ष गिरकर 5.1% पर आ गया जबकि पिछले वर्ष यह 10.9% रहा था। ऋण वृद्धि में गिरावट संभवतः कॉरपोरेट क्षेत्र से कम ऋण मांग के कारण रहीं। ऋण वृद्धि में गिरावट संभवतः कम ऋण मांग के कारण रहीं। उच्चतर रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेटों को भिन्न भिन्न दरों की पेशकश के कारण उन्होंने ऋणों को छोड़कर बॉण्ड बाजार का रुख किया। वित्त वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि दर में बढ़ोतरी अधिकांशतया व्यक्तिगत ऋण खंड विशेषकर आवास और मुद्रा ऋणों में हुई। यह आश्चर्यजनक है कि बैंकों द्वारा मुद्रा ऋणों का ₹1.80 लाख करोड़ का लक्ष्य 3.97 करोड़ खातों में ₹1.81 लाख करोड़ ऋण संस्वीकृति करके वित्त वर्ष 2017 में ही पूरा कर लिया। पिछले 2 वर्षों में बैंक द्वारा 7.46 करोड़ यूनिटों को मुद्रा ऋण दिए गए। इस प्रकार सरकार द्वारा इस पर ध्यान केंद्रित किए जाने और बैंकों के प्रयासों से मुद्रा ऋण समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों का लगभग 2% हो गए हैं।

विमुद्रीकरण की बाद की अवधि में (11नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक) सकल जमाराशियों में ₹7.4 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। इसी अवधि में ऋण उठाव में ₹5.5 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी जमाराशियों से सकल जमाराशियों में कासा जमाराशियों में विमुद्रीकरण पूर्व की स्थिति की तुलना में लगभग 4% बिंदुओं की वृद्धि हुई। जैसे ही पैसा निकालने की सीमा अब समाप्त कर दी गई है, लोगों ने खाते में जमा अपनी राशि निकालनी शुरू कर दी है।

नकदी की अधिकता और ऋणों की कम वृद्धि को देखते हुए एसबीआई आगे बढ़कर और बाद में अन्य बैंकों ने भी 1 जनवरी 2017 को एमसीएलआर दर में 90 आधार अंकों की कटौती कर इसे 8.0% पर ले आया है। एसबीआई के बाद बहुत से सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों ने एमसीएलआर में 10-85 आधार अंकों के बीच कटौती की है।

विमुद्रीकरण की प्रक्रिया ने डिजिटल चैनलों के लिए संभावनाओं के बड़े द्वार खोल दिए हैं। विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में भुगतान के सभी डिजिटल चैनलों, जैसे पीओएस, एम वॉलेट्स, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस और यूपीआई द्वारा लेनदेन में भारी उछाल देखने को मिला है। पीओएस पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेनों की राशि बढ़कर ₹686 बिलियन हो गई (दिसंबर 2016 में ₹892 बिलियन के शीर्ष स्तर पर पहुँच गई थी) जबकि अक्तूबर 2016 में इनकी राशि केवल ₹519 बिलियन थी। इसी तरह पीओएस टर्मिनलों की संख्या बढ़कर मार्च 2017 में 25.3 लाख हो गई जबकि अप्रैल 2016 में इनकी संख्या 14.0 लाख थी। सिर्फ पांच महीनों (नवंबर-मार्च) की अवधि में, भारतीय बैंकों ने 10.2 लाख पीओएस टर्मिनल लगाए, अर्थात प्रतिदिन लगभग 6700 पीओएस टर्मिनल। डिजिटल बैंकिंग (पीओएस टर्मिनलों, एम-वॉलेट, पीपीआई कार्ड, आदि और मोबाइल बैंकिंग जैसे प्रीपेड पेमेंट लिखतों के माध्यम से किए गए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेनदेन) का आकार अप्रैल 2016 के ₹950 बिलियन से बढ़कर एसबीआई द्वारा प्राप्त किए गए भारी भरकम अंश के साथ ₹2,500 बिलियन हो गया।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से अपने में विलय कर लिया है। यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में अब तक का ऐसा सबसे बड़ा पहला एकीकरण है। इस विलय से एसबीआई की गिनती 50 शीर्ष वैश्विक बैंकों में होने लगी है (वर्ष 2016 में 55 वां स्थान था स्रोत : दि बैंकर, जुलाई 2016, जिसमें इसके तुलन पत्र का आकार ₹33 लाख करोड़, 24,017 शाखाएं और 59,263 एटीएम 42 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बढ़े हुए तुलन पत्र आकार से आपके बैंक को विदेश से जुटाई गई राशियों और देशगत जमाराशियों दोनों से बेहतर कीमत मिलेगी, जिससे ऋण ब्याज दरों को कम करने और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़े हुए शाखा नेटवर्क और ग्राहकों की बढ़ी संख्या से आपका बैंक अपनी पहुंच का विस्तार और संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग कर पाएगा, जिसमें बैंक का प्रयास रहेगा कि मर्जर से इष्टतम लागतों और अधिकतम आय की प्राप्ति की जाए लागत की तुलना में आय अनुपात में भारी कमी आने की संभावना है।

इसी बीच, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, बैंकों ने 17 मई 2017 तक 28.6 करोड़ खाते खोले हैं जिनकी जमाराशियां ₹64,365 करोड़ रही हैं। अकेले वित्त वर्ष 2017 में, बैंकों ने 6.7 करोड़ जन धन खाते खोले, जिनमें से 2.6 करोड़ खाते विमुद्रीकरण अवधि के बाद खोले गए। एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शून्य शेष खातों का प्रतिशत निरंतर घटता जा रहा है। सितंबर 2015 में यह 45% था, जो मार्च 2017 में 24% पर आ गया है।

हाल ही में, आरबीआई ने नई श्रेणी के बैंकों की, थोक एवं दीर्घकालीन वित्त बैंकों जो बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराएंगे पर परिचर्चा दस्तावेज जारी किए हैं। ये बैंक मुख्य रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र और लघु, मध्यम एवं कॉरपोरेट व्यवसायों के ऋणान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। वे ऐसी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक क्षेत्र की आस्तियों की उत्पत्ति करके चलनिधि को भी संगृहीत करेंगे और बाजार निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से इनका प्रबंध करेंगे।

भारतीय बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता वित्त वर्ष 2017 में पिछले वर्ष जैसी ही है। एनपीए वृद्धि के कारण अधिकांश बैंकों के निवल लाभों में पहले से अधिक प्रावधान किए जाने के चलते गिरावट आई है। इससे उनका परिसंपत्ति प्रतिलाभ और इक्विटी प्रतिलाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और इन बैंकों द्वारा दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए सभी संभव विकल्पों पर विचार किया गया है। हाल ही में जारी अध्यादेश में भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक अधिकार दिए जाना एक परिसंपत्ति गुणवत्ता की समस्या से निपटने का एक नवोन्मेषी कदम है। इस अध्यादेश के प्रावधान के तहत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को शोधक्षमता एवं दिवालियापन कोड, 2016 के प्रावधानों के तहत किसी चूक के संबंध में दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी बैंकिंग कंपनी को निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। इसमें दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बैंकिंग कंपनियों को निदेश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार देने के भी प्रावधान हैं। इसके अलावा, उन खातों जिनमें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता है की फॉरेनसिक ऑडिट कराने, उच्च न्यायालयों में कमर्शियल डिवीजन शुरू करने, दिवालियापन कोड लागू करने आदि जैसे उपायों का बैंकिंग व्यवस्था की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इस बीच, भारतीय बैंकों को पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता होगी भले ही मध्यावधि में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार होगा। पिछले अनुभव से पता चलता है कि बैंकिंग में पुनर्पूंजीकरण के पश्चात लागत कम करने में मदद मिलेगी।

रोचक बात यह है कि पब्लिक डोमेन में सीमित जानकारी उपलब्ध होने के कारण चीन द्वारा वर्ष 2004-07 के दौरान बैंकिंग व्यवस्था में $127 बिलियन लगाए गए जबकि 2008 के संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के फेड्रल बैंक द्वारा $2.27 ट्रिलियन लगाए गए थे। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2006-वित्त वर्ष 2017 की अवधि में भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल मिलाकर $17 बिलियन पूंजी लगाई गई।

भविष्य की संभावनाएं

वर्ष 2017 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में सबसे कठिन होगा। दबावकारी परिदृश्य में विश्व स्तर पर आर्थिक स्थितियों में मंद गति से सुधार, जमीनी बेरोजगारी, क्षमता का कम उपयोग, डिजिटल व्यापार में वृद्धि, श्रमिक बचत टेक्नोलोजी को झटके और भौगोलिक, राजनीतिक द्वन्द्व देखने को मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में देशी उद्योगों को बढ़ावा देने में वृद्धि होगी और यूरोपी संघ में वित्तीय स्थिरता दबाव में रहेगी। इन सबके बीच विश्व के विकास परिदृश्य 2017 में अनिश्चितता की स्थिति रहेगी भले ही भावी परिदृश्य आशावादी रहने के संकेत भी हैं। वित्तीय बाजारों में भी इस कारण वर्ष के दौरान और आगे भी अनिश्चितता की स्थिति देखी जा सकती है।

हलचलपूर्ण राजनीतिक घटना क्रम के बीच विश्वस्तर पर वैश्वीकरण की प्रवृत्ति के थमने के संकेत हैं, पर बढ़ते डिजिटलीकरण में भी एक तरह का नया वैश्वीकरण ही दिखाई दे रहा है। इस हकीकत को समझने में लोगों को कुछ समय लगेगा। वैश्विक वैल्यू चेन्स ने अपने विस्तारकारी स्वरूप के कारण वर्ष 1990 में उदारीकृत व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी, अब इसका जोर ज्यादातर स्थानीय उत्पादन पर रहेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को अपनी वृद्धि दर बढ़ाने की संभावनाओं के पुनरुज्जीवित होने की आशा है।

आने वाले वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी। पश्चिम में देशी उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति से हमारी निर्यात बाजारों में आपूर्ति की हमारी क्षमता बाधित होगी। हमारी अर्थव्यवस्था की रोजगार सृजन की भावी आवश्यकताओं को और बल मिलेगा। समग्र मांग के समर्थन के लिए कृषि आय को दोगुना करने की नीति का वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किए बिना पूरी निष्ठा के साथ पालन करना होगा। जरूरी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं जैसे इंटरनेट संपर्क, रेल संपर्क, जल संरक्षण और बंदरगाह संपर्क बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानक नीति चिरप्रतीक्षित है और इसे तैयार करके शीघ्रातिशीघ्र लागू किए जाने की जरूरत है तभी 'मेक इन इंडिया' की पूरी संभावनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। जीएसटी के लागू करने को युक्तिसंगत ढंग से वर्ष के दौरान अंतिम रूप दे दिए जाने से एकीकृत सामान और सेवा बाजार विकसित हो पाएगा। वित्त वर्ष 2018 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अधिकतम 12 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई है जिसमें वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाएगा। तथापि, इस लक्ष्य को आसानी से हासिल करने के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण की चुनौती से निपटना होगा।

भारत की वृद्धि दर के बढ़ने के बुनियादी मानदंडों पर मजबूत बने रहने की संभावनाएं यथावत हैं। कम मुद्रस्फीति, कृषि की अच्छी वृद्धि दर और बिजली आपूर्ति में कमी के मामलों के पहले की तुलना में कम होना उज्जवल भविष्य का संकेत है। इसलिए बैंकिंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूसरी पीढ़ी के सुधार लागू करने के बारे में फैसले करने का यह सही समय है। पहली पीढ़ी के सुधार लागू हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इनके अब अप्रासंगिक होने के कारण इन्हें पूर्णतया पुनरुज्जीवित किए जाने की जरूरत है। सहयोगी बैंकों के विलयों से बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण की प्रक्रिया को भविष्य में और बल मिलने की संभावना है। पर, एकीकरण की इस प्रक्रिया को और सशक्त करने के लिए मानव संसाधन के स्तर पर बेहतर व्यवहारों को लागू करके उत्पादकता बढ़ाने, ग्राहक सेवा के और ऊंचे स्तर हासिल करने तथा टेक्नोलोजी का विवेकपूर्ण उपयोग करके चिरस्थायी मूल्य सृजित करने की आवश्यकता होगी।

कुल मिलाकर मौद्रिक और वित्तीय नीति आर्थिक वृद्धि दर के निरंतर बढ़ने के लिए अनुकूल है। यदि मौद्रिक नीति यथावत भी रहती है तो विमुद्रीकरण के बाद उपलब्ध हुई पर्याप्त नकदी के कारण ब्याज की लागतें कम रहेंगी। वित्त क्षेत्र में मजबूती के चलते गैर-सरकारी निवेश को बल मिलेगा। हम वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मौद्रिक और वित्तीय नीति में कोई बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।

II. वित्तीय निष्पादन

आस्तियां एवं देयताएं

आपके बैंक की कुल आस्तियां मार्च 2017 के अंत में 14.78% बढ़कर ₹27,05,966.30 करोड़ हो गई. मार्च 2016 में ये ₹23,57,617.54 करोड़ थीं. इस अवधि में ऋण संविभाग 7.34% बढ़कर ₹14,63,700.42 करोड़ से ₹15,71,078.38 करोड़ हो गया. निवेश 33.06% बढ़े और ₹5,75,651.78 करोड़ से मार्च 2017 में ₹7,65,989.63 करोड़ हो गए. ज्यादातर निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए हैं.

आपके बैंक की कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर) 13.75% बढीं. ये मार्च 2016 में ₹22,13,343.10 करोड़ थी और मार्च 2017 में ₹25,17,680.24 करोड़ हो गईं. देयताओं में वृद्धि मुख्य रूप से जमाराशियों में वृद्धि से हुई. जमा राशियाँ मार्च 2017 में 18.14% बढ़कर ₹20,44,751.39 करोड़ हो गई, जो मार्च 2016 में ₹17,30,722.44 करोड़ थीं. उधार राशियां मार्च 2016 के अंत में ₹3,23,344.59 करोड़ थीं जो थोड़ी सी 1.75% घटकर मार्च 2017 के अंत में ₹3,17,693.66 करोड़ हो गईं.

निवल ब्याज आय

निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2016 में ₹57,194.81 करोड़ थी जो वर्ष 2017 में 8.16% की वृद्धि के साथ ₹61,859.74 करोड़ हो गई. कुल ब्याज आय में 7.02% की वृद्धि हुई जो मार्च 2016 में ₹1,63,998.30 करोड़ से बढ़कर मार्च 2017 में ₹1,75,518.24 करोड़ हो गई. यह वृद्धि मुख्यतः घरेलू राजकोष परिचालनों में 17.04% संसाधन लगाएं जाने से हुई.

कुल ब्याज व्यय वित्तीय वर्ष 2016 में ₹1,06,803.49 करोड़ से बढ़कर मार्च 2017 में ₹1,13,658.50 करोड़ हो गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.81% बढ़े हैं.

ब्याजेतर आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2017 में ब्याजेतर आय 27.35% की वृद्धि के साथ मार्च 2017 में ₹35,460.93 करोड़ हो गई जो कि मार्च 2016 में ₹27,845.37 थी. वर्ष के दौरान बैंक को सहयोगी बैंकों/अनुषंगियों और भारत तथा विदेशों के संयुक्त उपक्रमों से लाभांश के रूप में ₹688.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹475.83 करोड़) की आय प्राप्त हुई तथा सभी श्रेणियों जैसे HFT, AFS, और HTM में निवेशों के विक्रय से 107.97% की बहुत बड़ी वृद्धि के साथ लाभ के रूप में ₹10,749.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,168.80 करोड़) की आय प्राप्त हुई.

स्टाफ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य आय में उच्च वृद्धि के कारण, लागत की तुलना में आय अनुपात में 138 आधार अंकों का सुधार हुआ और यह वित्तीय वर्ष 2016 के 49.13% से वित्तीय वर्ष 2017 में 47.75% हो गया.

परिचालन लाभ

आपके बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान परिचालन लाभ में 17.55% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है. आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2017 में ₹50,847.90 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016 में यह ₹43,257.81 करोड़ था. वित्तीय वर्ष 2017 में आपके बैंक का निवल लाभ ₹10,484.10 करोड़ रहा, जो कि अनर्जक आस्तियों पर उच्च प्रावधान करने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2016 के ₹9,950.65 करोड़ से 5.36% ज्यादा है.

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

वित्त वर्ष 2017 में किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

अनर्जक आस्तियों के लिए ₹32,246.69 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹26,984.14 करोड़), मानक आस्तियों के लिए ₹2,499.64 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹2,157.55 करोड़), करों के लिए ₹4,371.06 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹3,823.41 करोड़). निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए ₹298.39 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹149.56 करोड़) उपलब्ध कराए गए.

आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित निधियों में ₹3145.23 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹2,985.20 करोड़) की राशि अंतरित की गई. पूंजीगत आरक्षित निधि में ₹1,493.39 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹345.27 करोड़) की राशि अंतरित की गई. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में ₹3,740.14 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹4,267.35 करोड़) की राशि अंतरित की गई जिसमें पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में ₹309.59 करोड़ का अंतरण शामिल है.

अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

बैंक ने अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बाहरी स्वतंत्र मुल्यांककों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया है. 30 जून 2016 के दिन पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित-निधियों में जमा किया गया और इस प्रकार 31 मार्च 2017 को पुनर्मूल्यांकन-आरक्षितियों का अंतिम शेष (निधि को सामान्य आरक्षितियों में अंतरित करने के बाद निवल राशि), ₹31,585.65 करोड़ है. बेसल III पूंजी विनियमन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या DBRNo.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 01.03.2016 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को 55% छूट के साथ CET I पूंजी के रूप में गिना गया है.

भारतीय लेखा मानकों (IND AS) के लागू करने की प्रगति

कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ने ''भारतीय लेखा मानक'' अधिसूचित किए हैं जो कि 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS)' के परिवर्तित रूप हैं. तत्पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा-अवधि हेतु 'भारतीय लेखा मानकों' को लागू करने की रूपरेखा तैयार की है, जो 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रही अवधि के लिए तुलनात्मक रूप में है.

''भारतीय लेखा मानकों'' को लागू करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा प्रगति की निगरानी करने हेतु प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) की अध्यक्षता में एक ''विषय-निर्वाचन समिति'' का गठन किया गया है. भारतीय लेखा मानकों को लागू करने की दिशा में, आपके बैंक द्वारा निम्नांकित उपाय किए गए हैं :

क) नैदानिक विश्लेषण

ख) संभावित साख हानि (ईसीएल) की गणना हेतु एक मॉडल का विकास करना

ग) नीति में बदलाव

घ) वित्तीय विवरणों की तैयारी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था में बदलाव

ङ) ऋण अधिकारियों को प्रशिक्षण

III. प्रमुख परिचालन

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी) 31 मार्च 2017 को कुल देशीय जमाओं में 96.13% तथा कुल देशीय अग्रिमों में 53.56% भाग के साथ आपके बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह रहा है। इस समूह में छह कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां शामिल हैं, और शाखा नेटवर्क एवं मानव संसाधन के अनुसार यह सबसे बड़ा समूह है।

प्रौद्योगिकी संचालित निरंतर नवोन्मेष और ग्राहकों की बदलती हुई प्राथमिकता खुदरा बैंकिंग परिदृश्य को बदल रही है। आपका बैंक ग्राहकों की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु बैंकिंग प्रणाली में नई-नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए नवोन्मेषी उत्पादों का निर्माण तथा नए हल निकालने में सबसे आगे है। आपके बैंक के पास सेवाएं प्रदान करने के लिए कई प्रकार के चैनल हैं जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी चैनल के माध्यम से कहीं भी, किसी भी समय अपने लेनदेन कर सकते हैं। इन सभी पहलों ने बैंकिंग प्रक्रिया एवं साधनों को फिर से नया रूप दिया है जिससे ग्राहकों को अपना व्यवसाय चलाने में बहुत आसानी हो गई है। आपका बैंक भी ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और प्रौद्योगिकी आधारित सॉल्यूशनों के माध्यम से उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। वित्त वर्ष 2017 में, आपके बैंक ने भौतिक शाखाओं के अलावा, विभिन्न चैनलों, जैसे डिजिटल, मोबाइल, इंटरनेट सोशल मीडिया से अपनी सेवाओं में वृद्धि की है।

खुदरा बैंकिंग ग्राहक अधिग्रहण एवं देयताओं के रूप में कासा संवृद्धि में एक वर्धमान भूमिका अदा कर रहा है। आपके बैंक के रिटेल जमा ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा ग्राहक आधार में तेजी से वृद्धि हुई है। साथ ही साथ, इस बढ़ते हुए ग्राहक आधार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, खुदरा ऋणों की संवृद्धि पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है जो कि कुल अग्रिमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। खुदरा क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राहक केन्द्रित उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करते हुए ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आपका बैंक ने "एसबीआई डिजिटल विलेज" अवधारणा को शुरू किया है जिससे कतिपय चुने हुए गांवों को नकदी रहित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया जा सके। इस योजना के तहत देश भर के 21 गांवों में इसकी शुरुआत की गई है।

भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप, आपके बैंक ने मुद्रा योजना के विभिन्न प्रकारों के तहत पात्र इकाइयों को ऋण सुविधाओं का विस्तार करने पर पर्याप्त ध्यान दिया है और वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का 102% हासिल किया है।

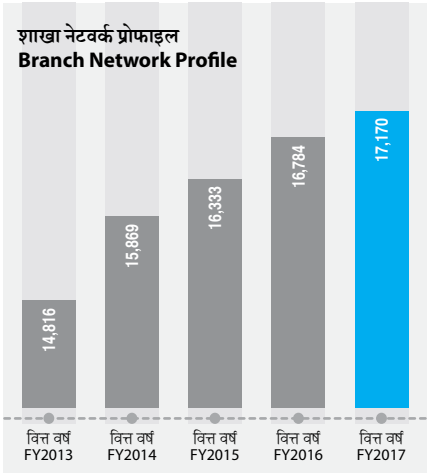

(क) वैयक्तिक बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग, सामान्य जनता को बैंक का सर्वाधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है और इसलिए, आपके बैंक के लिए भी हमेशा ध्यान का केन्द्र रहा है। आपके बैंक के लिए ग्राहक सेवा हमेशा से ही सर्वोच्च प्राथमिकता पर रही है, और इसका प्रयास रहा है कि खुदरा क्षेत्र में उत्पाद प्रस्ताव, तकनीकी और ग्राहक सेवाओं के सर्वोत्तम प्रकार उपलब्ध कराएं जाए। आपके बैंक ने विमुद्रीकरण के समय को बहुत आसानी से पार कर लिया है और अपनी सेवाओं के लिए आप सभी की वाहवाही लूटी है।

आपका बैंक वैयक्तिक बैंकिंग खंड में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिनका नीचे उल्लेख किया गया है ;

1. होम लोन

बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के पास सबसे बड़ा होम लोन संविभाग है और 31 मार्च 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) में उसका बाजार अंश 25% से अधिक रहा है। 31 मार्च 2017 को होम लोन संविभाग संपूर्ण बैंक अग्रिमों का 17.35% भाग रहा है।

- होम लोन संविभाग मार्च 2013 में ₹1,19,467 करोड़ था जो मार्च 2017 में बढ़कर ₹2,22,605 करोड़ हो गया जो पिछले पाँच वर्षों में लगभग दुगुना हो गया है। 31 मार्च 2017 को कुल होम लोन और होम संबंधी ऋण संविभाग ₹2,37,664 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान बैंक को सीएनबीसी आवाज से प्रतिष्ठित "बेस्ट होम लोन" प्रदाता अवार्ड प्राप्त हुआ है। पिछली बार बैंक को यह अवार्ड वर्ष 2008 में प्राप्त हुआ था।

श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक, एसबीआई और श्री गीताम्बर आनंद, अध्यक्ष, क्रेडाई सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अपने गृह ऋण पोर्टफोलियो को अतिरिक्त महत्व देते हुए आपके बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए. इस संबंध में उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:-

- बैंक ने निम्नांकित 6 गृह ऋण उत्पाद जारी किए हैं:
  - एसबीआई प्रिविलेज : विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष गृह ऋण
  - एसबीआई शौर्य : ख़ास रक्षा कर्मियों के लिए विशेष गृह ऋण
  - एसबीआई हमारा घर : 2 साल तक स्थिर ब्याज दर वाला किफायती आवास के लिए विशेष गृह ऋण
  - गैर-वेतनभोगी वर्ग के लिए गृह ऋण : जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली वाले गैर-वेतनभोगी वर्ग के लिए गृह ऋण
  - एसबीआई पूरक ऋण : अपनी वर्तमान संपत्ति के उन्नयन की चाह वाले व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक ऋण
  - एसबीआई इन्स्टा टॉप-अप : एक पेपर रहित इन्स्टा ई-टॉप-अप ऋण
- गृह तारा 2 गृह ऋण अभियान : वित्तीय वर्ष 2016 में शुरू किए गए 'गृह तारा' की शुरुआती सफलता को देखते हुए इस संकल्पना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। 60,000 के आसपास स्टाफ सदस्यों ने भाग लेकर ₹ 30,000 करोड़ का व्यवसाय बढ़ाया।
- मैजिकब्रिक.कॉम के साथ वादा एवं सौदा (सील एंड डील) अभियान : उद्योग में ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ एसबीआई अनुमोदित परियोजनाओं के लिए एसबीआई गृह ऋण एवं मैजिकब्रिक.कॉम ने ऑनलाइन संपत्ति उत्सव में भागीदारी की.
- स्नेपडील.कॉम के ऑनलाइन संपत्ति उत्सव: स्नेपडील.कॉम भारत में एकमात्र ई-कॉमर्स कंपनी है जो स्थावर संपदा का विपणन करती है. एसबीआई गृह ऋण ने इसके साथ ऑनलाइन संपत्ति उत्सव में भागीदारी की.
- 'भारतीय स्थावर संपदा विकासक एसोसिएशन महापरिसंघ'(CREDAI) से सहमति ज्ञापन : क्रेडाई (CREDAI) देश का सबसे बड़ा स्थावर संपदा विकासक एसोसिएशन है. एसबीआई गृह ऋण ने संयुक्त विपणन/सीएसआर गतिविधियों और भवन निर्माता बंधुओं के साथ संबंध मजबूत करने के लिए क्रेडाई के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किया है.

2. ऑटो ऋण

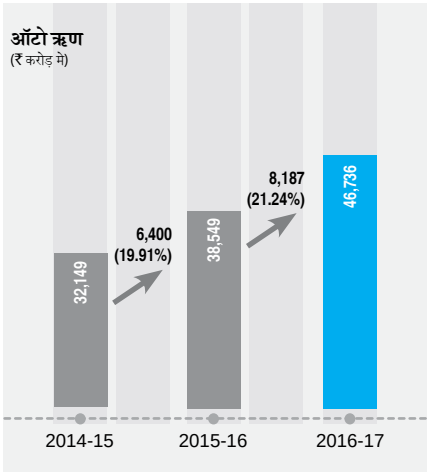

आपके बैंक की कार ऋण परियोजना जो कि ऑनलाइन भी उपलब्ध है, किफायती ब्याज दर, ऑन-रोड मूल्य पर वित्त, 7 वर्षों की सर्वाधिक लम्बी भुगतान अवधि, पुरोबंध/पूर्व भुगतान पर कोई दंड नहीं, कोई अग्रिम किस्तें नहीं, और ओवरड्राफ्ट सुविधा इनके हिसाब से ग्राहकों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करती है। वर्ष के दौरान ऑटो विक्रय बाजार में ऑटो ऋण पोर्टफोलियो ने 9% के सामने 21.24% की वृद्धि दर्ज की है. आपके बैंक ने भी ग्राहकों को ऑनलाइन ग्राहक अधिग्रहण समाधान का डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान किया है जिससे वे आसानी से कार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों सहित पात्र ऋणियों के लिए ''सुनिश्चित कार ऋण'' योजना प्रारंभ की है।

आपके बैंक ने ऑटो ऋण उत्पादों को प्राप्त करने के लिए एसबीआई कैप्स सिक्योरिटी लिमिटेड (एसएसएल) को अपनी कॉरपोरेट एजेंसी नियुक्त किया है. इसके परिणाम स्वरूप, डीलरशिप केन्द्रों पर उपस्थिति बढ़ने से प्रस्ताव प्राप्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

3. शिक्षा ऋण

31 मार्च 2017 को आपके बैंक ने कुल 4,62,018 विद्यार्थियों को ₹15,755 करोड़ का शिक्षा ऋण प्रदान किया है। इसमें से ₹13,796 करोड़ का ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में है. आपके बैंक ने शिक्षा ऋण अधिग्रहण योजना और कुछ विद्यार्थी अनुकूल विशेषताओं को शामिल करके 'एसबीआई ग्लोबल एड-वैंटेज' की शुरुआत की है।

4. वैयक्तिक ऋण

लगातार ग्राहक हितैषी उत्पाद जारी करते रहने की श्रृंखला में, बैंक ने निम्नांकित सेवाएं शुरू की हैं:

- आईटी कर्मचारियों के लिए एक्सप्रेस क्रेडिट: ग्राहक आधार विस्तृत करने के लिए एक्सप्रेस क्रेडिट के पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया.
- एक्सप्रेस एलीट : हमारे बैंक में अपने वेतन खाते नहीं रखने वाले केंद्र/राज्य सरकार और अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली गैर-जमानती ऋण योजना।
- अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक्सप्रेस क्रेडिट : अस्थायी किंतु हमारे बैंक में अपना वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों के लिए गैर-जमानती ऋण।
- कोयला खदान भविष्य निधि पेंशन धारकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की गई।

वित्तीय वर्ष 2017 की नवंबर से जनवरी अवधि के दौरान विमुद्रीकरण के प्रभाव के बावजूद वैयक्तिक ऋण में हुई, ₹10,616 करोड़ (साल-दर-साल 15%) की वृद्धि दर्ज हुई.

वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो

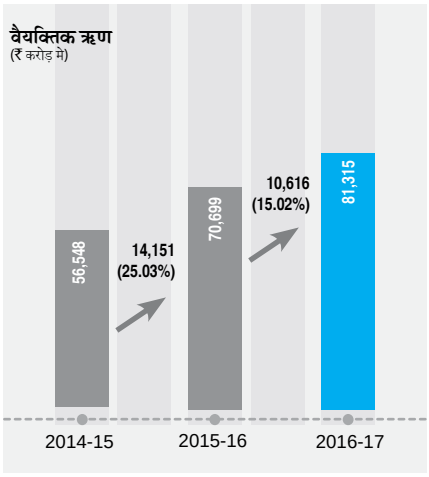

5. वैयक्तिक-देशीय जमाएं

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान देशिय जमा पोर्टफोलियो में 21.70% की वृद्धि हुई है। घरेलू बचत खाता जमाओं में साल-दर-साल की 29.90% (वित्तीय वर्ष 2016 में 13.17% से) वृद्धि हुई जबकि चालू खाता जमाओं में 36.41% (वित्तीय वर्ष 2016 में 9.62% से) दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2017 में घटती हुई ब्याज दर के बावजूद सावधि जमा पोर्टफोलियो में 14.56% की वृद्धि दर्ज की गई। आपके बैंक का जमाओं में भी बाजार अंश बढ़ा जो मार्च 2016 में 17.30% से बढ़कर मार्च 2017 में 17.50% हो गया।

वैयक्तिक देशीय जमाओं में वृद्धि

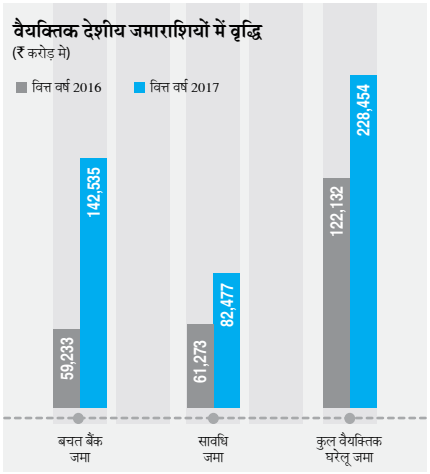

वित्तीय वर्ष 2017 में आपके बैंक ने ग्राहकों के लिए निम्नांकित सुविधाएं शुरू की और बाद में उनका विस्तार किया:

- ग्राहकों को उनके बचत खाते एक शाखा से दूसरी शाखा में इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंतरित करने की सुविधा प्रदान की गई।
- सावधि जमाओं से प्राप्त ब्याज पर लगने वाले टीडीएस से बचने के लिए 15जी/15एच फॉर्म को इन्टरनेट-बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई।
- एसबीआई क्विक - मिस्ड तथा एसएमएस बैंकिंग सेवाओं के एक करोड़ से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता एवं नई सेवाओं जैसे 6 माह के ई-स्टेटमेंट, शिक्षा ऋण तथा गृह ऋण के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना और ग्रीन पिन उत्पन्न करना आदि का समावेश किया गया।

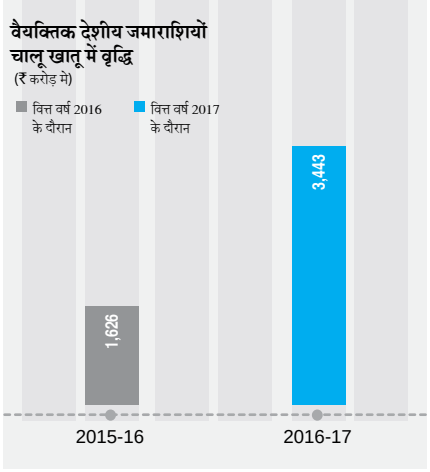

6. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) व्यवसाय

आपके बैंक को 17 लाख अनिवासी भारतीयों का संरक्षण प्राप्त है जिन्हें मार्च 2017 तक हमारी 79 अनिवासी समर्पित शाखाओं तथा 100 एनआरआई बहुल व्यवसाय वाली शाखाओं की सेवाएँ प्राप्त करने की ख़ुशी है। मार्च 2017 की समाप्ति पर आपके बैंक की एनआरआई जमाराशियां ₹1,33,631 करोड़ रहीं।

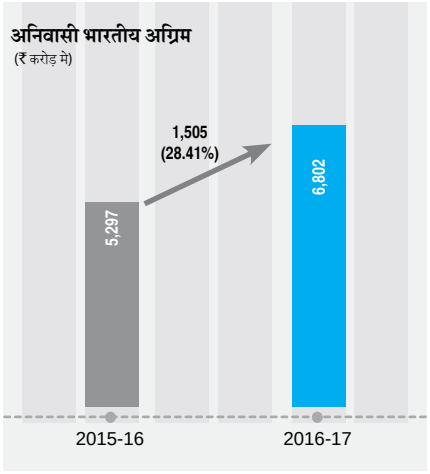

वित्तीय वर्ष 2017 में अनिवासी भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित सेवाएं प्रदान की गई :

- एनआरआई ग्राहकों को उनके पंजीकृत ईमेल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजना.
- एनआरआई ग्राहकों को एटीएम/डेबिट कार्ड पिन तुरंत प्रदान करना प्रारंभ किया.
- ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा में प्रारंभिक स्तर पर आवेदक द्वारा केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा.
- सभी शाखाओं के एनआरई बचत खातों में 'एफएक्स-आउट' के माध्यम से विदेशों में धन-प्रेषण की सुविधा प्रारंभ की गई.

- अब एफसीएनबी प्रीमियम खातों में 5 वर्ष तक के लिए वायदा संविदा की अनुमति.
- चुने हुए केन्द्रों पर दी जाने वाली एनआरआई आवास ऋण सुविधा अब एनआरआई समर्पित/ एनआरआई बहुल शाखाओं में भी शुरू कर दी गई है ताकि उन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

7. कॉरपोरेट एवं संस्थात्मक गठजोड़ व्यवसाय :

रक्षा, अर्ध सैन्य, रेलवे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा पुलिस कर्मचारियों/कर्मियों के वेतन खातों के अलावा महारत्न, नवरत्न और मिनिरत्न कॉरपोरेट्स, साथ ही सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट्स तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के वेतन खाते आपके बैंक के पास हैं.

कुल वेतन खाता ग्राहक आधार 31 मार्च 2017 को 89.76 लाख पर पहुँच गया है जो 31 मार्च 2016 को 82.04 लाख था।

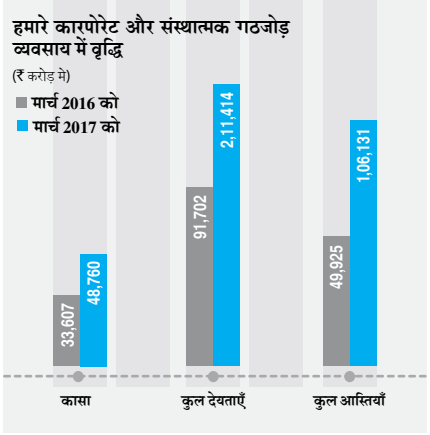

8. प्रीमियर बैंकिंग सेवाएं

उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) की संख्या में 23.92% की वृद्धि हुई है. एचएनआई ग्राहकों की जमा राशियाँ मार्च 2016 में ₹2,29,749 करोड़ थी, 24.50% की वृद्धि के साथ यह मार्च 2017 में ₹2,86,037 करोड़ हो गई.

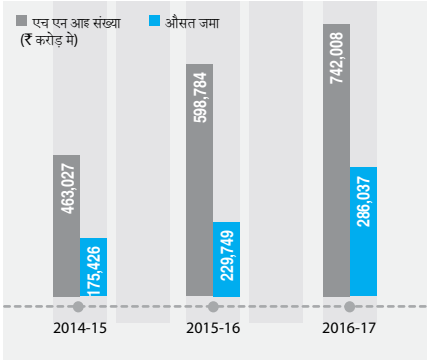

उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने इस वर्ष निम्नांकित नए उत्पादों की शुरुआत की है:

- **एसबीआई नो क्यू एप** : इस एप की सहायता से एचएनआई ग्राहक प्राथमिकता टोकन प्राप्त कर सकते हैं जिससे अन्य ग्राहकों की तुलना में उनके इंतजार का समय कम हो जाता है. इसे 3500 से ज्यादा शाखाओं में शुरू कर दिया गया है, और 50% से ज्यादा एचएनआई ग्राहक होम अथवा नॉन होम शाखा में इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.
- **उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के लिए वित्तीय एवं सेवानिवृत्ति योजना पर पुस्तक** : वित्तीय योजना की धारणाओं पर परिसंपत्तियों के उचित विनियोजन के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाली इस पुस्तक की सहायता से एचएनआई अपने पोर्टफोलियो का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं.
- **संपर्क केंद्र पर विशेष एचएनआई डेस्क**: इससे एचएनआई ग्राहकों के कॉल प्राथमिकता आधार पर सुने जाते हैं.
- **एसबीआई कैपगैन्स प्लस**: 31 मार्च 2016 को एसबीआई कैपगैन्स प्लस का जमा आधार ₹3,031 करोड़ से 29% की वृद्धि के साथ बढ़कर 31 मार्च 2017 में ₹3,905 करोड़ हो गया.
- **'मेरी वसीयत ऑनलाइन सेवाएं'- हिंदी वर्जन** : एक मूल्य आधारित सेवा जो वैयक्तिक ग्राहकों को आराम एवं गोपनीय तरीके से ऑनलाइन 'वसीयत' तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है.

9. धन प्रबंधन

आपके बैंक ने (उच्च मालियत वाले) ग्राहकों के धन प्रबंधन के लिए एक अद्वितीय सेवा 'एसबीआई एक्स्क्लुसिफ' प्रारंभ की है. धन प्रबंधन सेवा वर्तमान में 8 मंडलों में 9 केन्द्रों पर उपलब्ध है. तीन ई-वेल्थ सेंटर दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु में कार्यरत हैं. ये केंद्र ग्राहकों को अपने संबंध प्रबंधकों से बैंकिंग समय के अलावा भी, ध्वनी/विडियो सेवा के माध्यम से संपर्क करने का अवसर प्रदान करते हैं।

श्रीमती अरूंधति भट्टाचार्य एसबीआई एक्सक्लुसिफ का मुंबई में शुभारंभ करती हुई

आपके बैंक के हाई नेटवर्थ ग्राहकों के अनुकूल उत्पादों की सूची नीचे दी गई है:

- विभेदित धन बचत खाता
- वीजा हस्ताक्षर डेबिट कार्ड
- 17 एएमसी के म्यूचुअल फण्ड उत्पाद (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन)
- पीएमएस उत्पादों का आबंटन (पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा के आबंटन के लिए समुचित सावधानी के बाद मोतीलाल ओसवाल और एएसके इन्वेस्टमेंट के साथ गठजोड़ किया गया.)
- एसबीआई लाइफ उत्पाद
- एसबीआई जनरल उत्पाद
- इक्विटी (एसएसएल के माध्यम से)
- एसबीआई एलीट हस्ताक्षर क्रेडिट कार्ड
- ऋण उत्पादों की पूर्ण श्रृंखला

ग्राहक प्रसन्नता सुनिश्चित करने के लिए अन्य सुविधाएं/ गठजोड़ :

- जीवन शैली लाभों के लिए प्रमुख सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़

- उत्तराधिकार योजना के लिए एसबीआईकैप्स ट्रस्टीज लिमिटेड के साथ गठजोड़.
- कर मामलों में सहायता के लिए प्रमुख कर परामर्शदाताओं के साथ गठजोड़.
- आपके बैंक की धन प्रबंधन सेवाएं ग्राहकों के लिए निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध हैं:
  - जो संबंध प्रबंधकों से आमने सामने बात करना चाहते हैं उनके लिए परंपरागत वेल्थ केन्द्र
  - ई-वेल्थ केंद्र सेवाएं जिनके लिए अलग से उपलब्ध संबंध प्रबंधकों से ध्वनि/वीडियो सेवा माध्यमों से बैंकिंग समय के अलावा भी संपर्क किया जा सकता है.
  - स्वयं सेवा पोर्टल जहाँ से सभी तरह के म्यूचुअल फंडों का लेनदेन किया जा सकता है.

31 मार्च 2017 को आपके बैंक के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयुएम) में ₹2,917 करोड़ के 3,849 ग्राहक थे जिनमें कासा, सावधि जमाएं, म्यूचुअल फंड्स, बांड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं.

10. मूल्यवान धातुएं

सॉवरेन गोल्ड बांड्स : निवेश करने के लिए सोना खरीदने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016 में सॉवरेन गोल्ड बांड्स की शुरुआत की. वित्तीय वर्ष 2017 में अभिदान के लिए चार श्रृंखलाएं खोली गई. आपके बैंक ने कुल ₹796.82 करोड़ का संग्रहण (2615 किलो सोने के बराबर) करके अपने प्रतिस्पर्धियों के मध्य सर्वाधिक बाजार अंश प्राप्त किया.

अन्य पहल :

i) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना : घरों तथा संस्थाओं में पड़े अप्रयुक्त सोने को उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए स्वर्ण संग्रहण उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की गई. योजना की शुरुआत से ही आपके बैंक ने सभी तीनों प्रकार की योजनाओं, अल्पकालिक बैंक जमाओं, मध्यम कालिक तथा दीर्घ कालिक सरकारी जमाओं में स्वर्ण स्वीकारना प्रारंभ कर दिया. वित्तीय वर्ष 17 के दौरान 2515 किलो स्वर्ण संग्रहण के साथ, आपका बैंक सभी बैंकों की लीग टेबल में सर्वोच्च स्थान पर रहा.

ii) सर्राफा लेनदेन: अपने ग्राहकों को सोना बेचने के उद्देश्य से आपका बैंक स्वर्ण छड़ों का परेषण आधार पर आयात करता है. इन लेनदेनों पर आपके बैंक को शुल्क मिलता है. आपका बैंक जौहरियों को उधार देने के लिए स्वर्ण की जमा स्वीकार करता है तथा समुद्रपार वितरकों से उधार भी लेता है.

ख. सर्वसमय चैनल्स

वित्त वर्ष	एटीएम	किओस्क (एमएफके+एसएसके)	कैश डिपाजिट मशीन रीसाइक्लर्स	योग (एसबीआई)
31 मार्च 2015	42,454	2,595	1,849	46,898
31 मार्च 2016	42,733	1,231	5,760	49,724
31 मार्च 2017	42,222	986	6,980	50,188

1. एटीएम/रीसाइकलर्स

31 मार्च 2017 को आपके बैंक के पास सहयोगी बैंकों के एटीएमों सहित विश्व का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिनमें कियोस्क, नकदी जमा मशीने और रीसाइक्लर्स भी शामिल हैं तथा इनकी संख्या 59,000 से ज्यादा है. वित्तीय वर्ष 2017 में आपके बैंक ने 3,000 से ज्यादा पुराने एटीएम्स तथा रीसाइकलर मशीनों को हटाकर उनकी जगह नवीनतम तकनीक वाली मशीनें लगाई हैं. आपके बैंक ने 6,400 रीसाईकलर्स (स्टेट बैंक समूह में 7602) लगाएं हैं जिनमें चौबीसों घंटे नकद जमा तथा आहरण करने की सुविधा है. जनसंख्या सांख्यिकी के संदर्भ में आपके बैंक के एटीएम मेट्रो/नगरीय तथा अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर बराबर हैं. बैंक के वित्तीय लेनदेनों का लगभग 78% लेनदेन सर्वसामान्य चैनलों के माध्यम से होता है. फरवरी 2017 को (आरबीआई डाटा के अनुसार) स्टेट बैंक समूह के एटीएमों से किए गए 28.14% बाजार अंश के साथ कुल लेनदेन देश के सभी एटीएम्स के लेनदेन का 54.06% था. समूह के एटीएमों द्वारा प्रतिदिन औसतन ₹3,485 करोड़ का नकदी में वितरण किया गया.

आपके बैंक ने विमुद्रीकरण के दौरान एटीएम्स का संयोजन आरबीआई के निदेशानुसार तत्परतापूर्वक शीघ्रता से कर दिया तथा स्टेट बैंक समूह के एटीएम्स नई मुद्रा देने में सबसे आगे रहे. नकदी जमा मशीनों को 30 दिसंबर 2016 तक के लिए पुराने 500/1000 के नोट स्वीकार करने हेतु संयोजित कर दिया गया था.

देश में 1,200 से ज्यादा ई-कॉर्नर्स और 250 से ज्यादा हाईटेक एसबीआई इनटच शाखाएं स्थापित की गई हैं जहाँ पर ग्राहक सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

जहाँ कहीं भी संभव हुआ है, दिव्यांगों तथा वरिष्ठ ग्राहकों के शाखा में आने-जाने हेतु रपट और/या साइड रेलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. पर्यावरण बचाने की पहल पर ज्यादा से ज्यादा एटीएम सौर ऊर्जा बैक-अप सुविधा वाले लगाए जा रहे हैं. एटीएम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के बारे में भी हम चिंतित हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रखवाला व्यवस्था के अलावा 10000 से ज्यादा एटीएमों पर 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लगाई गई है.

2. स्वयं: बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क

आपके बैंक ने अपनी शाखाओं तथा ऑनसाइट/ऑफसाइट आहतों में 8900 से ज्यादा 'स्वयं' (बारकोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग किओस्क) मशीनें लगाई है. इन किओस्कों में ग्राहक बारकोड तकनीक का उपयोग करते हुए स्वयं ही अपनी पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, इन किओस्कों पर प्रतिमाह 3 करोड़ से ज्यादा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं.

3. ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी)

जीसीसी सभी शाखाओं में काउंटर पर स्थापित किया जाने वाला पीओएस टर्मिनल है. जीसीसी में लेनदेन एटीएम सह डेबिट कार्ड के स्वाइप एवं पिन मान्यकरण के द्वारा किया जाता है. जीसीसी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में ₹40,000 तक का नकद आहरण, नकद जमा एवं एसबीआई की शाखाओं में अंतरण करना है. जीसीसी के माध्यम से साधारणतया 8 लाख लेनदेन प्रतिदिन किए जाते हैं.

4. ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी)

एसबीआई ग्रीन रेमिट कार्ड ने तकनीकी उत्पाद श्रेणी में 2015 का स्कोच (SKOCH) पुरस्कार जीता है. यह ऐसे व्यक्तियों, विशेष रूप से प्रवासी जमाकर्ताओं के लिए जमा कार्ड है जो अपनी राशि अक्सर एक ही खाते में जमा करवाते हैं. प्रतिदिन औसतन 1.12 लाख के लेनदेन होते हैं. जीआरसी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017 में 3.19 करोड़ लेनदेन किए गए हैं.

5. मोबाइल पर बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्मों पर होने वाले कुल लेनदेनों के 40% लेनदेन के साथ आपके बैंक ने अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखी है.

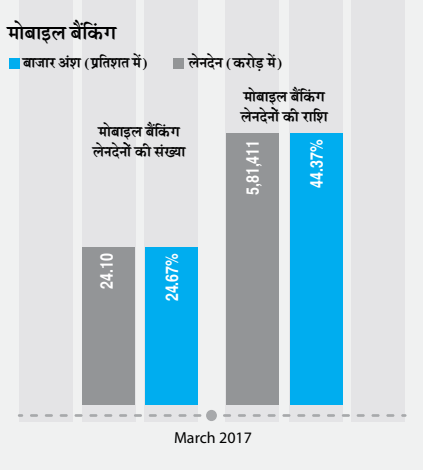

आपने बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म पर लेनदेनों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है. लेनदेनों की संख्या में 56% तथा लेनदेनों के राशि में 507% की वृद्धि हुई है.

6. स्टेट बैंक एनीवेअर एप्प

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप को बेहतर बनाते हुए जनवरी-2017 में स्टेट बैंक एनीवेअर- पर्सनल प्रारंभ किया. यह ऐप बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग सेवा का विस्तारित प्रारूप है जिसमें डेबिट कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करने का अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है. इसमें बैंक के लोकप्रिय एप 'एसबीआई फ्रीडम' की विशेषताएं भी समाविष्ट की गई हैं.

सावधि जमा का ऑनलाइन प्रारंभ तथा परिचालन, डेबिट कार्ड का लॉक अथवा सीमा निर्धारण, ऑनलाइन नामांकन, और अंतर/अंतः बैंक निधि अंतरण सुविधा, आदि इस एप की कुछ लोकप्रिय विशेषताएं हैं. हाल ही में शामिल किए गए भारत क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी अच्छी चल रही है. स्टेट बैंक एनीवेअर(सरल) तथा स्टेट बैंक एनीवेअर(कॉरपोरेट) क्रमशः छोटे ग्राहकों तथा बड़ी कंपनियों के लिए मोबाइल बैंकिंग अन्तरापृष्ठ हैं जिसने हमारे कॉर्पोरेट तथा सरकारी ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है. 75,000 से ज्यादा गैर रिटेल ग्राहकों द्वारा इनका उपयोग डिजिटल चैनलों की बढ़ती हुई स्वीकार्यता का सबूत है.

7. उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव परियोजना (CEEP)

देश की 4,525 शाखाओं में उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव परियोजना (CEEP) की शुरुआत की गई है. इन शाखाओं में किसी भी समय (एनीटाइम) चैनल मशीनें जैसे एटीएम, सीडीएम/रीसाइक्लर, 'स्वयं'(पासबुक प्रिंटिंग के लिए), इलेक्ट्रॉनिक चैक ड्राप बॉक्स और इन्टरनेट सुविधा वाले पीसी लगाए गए हैं. शाखाओं में भीड़-नियंत्रण तथा ग्राहकों को बिना कतार के तुरंत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत कतार प्रबंधन प्रणाली संस्थापित की गई है. शाखाओं में ग्राहक फीडबैक टैब भी उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि ग्राहक शाखाओं की सेवा के बारे में फीडबैक दे सकें. ग्राहकों को शानदार सेवा अनुभव कराने के लिए शाखा में गति संयोजन तथा तात्कालिक निगरानी की व्यवस्था की गई है.

आपके बैंक का ''स्टेट बैंक नो क्यू'' मोबाइल एप ग्राहकों को CEEP शाखाओं में सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वयं को ई-टोकन उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान करता है. यह एप एंड्राइड और आईओएस दोनों प्रकार के फोन पर उपलब्ध है तथा यह ग्राहकों के शाखाओं में इंतजार के समय को कम करता है. यह शाखाओं में भीड़ को भी कम करता है क्योंकि ग्राहक शाखा में आने से पहले ही टोकन निकाल लेता है और उसे कतार में लगे बिना बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं. आज की तारीख में इस एप में अब तक दस लाख डाउनलोड पंजीकृत हुए हैं. इस एप का उपयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. इन शाखाओं में एचएनआई ग्राहकों को प्राथमिकता प्राप्त ग्राहकों के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती है.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर CEEP पहल का प्रभाव जानने हेतु चुनी हुई CEEP शाखाओं में ग्राहक सेवा फीडबैक सर्वे भी शुरू किया है. इससे प्राप्त फीडबैक का उपयोग ग्राहक सेवा तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाता है.

8. एसबीआई पे (यूपीआई)

नवंबर 2016 को शुरू किया गया एसबीआई पे एक अंतर-परिचालनीय मोबाइल आधारित भुगतान समाधान है जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर कार्य करता है. भुगतान समाधान का यह ऐप एसबीआई तथा अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए है. धन प्रेषण तथा धन प्राप्ति की यह सुविधा वर्चुअल भुगतान पता के अद्वितीय पहचानकर्ता आधारित होती है. फीचर फोन रखने वाले ग्राहकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने खाते यूएसएसडी आधारित यूपीआई विकल्प पर *99# सुविधा से जोड़ें. यूपीआई में अंतर-परिचालनता और भुगतान के कई प्रकार की उपलब्धता (वीपीए, आईएफएससी, लाभार्थी का खाता अथवा आधार संख्या) होने से आने वाले महीनों में बहुत ज्यादा ग्राहकों के जुड़ने की आशा है.

9. स्टेट बैंक बडी

स्टेट बैंक बडी - मोबाइल वॉलेट, ग्राहकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध भुगतान चैनल का एक और विकल्प है. अगस्त 2015 में शुरू की गई स्टेट बैंक बडी 13 भाषाओं में उपलब्ध है. शुरू होने के समय से उपयोगकर्ताओं की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है खासकर विमुद्रीकरण के बाद से. मोबाइल वॉलेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मार्च 2017 को 102.52 लाख हो गई. बडी अपने उपयोगकर्ताओं को अन्य सेवाओं के साथ साथ पैसे भेजना/मंगाना, मोबाइल टॉप-अप, डीटीएच रिचार्ज, सिनेमा/बस/विमान/रेल टिकिटों की बुकिंग आदि सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है. कुछ बड़े एवं लोकप्रिय ई-कॉमर्स उद्योग जैसे शोपक्लूस, यात्रा, मेक मायट्रिप, आईआरसीटीसी बुकमायशो और अन्य की भागीदारी से बडी का बाजार क्षेत्र बहुत बढ़ गया है.

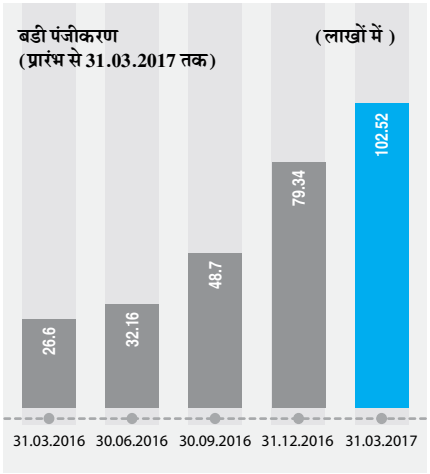

आपके बैंक का बडी मर्चेंट व्यापरियों के माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त भुगतान के संग्रहण की अनुमति भी देता है.

10. स्टेट बैंक मोबिकेश

बैंक की पहुँच ग्रामीण जनसाधारण तक बढ़ाने तथा जनता को डिजिटलीकरण के फायदे प्रदान करने के लिए, आपके बैंक ने सहायता-प्राप्त मोड पर एक विशेष सेवा- स्टेट बैंक मोबिकेश शुरू की है. यह वॉलेट बीएसएनएल की भागीदारी के साथ शुरू किया गया है तथा यह बेसिक/फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के साथ स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध है.

मोबिकैश उपयोगकर्ता वॉलेट परिचालन के लिए ग्राहक सेवा केंद्र (बीएसएनएल) पर जा सकते हैं अथवा स्वयं ही लेनदेन प्रारंभ कर सकते हैं. स्टेट बैंक मोबिकैश का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी बाजार के अंतराल को पाटना तथा हमारे समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करना है. इस प्रकार यह भारत के नकदी-रहित समाज की ओर गतिमान होने में सहायक है.

स्टेट बैंक समूह के सभी मोबाइल-एप 'स्टेट बैंक एप कार्ट' पर आईओएस और एंड्राइड दोनों प्रकार के मोबाइल पर देखे अथवा डाउनलोड किए जा सकते हैं.

11. डिजिटल बैंकिंग

आपके बैंक ने भविष्यवादी प्रौद्योगिकी को सदा ही अँगुलियों पर उपलब्ध कराने की सोचा है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, हाइटेक और अद्वितीय बैंकिंग आउटलेट्स - एसबीआई-इनटच की स्थापना करना है. आपके बैंक के पास सात एसबीआई-इनटच प्रीमियम आउटलेट्स अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में तथा 250 एसबीआई-इनटच शाखाएँ हैं जो अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकी से सुसज्जित हैं. ये इनटच शाखाएं देश भर में 143 से अधिक जिलों में स्थित है।

एसबीआई-इनटच प्रीमियम आउटलेट्स/शाखाओं में आपका बैंक खाते खोलना और व्यक्तिगत नाम वाला डेबिट कार्ड जारी करने जैसे बैंकिंग सेवाएं सिर्फ 15 मिनट में उपलब्ध कराता हैं. यह क्रांतिकारी टच प्रौद्योगिकी की सहायता से संपन्न हुआ है. ये शाखाएँ ''डिजिटल वाल'' के द्वारा कार खरीददार को कार के मॉडल, डीलर का पता, विभिन्न मॉडलों की कीमत आदि विभिन्न जानकारियाँ देकर ग्राहक को निर्णय लेने में सहयोग करते हैं. आपके बैंक की कार्यनीति यह है कि इन भविष्यवादी शाखाओं में फिजिटल बाजार का वातावरण तैयार किया जाए जहाँ ग्राहकों को स्वयं सेवा किओस्क और अन्य बैंकिंग सहायकों जैसे जीवन बीमा, साधारण बीमा, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड, और एसबीआई कैप सिक्योरिटी के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार आदि की सुविधाएं ग्राहकों को प्रस्तुत की जा सके. आउटलेट्स में हाई-डेफिनिशन ऑडियो विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराया जाता है जहाँ पर ग्राहक वित्तीय विशेषज्ञ से संवाद कर सकते हैं.

इन 250 एसबीआई-इनटच शाखाओं ने कुल व्यवसाय को ₹2,400 करोड़ के स्तर तक पहुंचाया है तथा और आगे बढ़ते हुए आपके बैंक एसबीआई-इनटच शाखाओं में निर्बाध डिजिटल अनुभव के साथ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है.

12. इन्टरनेट बैंकिंग

आपके बैंक की नेट-बैंकिंग वेबसाइट 'www.onlinesbi.com' विश्व में पांचवीं सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बैंकिंग साइट है तथा वैश्विक ऑनलाइन बैंकिंग साइट में प्रथम पांच में स्थान प्राप्त करने वाली भारत की एकमात्र साइट है (स्रोतः सिमिलर वेब). इस अत्यंत सुरक्षित और किफायती चैनल ने वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान 140 करोड़ से ज्यादा लेनदेन संभव किए हैं तथा पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि दर्ज की है.

आपका बैंक अपने खुदरा, कॉर्पोरेट और सरकारी ग्राहकों को एक मजबूत एवं ग्राहक अनुकूल नेट बैंकिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है. उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार इस प्लेटफार्म का समय समय पर उन्नयन किया जाता है. इस वित्तीय वर्ष में भी बैंक ने 'ऑनलाइन एसबीआई' का उन्नयन सुनिश्चित किया है ताकि बैंक ज्यादा ग्राहक अनुकूल इंटरफेस और नई विशेषताएं जैसे ईमेल से खाता विवरण प्राप्त करने की सुविधा, पैन नंबर की ऑनलाइन सीडिंग, नामांकन का पंजीकरण/पूछताछ/रद्दीकरण, 'क्विक ट्रांसफर' सुविधा में लेनदेन सीमा की वृद्धि, अनिवासी भारतियों द्वारा म्यूचुअल फण्ड में लेनदेन, नेट बैंकिंग में लॉग इन के बाद बडी वालेट का टॉप-अप, दोस्तों/रिश्तेदारों को सामाजिक/उत्सव अवसर पर कैशलेस उपहार देना आदि सेवाएँ प्रदान कर सकें.

13. डिजिटल ओन-बोर्डिंग ऑफ़ मर्चेंट्स

आपके बैंक, व्यापारियों को डिजिटल माध्यम में शामिल करने के लिए व्यापारियों को अपने ग्राहकों/विक्रेताओं से भुगतान का संग्रहण, उनकी पसंद के चैनल से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हुए, ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स को जोरदार प्रोत्साहन देता आ रहा है. आपके बैंक के पास सभी के लिए संग्रहण समाधान है चाहे वो बड़ा कॉर्पोरेट हो, सरकारी हस्ती हो, या कोई एसएमई ग्राहक. आपके बैंक का स्टेट बैंक कलेक्ट, एसबी-एमओपीएस (बहु विकल्पी भुगतान समाधान), बडी-मर्चेंट एप और हाल ही में शुरू किया गया यूपीआई भुगतान विकल्प संग्रहण हस्तियों में विशेष रूप से लोकप्रिय है. आगे ई-कॉमर्स ईको-प्रणाली को रणनीतिक भागीदारी के माध्यम से और मजबूत करने के लिए, ई-निविदा, ई-नीलामी, ई-मालभाड़ा और थोक भुगतान के संग्रहण को शामिल करने के लिए आपके बैंक के डिजिटल प्रस्ताव सतत रूप से उन्नत किए जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक ने डिजिटल चैनल के एक लाख से ज्यादा नए मर्चेंटों के साथ गठजोड़ किए हैं.

14. परस्पर विक्रय

आपका बैंक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कॉरपोरेट एजेंट है तथा एसबीआई म्यूचुअल फण्ड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के उत्पादों के वितरण के लिए वितरण करार किया है. आपका बैंक यूटीआई म्यूचुअल फण्ड, टाटा म्यूचुअल फण्ड, फ्रेंक्लिन टेम्पलटन म्यूचुअल फण्ड, एल एंड टी म्यूचुअल फण्ड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फण्ड और एचडीएफसी म्यूचुअल फण्ड के म्यूचुअल फण्ड उत्पादों का वितरण भी करता है. इसके अलावा सभी शाखाएँ राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत हैं.

वित्तीय वर्ष 2017 के उल्लेखनीय तथ्य निम्नानुसार हैं:

क) बैंक की परस्पर विक्रय आय में 58.80% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई, जिससे यह 31 मार्च 2016 में ₹489.04 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹776.61 करोड़ हुई.

ख) एसबीआई लाइफ की आय 37.79% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2016 में ₹337.18 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹464.60 करोड़ हुई.

ग) एसबीआई जनरल की आय पिछले वर्ष की समरूप अवधि की तुलना में 46.46% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2016 में ₹73.09 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹107.05 करोड़ हो गई.

घ) म्यूचुअल फण्ड के मामलों में आय पिछले वर्ष की समरूप अवधि की तुलना में 188.67% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2016 में ₹61.91 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹178.72 करोड़ हुई. सुनियोजित निवेश योजना खातों की संख्या 54.16% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2016 में 2,40,009 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में 3,70,004 हो गई.

ड) 1.94 करोड़ वैयक्तिक दुर्घटना बीमा (पीएआई) पॉलिसियाँ और 6.72 लाख स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में बेची गईं. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में 37.66% की वृद्धि के साथ 6,72,574 हो गई और प्रीमियम 29.25% की वृद्धि के साथ ₹137.08 करोड़ हो गया.

च) स्टेट बैंक कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की आय वित्तीय वर्ष 2016 में ₹16.52 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹23.85 करोड़ हुई. वित्तीय वर्ष 2016-17 में शाखाओं से 3.04 लाख क्रेडिट कार्ड जारी हुए.

ग. लघु एवं मध्यम उद्यम

आपका बैंक लघु एवं मध्यम उद्योग वित्तपोषण में अग्रणी एवं बाजार पथप्रदर्शक है. दस लाख से ज्यादा ग्राहकों के साथ एसएमई पोर्टफोलियो 31 मार्च 2017 को ₹2,25,153 करोड़ था जो कि बैंक के कुल अग्रिम का 13.83% रहा।

एसएमई वृद्धि के लिए बैंक का दृष्टिकोण तीन स्तंभों पर टिका है:

अ) ग्राहक सुविधा/पहुँच,

ब) जोखिम न्यूनीकरण,

स) प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल सेवाएं

क) ग्राहक सुविधा/पहुँच

आपके बैंक के पास शाखाओं एवं अन्य साधनों के रूप में सर्वाधिक संपर्क-क्षेत्र हैं जहाँ जनता हमसे संपर्क कर सकती है.

आपके बैंक ने लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से अधिकतम संपर्क बनाने हेतु वर्तमान वितरण मॉडल - लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र (SMEC) में बदलाव करते हुए इनमें ''आस्ति प्रबंधन टीमों'' का गठन शुरू किया है, ताकि ग्राहकों से शुरू से आखिर तक संबंध बना रहे. इन एसएमई केन्द्रों में स्टाफ संख्या भी बढ़ाई गई है जिसके परिणामस्वरूप सेवा में सुधार आया है. विपणन पर ध्यान केंद्रित करने तथा लघु उद्योगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु देश में 1000 से ज्यादा अधिकारियों (संबंध अधिकारी एवं ग्राहक सहायता अधिकारी) की नियुक्ति की गई है.

वेब आधारित ऋण आवेदन और ट्रैकिंग सिस्टम: आपके बैंक में कॉरपोरेट वेबसाइट www.sbi.co.in पर एमएसएमई ऋणियों के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन तथा ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध है.

''myloanassocham.com'' पोर्टल की शुरुआत: आपके बैंक ने एक से अधिक और टिकाऊ ऑनलाइन ऋण आवेदन पोर्टल शुरू करने के लिए एस्सोचेम (assocham) के साथ अग्रणी भागीदार बैंक के रूप में गठजोड़ किया है ताकि मध्यम-लघु-सूक्ष्म उद्यमी ऋण के लिए इन चैनलों के माध्यम से पंजीकरण एवं आवेदन कर सकें. ये अपने केवाईसी/वित्तीय दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आवेदन मूल्यांकन, प्रक्रिया एवं मंजूरी के लिए विभिन्न मंडलों में बैंक के केन्द्रीय अधिकारी के पास जाता है.

व्यापार सभाओं/शिखर सम्मलेन में सहभागिता: उद्यमियों से संपर्क बनाने तथा उनकी आवश्यकताओं की जानकारी के लिए आपका बैंक व्यवसाय सभाओं एवं शिखर सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहता है.

ख) जोखिम न्यूनीकरण

आपका बैंक न्यून जोखिम उत्पादों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनमें सप्लाई चैन फाइनेंस, आस्ति समर्थित ऋण, बैंक जमाओं/सरकारी प्रतिभूतियों के सामने ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग सुविधा और सीजीटीएमएसई बीमित ऋण एवं अन्य शामिल हैं. 31 मार्च 2017 को इस पोर्टफोलियो का प्रतिशत कुल एसएमई ऋण का 35.54% रहा।

आपूर्ति श्रृंखला वित्तीयन: अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा शाखा नेटवर्क का उपयोग करते हुए आपका बैंक कॉरपोरेट जगत के साथ अपने संबंध अधिक सुदृढ़ कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखला वित्तीयन में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा है.

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 42 नए ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनैंस स्कीम) और 16 नए ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फाइनैंस स्कीम) के साथ गठबंधन किया है जिसमें 251 औद्योगिक प्रमुख और उनके 17,300 व्यापारी और विक्रेता समाविष्ट है. पिछले वित्तीय वर्ष में ई-डीएफएस के अंतर्गत तेल व्यापारियों (पेट्रोल पंपों) की संख्या 10000 से अधिक हो गई थी. ई-डीएफएस पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 29% की वृद्धि हुई.

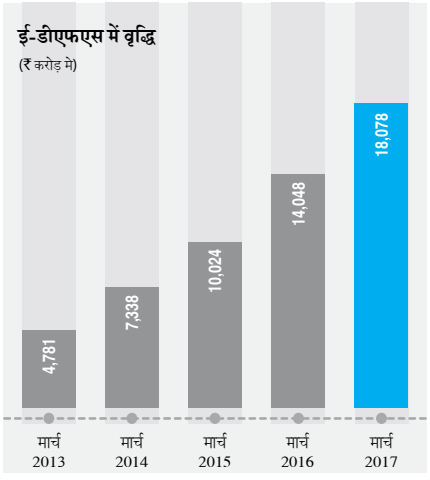

ई-डीएफएस पोर्टफोलियो का बाजार खंड और सेक्टर अनुसार विविधीकरण नीचे पाई-चार्ट में दर्शाया गया है:

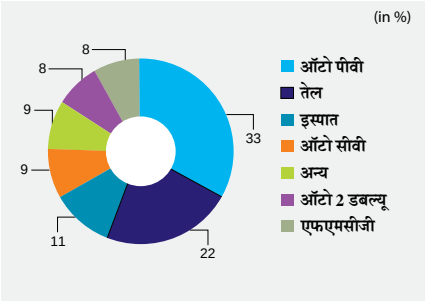

आस्ति समर्थित ऋण: संपार्श्विक प्रतिभूतियों से समर्थित व्यवसायों को मामूली ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया:

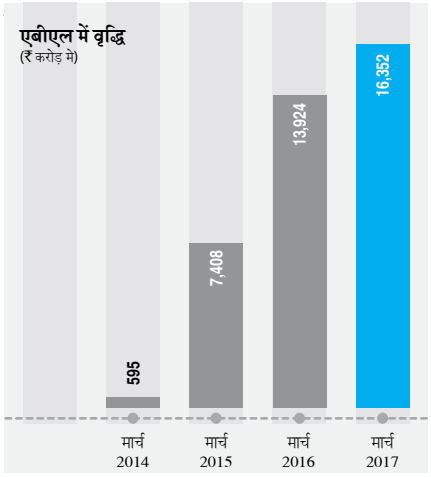

मुद्रा ऋण: भारत सरकार की पहल के अनुसार आपके बैंक ने मुद्रा की विभिन्न योजनाओं की पात्र इकाइयों को साख सुविधा प्रदान करने में पर्याप्त जोर दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का 102% प्राप्त किया है.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास तथा मुद्रा के अंतर्गत सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर ऋण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा व्यापारिक इकाइयों को सहयोग देने में बैंक सदा अग्रणी रहा है. सीजीटीएमएस ई गारंटी के अंतर्गत बैंक ₹2 करोड़ तक का ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना प्रदान कर रहा है. ₹50 लाख तक की कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए गारंटी सुरक्षा का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाता है. सीजीटीएमएसई के अंतर्गत बैंक का संविभाग 31 मार्च 2017 को ₹11,404 करोड़ रहा.

ग) डिजिटल सेवाएं

आपका बैंक व्यवसाय प्राप्ति, उत्पादों की रूपरेखा बनाने, प्रक्रिया को सुप्रवाही करने, सुपुर्दगी से निगरानी तक में सुधार करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के प्रत्येक पहलू के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है.

आपके बैंक ने एसएमई संविभाग को न्यून जोखिमयुक्त बनाने हेतु अनेक उपाय किए हैं जिससे (i) उत्पाद श्रृंखला, (ii) प्रक्रिया एवं (iii) सुपुर्दगी में सार्थक बदलाव आए हैं.

अर्थव्यवस्था में बढ़ते ई-कॉमर्स के प्रभाव का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 में इको सिस्टम वित्तपोषण (प्रोजेक्ट शिखर) की शुरुआत की. आपके बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित एसएमई के लिए विभिन्न सुविधाओं की शुरुआत करके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म पर ध्यान केंद्रित किया है. आपके बैंक ने ई-टेलर वित्तपोषण के अंतर्गत ऋण की स्वचालित तत्काल मंजूरी वाला जबरदस्त ऋण जोखिम मॉडल विकसित किया है. जो वास्तव में जोखिमपूर्ण सेवा हैं। इस मॉडल में बटन दबाते ही विक्रेता को ऋण प्राप्त हो जाता है. टैक्सी समूहक को तत्काल मंजूरी के लिए आतंरिक रूप से तैयार 'डिजिटल उपकरण' का उपयोग किया जा रहा है.

इसके अलावा पूर्व चेतावनी संकेत प्राप्त करने के लिए आपका बैंक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है तथा इकाइयों का डिजिटल निरीक्षण प्रारंभ कर दिया है.

परियोजना विवेक

आपका बैंक परंपरागत तुलनपत्र आधारित हामीदारी के स्थान पर विभिन्न श्रोतों से प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर अपनी संशोधित साख हामीदारी (जोखिम अंकन) प्रक्रिया को फिर से शुरू कर रहा है. इससे वित्तीय विवरणों पर निर्भरता तथा उससे जुड़े जोखिम बहुत कम हो जाएंगें.

वर्ष 2018 के दौरान आपके बैंक के एसएमई खंड में नई ऋण हामीदारी प्रणाली को लागू किया है।

लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर(LOS) तथा ऋण जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली(LLMS): ऋण वितरण के एकसामान-मानक अपनाने तथा उनका पालन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कॉरपोरेट मेमोरी संरक्षित रखना आदि के लिए, लघु मूल्य तथा उच्च मूल्य ऋणों के लिए क्रमशः एलओएस एवं एलएलएमएस शुरू किए गए हैं.

डिजिटल निरीक्षण एप्लिकेशन (डीआईए-एसएमई): एसएमई इकाइयों के मंजूरी पूर्व/मंजूरी पश्चात प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यह एसएमई इकाइयों के निरीक्षणों को रिकार्ड करने का टैब तथा मोबाइल आधारित एप्लिकेशन है. आपका बैंक संपार्श्विक प्रतिभूतियों, संपत्तियों की स्थिति, व्यवसाय का सचित्र स्थान और भू-निर्देशांकों (समय एवं दिनांक) का रिकार्ड भी इस डिजिटल एप्लिकेशन के माध्यम से करता है.

पूर्व चेतावनी संकेत तंत्र : आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दोषी कंपनियों की समय पर पहचान के लिए इस रिकार्ड का प्रयोग अगस्त 2016 में प्रारंभ किया. ₹1 करोड़ या उससे ऊपर उच्च-मूल्य वाले एसएमई खातों के लिए पूर्व चेतावनी संकेत अक्टूबर 2016 में एसएमई गहन शाखाओं में शुरू किए गए. ₹50 करोड़ या उससे ऊपर वाले खातों की चूक रोकने तथा समय पर नियामकों को सूचित करने के लिए आवधिक अंतराल पर इनकी निगरानी जारी रहती है.

हंडई के 1,000 करोड़ का कारोबार होने पर संपन्न समारोह का एक चित्र

सरलीकृत पुनर्वास योजना की शुरुआत: ₹10 करोड़ से कम वाली दबावग्रस्त/अवमानक एमएसएमई इकाइयों की सुरक्षा के लिए एक सरलीकृत पुनर्वास मॉडल का प्रारंभ किया गया. इस योजना में ऐसी इकाइयों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता/सहायता देने की परिकल्पना की गई है.

कार्ड स्वीकार्यता आधारित संरचना (मर्चेण्ट अधिग्रहण व्यवसाय)

आपके बैंक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डिजिटल भारत का बैंकर बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए एक स्थायी मूल्य निर्माता के रूप में स्मार्ट बैंकिंग करनी होगी. बैंक निरंतर गंभीरतापूर्वक प्रयास करता रहा है कि उसकी प्रौद्योगिकी उत्तम श्रेणी की हो और वह ऐसे सुपुर्दगी परिवेश तैयार करे जिससे सभी सुपुर्दगी चैनलों से लगभग जेआईटी (जस्ट इन टाइम) स्तर की सेवाएं प्रदान की जा सकें.

31 मार्च 2017 को 26 करोड़ से अधिक स्टेट बैंक समूह डेबिट कार्ड जारी करके, आपका बैंक देश में डेबिट कार्ड जारी करने में लगातार अग्रणी बना रहा। बैंक ने प्रयास किया है कि ग्राहक अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से ''कहीं भी कभी भी बैंकिंग'' का आनंद ले सकें और परिणाम स्वरूप डेबिट कार्ड के द्वारा किए जाने वाले वाले खर्च में 26.29%(मार्च 2016) से 29.23% (मार्च 2017, आरबीआई के आंकड़े) की वृद्धि हुई है जो किसी भी अन्य बैंक से बहुत आगे है.

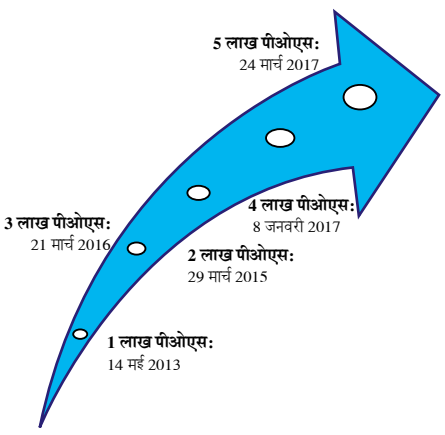

भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लक्ष्य के अनुरूप चलते हुए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017 में 2.06 लाख पीओएस मशीने संस्थापित की जिससे इनकी संख्या 5.09 लाख से ज्यादा हो गई है, जो पीओएस टर्मिनल्स में 20.16% के बाजार अंश के साथ पिछले वर्ष से 69% ज्यादा है. इससे बैंक ने मर्चेण्ट अधिग्रहण व्यवसाय के मामले में अपनी सर्वोच्च स्थिति को और मजबूत किया है.

आपके बैंक ने विमुद्रीकरण के बाद चार महीनों के छोटे अंतराल में 1.55 लाख पीओएस मशीने लगाई हैं. पीओएस मशीने लगाने की बैंक की यात्रा नीचे दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान, आपके बैंक ने लेनदेनों की संख्या के अनुसार 196% तथा लेनदेनों के मूल्य के अनुसार 157% की वृद्धि दर्ज की है. विमुद्रीकरण के बाद बैंक ने नकदी की कमी का सामना करने के लिए निम्नांकित उपाय किए हैं:

- पीओएस मशीनों से नकदी संवितरण के लिए चल वाहन का प्रयोग
- सब्जी एवं फल विक्रेताओं, दूध-बूथों, कारीगरों और अन्य जैसे लघु व्यापारियों की दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाना की स्थापना.
- रेलवे काउंटरों / टोल प्लाजा / ईंधन बिक्री केन्द्रों/डाक घरों/अस्पतालों/महत्वपूर्ण मंदिरों/सरकारी विभागों आदि में पीओएस मशीनें लगाई.

डेबिट कार्ड धारक ग्राहकों को पीओएस टर्मिनलों तथा ई-कामर्स वेबसाइटों की ओर प्रेरित करने के लिए, निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2017 दौरान इन उपायों ने बिक्री केंद्र तथा ई-कॉमर्स पर डेबिट कार्ड द्वारा व्यय को पिछले वर्ष की तुलना में 124% की वृद्धि के साथ ₹96,600 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचा दिया है जिससे बाजार अंश 29.23% से ज्यादा हो गया है. बहुत से नवोन्मेष उत्पादों जैसे एसबीआई इनटच, संपर्क रहित डेबिट कार्ड, मुंबई मेट्रो डेबिट कार्ड, एवं अन्य उत्पाद, जोरदार विपणन अभियान, डेबिट कार्ड जागरूकता कार्यक्रम ने डेबिट-कार्ड द्वारा व्यय के क्षेत्र में बैंक को शीर्ष पर पहुंचा दिया है.

निम्न नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हुए, आपके बैंक ने ''व्यापारी भुगतान स्वीकार समाधान'' हेतु भारत QR, आधार आधारित भुगतान जैसे भीम-आधार-एसबीआई जैसी वैकल्पिक डिजिटल भुगतान व्यवस्थाएं प्राम्भ की हैं. बुनियादी अधिग्रहण सेवाओं के अलावा, बैंक ने मूल्य योजित सेवाएं जैसे नकदी वितरण के लिए डेबिट कार्ड धारकों को पीओएस पर नकदी, डीसीसी (गतिशील नकदी परिवर्तन) और पीओएस टर्मिनलों पर मासिक किस्तें आदि भी उपलब्ध करा रहा है.

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 5 लाख अतिरिक्त भौतिक एवं डिजिटल पीओएस टर्मिनल लगाकर मर्चेण्ट भुगतान स्वीकार्य बिन्दुओं की धोखाधड़ी रोकने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है।

घ. ग्रामीण बैंकिंग

आपके बैंक का ग्रामीण भारत की संभावनाओं में हमेशा विश्वास रहा है. वह मानता है कि भारत के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के लिए इस क्षेत्र की प्रगति अनिवार्य है. अपने विभिन्न नवोन्मेषी चैनलों, उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से बैंक ने सदा इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है. कृषितर क्षेत्र से प्राप्त आय वृद्धि, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और ग्रामीण उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता से अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक बदलावों के कारण भारत के ग्रामीण बाजारों में भी आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं. तीव्रता से बढ़ रहे संपर्क साधनों, मूलभूत संरचनात्मक विकास होने और व्यवसाय के नए अवसर उभरने जैसे घटकों से भी इस परिवर्तन में तेजी आ रही है.

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने में सदा अग्रणी आपके बैंक ने पिछले वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2017 में भी कृषि ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है. नीचे दी गयी तालिका से यह स्पष्ट होता है:

कृषि क्षेत्र को ऋण (₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	संवितरण	प्राप्ति का %
वित्त वर्ष 2014	73,500	74,970	102%
वित्त वर्ष 2015	84,500	86,193	102%
वित्त वर्ष 2016	89,781	102,423	114%
वित्त वर्ष 2017	95,168	1,25,270	132%

कृषि व्यवसाय के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण

कोर बैंकिंग सुविधा के साथ-साथ एटीएम, नकदी जमा मशीनें, पीओएस और माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाएं प्रदान करते हुए आपका बैंक ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने में सबसे आगे है. वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक ने कृषकों के जीवन को सुविधाप्रद बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अनेक सुविधाएँ और उत्पाद प्रारंभ किए. इससे कृषि ऋणों के प्रबंधन में परिचालन दक्षता भी बढ़ी. इस क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्यों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है :

1. **केसीसी-एटीएम रुपे कार्ड** : परिचालन में आसानी और सुविधा के लिए 31 मार्च 2017 तक 53.64 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड ऋणियों को रुपे कार्ड जारी किए गए. केसीसी रुपे-कार्ड एटीएम और पीओएस, पर 24x7 कार्य करता है, जिससे कृषक अपनी दैनिक कृषि संबंधी जरूरती सामान कभी भी क्रय कर सकता है.

2. **कृषकों के लिए नए उत्पाद** : आस्ति समर्थित कृषि ऋण और तत्काल ट्रेक्टर ऋण (वित्तीय वर्ष 2016 में शुरू) जैसे उत्पादों के अलावा आपके बैंक ने पोली हाउस/नेट हाउस /ग्रीन हाउस खेती के वित्तपोषण, किसानों के प्राप्यों और सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंप आदि के लिए नए उत्पाद तैयार किए हैं.

ग्राहक सेवा केंद्र - देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सैनिकों को वित्तीय सहायता

3. **कारपोरेट गठजोड़:** कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को अधिक संवहनीय बनाने और इस संविभाग की जोखिम को कम करने के लिए बैंक गठजोड़ के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला वित्त पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

4. **भंडारगृहों की रसीद पर ऋण :** किसानों को अपनी उपज मजबूरी में न बेचनी पड़े और उन्हें अच्छा भाव मिल सके, इस हेतु बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधकों से गठजोड़ कर किसानों को भंडारगृहों में रखी उनकी उपज पर ऋण देने की पेशकश की है.

कृषकों के साथ संबंध

भारत की ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने और संपूर्ण वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए, वित्त वर्ष 2008 से 'एसबीआई का अपना गाँव' योजना के अंतर्गत गांवों को समग्र विकास के लिए अपनाया गया है. वित्त वर्ष 2017 तक इस प्रकार अपनाए गए गाँवों की संख्या 1,426 हो गयी है. कृषक समुदाय के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक ग्राम स्तर पर किसान क्लब भी स्थापित करता रहा है. इस समय ऐसे क्लबों की संख्या 10,719 तक पहुँच चुकी है. आपके बैंक ने कुछ चुने हुए गांवों को नकदी रहित अर्थव्यवस्था में बदल कर 'एसबीआई डिजिटल गाँव' की अब धारणा भी शुरू की है. आपके ने बैंक ने 1 जुलाई 2016 को औपचारिक रूप से 21 गाँवों और इनमें इस पहल को शुरू कर दिया है इस प्लेटफार्म पर शामिल कर लिया है.

वित्तीय समावेशन

देश में वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों में आपका बैंक सदा आगे रहा है. व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल सर्वप्रथम भारतीय स्टेट बैंक ही लाया है. यह ऐसा वैकल्पिक मॉडल है जो शहर और गाँव दोनों के ऐसे ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाए पहुँचाता है जिनके लेनदेन की राशि बहुत कम होती है. इस मॉडल के अंतर्गत संपूर्ण देश में 52,340 से अधिक ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) हैं, जहाँ से बचत बैंक, सावधि जमा, सूक्ष्म ऋण, धनप्रेषण, ऋण की चुकौती और सूक्ष्म बीमा और पेंशन जैसी सेवाएँ और उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं. वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए बैंक ने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए इंटरनेट आधारित किओस्क बैंकिंग, कार्ड आधारित और मोबाइल संदेश आधारित चैनल प्रारंभ किए हैं. व्यवसाय प्रतिनिधि चैनल और मोबाइल नम्बरों को खातों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपकी बैंक ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इन्टरनेट आधारित किओस्क बैंकिंग, कार्ड आधारित और सेलफोन मैसेजिंग चैनल शुरू करके वित्तीय समावेशन का सफलतापूर्वक प्रचार किया है.

प्रधानमंत्री जन धन योजना को सबसे ज्यादा आपके बैंक ने ही कार्यान्वित किया है. बैंक ने तक 8.57 करोड़ खाते खोले और 31 मार्च 2017 पात्र ग्राहकों को 5.85 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए. इसमें बहुत सारे कार्ड देश के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण भाग में जारी किए गए. वित्त वर्ष 2016 में वित्तीय समावेशन खातों की संख्या 9.28 करोड़ थी जो वित्त वर्ष 2017 में 11.73 करोड़ हो गयी. व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाले लेनदेनों की कुल राशि 27% की वृद्धि के साथ वित्त-वर्ष 2016 में ₹58,217 करोड़ से वित्त वर्ष 2017 में ₹73,819 करोड़ हो गयी.

वर्ष 1992 में प्रारंभ हुए स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण सहबद्ध कार्यक्रम की शुरुआत से ही आपके बैंक की इसमें सक्रिय सहभागिता रही है. 31 मार्च 2017 को स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में आपका बैंक बाजार में अग्रणी रहा है. बैंक ने 3.57 लाख स्वयं सहायता समूहों को ₹6,139 करोड़ के ऋण प्रदान किए हैं. इनमें से 91% महिला स्वयं सहायता समूह हैं. ग्रामीण जनसंख्या को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम नवीन चैनलों के विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास के कारण आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, स्वचालित ई-केवाईसी, तुरंत भुगतान सेवा (आई एम पी एस), माइक्रो एटीएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अतर्गत बचत बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण / एलपीजी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान आदि के रूप में प्रतिफलित हुए हैं.

इन सभी उपायों से आने वाले वर्षों में नकदी रहित अर्थव्यवस्था का उदय होगा जो समाज के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने 14 क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक प्रायोजित किए हैं, जिनकी 15 राज्यों के 155 जिलों में 3977 शाखाएं हैं। इन 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी में आपके बैंक ने ₹481.25 करोड़ और गैर-इक्विटी में ₹23.62 करोड़ का निवेश किया है।

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं. इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, रुपे कार्ड, आइएमपीए, किओस्क बैंकिंग, आधार भुगतान पूरक प्रणाली, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, चैक ट्रंकेशन प्रणाली, ई-कॉमर्स और माईक्रो एटीएम आदि. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नें 81.30 लाख खाते खोले हैं. इसके अलावा ये अपने ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आदि के लाभ भी प्रदान कर रहें हैं.

ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण

देश के ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को कम करने के लिए, आपके बैंक ने देश में 116 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर-सेटि) की स्थापना की है जो व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के व्यापक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान कर रही हैं. इसके अलावा सहयोगी बैंकों द्वारा 34 आर-सेटि प्रायोजित किए जा रहे हैं. आपके बैंक के कुछ आर-सेटि तो देश के दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में हैं. ये संस्थाएं ग्रामीण बेरोजगारों युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. आर-सेटि संस्थाओं ने 13,681 कार्यक्रम आयोजित किए तथा 3,65,848 सहभागियों को प्रशिक्षित किया जिसमें से 2,34,935 प्रशिक्षुओं को लाभकारी रोजगार/ व्यवसाय मिल गया.

आर-सेटि द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवा उम्मीदवार

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	संचयी (2011 से)
1.	संचालित कार्यक्रमों की संख्या	2,833	13,681
2.	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	76,971	3,65,848
3.	रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	-	2,34,935

ऋण वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण (डीआरए)

बैंक अपने आंतरिक संसाधनों के अनुपूरक के रूप में अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों/ग्राहक सेवा केन्द्रों को ऋण वसूली एजेंट बनने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षा पास करने की सुविधा प्रदान करके ऋण वसूली एजेंट के रूप में कार्य ले रहा है. वित्तीय वर्ष 2017 तक 7,800 से ज्यादा व्यवसाय प्रतिनिधियों/ग्राहक सेवा केन्द्रों को ऋण वसूली एजेंट का प्रशिक्षण दिया गया.

वित्तीय साक्षरता प्रदान करना

वित्त वर्ष 2017 में आपके बैंक ने 246 वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका मुख्य ध्येय वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और वित्तीय सुविधाओं का समुचित उपयोग करने में आम आदमी को समर्थ बनाना. वित्त वर्ष 2017 के दौरान वित्तीय साक्षरता केन्द्रों ने देश भर के गाँवों में 15,584 वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए गए.

आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की संख्या (संचयी)

वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017
7,913	28,879	37,734	53,318

ङ. अन्य नई व्यवसाय पहल

डिजिटल रूप से समर्थित नए लोगों के आ जाने से बैंकिंग प्रणाली के समक्ष अपने पारंपरिक व्यवसाय क्षेत्र में नई चुनौतियाँ आ रही हैं. हाल ही में भुगतान प्रणालियों में स्मार्ट फोन का उपयोग, ई-कॉमर्स के बढ़ने तथा कई अच्छे नवोन्मेषी उत्पाद/मोबाइल एप शुरू हो जाने के कारण ये बैंकिंग व्यवसाय का अत्यंत आवश्यक पहलू बन गई हैं. भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक भी आ गए हैं. इसलिए, प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य गहन होता जा रहा है और उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं.

1. स्टेट बैंक एग्रीगेटर मॉड्यूल (SBIePay)

आपका बैंक पहला और एकमात्र बैंक है, जो भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान कर रहा है. बैंक और भुगतान एग्रीगेटर के रूप में एसबीआई ई-पे की 40 बैंकों के साथ साझेदारी हो चुकी है, ताकि ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग विकल्प अबाध रूप से उपलब्ध रहे. डिजिटल सेवा केन्द्रों के सहायक मॉडलों को इसके साथ काम करने के लिए विशिष्ट रूप से संरचित किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्वीकार करने के लिए पे-पल को भी एसबीआई-ईपे के नए चैनल के रूप में शामिल किया गया है.

एसबीआई-ईपे के उपभोक्ता से सरकार तक (सी2जी) तथा व्यवसाय से सरकार तक (बी2जी) केंद्रित होने से यह डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार की नकदी-रहित और अल्प नकदी समाज बनाने की आकांक्षा को सहायता देने में समर्थ है.

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों की ऑनलाइन प्राप्तियों के लिए लेखा-महानियंत्रक का ''गैर-कर राजस्व पोर्टल(एनटीआरपी)'' एसबीआई-ईपे समर्थित है. एसबीआई-ईपे ने महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को ''सरकारी प्राप्तियां एवं भगतान प्रणाली(जीआरएएस)'' के लिए एग्रीगेटर सेवाएं देना पहले ही प्रारंभ कर दिया है और असम, गुजरात तथा पुडुचेरी राज्यों को सेवा देने की प्रक्रिया चालू है. भारतीय रेल की ई-अधिप्राप्ति प्रणाली ने अपने ऑनलाइन अधिप्राप्ति भुगतानों के लिए एसबीआई ई-पे का चयन किया है.

एसबीआई-ईपे को गर्व है कि वह शहीदों के परिवार को सहयोग देने के लिए, 'भारत के वीर' नामक पोर्टल शरू करने की भारत सरकार की पवित्र पहल का हिस्सा है. इसके द्वारा एमईए के ई-वीजा को सेवाएं देना जारी है. दिल्ली सरकार की सभी डिजिटल सेवाओं के लिए इसने स्वयं भागीदारी की है.

एसबीआई-ईपे के ग्राहकों में एचपीसीएल आईओसी तथा गैल गैस लिमिटेड जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं. वे एलपीजी रिफिल के भुगतान और नए गैस कनेक्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं. एसबीआई-ईपे का लक्ष्य है कि वह सरकार की सभी ऑनलाइन प्राप्तियों की प्रक्रिया का समस्त कार्य एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए तथा सी2जी और बी2जी क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाए.

2. एंटरप्राइज वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम: स्टेट बैंक रिवार्ड्ज

ग्राहक को सर्वोपरि रखने के हमारे लक्ष्य-कथन के अनुरूप में आपके बैंक ने एंटरप्राइज वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम: स्टेट बैंक रिवार्ड्ज प्रारंभ किया ताकि अनेक प्रकार की सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उनके द्वारा प्रदर्शित गहन विश्वास के लिए पुरस्कृत किया जा सके. ग्राहकों द्वारा निरंतर प्रदर्शित विश्वास तथा बैंक के साथ सुदीर्घ संबंध बनाए रखने के लिए बैंक उनकी सराहना कर उनके साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहता है.

31 मार्च 2017 को 24.84 लाख ग्राहक, 'स्टेट बैंक रिवार्ड्ज कार्यक्रम' के लाभ को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे, जिनमें से 10.77 लाख ग्राहक अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान शामिल हुए.

इस समय ग्राहक डेबिट कार्ड से भुगतान, इन्टरनेट बैंकिंग लेनदेन, मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग, वैयक्तिक बैंकिंग, कृषि व्यवसाय, आवास ऋण तथा चालू खाते से लेनदेन के लिए ग्राहकों को रिवार्ड पॉइंट प्राप्त होते हैं. इन रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने के अनेक विकल्प दिए गए हैं, जैसे एसबीआई गिफ्ट कार्ड, विभिन्न वस्तुएं, फोन या डी2एच का रिचार्ज, सिनेमा-बस-विमान के टिकिट बुक करना आदि.

इस कार्यक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू है 'स्टेट बैंक रिवार्ड्ज' मोबाइल एप से इसका आसान प्रयोग, जिसे गूगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. ग्राहक अनुभव को उन्नत करने और बेहतर कार्यक्षमता उपलब्ध कराने के लिए, आपके बैंक ने इस वर्ष मोबाइल एटिलकेशन में सुधार किया और आईओएस वर्जन भी शुरू किया. इन रिवार्ड पॉइंट्स को भुनाने में ग्राहकों को अधिक आसानी रहे इसके लिए कुछ चुने हुए व्यापारी भागीदारों के आउटलेट पर भी इनके विमोचन की सुविचा दी गई है. वर्ष के दौरान दिए गए रिवार्ड पॉइंटों की कुल संख्या 1307 करोड़ रही.

3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण - एसबीआई फास्टेग :

देश में टोल-प्लाजाओं पर टोल का संग्रहण इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सरकार की इस दूरदृष्टि के अनुसरण में, बैंक ने दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना का शुभारंभ किया. एसबीआई फास्टेग की सहायता से ग्राहक राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी टोल प्लाजाओं पर पथकर का भुगतान बिना अपने वाहन को रोके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है. धीरे धीरे राज्यों के राजमार्ग के टोल प्लाजा भी एनईटीसी कार्यक्रम में शामिल होंगे. मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों नें इस प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया है.

'एसबीआई फास्टेग' के माध्यम से, ग्राहक अपने पथकर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है, तथा अपने एसबीआई फास्टेग वॉलेट के टॉपअप लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस आदि विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकता है. ग्राहक अपने एसबीआई-फास्टेग के ऑनलाइन रिचार्ज के लिए ग्राहक पोर्टल पर भी जा सकते हैं जहाँ वे अपने वाहन का इतिहास भी देख सकते हैं.

च. सरकारी व्यवसाय

केंद्र सरकार के बड़े मंत्रालयों और विभागों तथा अधिकतर राज्य सरकारों का प्रामाणिक बैंकर होने के कारण, आपके बैंक ने सरकारी व्यवसाय में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है. सेवा की परंपरा को जारी रखते हुए आपके बैंक ने भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार ई-सुविधाएं प्रदान की, जिससे केंद्र/राज्य सरकारें अपने लेनदेन को ऑनलाइन कर सकीं जिसके परिणामस्वरुप उनकी प्रणाली अधिक दक्ष और पारदर्शी हुई. बैंक के कुल सरकारी व्यवसाय का 70% से अधिक भाग ई-मोड पर लाया जा चुका है जिससे औसत निपटान अवधि में भारी कमी और नकदी लेनदेनों में भी कमी हुई है.

सरकारी टर्नओवर और सरकारी कमीशन

	वित्त वर्ष 2017 (31 मार्च की स्थिति)	वित्त वर्ष 2016 (31 मार्च की स्थिति)
टर्नओवर	40,06,660	45,52,054
कमीशन	2,095	2,488

ई-अभिशासन और डिजिटलीकरण को आसन बनाने तथा उसमें अधिक दक्षता लाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए:

राज्य सरकार प्राप्ति व्यवसाय : साइबर राजकोष सुविधा वाले राज्य, कर-वसूली और प्राप्तियों के लिए ई-मोड का उपयोग करते हैं. आपका बैंक साइबर राजकोष वाले 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है.

राज्य सरकार भुगतान व्यवसाय : आपके बैंक ने ई-मोड से भुगतान करने वाले 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-सॉल्यूशन उपलब्ध कराया है.

वर्ष दौरान शुरू की गई विभिन्न ई-पहल :

- केंद्रीकृत निधीयन सह वितरित सीमा : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए नया आवश्यकतानुरूप डैशबोर्ड वाला उत्पाद.
- ई-ट्रेड सुविधा : यह सुविधा वायुसेना, नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को उपलब्ध कराई गई है तथा चालू है.
- भारत सरकार का गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) : भारत सरकार के समस्त गैर-कर राजस्व के ऑनलाइन संग्रहण के लिए आपका बैंक ''एनटीआरपी'' के साथ जुड़ा है.
- आगमन पर वीजा : यह सुविधा 6 केन्द्रों पर जापान के नागरिकों को प्रदान की गई है. इसके अतिरिक्त ई-पर्यटक वीजा सुविधा, जो पिछले वर्ष 44 देशों के लिए प्रारंभ की गई थी, बढ़ाकर 150 देशों के लिए कर दी गई है. वीजा शुल्क एसबीआई ई-पे के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है.
- वेतन/विक्रेता-भुगतान के लिए सीएमपी का उपयोग : राज्यसभा, रेलवे, और असम, मणिपुर तथा मिजोरम सरकार के वेतन/विक्रेता-भुगतान सीएमपी प्लेटफार्म पर लाने से सरकारी भुगतान में दक्षता बढ़ी है और मानकीकरण हुआ है.
- राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेंस : विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 29-ई-इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए.
- डिजिटल कार्यशालाएं : सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को नकदी रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में डिजिटल कार्यशालाएं आयोजित की गई.
- एलपीजी के लिए लाभ का सीधा हस्तांतरण : आपका बैंक एलपीजी सब्सिडी की प्रक्रिया करने वाला एकमात्र बैंक है. वर्ष के दौरान 104 करोड़ लेनदेनों के माध्यम से ₹14,434 करोड़ की राशि संवितरित की गई.
- अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण : वित्त वर्ष 2017 के दौरान आपके बैंक ने ₹54,090 करोड़ के 16.76 करोड़ सब्सिडी लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी की.
- पेंशन भुगतान : आपका बैंक 14 केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केन्द्रों के माध्यम से 42.5 लाख पेंशनरों को पेंशन के भुगतान का प्रबंध करता आ रहा है. इस वर्ष, आपके बैंक ने 'सामान रेंक समान पेंशन' (ओआरओपी) की बकाया राशि के द्वितीय भाग और 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि एवं अन्य का सफलतापूर्वक संवितरण किया. संवितरित की गई कुल राशि ₹11,000 करोड़ से ज्यादा है. आपके बैंक ने इस वर्ष 2.05 लाख नए पेंशन खाते जोड़े और 42.5 लाख पेंशन खातों में से 89% से ज्यादा खातों को आधार-विवरण से जोड़ दिया गया.
- लघु बचत योजनाएं : आपका बैंक 62 लाख से ज्यादा लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) तथा 7.60 लाख सुकन्या समृद्धि खातों को अपनी सेवाएं दे रहा है. यह सभी प्राधिकृत बैंकों में सबसे ज्यादा है.

छ. दक्षता एवं लागत नियंत्रण

आपके बैंक की आस्तियों के लिए बीमा पॉलिसियाँ खरीदने हेतु कॉरपोरेट केंद्र में आपके बैंक का बीमा कक्ष स्थापित किया गया है. जोखिम आधारित पूंजी की आवश्यकता को कम करने के लिए, यह बेसल II मानकों के अंतर्गत, उन्नत मापन दृष्टिकोण के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है. इससे बैंक की दावा निपटान प्रक्रिया में सुधार हुआ है. आपके बैंक ने विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन 99.50% तक सुनिश्चित किया है. परिचालन लागत कम करने की दृष्टि से आपके बैंक ने करेंसी चेस्टों की संख्या को युक्तिसंगत करते हुए वित्त वर्ष 2017 के दौरान 45 करेंसी चेस्ट बंद की जिससे प्रतिवर्ष लगभग ₹25 करोड़ के आवर्ती खर्चों की बचत होगी.

इस वर्ष 8 मंडलों में लेखन-सामग्री प्रबंधन हेतु बाहरी स्रोतों से सहायता ली गई है ताकि परिसर किराए पर प्राप्त करने, भंडारण का प्रबंधन, लेखन-सामग्री की अप्रचलनता, मानव शक्ति और परिवहन लागत पर आने वाले खर्चों को कम किया जा सके. इस परियोजना में केन्द्रीकरण के साथ लेखन-सामग्री में युक्तिसंगत कमी और रजिस्टरों एवं फ़ॉर्मों का मानकीकरण होगा. वित्तीय वर्ष 2018 में आपके बैंक इसे सभी मंडलों में लागू करने की प्रक्रिया में है. आपके बैंक ने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक की शामिल हुई सभी शाखाओं/कार्यालयों में आवश्यक लेखन सामग्री की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी कर ली है.

डिजिटलीकरण एवं खाता खोलने के फार्मों (एओएफ) की आसान पुनःप्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रबंधन प्रणाली (इडीएमएस) में इस वर्ष और भी गति आई है. आपके बैंक ने 31 मार्च 2017 को एलसीपीसी में रहे 14.84 करोड़ एओएफ में से 12.69 करोड़ एओएफ का स्कैनिंग कर लिया है.

आपके बैंक के चेक प्रिंटिंग ईकोसिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने और एलसीपीसी की स्थापना लागत में कमी करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई चेक प्रिंटिंग परियोजना के केन्द्रीकरण का कार्य इस वर्ष पूर्ण हो गया.

उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरुप, आपका बैंक मानकीकरण, बेहतर कौशलों और किफायती के मानदंड के माध्यम से ग्राहक लेनदेनों की बढ़ी हुई संख्या का प्रबंधन सुचारू रूप से जारी रखेगा.

कॉरपोरेट बैंकिंग समूह

आपके बैंक का थोक बैंकिंग-व्यवसाय-ईकोसिस्टम कॉरपोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकतानुरूप वित्तीय सॉल्यूशन प्रस्तुत करते हुए सेवाएं प्रदान कर रहा है. इसके लिए बैंक में अपने अपने क्षेत्र के कई दल हैं, जो आपके बैंक के ग्राहकों को अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हुए उनकी आवश्यकतानुरूप उत्पाद प्रस्तुत कर रहे हैं.

क. कॉरपोरेट बैंकिंग

कॉरपोरेट लेखा समूह (सीएजी) बड़े कॉरपोरेट और संस्थाओं एवं राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. कॉरपोरेट लेखा समूह ₹500 करोड़ से ज्यादा एक्सपोज़र वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है. कॉरपोरेट बैंकिंग समूह में कार्यनीतिक व्यवसाय उप समूह शामिल होते हैं जिनका आगे उल्लेख किया गया हैं।

कॉरपोरेट लेखा

'कॉरपोरेट लेखा इकाई', भारत में स्थित बैंक के प्रधान कॉरपोरेट ग्राहकों पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है. प्रत्येक कॉरपोरेट/बड़े ग्राहक को एक समर्पित लेखा-प्रबंधन-दल सौंप दिया जाता है जिसका नेता एक संबंध प्रबंधक होता है जो ग्राहक की बैंकिंग जरूरतों का ध्यान रखता है. 'कॉरपोरेट लेखा इकाई' का लक्ष्य होता है कि वह अपने कॉरपोरेट संबंधों का उपयोग करते हुए निधि आधारित, गैर-निधि आधारित और शुल्क आधारित उत्पादों में वृद्धि करें.

प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता तथा ग्राहकों में इसके प्रति उत्पन्न विश्वास को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक को 'रीडर्स डाइजेस्ट विश्वसनीय ब्रांड सर्वे 2016' में ऋण वर्ग में स्वर्ण पुरस्कार के लिए चुना गया. बैंक को सितंबर 2016 में फाइनैंशियल एक्सप्रेस द्वारा भारत का सर्वोत्तम बैंक चुना गया. 'कॉरपोरेट लेखा इकाई' में 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 को इसके ग्राहकों की कुल बकाया ऋणों की राशि क्रमशः निधि-आधारित उत्पादों में ₹3,29,026 करोड़ तथा ₹3,38,578 करोड़ और गैर-निधि आधारित उत्पादों में ₹1,98,933 करोड़ तथा ₹1,89,599 करोड़ रहीं.

अनुषंगी सेवाएं

आपका बैंक 'लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू)' के माध्यम से कॉरपोरेट बैंकिंग समूह ग्राहकों को कॉरपोरेट नकदी प्रबंधन, व्यापार वित्त और अन्य कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है.

▶ नकदी प्रबंधन उत्पाद (सीएमपी)

आपका बैंक कॉरपोरेट ग्राहकों को नकदी प्रबंधन की सेवाएं एसबीआई-फ़ास्ट के माध्यम से प्रदान करता है. 31 मार्च 2017 को भारत में ग्राहकों को, मुंबई स्थित बैंक के केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र से जुड़ी तथा कई साझा सुविधायुक्त 1950 सीएमपी शाखाओं की सेवाएं उपलब्ध थीं. सीएमपी केन्द्रों पर अलग से तैनात दल ग्राहकों को खातों के समाधान सहित अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं.

कॉरपोरेट नकदी प्रबंधन के एक भाग के रूप में बैंक द्वारा प्रस्तावित पेमेंट सॉल्यूशन से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपने देय खातों को आउटसोस करने और इलेक्ट्रानिक एवं पेपर उत्पादों का उपयोग करके प्रक्रियाग्रत भुगतानों को रखना संभव हो जाएगा।

सीएमपी कई राज्यों में सरकारों को केंद्रीकृत-पेमेंट-सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है. बैंक की सीएमपी राष्ट्रीय ई-अभिशासन परियोजना का हिस्सा होने के कारण, केन्द्र सरकार के कुछ प्रामाणिक मंत्रालयों एवं विभागों के बहुत सारे भुगतान एवं लेखा कार्यालय के खर्चों की देखरेख कर रही है. इनके अलावा, सीएमपी कुछ गैर-सिविल मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों तथा रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार एवं तकनीकी प्रौद्योगिक मंत्रालय और रेलवे में ई-पेमेंट की देखरेख कर रही है.

▶ व्यापार वित्त

व्यापार वित्त की सेवाएं 'लेनदेन बैंकिंग इकाई' के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिनमें घरेलू/विदेशी साखपत्र जारी एवं सूचित करना, निर्यात साखपत्र की पुष्टिकरना, घरेलू ग्राहक की तरफ से घरेलू एवं विदेशी लाभार्थी के पक्ष में तथा विदेशी सम्पर्की बैंक की तरफ से भारत में स्थित लाभार्थी के पक्ष में गारंटी जारी करना, साखपत्रों एवं गैर-साखपत्रों के सामने घरेलू एवं विदेशी बिलों को भुनाना एवं इसी तरह की अन्य सेवाएं. ये सेवाएं ऑनलाइन ई-ट्रेड एसबीआई, एक उच्च दक्षता वाली वेब आधारित पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिस पर ग्राहक व्यापार-वित्त के लिए एक्सेस कर सकते हैं. आपके बैंक को मार्च 2017 में ग्लोबल फाइनैंस मैगिजन द्वारा प्रतिष्ठित 'सर्वोत्तम व्यापार वित्त बैंक' पुरस्कार प्रदान किया गया.

▶ सप्लाई चैन फाइनैंस

सप्लाई चैन फाइनैंस में प्रौद्योगिकी प्रेरित ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी वित्तीयन स्कीम) और ई-वीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता वित्तीयन स्कीम) उत्पाद शामिल किए गए हैं. ये उत्पाद आंतरिक रूप से तैयार किए गए हैं. ये उत्पाद कार्यशील-पूंजी चक्र के दक्ष-प्रबंधन तथा व्यापार भागीदारों के सतत विकास के लिए तैयार किए गए हैं. 31 मार्च 2017 को आपके बैंक के पास लगभग 166 प्रमुख उद्यम, 17,292 (व्यापारी) डीलर और 7,107 विक्रेता थे जो इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला वित्तीयन प्लेटफार्म पर जा चुके हैं.

▶ अन्य कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं

आपका बैंक कॉरपोरेट बैंकिंग समूह ग्राहकों को ऋण समूहन सेवाएं प्रदान करता हैं।

अपनी सहायक, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के माध्यम से, आपके बैंक ने विशाल वित्तीय लेनदेनों के लिए समूहन की संरचना एवं व्यवस्था करते हुए समूहन में सार्थक क्षमता विकसित की है. आपका बैंक इन समूहन क्षमताओं का उपयोग अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए परियोजना एवं कॉरपोरेट वित्त की व्यवस्था करके शुल्क-आय अर्जित करना चाहता है. आपका बैंक विलय एवं अधिग्रहण, आधारभूत संरचना परियोजना, और प्रतिभूतिकरण के मामलों में अपनी सलाहकार सेवाओं को भी बढ़ाना चाहता है. इस रणनीतिक संस्था ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के अनुभव और बैंक के गहन ग्राहक संबंधों का उपयोग करते हुए, आपके बैंक की, इसके विभिन्न व्यवसाय समूहों एवं सहयोगियों के उत्पादों एवं सेवाओं के प्रति-विक्रय करने की क्षमता में सार्थक वृद्धि की है.

ख. लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू)

"लेनदेन बैंकिंग इकाई" कॉरपोरेटों, सरकारी विभागों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, लघु-मध्यम-उद्योग ग्राहकों और अन्य संस्थाओं को उनकी निधि प्रबंधन जरूरतों में सहायता करता है. इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य उन ग्राहकों का ध्यान रखना और समाधान निकालना है जहाँ पर थोक में भुगतान और प्राप्तियां होती हैं. यद्यपि कॉरपोरेट ग्राहक हमेशा से ही हमारे ध्यान के केंद्र बने हुए हैं, एनबीजी ग्राहक और सरकारें (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें) भी हमारे प्रमुख लक्ष्य खंड में उभर कर आई हैं.

आपके बैंक ने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म को उन्नत कर लिया है तथा कॉरपोरेट ग्राहकों एवं सरकारी भुगतान के लिए नए भुगतान पोर्टल का निर्माण किया है. इस नए भुगतान पोर्टल में प्रक्रिया समय बहुत कम हो गया है, लेनदेन की प्रक्रिया अब लगभग तात्कालिक होती है. वित्तीय वर्ष 2017 में बैंक के लेनदेनों की मैनुअल प्रकिया सफलतापूर्वक संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है. एक उत्पाद विकास विभाग की स्थापना की गई है ताकि बाजार की जरूरतों के साथ चला जा सके तथा ग्राहक की आवश्यकतानुसार तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके.

परिचालन से प्राप्त टीबीयू की शुल्क आय 67.10% की संवृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2016 में ₹369.21 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹616.96 करोड़ हो गई.

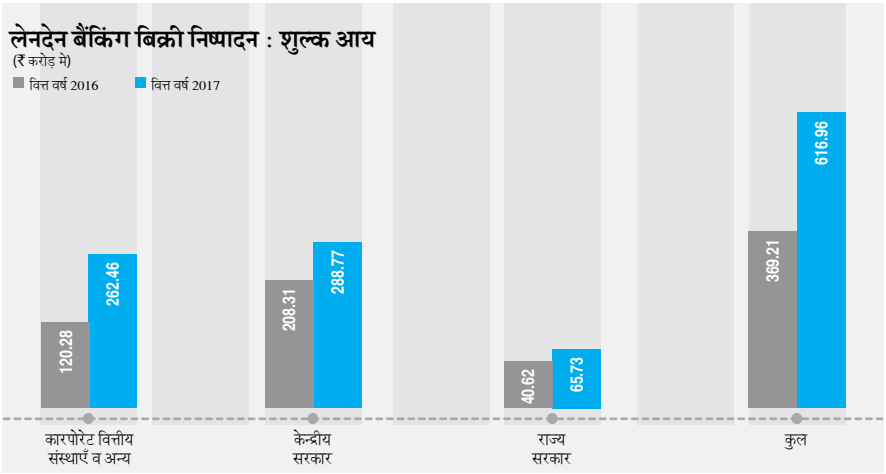

लेनदेन बैंकिंग इकाई (टीबीयू) के राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी) परिचालन : राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के शुल्क से प्राप्त टीबीयू की शुल्क आय वित्तीय वर्ष 2016 में ₹257.29 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में ₹258.61 करोड़ हो गई. सरकारी व्यवसाय से प्राप्त कमीशन टिबीयू की वृद्धि का मुख्य घटक है. इस घटक से प्राप्त शुल्क आय पिछले वर्ष ₹248.93 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017 में ₹354.50 करोड़ हुई है. दो राज्य झारखंड एवं मेघालय तथा तीन केन्द्रशासित प्रदेश अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़ तथा दमण-दिव भुगतान-समाधानों के लिए टीबीयू के प्लेटफार्म पर आए हैं जो कि टीबीयू के व्यवसाय वृद्धि के प्रमुख कारक बने हैं. रेलवे की खरीद व्यवसाय की देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाधान हेतु भी इस वर्ष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अन्य औद्योगिक ग्राहक (ओआईसी) : यह टीबीयू उत्पादों की विशाल श्रृंखला का प्रस्ताव गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, म्यूचुअल फंडों, बैंकों, बीमा कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, दलालों, को आपरेटिव बैंकों को प्रदान करता है. ओआईसी के पास 31 मार्च 2017 को 127 संस्थात्मक ग्राहक थे (एनबीएफसी- 64, बीमा कं. - 16, म्यूचुअल फंड -17, बैंक - 14, दलाल- 11, एमएफआई- 4, और समूहक - 1). एनएफबीसी के लिए उन्नत समाधान प्रस्तुत करने वाले उत्पाद का विकास किया जा रहा है.

सीएजी एवं एमसीजी संस्थाएं : यह कॉरपोरेट एवं मिड-कॉरपोरेट को लेनदेन बैंकिंग सॉल्यूशन के बहुत से उत्पादों की श्रृंखला उपलब्ध कराते हैं. कैग-ग्राहकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 39.41% से बढ़कर 61.71% हुई तथा एमसीजी-ग्राहकों की संख्या वित्तीय वर्ष के दौरान 15.96% से बढ़कर 24.95% हुई. शुल्क आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है, यह सीएजी एवं एमसीजी में पिछले वर्ष क्रमशः ₹93.31 करोड़ और ₹18.61 करोड़ से बढ़कर ₹229.00 करोड़ तथा ₹29.35 करोड़ हो गई.

नकदी प्रबंधन पर एशियामनी द्वारा 2016 में किए गए सर्वेक्षण में बड़ी बड़ी कैप कम्पनियों ने आपके बैंक को 'भारत में सर्वोत्तम स्थानीय नकदी प्रबंधन बैंक' चुना.

उत्पाद विकास दल : सरकार एवं कॉरपोरेट ग्राहकों को बेहतरीन ग्राहक सेवाओं का अनुभव कराने के लिए, टीबीयू, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के विकास, पुनः डिज़ाइन और पुनः संरचना पर ध्यान केंद्रित करती है.

टीम ग्राहक की परियोजना के उद्देश्य, विशिष्ट आवश्यकताओं, वर्तमान प्रक्रिया को चालू रखने में चुनौतियां और ग्राहक के कार्यस्थल पर काम में ली जा रही प्रौद्योगिकी और कार्यविधि के स्तर को समझती हैं. मूल्यांकन के अनुसार आपका बैंक ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त सॉल्यूशन प्रदान करता है. नए व्यवसाय प्राप्त करने के लिए दल टीबीयू के सभी विभागों को सहायता प्रदान करता है. यह टीबीयू के उत्पादों एवं सेवाओं को अपने प्रतियोगियों से आगे रखने के लिए बाजार के विकास पर नजर रखता है.

देयता एवं लेनदेन उत्पाद (एल&टीपी) : चालू खातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए, इसको लेनदेन बैंकिंग इकाई में शामिल कर लिया गया है. आपका बैंक परिचालन पदाधिकारियों के फीडबैक के आधार पर अपनी देयता-योजनाओं का नियमित स्तर पर परिमार्जन तथा सेवा शुल्कों की समीक्षा कर रहा है ताकि बाजार का प्रतियोगिता स्तर प्राप्त किया जा सके. विभाग, चालू खाते के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए आपके बैंक के अग्र-पंक्ति स्टाफ को शिक्षित एवं प्रेरित करता रहता है.

ग. परियोजना-वित्त एवं पट्टा व्यवसाय

कॉरपोरेटों द्वारा नई परियोजनाओं में ज्यादा रुचि नहीं दिखाने के कारण, वित्त वर्ष 2017 में परियोजना-वित्त परिवेश चुनौतीपूर्ण बना रहा तथा इस पर कार्यरत परियोजना निवेशों में कार्यान्वयन और परिचालन संबंधी मामलों पर भी प्रभाव पड़ा.

परियोजना वित्त एवं पट्टा (पीएफएसबीयू) के नाम से जानी जाने वाली बैंक की विशेष व्यवसाय इकाई बिजली, दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, और विमानपत्तन जैसे आधारिक-संरचना क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके लिए निधियों का प्रबंध करती है. यह न्यूनतम परियोजना लागत की कुछ शर्तों के पूरा होने पर धातु, सीमेंट, तेल और गैस, आदि जैसी गैर-आधारिक संरचना परियोजनाओं को भी सेवाएं प्रदान करती है. अन्य समूहों की बड़ी राशि के सावधि ऋण प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित करने में भी यह इकाई सहायता प्रदान करती है. यह इकाई आधारिक-संरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए नीति नियामक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग और भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देने का कार्य भी करती है. यह सूचना नई नीतियों, मॉडल कन्सेशन करार और आधारिक-संरचना हेतु वित्तीयन में मोटे तौर पर उभरने वाले मुद्दों के बारे में ऋण प्रदाता के दृष्टिकोण के रूप में दी जाती है.

परियोजना वित्त एवं पट्टा व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

	वित्तवर्ष 2015	वित्तवर्ष 2016	वित्तवर्ष 2017
परियोजना लागत	1,67,551	77,227	83,434
परियोजना ऋण	1,12,981	59,094	50,527
संस्वीकृत राशि	19,718	18,125	26,557
समूहन राशि	8,845	18,082	5,809

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान परियोजना-वित्त ने नए उद्योग तथा ब्राउन फील्ड दोनों परियोजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों की नई क्षमताओं को मंजूरी प्रदान की है.

वित्त वर्ष 2017 के दौरान, ऐसी परियोजनाओं में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित कुल ₹10,099 करोड़ की ऋण राशि संवितरित की गई (वित्तीय वर्ष 2016 में ₹7,249 करोड़) इस क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद ऋण उठाव में थोड़ी वृद्धि हुई है.

घ. मध्य कॉरपोरेट बैंकिंग

बैंक का मध्य कॉरपोरेट समूह (एमसीजी) अपने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कारोबार करता है. ये कार्यालय अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई (2), हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता (2), मुंबई (2), नई दिल्ली (2) और पुणे में स्थित है. एमसीजी की 31 मार्च 2017 को 54 शाखाएँ थी जिनमें 21 शाखाएँ महानगरीय क्षेत्रों तथा 33 शाखाएं अन्य शहरी केन्द्रों में थी.

इस समूह का विदेशी मुद्रा टर्नओवर 31 मार्च 2016 में ₹2,76,231 करोड़ से 23.75% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2017 को ₹3,41,837 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान, एमसीजी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है. इस वर्ष विभिन्न डिजिटल उत्पाद जैसे सीएमपी (317), पीओएस (2,073), सीआईएनबी (534) और प्रीपेड कार्ड (1,04,996) आरक्षित किए गए.

यह समूह अपने ग्राहकों को भारत में अपने कारोबार में वृद्धि करने में निरंतर सहयोग दे रहा है और विदेशों में आस्तियां अथवा कंपनियां अधिग्रहण में भी योगदान कर रहा है. इस हेतु विदेशी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों को (चुकौती आश्वासन पत्र, आपाती साखपत्र समर्थित) ऋण भी दिया जाता है.

31.03.2017 को उद्योग वार अग्रिम

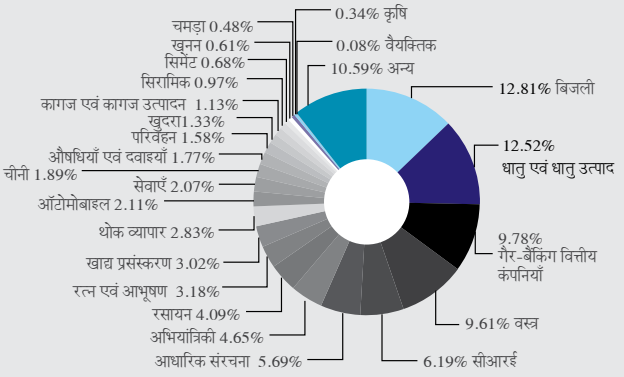

एल एंड टी - लेखवायर गॅस फील्ड डिवेल्पमेंट प्रॉजेक्ट में भागीदारी

36 देशों में स्थित 195 कार्यालयों का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क

शाखाएं/उप कार्यालय
मालदीव (3)
श्रीलंका (6)
बांग्लादेश (13)
म्यांमार (1)
सिंगापुर (6)
हांगकांग (2)
चीन (2)
दक्षिण कोरिया (1)
जापान (2)
भारत (1)

अनुषंगी
इंडोनेशिया (14)
नेपाल (69)
भूटान (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
फिलीपिंस (1)

शाखाएं/उप कार्यालय
बहरीन (3)
सऊदी अरब (1)
ओमान (1)
यूएई (2)
कतर (1)
इजरायल (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
इरान (1)

एक्सचेंज कंपनी
ओमान (1)

शाखाएं/उप कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका (7)
अनुषंगी
मॉरिशस (14)
बोत्सवाना (1)

निवेश
नाईजीरिया (1)

प्रतिनिधि कार्यालय
मिस्र (1)

शाखा
आस्ट्रेलिया (1)

आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है - विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कॉरपोरेटों और भारतीय मूल के लोगों की सहायता करना। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के अपने लक्ष्य के अनुरूप बैंक स्थानीय निवासियों को भी सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जिससे वह वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक बन सके।

वैश्विक उपस्थिति

आपका बैंक भारत के बैंकिंग उद्योग में अत्यधिक विश्वासप्रद ब्रांड रहा है। इसकी उल्लेखनीय वैश्विक उपस्थिति के साथ, आपके बैंक का उद्देश्य वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक बनना है।

वैश्विक उपस्थिति के रूप में आपके बैंक के 195 विदेश स्थित कार्यालय हैं जो 36 देशों में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों का प्रबंध आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह द्वारा किया जा रहा है।

	31 मार्च 2016 को विदेश स्थित कार्यालय	वित्त वर्ष 2017 के दौरान खोले गए कार्यालय	वित्त वर्ष 2017 के दौरान बंद किए गए कार्यालय	31 मार्च 2017 को विदेश स्थित कार्यालय
शाखाएं/उप-कार्यालय/अन्य कार्यालय	75	4*	5	74
अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम	(8)	-	-	(8)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के कार्यालय	113	3	3	113
प्रतिनिधि कार्यालय	7	-	2*	5
सहयोगी/प्रबंधित विनिमय कंपनियाँ/ निवेश	3	-	-	3
योग	**198**	**6**	**10**	**195**

*म्यनमार में यांगों प्रतिनिधि कार्यालय को अपग्रेड करके संपूर्ण शाखा बनाया गया और आईवीएसी, राजशाही की स्थिति को ऑन-साइट से ऑफ-साइट में बदल दिया गया।

वित्त वर्ष 2017 के दौरान, आपके बैंक ने दो नई शाखाएं खोली, अर्थात आईबीयू गिफ्ट सिटी, गुजरात और एसबीआई यांगों, म्यनमार (प्रतिनिधि कार्यालय से अपग्रेड करके)। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, जो एसबीआई की एक अनुषंगी है, ने तीन शाखाएं खोली हैं। इसी अवधि के दौरान, बांग्लादेश में राजशाही शाखा, सिंगापुर में क्लेमेंटी शाखा, हाँग-काँग में कौलून शाखा, बहरीन में रिफ्फा उप-कार्यालय, दक्षिण अफ्रीका में चाट्सवर्थ उप-कार्यालय, और मिलन में प्रतिनिधि कार्यालय को बंद कर दिया गया। एसबीआई कैलिफोर्निया और मॉरिशस ने भी वर्ष के दौरान अपनी तीन शाखाओं को बंद कर दिया।

आपका बैंक अच्छा प्रतिफल और लाभ प्रदान करते हुए लगातार निवेशकों के लिए मूल्य सृजन कर रहा है। आपके बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग अनुषंगी लगातार लाभ में एक प्रमुख अंशदाता रही हैं।

वित्त वर्ष	2014	2015	2016
बैंक (एकल) के निवल लाभ में विदेश स्थित कार्यालयों का अंशदान	21%	24%	42%

आपके बैंक के व्यापक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को समर्थन देने के लिए समूह ने ऋण एवं अनर्जक आस्ति प्रबंधन, अनुपालन, जोखिम, राजकोष, खुदरा एवं विदेशी अनुषंगियां, मानव संसाधन, परिचालन, सामान्य बैंकिंग, और कार्यनीति के लिए अलग से विभाग बनाए हैं। अपने विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह बैंक और प्रमुख हितधारकों को सहयोग प्रदान करता है। इसका विवरण इस प्रकार है:

कोरिया डिवेल्पमेंट बैंक और एसबीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर मुंबई में हस्ताक्षर किए गए

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) एवं ऋण-समूहन

आपका बैंक अन्य भारतीय और विदेशी बैंकों के साथ मिलकर और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से भी बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में भारतीय कॉरपोरेटों को विदेशी मुद्रा में ऋण जुटाने में सहायता करता है।

उल्लेखनीय तथ्य

- वित्त वर्ष 2017 के दौरान प्रमुख समूह ऋण व्यवस्थापक तथा हामीदार।
- एपीएलएमए (एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन) ने भारतीय स्टेट बैंक को इस वर्ष के सिंडिकेशन लोन हाउस - इंडिया के रूप में अवार्ड प्रदान किया।
- कुल 735.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के 9 ऋण-समूहन।
- भारतीय कॉरपोरेटों को द्विपक्षीय आधार पर कुल 1396.68 मिलियन अमरीकी डॉलर के 17 द्विपक्षीय ऋण।

2. विदेशी कॉरपोरेट क्रेडिट

विदेश स्थित शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण ऋण एवं अग्रिम संविभाग का सृजन आईबीजी-क्रेडिट की जिम्मेदारी है, जिसे कई प्रकार के ऋण उत्पादों द्वारा पूरा किया जाता है। ऋण उत्पादों में अन्य के साथ-साथ द्विपक्षीय और समूहित ऋण भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय तथ्य

- प्रमुख कार्यालयों में संबंधित बिडिंग पावर योजना को संशोधन के साथ शुरू किया गया है जिससे समूहन ऋणी को शीघ्र संस्वीकृत किया जा सके।
- विदेश स्थित सभी कार्यालयों में लोन लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलएमएस) की शुरुआत जिससे ऋण खातों की संस्वीकृति, शीघ्र निगरानी और उनका बेहतर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हो सके। अब एलएलएमएस में ऋण समिति की सभी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- इंडो-कोरियन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में कोरियन डेस्क की स्थापना।

3. रिटेल एवं धन-प्रेषण

विशेष धन-प्रेषण उत्पादों के माध्यम से आपका बैंक विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को `विंडो टू इंडिया' सुविधा उपलब्ध कराता है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त संख्या वाले कुछ देशों में बैंक भारतीयों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए खुदरा बैंकिंग कार्य भी करता है।

उल्लेखनीय तथ्य

- भारत और नेपाल के बीच `नेपाल एसबीआई पेमेंट गेटवे' की शुरुआत की गई।
- नेपाल एसबीआई बैंक लि. में नेपाल सेना और पुलिस के लिए सर्विस पैकेज तैयार किया गया।
- एसबीआई सिंगापुर में एटीएम के माध्यम से भारत में धन-प्रेषण करना।
- एसबीआई सिंगापुर में रिटेल अग्रिमों के लिए एलओएस/एलएमएस की शुरुआत की गई।

4. वित्तीय संस्थान समूह

यह समूह एक ओर प्रतिनिधि बैंकों, विदेशों की सरकारी एजेंसियों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ आपके बैंक की संबद्धता सृजित करता है तथा दूसरी ओर मध्य कॉरपोरेट समूह, कॉरपोरेट बैंकिंग समूह, वैश्विक बाजार आदि जैसे अन्य व्यवसाय समूहों और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के बीच मेलजोल बैठाने का कार्य करता है।

उल्लेखनीय तथ्य

- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रतिनिधि संबंधों का प्रबंध करने के लिए एक आईटी संबद्ध सीआरएम सॉल्यूशन के माध्यम से `Customer One View' के लिए कार्य करना। एक बार कार्यान्वित होने के बाद, यह सॉल्यूशन प्रतिनिधि बैंकों को अनुबंधित करने के बारे में पूर्ण राय उपलब्ध कराएगा।
- परिचालनों में तालमेल एवं दक्षता लाने के लिए, इंटरनेशनल सर्विसेज ब्रांच (आईएसबी) को मुंबई मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर ग्लोबल लिंक सर्विसेज के अधीन लाया गया है।

5. वैश्विक व्यापार विभाग

वैश्विक व्यापार विभाग (जीटीडी) बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों में व्यापार वित्त संविभाग को गतिशील बनाए रखने में सहायता करता है। यह विभाग नीतियां बनाता है और बदलते हुए विनियामक मानदंडों एवं बाजार की मांग के अनुसार उत्पादों में नवीनता लाता है। साख-पत्र, बैंक गारंटी और व्यापारिक धन-प्रेषण आदि जैसे व्यापार उत्पादों में सेवा संबंधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नई प्रौद्योगिकी लाने में यह विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है। अधिकतम प्रतिफल के लिए देशीय एवं विदेश स्थित कार्यालयों के बीच मेलजोल कराने में भी इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उल्लेखनीय तथ्य

- दिनांक 31 मार्च 2017 को व्यापार वित्त आस्तियां 16.87 बिलियन अमरीकी डॉलर रही, जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के निवल ग्राहक ऋण का 38.67% है।
- वित्त वर्ष 2017 के दौरान हमारे विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा किए गए गैर-निधि आधारित व्यवसाय की राशि 7.59 बिलियन अमरीकी डॉलर रही।
- व्यापार वित्त में बैंक वित्तीय संबद्धता/जोखिम समर्थित `निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए)/बहुपक्षीय एजेंसी (एमएलए)' नया उत्पाद शुरू किया गया और विदेश स्थित चयनित कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया गया।
- पाँच निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) को निर्यात-आदेश प्राप्त हुए और वित्त वर्ष 2017 के लिए 101.24 मिलियन अमरीकी डॉलर का व्यवसाय बुक किया गया।
- ग्लोबल फाइनैंस नामक पत्रिका ने जनवरी 2017 में लगातार पाँचवीं बार भारतीय स्टेट बैंक का चयन बेस्ट ट्रेड फाइनैंस बैंक-इंडिया के रूप में किया।
- वित्त वर्ष 2017 के दौरान पाँच नए पार्टनर बैंकों को एमआरपीए सूची में शामिल किया गया और 13 ग्लोबल एमआरपीए पर हस्ताक्षर किए गए। 31 मार्च 2017 को, एमआरपीए पर हस्ताक्षर करने वाले 55 पार्टनर बैंक आपके बैंक के पास हैं (36 ग्लोबल एमआरपीए और 19 स्टैण्डएलोन एमआरपीए)।

6. वैश्विक संपर्क सेवाएं

वैश्विक संपर्क सेवाएं (जीएलएस) एक विशेषीकृत इकाई है, जो विदेशों से भारत के लिए ऑनलाइन आवक धन-प्रेषण, विदेशी मुद्रा वाले चेकों की उगाही का कार्य करती है और निर्यात बिल उगाही की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग में सहायता करती है।

उल्लेखनीय तथ्य

- मिडिल ईस्ट देशों से भारत के लिए आवक धन-प्रेषण सुगम बनाने के लिए 31 एक्सचेंज कंपनियों और छह बैंकों के साथ गठजोड़। जीएलएस वेब आधारित गैर-रुपी उत्पादों, अर्थात एसबीआई एक्सप्रेस रेमिट कनाडा, एसबीआई एक्सप्रेस रेमिट यूके और एसबीआई एक्सप्रेस रेमिट वर्ल्ड वाइड, के माध्यम से अन्य देशों से भी ऑन-लाइन धन-प्रेषण आसान करती है।
- वित्त वर्ष 2017 के दौरान जीएलएस ने (देशीय शाखाओं की ओर से) कुल 13.97 बिलियन अमरीकी डॉलर के 62,867 निर्यात बिल (अमरीकी डॉलर और यूरो मुद्राओं में) और 54,255 विदेशी मुद्रा वाले चेकों की उगाही का प्रबंध किया।
- वित्त वर्ष 2017 के दौरान जीएलएस द्वारा 5.95 बिलियन अमरीकी डॉलर के 9.87 मिलियन ऑन-लाइन आवक धन-प्रेषणों का प्रबंध किया, जो सम्पूर्ण विश्व से प्राप्त हुए थे।

7. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग - देशीय

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग डोमेस्टिक (आईबीडी) विभाग देशीय आईबी व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों के लिए सभी विदेश स्थित कार्यालयों के साथ-साथ प्रतिनिधि बैंकों के लिए एक एकल संपर्क केन्द्र है। आईबीडी देशीय मोर्चे पर व्यापार वित्त से संबंधित नीति एवं कार्यविधि के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त देशीय शाखाओं के लिए कौशल विकास एवं उत्पाद नवोन्मेष से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। आईबीडी व्यापार वित्त व्यवसाय विकसित करने के लिए व्यापार निकायों और आईसीसी उप-समूहों के साथ एक संपर्क एजेंसी के रूप में समन्वयन एवं कार्यवाहक का भी कार्य करता है। यह आरबीआई/फेमा से संबंधित विवरणियों को समय से प्रस्तुत करने की निगरानी भी करता है। वित्त वर्ष 2017 में, केन्द्रीकृत समन्वयन कक्ष-विदेशी बैंक गारंटी (सीसीसी-एफबीजी) स्थापित किया गया जिससे समन्वयन और प्रशासनिक अनुमोदनों के लिए एक सर्व सेवा संपर्क के रूप में विदेशी प्रतिनिधि बैंकों/विदेश स्थित कार्यालयों से प्राप्त प्रति गारंटी समर्थित सभी बैंक गारंटियों का प्रबंध किया जा सके।

8. विनियामक

अपने सभी विदेशी परिचालनों में विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जरा भी चूक बर्दाश्त न करने के प्रति आपका बैंक प्रतिबद्ध है। विनियामकों/लेखा-परीक्षकों द्वारा इस बारे में व्यक्त चिंता पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। सुधार की स्थिति बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को सूचित की जाती है।

आपके बैंक ने देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना अपनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप देशगत प्रबंधन नीति अस्तित्व में है। देश-वार और बैंक-वार जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

9. विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों में डिजिटल रूपांतरण

एक वास्तविक डिजिटल बैंक के रूप में, आपके बैंक ने आवश्यकता अनुरूप उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं द्वारा डिजिटल रूपांतरण की ओर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

क. डिजिटल रूपांतरण पहल :

- सभी विदेश स्थित कार्यालयों और विदेशी अनुषंगियों में मल्टी-कंट्री माइग्रेशन टू फिनैक्ल 10.2, जो एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) की व्यापक श्रृंखला को सहायता प्रदान करता है।
- विदेश स्थित कार्यालयों और विदेशी अनुषंगियों में ट्रेड फाइनैंस सॉल्यूशन-आईटी प्लस (ई-ट्रेड) का कार्यान्वयन किया गया जिससे कॉरपोरेटों की व्यापार वित्त आवश्यकताओं के लिए ग्राहकों से 24x7 ऑन-लाइन बातचीत करना संभव हो सके।
- यूके परिचालनों के लिए प्रायोगिक आधार पर नवीनतम ई-बैंकिंग एप्लिकेशन उपलब्ध कराया गया। शेष सभी विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों में इसका कार्यान्वयन दिसंबर 2017 तक पूरा होने की संभावना है।
- सभी महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों, नेटवर्कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निष्पादन की निगरानी करने के लिए प्रीडिक्टिव टूल (फिन एस्योर) लागू किए

गए जिससे अप्रत्याशित मौसमी दवाबों का प्रबंध किया जा सके।

- विशाल डेटा विश्लेषणों का उपयोग करते हुए बैंक स्तरीय सीआरएम सॉल्यूशन का कार्यान्वयन किया गया जिससे ग्राहक आवश्यकताओं एवं प्रवृत्ति को और अधिक गहराई से समझा जा सके। इससे ग्राहक जुड़ाव में भी वृद्धि होती है जिससे ग्राहक को सफलतापूर्वक रोककर रखा जा सकेगा।
- भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को धन-प्रेषण करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन तैयार करना।

ख. सूचना सुरक्षा पहल:

- ग्राहक और गैर-ग्राहक डेटा इन्क्रिप्शन हेतु डेटा हानि रोकथाम (डीएलपी)।
- सर्वर और नेटवर्कों तक अनधिकृत बाह्य पहुँच की निगरानी एवं रोकथाम के लिए सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी)।
- ग्राहक डेटा सुरक्षित करने के लिए पर्सनल डेटा सुरक्षा (पीडीपी)।
- हैकिंग, मैलिसियस कैन्टेंट्स को रोकने और अंतर निश्चित करने के लिए भेद्यता मूल्यांकन और दखल परीक्षण।
- सर्वर और नेटवर्कों में आंतरिक पहुँच पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त पहचान प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस)।
- साइबर अटैक के विरुद्ध जागरूकता और अटैक पश्चात जवाबी कार्रवाई के लिए टेबल टॉप अभ्यास।

च. दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

पिछले कुछ वर्षों में, अनर्जक आस्तियों के तेजी से बढ़ने के कारण सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र दवाब में रहा। किसी भी क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की राशि बढ़ने और नई अनर्जक आस्तियों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

i. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपर्याप्त सुधार और वैश्विक वित्तीय बाजारों में फैली नकारात्मक स्थिति;

ii. घरेलू संवृद्धि में पर्याप्त से कम सुधार और निर्यातों में गिरावट;

iii. कोल ब्लॉकों का रद्द होना;

iv. धीमी मांग और बाजार विश्वास में आई कमी आदि के कारण प्राप्य राशियों की वसूली में कमी;

v. स्टील की कीमतों में अस्थिरता के कारण स्टील क्षेत्र में दवाब, निम्न क्षमता उपयोगिता और अन्य देशों से सस्ता आयात। देशों द्वारा व्यापार अवरोधों को फिर से लागू करना और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

vi. शुल्क संशोधनों में देरी होने से ऊर्जा क्षेत्र में दवाब, पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे; उच्चतम टेक्निकल एवं कॉमर्शियल नुकसानों और डिस्कोम्स की खराब वित्तीय स्थिति;

vii. आधारिक संरचना वाली परियोजना के निष्पादन में देरी और संबंधित लागतों में वृद्धि तथा साथ ही प्राप्यराशि दिनों में वृद्धि और बिना बिल वाले डब्ल्यूआईपी से प्रभावित ईबीआईटीडीए मार्जिन, बंद परियोजनाएं, उच्च शक्तिशाली व्यवसाय मॉडल और प्रवर्तकों/प्रायोजकों के लिए अपेक्षा से कम ईक्विटी आय;

viii. अन्य के साथ-साथ वस्त्र, दूरसंचार, चीनी और विमानन जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर दबाव।

आरबीआई की दिसंबर 2016 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, आस्ति गुणवत्ता में निरंतर गिरावट, निम्न लाभप्रदता और चलनिधि के कारण बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली, बैंक समूह और क्षेत्रवार स्तरों में ऋण जोखिम के लिए समष्टि आस्ति परीक्षणों के परिणामों से ऐसी चिंताजनक स्थिति का पूर्वाभास होता है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सबसे अधिक हो सकता है और बैंक समूहों के बीच जोखिम-भारित आस्ति पूँजी अनुपात (सीआरएआर) निम्न हो सकता है, फिर भी इस प्रणाली में और बैंक समूह स्तरों पर सीआरएआर विनियामक अपेक्षित न्यूनतम से अधिक रहने की संभावना है।

पिछले चार वर्षों के दौरान एनपीए में उतार-चढ़ाव और अपलिखित किए गए खातों में वसूली की स्थिति नीचे प्रस्तुत की गई है:

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017
सकल एनपीए	61,605	56,725	98,173	1,12,343
सकल एनपीए%	4.95%	4.25%	6.50%	6.90%
निवल एनपीए	2.57%	2.12%	3.81%	3.71%
नई गिरावटें + बकाया में वृद्धि	41,516	29,444	64,198	43,374
नकदी वसूली / कोटि उन्नयन	17,924	13,011	6,987	8,634
अपलेखन	13,176	21,313	15,763	20,570
अपलिखित खातों में वसूली	1,543	2,318	2,859	3,477

एनपीए के समाधान पर आपके बैंक की एकाग्रता के अनुसार, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (एसएएमजी) उच्च राशि वाली एनपीए के प्रभावी समाधान के लिए एक समर्पित एवं विशेषीकृत विभाग के रूप में कार्य करता रहेगा। इस विभाग के प्रमुख उप प्रबंध निदेशक हैं और उनके साथ में दो मुख्य महाप्रबंधक हैं जो इस सम्पूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। एक सुदृढ़ टीम और विशिष्ट एकाग्रता से, एसएएमजी एनपीए समाधान प्रयास के लिए बैंक का एक उत्कृष्ट केन्द्र बन गया है। कठोर वसूली उपाय शुरू करने के साथ-साथ, एसएएमजी ने कतिपय नवोन्मेषी प्रणालियां शुरू की हैं जिनसे बैंक को समस्त भारत में अनेक संपत्तियों का मेगा ई-ऑक्शन, ऋणियों/गारंटरों की अ-भारित संपत्तियों की पहचान और निर्णय से पूर्व संपत्तियों की कुर्की करने की व्यवस्था करने जैसे क्षेत्रों में बैंक को पहले फायदा उठाने की सुविधा प्राप्त हुई है।

एनपीए की वसूली और एनपीए में कमी करने के सम्मिलित प्रयास करने के बावजूद, आपका बैंक प्रायः अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी रुकावटों, कार्यनीतिक निवेशकों की अनुपलब्धता, ऑक्शन के लिए रखी गई संपत्तियों के लिए खरीदारों की कमी के रूप में अड़चनों का सामना करते हैं। कानूनी रुकावटों के संबंध में, आपके बैंक ने उचित स्तरों पर संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया है और ज्ञान संगम, आईबीए और अन्य जैसे संबंधित मंचों का प्रतिनिधित्व किया है। नए कानून बनाकर, नए अनुदेश जारी करके और जहाँ कहीं आवश्यक था, कुछ विद्यमान कानूनों में संशोधन करके सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिसाद दिया है। आरडीडीबीएफएसआई अधिनियम और सरफेसी अधिनियम में नए संशोधन; शोधा क्षमता एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की शुरुआत संभवतः आपके बैंक के कानूनी उपायों को मजबूती प्रदान करेगा।

इन परीक्षणों के समय में, जब बैंकों में एनपीए स्तर अभूतपूर्व स्तरों तक पहुँच गए हैं, उनका प्रबंधन और शीघ्र समाधान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। एनपीए की वसूली के लिए नवोन्मेषी उपाय तैयार करने और दूर-गामी समाधान ढूढ़ने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

इस प्रयास में एसएएमजी द्वारा अपनाई गई कुछ पहल निम्नानुसार हैं;

- सांकेतिक कब्जा (सरफेसी अधिनियम) के तहत संपत्तियों की बिक्री।
- सरफेसी अधिनियम में हाल ही हुए संशोधनों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से संपत्तियों की बिक्री प्रोत्साहित करना।
- उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की बिक्री के लिए खरीदारों की तलाश करने हेतु विशिष्ट एजेंसियों को रखने के कार्य की संवीक्षा करना।
- प्रथम नीलामी विफल होने के बाद, ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की बिक्री के लिए बहुविध समाधान वाले एजेंट रखना।

एनपीए को नियंत्रित रखने के अन्य उपाय:

- अन्य उपाय जो एनपीए को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए हैं। कृषि अग्रिमों की वसूली में व्यवसाय प्रतिनिधियों, व्यवसाय सुलभकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लेना।
- वसूली के लिए लोक अदालत लगाना और लोक अदालतों में सक्रिय सहभागिता करना।
- मंडल विधि अधिकारी/विधि अधिकारी/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक व्यक्तिगत रूप से वकीलों के निष्पादन पर नजर रखते हैं। इससे मामलों के निपटने और अंतिम क्षमता तक वसूली के लिए प्रयास करने में बैंक का संकल्प प्रकट होता है।
- पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर कीमत वसूली के लिए ई-ऑक्शन की शुरुआत की गई।
- दबावग्रस्त आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए कार्यनीतिक निवेशकों का पता लगाना और अनुबंधित करना। आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार चयनित व्यवहार्य मामलों में कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) विकल्प का पता लगाया गया है।
- बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों को कब्जे में लेने और उनकी नीलामी की व्यवस्था करने के लिए समाधान एजेंटों की सेवाएं प्राप्त करना।
- कुछ मामलों में ऋण आस्ति स्वैप पर विचार करना।
- प्रवर्तकों और गारंटीकर्ताओं की भार रहित आस्तियों का पता लगाने के लिए अन्वेषक एजेंसियों की सेवा लेने और न्यायालय के निर्णय से पहले इन संपत्तियों की कुर्की करना।
- आवश्यक होने पर चूककर्ताओं के फोटो समाचार-पत्र में प्रकाशित करना।
- वर्ष की प्रथम तिमाही में मेगा ई-ऑक्शन आयोजित किया गया। वित्त वर्ष 2017 के दौरान सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अनेक संपत्तियों की सफलतापूर्वक बिक्री की गई।
- नीलामी के लिए उपलब्ध संपत्ति "प्रापर्टी माल" में प्रदर्शित की जाती हैं। प्रख्यात स्थानों में शॉपिंग मॉल में इनके चित्र/वीडियो आदि प्रदर्शित किए जाते हैं।
- एस्सेट ट्रेकिंग एण्ड मॉनिटरिंग (AT@M) नामक वेब आधारित सॉफ्टवेयर से सभी हितधारक खाता स्तर तक की स्थिति समान स्तर पर देख सकते हैं। इसमें एसएमए खाते के साथ-साथ वैयक्तिक, एसएमई और कृषि क्षेत्र के अवमानक खाते शामिल हैं। जोखिम श्रेणी स्तर-1 पर सभी हैं।
- मंडल स्तर पर स्थापित आस्ति अनुसरण केन्द्र एसएमई और कृषि क्षेत्रों के संभावित एनपीए खातों (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन आस्तियों) का पता लगाकर उन पर नजर रखते हैं और वसूली के लिए ग्राहकों को फोन करते हैं।

राजकोषीय परिचालन

आपके बैंक के राजकोषीय परिचालनों में दूसरे वर्ष भी सुदृढ़ संवृद्धि दर्ज हुई। पिछले दो वित्त वर्षों में 85% और 44% वृद्धि के एक उच्च आधार के बावजूद, निवेशों की बिक्री से लाभ में 114% की वृद्धि दर्ज हुई। वित्त वर्ष 2017 के दौरान विदेशी मुद्रा और डेरीवेटिव लेनदेनों से लाभ में 31% की वृद्धि भी हासिल हुई, जिससे बैंक को राजकोषीय परिचालनों से वर्ष-दर-वर्ष 94% तक अपनी आय को बढ़ाने में मदद मिली है।

आपके बैंक का वैश्विक बाजार समूह बैंक में सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसी की है, जिसमें आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियाँ बनाए रखना शामिल है। इस वर्ष आय में भारी गिरावट देखी गई कारण कि आरबीआई ने नीतिगत दरों को आसान बनाना जारी रखा और सरकारी विमुद्रीकरण से बैंकिंग प्रणाली में काफी चलनिधि आ गई। वर्ष के दौरान नीतिगत रेपो दर गिरकर 6.75% से 6.25% तक हो गई, साथ ही आरबीआई भी एक तटस्थ चलनिधि स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बेंचमार्क मानी जाने वाली 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार 31 मार्च 2016 को 7.46% और नवंबर 2016 (बंद आधार पर) में घटकर 6.19% के निम्न स्तर पर तथा इस वर्ष की समाप्ति से पहले 6.68% रहा कारण कि आरबीआई एमपीसी ने अपनी स्थिति को निभाव से तटस्थ में बदल लिया।

10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों से प्रतिफल

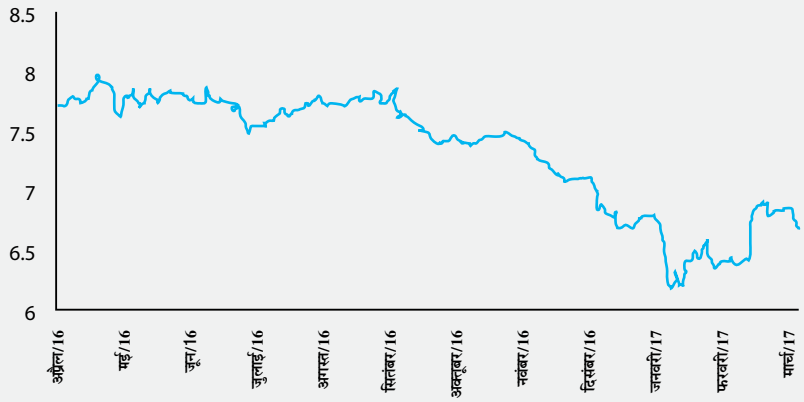

स्टाफ का सम्मान - एशिया मनी फॉरेन एक्सचेंज पोल 2016 में एसबीआई को देश में सर्वश्रेष्ठ फॉरेक्स सेवा प्रदाता घोषित किया गया

आपका बैंक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ब्याज दर संविभाग में 105% तक वृद्धि करके, वर्ष के मध्य आय में आई तीव्र गिरावट का उपयोग करने में समर्थ रहा है। बाजार आय में आई गिरावट के बावजूद, राजकोषीय निवेशों से ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष 17% की वृद्धि हुई है।

संविभाग आय में सुधार करने और उपलब्ध चलनिधि का इष्टतम रूप से उपयोग करने के लिए, आपके बैंक ने अपने वाणिज्यिक पत्र और कॉरपोरेट बॉण्ड संविभाग में वर्ष-दर-वर्ष आधार में 118% तक की वृद्धि की है। चलनिधि प्रबंधन के क्षेत्र में, हम उद्योग औसत की तुलना में सीआरआर का कुशल प्रबंध करके लगातार लागत में बचत की है। इस वर्ष, हमने ब्याज दर डेरिवेटिव्स का प्रबंध करने तथा/अथवा गैर-जमा निधि जुटाने के लिए एक नई टीम का गठन किया है।

भारतीय ईक्विटी बाजार सितंबर के प्रारंभ तक निफ्टी में लगभग 16% की वृद्धि के बेंचमार्क के साथ इस अवधि से पूर्व तक अपनी बजट पश्चात की कार्यनीति तैयार करने में लगा रहा। परंतु उसके बाद, विमुद्रीकरण और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों से सूचकांक में 1000 से अधिक बिन्दुओं तक सुधार हुआ। उस समय एफपीआई ने अपनी इक्विटियों को कम दामों में बेचा और नवंबर एवं जनवरी के बीच उन्होंने इक्विटी बाजारों से ₹27,500 करोड़ की निकासी की। लेकिन वित्त वर्ष के आखिरी दो महीनों में निवेशक बड़े पैमाने पर वापस लौट आए, जिससे वर्ष की समाप्ति पर निफ्टी सूचकांक 9174 बिन्दुओं पर रहा और एफपीआई ने फरवरी और मार्च 2017 में लगभग ₹31,000 करोड़ का निवेश किया। आपके बैंक ने अपने इक्विटी संविभाग का अच्छा प्रबंध किया और 21.81% की वाईटीडी आय अर्जित की है जबकि निफ्टी की वाईटीडी आय 18.55% रही है। द्वितीयक बाजार में निवेश करने के अतिरिक्त, हम लगातार आईपीओ में लाभप्रद निवेश कर रहे हैं जिससे हमारे संविभाग की आय में सुधार हो सके।

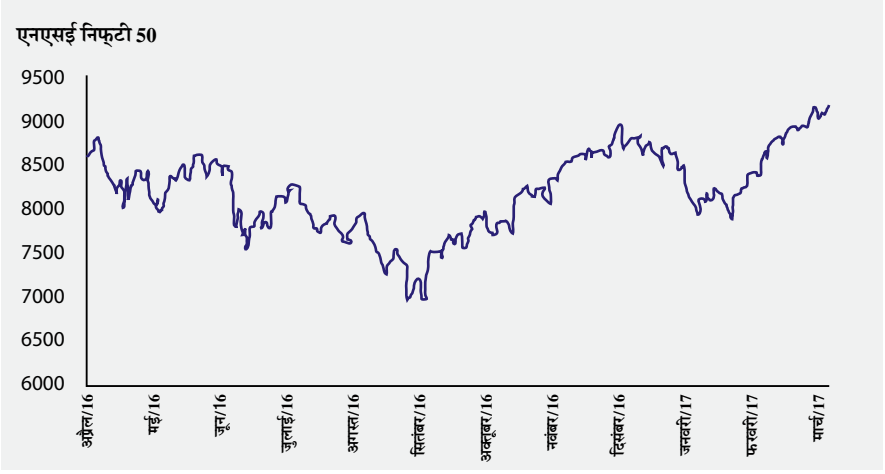

पारदर्शिता बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए, हम अपने इक्विटी बाजार सौदों को ऑन-लाइन ट्रेड रूटिंग प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे आदेशों पर निगरानी रखी जा सकती है और उनके निष्पादन को देखा जा सकता है। इस प्रणाली से हम दलालों के न्यूनतम हस्तक्षेप से आदेशों को निष्पादित कर सकते हैं जिससे जोखिम न्यूनीकरण में मदद मिलती है।

वैश्विक बाजार समूह ऑप्शन, अदला-बदली और वायदा के माध्यम से मुद्रा प्रवाह और बचाव जोखिमों का प्रबंध करके ग्राहकों को विदेशी मुद्रा सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। यह समूह भी आपके बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा राशियों का प्रबंध करता है तथा विदेशी मुद्रा में अपने ग्राहकों को एफसीएनआर(बी) ऋण और पोत-लदान पूर्व और पोत-लदान पश्चात ऋण उपलब्ध कराता है। विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव्स आपके बैंक को अच्छा लाभ प्रदान करने वाले व्यवसाय बने रहे। वित्त वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान व्यापार प्रवाह में गिरावट के बावजूद, इनसे प्राप्त लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 31% की वृद्धि हुई है।

राजकोषीय विपणन समूह ग्लोबल मार्केट्स की ग्राहक संपर्क इकाई है और बैंक के संस्थात्मक व कॉरपोरेट ग्राहकों को राजकोषीय उत्पाद बेचने में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। देश भर में स्थित 'राजकोषीय विपणन इकाइयां' ग्राहकों के लिए ग्लोबल मार्केट्स का ही एक अग्रभाग है। वे दैनिक आधार पर ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी अनुभव और अनुभव नहीं की गई आवश्यकताओं का पता लगाते हैं, और कीमत-निर्धारण, उत्पाद संरचना और सुपुर्दगी के लिए अन्य व्यवसाय इकाइयों के साथ समन्वय करते हैं। हमारी आंतरिक समष्टि आर्थिक एवं बाजार अनुसंधान टीमों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। लागत को कम करने और ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने सुदृढ़ बैंकिंग के लिए भी कदम उठाए हैं।

प्राइवेट इक्विटी/वीसीएफ क्षेत्र में, 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर वाले भारत केन्द्रित प्राइवेट इक्विटी निधि के प्रबंधन के लिए, वर्ष 2008 में मैक्वेरी और आईएफसी के साथ स्थापित संयुक्त उद्यम ने अपनी कुल वचनबद्धताओं का लगभग 96% निवेश कर दिया है। इस निधि का आधारिक संरचना आस्तियों, अर्थात दूरसंचार टॉवर, विमानपत्तन, ताप विद्युत, पनबिजली और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों की सड़कों में निवेश किया गया है। यह निधि एग्जिट चरण में है और हाल ही में दो सड़क परियोजनाओं से इसकी एग्जिट हो गई है।

वर्ष 2010 में स्टेट जनरल रिज़र्व फंड ऑफ ओमान की भागीदारी से स्थापित ओमान भारत संयुक्त निवेश निधि (ओआईजेआईएफ) ने 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की निधि-1 का निवेश पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, इस निधि ने निवेश की गई कंपनियों में दो पूर्ण एग्जिट और एक आंशिक एग्जिट किया है। निधि-1 की सफलता के आधार पर दोनों भागीदारों (एसबीआई और एसजीआरएफ) ने 300 मिलियन अमरीकी डॉलर की मूल निधि से निधि-2 प्रारंभ करने का निर्णय किया है। अब तक प्रायोजकों ने निधि-2 में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का वचन दिया है और 18 मिलियन अमरीकी डॉलर विभिन्न देशीय वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए हैं। तदनुसार, 218 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ निधि-2 की प्रथम किस्त जनवरी 2017 में प्राप्त की गई। शेष राशि के लिए निधि जुटाने का कार्य प्रगति पर है और यह संयुक्त उद्यम विभिन्न देशीय और विदेशी निवेशकों की सहायता कर रहा है।

रिसिवेब्ल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया (आरएक्सआईएल) में बैंक ने 9.9% हित प्राप्त किया है। यह संयुक्त उद्यम सिबडी और एनएसई द्वारा शुरू किया गया है। आरएक्सआईएल ट्रेड रिसिवेब्ल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) एक ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्लेटफॉर्म है जो एक एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है और परिपक्वता से पूर्व अपनी प्राप्यराशियों को नकदी में रूपांतरित करने के लिए एमएसएमई को सुविधा उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफार्म इन्वायसों की फैक्टरिंग करने के लिए बाजार निर्धारित दरों के माध्यम से इन्वायसों के लिए बोली लगाने वाले बहु-वित्तपोषकों की सहायता करता है। यह प्लेटफॉर्म अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अपने ग्राहकों के ग्राहकों द्वारा प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किए गए बिलों के वित्तपोषण के लिए बोली लगाने हेतु आपके बैंक को एक अवसर उपलब्ध कराता है।

आपका बैंक देश का सबसे बड़ा निधि प्रबंधक है। संविभाग प्रबंधन सेवाएं, जो वर्ष-दर-वर्ष 16.89% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ ₹3.76 लाख करोड़ की ग्राहकों की पेंशन और भविष्य निधियों का प्रबंध करती है। हमें कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन से दिसंबर 2016 तिमाही के लिए कुल 3 निधि प्रबंधकों में से नम्बर 1 निधि प्रबंधक का स्थान प्राप्त हुआ है।

IV. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

1.1 मानव अत्यंत मूल्यवान संसाधन

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है परंतु स्वयं को रूपांतरित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। सम्पूर्ण बैंक स्तर पर समान विजन, साझा मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने और सत्यनिष्ठा एवं अभिशासन के उच्च मानकों का पालन करने से ऐसा संभव हो पाया है। अनेक प्रतिभावान एवं परिश्रमी कर्मचारियों के कारण आपके बैंक का निष्पादन प्रभावशाली रहा है, जो लगातार आपके बैंक की प्रगति के बारे में सोचते रहते हैं। आपके बैंक की एचआर नीति को लगातार समकालीन बनाया जा रहा है जिससे व्यवसाय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और कर्मचारियों को ज्यादा सशक्त किया जा सके। आपका बैंक एक सहायक कार्यस्थल उपलब्ध कराने, कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करने और विकास एवं संवृद्धि के लिए अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

बैंक की सारांशीकृत एचआर प्रोफाइल निम्नानुसार है ;

2,09,567
कुल कर्मचारी संख्या

5 वाँ
भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता

23%
महिला कर्मचारियों का अनुपात

45.16%
विविधता - अ.जा.अ.ज.जा. एवं अ.पि.वर्ग कर्मचारियों का अनुपात

13,000 +
वित्त वर्ष 2017 में नव प्रतिभा परिवर्धन

आपके बैंक का एचआर विजन समावेशिता, सशक्तिकरण और विकास के सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। इसके कर्मचारी इसकी ताकत हैं और आपके बैंक को इनके उल्लेखनीय निष्पादन एवं उच्च योग्यता पर गर्व है। एक विश्वसनीय, डेटा समर्थित और निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए आपके बैंक का करियर डेवल्पमेंट सिस्टम (सीडीएस) अत्यधिक रूप से सफल रहा है। यह सिस्टम अत्यधिक जवाबदेहिता, निष्पादन स्पष्टता और व्यक्तिगत एवं संगठन लक्ष्यों के बीच अत्यधिक सुयोजन सुनिश्चित करता है। उचित एवं पारदर्शी मूल्यांकन लाने के साथ-साथ, सीडीएस प्रति वर्ष एक पूर्ण सक्षम मूल्यांकन के माध्यम से कर्मचारी विकास भी करता है।

सफलता हासिल करने हेतु, बड़ी संख्या में शाखाओं और विविध भूमिकाओं वाले एक बैंक के लिए विशेष प्रकार की निपुणताएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इष्टतम विशेषज्ञता को प्रोत्साहन देने और गहरी प्रमुख समझ को सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने स्केल II-V के अपने अधिकारियों के लिए करिअर पाथ योजना के साथ-साथ सात प्रमुख विभाग बनाए हैं, अर्थात ऋण एवं जोखिम, विक्रय, विपणन एवं परिचालन, एचआर, वित्त एवं लेखा, राजकोषीय एवं विदेशी मुद्रा, आईटी एवं विश्लेषण।

अधिकारी की रुचि और विशेषज्ञता के आधार पर, उन्हें विशेषज्ञता प्रदान की जाती है और इन प्रमुख विभागों में से किसी भी विभाग की भूमिका सौंपी जाती है। इष्टतम कार्य-अनुभव और `सही कार्य के लिए सही व्यक्ति' सुनिश्चित करने के लिए, आपका बैंक अपनी स्वचालित टूल `PROSPER' का उपयोग करके एक व्यवस्थित नियुक्ति आबंटन प्रक्रिया लागू करने वाला है।

आपके बैंक की सफलता के पीछे एक सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट नेतृत्व टीम के साथ-साथ एक प्रेरित एवं उत्साहित युवा प्रतिभा टीम का भी प्रमुख योगदान रहा है। आपके बैंक द्वारा विकास प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है जिससे देश की श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इसने भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया है और एक सुदृढ़ कर्मचारी मूल्यांकन योजना तैयार की है। जूनियर स्तरों पर विदेशों में कार्य करने के अवसर तैयार किए गए हैं जिससे विदेशों में कार्य करने के लिए नई प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। भर्ती कार्यनीति में मुख्य रूप से कैम्पस रि-ब्रांडिंग गतिविधियों, भर्ती पोर्टलों और डिजिटल मार्केटिंग कार्यक्रमों के माध्यम से भर्ती करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2017 में, आपके बैंक ने 13,097 युवा टेक सेवी और ग्राहक अनुकूल कर्मचारियों को भर्ती किया है। निए कर्मचारियों की इस सूची में 2000 से अधिक प्रोबेशनरी अधिकारी, 160 मैनेजमेंट ट्रेनीज, 100 से अधिक वैल्थ मैनेजमेंट विशेषज्ञ और डिजिटल व ई-कॉमर्स विशेषज्ञ और लिपिकीय कर्मचारी शामिल हैं।

बैंक की कुल स्टाफ संख्या निम्नानुसार है ;

श्रेणी	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2017 को
अधिकारी	80,818	81,041
सहयोगी	88,606	92,979
अधीनस्थ स्टाफ व अन्य	38,315	35,547
कुल	**207,739**	**209,567**

समावेशिता एवं विविधता : आकार बढ़ने से, आपका बैंक समावेशिता और लिंग समानता के प्रमुख सिद्धांत को लागू करना सुनिश्चित करता है। आपके बैंक में भिन्न श्रेणी स्तरों पर और सभी भौगोलिक क्षेत्रों से 46,676 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। लगभग 2000 शाखाओं में महिला अधिकारियों को शाखा प्रमुख बनाया जा रहा है। बैंक ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक उचित एवं सहायक कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक ध्यान दिया है।

एसबीआई में महिला-पुरुष अनुपात

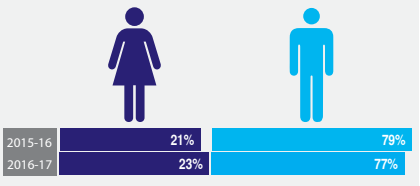

बैंक ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को बिलकुल बरदास्त नहीं करने की नीति को बनाए रखा है और शिकायतों को रोकने व उनका निवारण करने के लिए एक समुचित व्यवस्था लागू की है। भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार द्वारा यथा निर्देशित सकारात्मक उपायों को ध्यान में रखा गया है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के 21 मामलों में से, 15 मामलों का निपटान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कार्यबल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण उपलब्ध कराता है। इसलिए, इसके पास सभी संवर्ग के कर्मचारियों में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारी हैं। कॉरपोरेट केन्द्र के अतिरिक्त, सभी 14 मंडलों में संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है जिससे एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावशाली ढंग से निपटान किया जा सके।

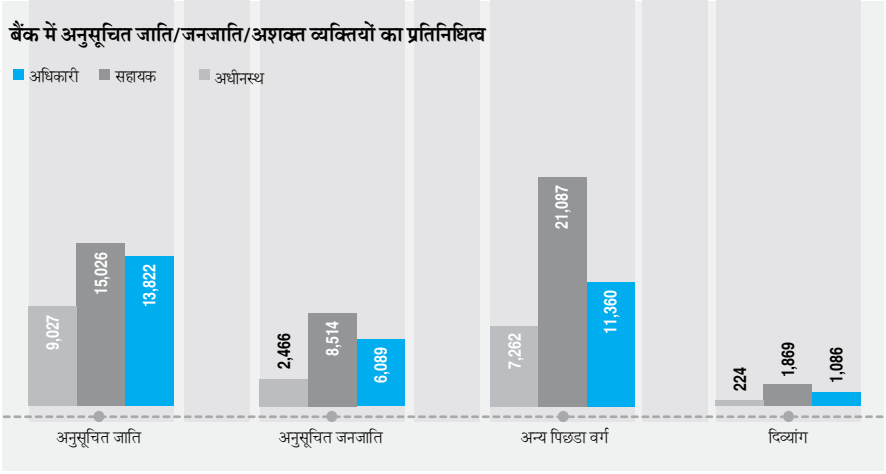

आपके बैंक का लगातार यह प्रयास रहा है कि वह कर्मचारी प्रबंधन में श्रेष्ठतम उद्योग प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं को लागू करे। आपके बैंक द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख नवीनतम प्रयासों का नीचे वर्णन किया गया है;

- निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को फिर से तैयार किया गया है जिससे कि इसे बेंचमार्क के रूप में और अधिक व्यापक एवं करियर विकास योजना ग्रेड के अनुरूप बनाया जा सके। सामान्य कार्य के बाद प्राप्त की गई उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए `पुरस्कार एवं सम्मान' योजना अलग से शुरू की गई है।
- आपके बैंक में एक सुदृढ़ आधुनिक टेक्नोलॉजी के रूप में `घर से कार्य नीति' को शुरू किया गया है। यह एक कर्मचारी अनुकूल उपाय है जिससे उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सके।
- प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें रोककर रखने तथा युवा पीढ़ी के बीच एसबीआई को उनकी पहली पसंद बनाने के लिए, आपका बैंक अपने मुआवजा पैकेज को पुनर्संरचित करने की प्रक्रिया में है। आपका बैंक वित्त वर्ष 2018 से स्केल III तक के अधिकारियों के लिए 'स्मार्ट कॉम्पनसेशन पैकेज' शुरू करने की प्रक्रिया में है।
- पट्टाकृत आवास, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 100 से अधिक अस्पतालों में नकदी रहित इलाज के रूप में प्रतिपूर्तियां और कर्मचारी अनुकूल नीतियां जैसे सब्बैटिकल, लचीली समय योजना और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना तैयार की गई हैं जिससे युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके।
- संगठनात्मक संरचना में नैतिकता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही, एक आचरण नीति एवं व्यवसाय संचालन विभाग स्थापित किया गया है और इसके प्रमुख बैंक के मुख्य आचरण नीति अधिकारी हैं।

ज्ञानार्जन संस्कृति

कर्मचारी विकास आपके बैंक की के कार्यकलाप के केंन्द्र में रहा है। इसमें न केवल कर्मचारी जीवनचक्र के प्रत्येक स्तर पर ज्ञानार्जन कार्यक्रमों को नई दिशा देना, अपितु कर्मचारी के कार्य की प्रकृति एवं भूमिका के अनुसार विशेष कार्यक्रम करना भी शामिल है। ऐसे केन्द्रित कार्यक्रमों में, जिनका उद्देश्य तकनीकी एवं प्रबंध क्षमताओं को बढ़ाना है, न केवल प्रशिक्षित प्रबंधकों को अपनी वर्तमान भूमिका में मदद मिली है, अपितु बैंक के भावी नेतृत्व और विजन विकास में उनके मूल्यांकन पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक अपने प्रत्येक संभाव्य नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम तैयार कर रहा है जिससे उन्हें और अधिक सशक्त करके उन्हें उनके विकास पथ से जोड़ा जा सके।

औद्योगिक संबंध

आपका बैंक औद्योगिक संबंधों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करता है। विभिन्न कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका निवारण करने हेतु रचनात्मक वार्ताओं में यह एसोसिएशन और यूनियनों के साथ परामर्शी बैठकें आयोजित करता है। ये परामर्श कॉरपोरेट केन्द्र, और मंडलों में नियमित रूप से किए जाते हैं। फेडरेशनों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श की संवीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

1.2. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई

निरंतर बेहतर प्रतिफल देने वाला ब्रांड बने रहने के उद्देश्य से और कार्य के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए, आपका बैंक व्यक्तिगत विकास एवं संगठनात्मक प्रभावकारिता के लिए एक सुनियोजित, कार्यक्षम और प्रशिक्षण प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। वैश्विक स्तर पर नियमित आधार पर नई प्रौद्योगिकियों और कार्य-प्रणालियों को हासिल करके लागू किया गया है जिससे ज्ञान देने/ज्ञान प्राप्त करने का कार्य जारी रहे, प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और कर्मचारियों को ज्ञानवान कर्मचारियों के रूप में रूपांतरित किया जा सके ताकि वे ग्राहक संतुष्टि के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ा सके। हमारी प्रशिक्षण व्यवस्था एसटीयू के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करती है तथा हमारे प्रशिक्षण तंत्र में 5 शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान और 43 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र हैं। आपका बैंक संगठन के अंदर ही एक वर्चुअल नॉलेज यूनिवर्सिटी और एक परिपूर्ण डिजिटल ज्ञानोजर्न प्लेट फार्म का सृजन कर पाया है, जहाँ एक दिन में बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, नेतृत्व, क्षमता, नैतिकता, विपणन, प्रशासन और अन्य कौशलों का प्रशिक्षण 3,400 कर्मचारियों को दिया जाता है। यह लिंक जोड़ कर पड़ोसी और मिडिल ईस्ट के देशों को प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

अन्य प्रशिक्षण पहल:

अग्रदूत बैंक गार्डो और अन्य अधीनस्थ स्टाफ के लिए देशभर में 'अग्रदूत' नाम से एक विशेष व्यापक संप्रेषण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे आपके बैंक में उनकी भूमिका की प्रासंगिकता और उसके महत्व के बारे में ध्यान केन्द्रित किया जा सके। अधीनस्थ स्टाफ के लगभग 32,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से अधिकांश ने कहा कि उनके करिअर में ऐसा पहला कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है।

ऋण पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम: पर्याप्त ऋण निपुणताओं का विकास करने और अधिकारियों को हर समय अद्यतन बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें अग्रिमों के सम्पूर्ण ऋण जीवनचक्र का प्रबंध करने हेतु आवश्यक वाणिज्यिक ऋण निपुणताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

शाखा प्रबंधकों के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (सीपीबीएम): यह प्रोग्राम परिचालन एवं विपणन में पदस्थ अधिकारियों और मुख्य रूप से पहली बार बने/भविष्य में शाखा प्रबंधक बनने वाले अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है।

शाखाओं को परामर्श : शीर्ष कार्यपालकों द्वारा शाखाओ को परामर्श देने की एक नवीन पहल है जिसमें ऐसी शाखाओं पर पड़ने वाले गुणात्मक प्रभाव के साथ समावेशी परामर्श दिया जाता है, जो ग्राहक शिकायतें, एनपीए और आईआर आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। प्रत्येक मेंटर को मंडल द्वारा चयनित केवल दो शाखाओं में परामर्श की जिम्मेदारी दी जाती है।

प्रश्नमंच संस्कृति: प्रश्नमंच संस्कृति को बढ़ावा व्यवसाय समूहों/विभागों द्वारा उत्पादों/प्रक्रियाओं के संबंध में नियमित प्रश्नमंच प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के साथ जारी रहा। कॉरपोरेट केन्द्र में चार स्तरों पर एक `मेगा क्वीज' आयोजित किया गया।

बाहरी संस्थाओं को प्रशिक्षण: आपके बैंक के प्रशिक्षण संस्थान को समावेशी एवं वैश्विक हो रहे हैं। आपके बैंक ने अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था को सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों तथा अन्य सरकारी विभागों एवं अन्य बाहरी संस्थानों के लिए खोल दिया है।

राष्ट्र निर्माण में योगदान: आपके बैंक की प्रशिक्षण व्यवस्था अनेक प्रकार से राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्रों ने विभिन्न स्कूलों/इंजीनियरिंग कॉलेजों में और गांवों में क्लासेस आयोजित करके वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन में व्यापक रूप से योगदान दिया है। विमुद्रीकरण अवधि के दौरान, आपके बैंक ने डिजिटल लेनदेनों पर जन-समूहों के लिए अनेक ऑनसाइट/ऑफसाइट जागरूकता वर्कशॉप/सेमिनार आयोजित किए हैं। आपके बैंक ने भी विभिन्न पेमेंट बैंकों के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है, जो हाल ही में भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं।

डिजिटल पहल:

पीओ एवं टीओं के लिए मोबाइल एप: नए भर्ती हुए पीओ/टीओ के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए डैशबोर्ड के रूप में एक ऐप्लिकेशन तैयार किया है। इस एप्लिकेशन का उपयोग प्रोबेशन की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रेरणादायक उद्धरणों और वीडियो, घोषणाएं, लेसन पूर्ण संबंधी स्थिति, प्राप्त प्रशिक्षणों और अन्य विभिन्न अपेक्षाओं के लिए किया जा सकता है।

वीडियो लैब: एक अति-आधुनिकतम वीडियो लैब स्थापित की गई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर आपके बैंक के संकाय सदस्यों के वीडियो लेसन रिकार्ड किए जाते हैं। इस लैब का उपयोग देश भर में आयोजित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं वीडियो को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है।

एसटीयू वेबसाइट: कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। अब यह भी एक ज्ञानार्जन केंद्र जैसी हो गई है, जहाँ सभी शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और एसबीएलसी द्वारा ज्ञानार्जन सामग्रियों को इंटरनेट के माध्यम से एक ही स्थान से प्राप्त किया जा सकता है।

बाह्य प्रशिक्षण के लिए फीडबैक: बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों द्वारा फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप्लिकेशन विकसित किया गया है।

प्रशिक्षण डैश बोर्ड: एक आंतरिक टूल प्रशिक्षण डैश बोर्ड विकसित करके सभी एचआर अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है जिससे आसान अनुवर्तन हेतु प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित स्टाफ के आंकड़े प्राप्त किए जा सके।

समावेशन सेन्टर:

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इस उद्देश्य के साथ एक समावेशन केन्द्र परिचालन में है जिससे विशिष्ट क्षमता वाले कर्मचारियों को व्यवस्थित ढंग से वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण, सशक्तिकरण किया जा सके और उनकी निपुणताओं में वृद्धि की जा सके। आपके बैंक द्वारा शुरू किए गए कुछ कार्यकलापों/पहलों का नीचे उल्लेख किया गया है।

- दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जैसे बैंक के दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण पश्चात क्षेत्र कार्यान्वयन के दौरान विशिष्ट क्षमता वाले कर्मचारियों के समावेशन एवं मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया गया है।
- विशिष्ट क्षमता वाले कर्मचारियों की शिकायत निवारण का कार्य कॉरपोरेट केन्द्र में स्थित समावेशन केन्द्र को सौंपा गया है।
- दृष्टिबाधित कर्मचारियों को टॉकिंग सॉफ्टवेयर और ओसीआर रीडर/स्कैनर उपलब्ध कराए गए हैं।
- एसबीआई एस्पीरेंशंस में विशिष्ट क्षमता वाले कर्मचारियों के लिए तीन विशेष समूह बनाए गए हैं (दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित/चलने-फिरने में अशक्त व्यक्ति)।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्ण तथा अवरोधमुक्त सुलभता बढ़ाने हेतु प्रायोगिक आधार पर चार एसबीएलसी का चयन किया गया है।

विलय पश्चात प्रशिक्षण की चुनौती:

एसबीआई के उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में पाँच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के काफी कर्मचारियों को कम से कम समय में प्रशिक्षित करने की कड़ी चुनौती को देखते हुए, आपके बैंक ने विभिन्न विशेष रूप से बनाए गए और निर्धारित किए गए कार्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण तंत्र को तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक में इन कर्मचारियों के आसान रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए, पी-खण्ड, एसएमई खण्ड, कृषि खण्ड, आरईएचएण्डएचडी और प्रौद्योगिक (टेक) उत्पादों के प्रसिद्ध आस्ति उत्पादों की एक सूची संवितरित की गई है। विलय के दिन से ही सहयोगी बैंकों के बारह प्रशिक्षण संस्थान बैंक के नियंत्रण में आ गए हैं।

स्टेट बैंक प्रबंधन संस्थान (एसबीआईएम) कोलकाता:

वित्त वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में यह नया 'उत्कृष्टता विकास केन्द्र शुरू हो जाएगा।

पुरस्कार :

बैंक को अपनी एचआर पहलों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

- **गोल्डन पीकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड:** भारतीय स्टेट बैंक को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए, वित्तीय सेवा क्षेत्र (बैंकिंग) में वर्ष 2017 के लिए गोल्डन पीकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड को विजेता घोषित किया गया है।
- **नैशनल अवार्ड 2016:** भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण उप श्रेणी में वर्ष 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार दिया गया है।

एसबीआई एजुनेक्सट मोबाइल एप का
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष द्वारा लोकार्पण

- **हेलन केलर अवार्ड 2016:** यह अवार्ड नेशनल सेंटर फॉर प्रोविजन ऑफ इम्प्लॉयमेंट विद डिसएबिलिटीज (एनसीपीईडीपी) द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार समान अवसर देने में प्रतिबद्धता के लिए कंपनी/गैर-सरकारी संगठन/संस्थान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रहने पर दिया गया है।

आईएसओ प्रमाणन

आपका बैंक अपने ज्ञानार्जन केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण संसाधनों, आधारिक संरचना और अकादमिक कार्यकलापों में गुणवत्ता मानदंड हासिल करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। सभी पांचों शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और 43 में से 40 एसबीएलसी को यह प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 13 एसबीएलसी को वर्ष 2017 के दौरान यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाएं देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रबल पक्षधर रहा है। बैंक किसी भी समय पर और कहीं से भी बैंकिंग लेनदेन सुगम बनाने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को नवोन्मेषी एवं बेहतर से बेहतर उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। बैंक की प्रौद्योगिकी आधारित कार्यनीति सामाजिक सहयोग, प्रतिशीलता की वर्तमान उपभोक्ता रुझान, क्लाउड़ आधारित प्लेटफॉर्म एवं व्यापक आंकड़ा विश्लेषण के अनुरूप है।

ग्राहकों को सुविधा देने के मामले में परिचालनों का डिजिटालीकरण एवं उत्कृष्टता बैंक की कार्यनीति का अहम हिस्सा रहा है। इससे लेनदेन कम समय में पूरा हो जाता है और बैंक के ग्राहकों को इसका लाभ मिलता है।

1. इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन विभिन्न भुगतानों, फंड ट्रांस्फरों, ई-टेंडरिंग, ई-ऑक्शन और भारी संख्या में किए जाने वाले भुगतानों से संबंधित सरकारी/पीएसयू/बड़े एवं मध्यम कॉरपोरेट के साथ-साथ रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग लघु, मध्यम और बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए बहुत अनुकूल है। यह सरकारी राजकोष एवं लेखा विभागों के साथ संबंध स्थापित करने में भी अत्यंत सफल रही है। संस्थानों, कॉरपोरेट और सरकारी विभागों के लिए फीस/फंड के ऑन-लाइन संग्रहण कार्य को बहु-विकल्प भुगतान प्रणाली (एमओपीएस) और स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से आसान बनाया जा रहा है। एग्रीगेटर के माध्यम से मर्चेण्ट अधिग्रहण को आसान बनाया गया है।

वित्त वर्ष 2017 के दौरान लागत प्रभावी चैनलों से 140 करोड़ से अधिक लेनदेन संभव हुए। पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 12.9% की वृद्धि हुई है। दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए आपके बैंक के परिपूर्ण रिटेल इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में वेब सामग्री के उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों का इष्टतम अनुपालन किया गया है।

इंटरनेट बैंकिग उपयोगकर्ता (संख्या लाख में)

2013	2014	2015	2016	2017
130	177	220	263	327

वित्त वर्ष 2017 के दौरान, आपका बैंक देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बना रहा। 50,027 से अधिक मर्चेण्ट टाइ-अप सीधे या स्टेट बैंक कलेक्ट/ई-कॉमर्स एग्रीगेटर के माध्यम से किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक आपके बैंक ने 37 करोड़ से अधिक ई-कॉमर्स लेनदेनों को आसान बनाया है।

वित्त वर्ष 2017 के दौरान नेट बैंकिंग में कुछ नई विशेषताओं को जोड़ा गया है जो निम्नानुसार हैं;

- ऑन-लाइन पैन अपडेशन
- ई-कॉमर्स (फ्लिप कार्ट से) खरीदारी करने के लिए ऑन-लाइन ओवरड्राफ्ट
- इंस्टेट बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारिक रूपांतरण और डेटाबेस खंड विभाजन जिससे भावी विकास सुनिश्चीत किया जा सके।
- स्टॉक विवरण कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रस्तुत करना
- 102 मर्चेण्टों/सरकारी विभागों का प्रत्यक्ष एकीकरण
- एनपीएस ऑनलाइन खाता खोलना
- निजी पहचान आधारित गिफ्ट कार्ड जारी करने की सुविधा
- सरल उपयोगकर्ताओं के लिए आईएमपीएस सुविधा
- खरीदार विश्लेषण
- आवधिक अंतरालों पर ई-मेल से खाता-विवरण प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करने की सुविधा
- ऑनलाइन लॉकर पूछताछ सुविधा
- सरल के लिए शीघ्र ट्रांस्फर सुविधा
- कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से सीबीएस में मोबाइल रजिस्टर करने की सुविधा
- अनिवासी ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड प्रदान करना
- ऑटो-स्वीप सुविधा के लिए अनुरोध (मोड्स के लिए ट्रांस्फर)
- एनपीएस अंशदान और अनफ्रीजिंग
- वित्त वर्ष वार पीपीएफ खाता विवरण डाउनलोड करने की सुविधा
- अब बचत करें और बाद में यात्रा करें - कॉक्स एण्ड किंग्सः आवर्ती जमा
- एसबीआई फ्लेक्सी आरडी
- इंटरनेट बैंकिंग ब्रांच इंटरफेस के माध्यम से प्री-प्रिंटेड किट में एटीएम पिन जारी करना
- कॉरपोरेट द्वारा अंशदान करने के लिए ईपीएफओ के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण

2. विश्लेषण विज्ञान का उपयोग

आपका बैंक अधिकतम परिचालन कार्यक्षमता के लिए व्यापक रूप से विश्लेषणों विज्ञान का उपयोग कर रहा है। प्रति-विक्रय और उपरी-बिक्री (अप-सेलिंग) के माध्यम से ग्राहक आय बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य सूचक विश्लेषणों और ग्राहक खंडकरण का उपयोग किया जाता है। नए आवेदनों का मूल्यांकन और ऋण संविभाग की सतत निगरानी रखने के लिए जोखिम विश्लेषणों का उपयोग किया जाता है। विश्लेषणों का उपयोग एटीएम, नेटवर्क उपलब्धता और निष्पादन में सुधार, बैंक के कर्मचारियों के लिए सही लक्ष्य निर्धारित करने और निष्पादन का पता लगाने तथा राजस्व अवसरों के सामने पूँजी का सही ढंग से नियोजन करने के लिए भी किया जाता है। वर्ष 2016 में शुरू किए गए विश्लेषण-संचालित, पूर्व-योग्यता प्राप्त ऋणान्वयन कार्यक्रमों से काफी व्यवसाय उत्पन्न हुआ, और

अधिग्रहण की लागत में कमी आई। शाखाओं/परिचालन अधिकारियों को बेहतर और समय से सही सूचना प्रदान करने से ग्राहक को अपने साथ बनाए रखने और वॉलेट अंश में कई गुणा वृद्धि भी हुई है।

3. टैब बैंकिंग

डिजिटल निरीक्षण आवेदन (डीआईए)

सात उत्पादों के लिए ग्राहकों के संस्वीकृति-पूर्व और संस्वीकृति पश्चात निरीक्षण रिकार्ड करने के लिए टैब एप उपलब्ध है। डीआईए का एलओएस, सीबीएस और एचआरएमएस के साथ एकीकरण किया गया है जहाँ ग्राहक के आंकड़ें पहले से ही लोड किए हुए रहते हैं और फील्ड स्टाफ को ऋणियों के फोटो, कॉलेटरल, फैक्टरी, स्टॉक तथा तिथि, समय और जियो-कॉआर्डिनेट्स के साथ अन्य जानकारियां प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। निरीक्षण रिपोर्टें फील्ड स्टाफ को उनके ईएमएस मेल आईडी पर स्वतः भेजी जाती हैं। एप्लिकेशन में आगामी संस्वीकृति पश्चात निरीक्षण, स्टॉक एवं बीमा समाप्ति की तारीख आदि के स्वतः अनुस्मरण भी होते हैं।

मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए डीआईए-लाइट वर्जन

एसएमई के लिए मोंबाइल फोन के डिजिटल निरीक्षण एप लाइट वर्जन शुरू किया गया है। मोबाइल ऐप का प्रयोग कर फील्ड अधिकारी तिथि, समय एवं जियो-कोआर्डिनेट के साथ फोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हैं तथा उसके बाद डेस्कटॉप साइट में निरीक्षण के लिए डेटा एंट्री कर सकते हैं। टैब में उपलब्ध कराई गई सभी विशेषताएं डेस्कटॉप साइट पर भी उपलब्ध है।

4. एसबीआई वर्कस्पैस

व्यवसाय चुनौती

मोबाइल डिवाइस डेटा तक अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए, आपके बैंक ने एक इंटरप्राइज मोबिलिटी प्रबंधन (ईएमएम) आधारिक संरचना स्थापित करने का निर्णय लिया है जिससे एसबीआई वर्कस्पेस के माध्यम से आपकी अपनी डिवाइस (बीवाईओडी) प्रस्तुत करने में आसानी हो सके।

यह सॉल्यूशन मोबाइल डिवाइसों पर ऐप्लिकेशन सुपुर्द करने, डेटा सुरक्षा उपलब्ध कराने और आखिरी उपयोगकर्ताओं के लिए परिचालनों में लचीलेपन के रूप में लागत सक्षमता उपलब्ध कराता है। यह स्मार्ट फोन जैसी मोबाइल डिवाइस और बैंक अधिकारियों द्वारा काम में ली जा रही टेबलेट्स को शरारती सॉफ्टवेयर हैकर्स, डेटा लीकेज, और अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षा उपलब्ध कराता है। यह बैंक की इंट्रानेट वेबसाइटों, एप्पों, ई-मेल के लिए अन्य के साथ-साथ सुरक्षित एवं नियंत्रित पहुँच भी उपलब्ध कराता है।

5. कोर बैंकिंग डिवेल्पमेंट

वर्ष के दौरान सीबीएस रूपांतर का कार्यान्वयन किया गया जिससे ग्राहक सेवा को शीघ्र सेवा प्रदान की जा सके। यह आपके बैंक के 1,60,000 टेलरों को एक यूनीक यूजर अनुभव प्रदान करता है जिससे डेटा एंट्री में कटौती, मेकर-चेकर प्रक्रिया का संवर्धन करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, और विजेगेट्स के रूप में विभिन्न ऐप्लिकेशनों/टूल्स को सीबीएस लॉगिन स्क्रीन पर उपलब्ध कराया जा सके।

6. आईटी स्पेशल प्रोजेक्ट्स

वर्ष के दौरान, यूएचएनआई/एचएनआई ग्राहकों के लिए नई दिल्ली और मुंबई स्थित ई-वैल्थ केन्द्रों में परिचालन शुरू किया गया जहाँ सेल्फ सर्विस पोर्टल और वीडियो सहायक सेवाओं के माध्यम से संविभाग प्रबंधन, निवेश सलाहकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

शाखा आधारिक संरचना प्रबंधन प्रणाली (बीआईएमएस)- एक वेब ऐप्लिकेशन तैयार करके उसे शाखा/ कार्यालय अनुकूल बनाया गया है, जिससे एक शाखा/कार्यालय की आधारिक संरचना/भौतिक परिसंपत्तियों की एक व्यापक जानकारी रखने के लिए शाखा अधिकारियों और उनके नियंत्रकों को उससे जोड़ा जा सके।

7. सोशल मीडिया

आपके बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति नवंबर 2013 में शुरू हुई है। 3.5 वर्ष की इस अल्पावधि में ही, आपके बैंक की सोशल मीडिया कार्यनीति को काफी सफलता मिली है। दि फाइनैंशियल ब्रांड की पॉवर ऑफ से 100 रैंक्स की उनकी सूची में आपके बैंक को लगातार विश्व स्तर पर सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले शीर्ष 100 बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमने आक्रामक सोशल मीडिया कार्यनीति अपनाई है, जिससे न केवल भारतीय बाजार में बल्कि विश्व स्तर पर सोशल स्पेस पर हमारी उपस्थिति मजबूत हुई है। आपका बैंक विश्व के बैंकों में से फेसबुक पर सबसे अधिक प्रशंसकों वाला बैंक है। यह भारतीय बैंकों में लिंक्डइन एवं पिंटरेस्ट चार्ट पर भी सबसे आगे है।

एसबीआई फेसबुक पेज की शुरुआत 7 नवंबर 2013 को शुरू की गई थी। आज यह 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर के साथ सभी भारतीय बैंकों में सबसे अधिक लोकप्रिय पेज है। आपके बैंक ने अपने नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया है और इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुई असंख्य टिप्पणियों का जवाब भी दिया है।

आपके बैंक के युवा ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने एसबीआई मिंगल-सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है जो सोशल मीडिया पर बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है। खाता संबंधी पूछताछ, चेक बुक आवेदन, एसएमएस अलर्ट रजिस्ट्रेशन और पी2पी सहित फंड ट्रांस्फर जैसी सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है।

सदस्यता की दृष्टि से आपके बैंक का यूट्यूब चैनल सबसे आगे है। इसने 400 से अधिक वीडियो को अपलोड किया है जिनको 40 मिलियन लोगों ने देखा है और इसके 44,000 से अधिक अभिदाता हैं जो डिजिटल उपयोगकर्ताओं की प्रशंसा का परिचायक है।

आपके बैंक ने लगातार 6 सप्ताहों के लिए ट्विटर एडवरटाइजिंग इंडेक्स में भाग लिया है। इंस्टाग्राम हैण्डल को भी 2.3 लाख से अधिक फॉलोअर्स ने देखा है। चालू वित्त वर्ष में, आपके बैंक ने कौरा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

8. एकीकृत डेटा कार्यनीति, प्रक्रिया और प्रबंधन (आईडीएसपीएम)

सतत प्रयासों के बाद, आईडीएसपीएम ने डेटा का T+1 स्टेटस प्राप्त किया है। यह उद्योग में सबसे उत्तम श्रेणी का है। इससे रिपोर्टें तैयार करने और डैशबोर्डों को अद्यतन करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है।

आईडीएसपीएम ने विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों और शीर्ष प्रबंधन को T+0/दैनिक/साप्ताहिक/मासिक अंतरालों पर विमुद्रीकरण से संबंधित 100 से अधिक प्रकार के डेटा/रिपोर्टें उपलब्ध कराई हैं।

बड़े डेटा फ्रंट पर, डेटा हमेशा बढ़ती हुई मात्रा और विभिन्न प्रकारों की डेटा की आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए, आपका बैंक एक डेटा लेक स्थापित करने वाला है। इससे बड़ी मात्रा में संरचित एवं असंरचित डेटा की शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करना और अग्रिम विश्लेषण करना आसान हो जाएगा और व्यवसाय निर्णय और नए उत्पादों को तैयार करने के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

9. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस

आपके बैंक ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस स्थापित किया है इससे बाधारहित प्रक्रिया उपलब्ध हुई है और इसके माध्यम से आईटी में व्यवसाय अपेक्षाएं एक मानक एवं संरचित ढंग से आई हैं। प्रोजेक्टों को अनुसूची प्रबंधन, आरएआईडी, हितधारक प्रबंधन और इंटरफेस प्रबंधन जैसे घटकों पर विचार करते हुए एक मानक ढंग से बनाया गया है। ये अनुकूल प्रक्रियाएं एक वर्कफ्लो आधारित टूलसेट के माध्यम से कार्यान्वित की गई हैं। जीआईटीसी में सभी प्रोजेक्ट प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकांश बिजनेस यूजर्स को भी इन टूलों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। वरिष्ठ प्रबंधन ने इन क्षमताओं की अपटेक को पूरी तरह से समर्थन दिया है। व्यवसाय और आईटी लीडर्स के लिए डैशबोर्डों का एक व्यापक सैट तैयार किया गया है जिससे प्रोजेक्ट निष्पादन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

10. ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉल्यूशन

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) एक अवधारणा के रूप में आपके बैंक का हमेशा ही एक ग्राहक केन्द्रित विजन का अभिन्न भाग रहा है। नए सॉल्यूशन का कार्यान्वयन करने में यह हमेशा ही आगे रहा है जिससे ग्राहक को बेहतर अनुभव दिया जा सके और ग्राहक संतुष्टि के क्षणों में वृद्धि की जा सके। इस डिजिटल समय में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आपका बैंक हमेशा ही आगे रहा है।

वर्तमान `Always-on-Always-Connected' समय और युग वाले के संदर्भ में, ग्राहक सभी संपर्क स्थलों पर - शाखा में, ऑनलाइन, फोन पर या किसी भी स्वयं सहायता स्थल पर एक सुस्थापित, उच्च गुणवत्ता सेवा अनुभव की मांग एवं अपेक्षा रखता है। ग्राहक उन सभी विषयों

में/बातचीतों में निरंतरता की अपेक्षा रखता है जो कुछ समय पहले उन्होंने बैंक के साथ की थी। इसके लिए, बैंक एक परिपूर्ण सीआरएम व्यवस्था लागू कर रहा है जिससे ग्राहक को कारगर एवं बाधारहित उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव प्रदान किया जा सके। इस सीआरएम व्यवस्था से बैंक की डेटावेयर हाउस और विश्लेषण क्षमताएं बढ़ेंगी जिससे ग्राहक आवश्यकताओं पर कारगर ढंग से ध्यान दिया जा सकेगा और सही समय में सही उत्पाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रति-विक्रय और अप-सेल क्षमताओं में वृद्धि के अतिरिक्त, कम समय में काम पूरा होना, कस्टमर 360व्यू, स्वचालित एवं युक्तिसंगत प्रक्रियाएं, बेहतर रिपोर्टिंग और प्रभावी निर्णय लेना सीआरएम प्रणाली के कुछ प्रमुख फायदें होंगे।

11. एटीएम

ग्राहक संतुष्टि एवं सुविधा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने के एक सतत प्रयास में, वर्ष के दौरान एटीएम चैनल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक प्रकार की प्रगति की हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं;

- लगभग 90,000 एटीएम टर्मिनलों का प्रबंध करने के लिए एटीएम स्विच को बेहतर बनाना।
- बेहतर निष्पादन और डेबिट कार्ड के लिंकिंग/डिलिंकिंग, ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग से संबंधित विभिन्न ग्राहक अनुरोधों का शीघ्रता से निपटान करने हेतु सिंगल डीसीएमएस के लिए डेबिट कार्ड प्रबंधन व्यवस्था।
- एटीएम, आईएनबी, आईवीआरएस, एसएमएस जैसे चैनलों के माध्यम से ग्रीन पिन।
- ग्राहक के विकल्प पर एटीएम रसीद को मुद्रित नहीं करना।
- क्विक कैश सुविधा जिससे ग्राहक सबसे कम समयो के इच्छित नकदी निकाल सकेंगे।
- बंद पड़े हुए एटीएमों का शीघ्रता से समाधान करने हेतु अन्य स्थानीय मुद्दों को कनेक्टिविटी मुद्दे से अलग करके खराबी का शीघ्रता से पता लगाने के लिए पिंग मॉड्यूल।
- एटीएम की चौबीसों घंटे निगरानी रखने वाले टूल इंटरनेट पर जिससे एटीएमों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- आईएमटी (तुरंत राशि ट्रांसफर) सुविधा जिसके माध्यम से कार्डधारक भारत में किसी भी मोबाइल नम्बर पर तुरंत राशि भेज सकते हैं। प्राप्तकर्ता डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना एटीएम के माध्यम से राशि निकाल सकता है।
- सभी एसबीआई सीडीएम और कैश पॉइंट मशीनों में डिपाजिट लेनदेन सीमा को ₹49,900 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है।
- एसबीआई फाइंडर से विशेष रूप से विमुद्रीकरण समय के दौरान एटीएम/सीडीएम की रियल-टाइम निगरानी रखने में मदद मिली।

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष द्वारा एसबीआई आईएमटी, एटीएम पर एक कार्डलेस विदड्राअल सुविधा का लोकार्पण

12. भुगतान व्यवस्था समूह

प्रीपेड कार्ड: आपका बैंक भारतीय रुपए में एवं विदेशी मुद्रा दोनों में प्री-पेड कार्ड जारी करता है। भारतीय रुपए में ईजी पे कार्ड, गिफ्ट कार्ड, स्मार्ट पे-आउट कार्ड, क्विक पे कार्ड, इंप्रेस्ट कार्ड, एचीवर कार्ड आदि कई प्रकार के प्री-पेड कार्य व्यक्तिगत और कॉरपोरेट ग्राहकों को जारी किए जाते हैं। स्टेट बैंक विदेश यात्रा कार्ड आठ विदेशी मुद्राओं में उपलब्ध हैं। इन मुद्राओं के नाम हैं- जापानी येन, कनाडाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियी डॉलर, सऊदी रियाल, सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पौंड। यह कार्ड विदेश यात्रा करने वालों को निरापदता, सुरक्षा और सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2017 के दौरान, आपके बैंक ने 32,200 विदेश यात्रा कार्ड और 3,68,400 भारतीय रुपया प्री-पेड कार्ड जारी किए हैं।

13. फंड ट्रान्सफर एवं सेटलमेंट

बैंक अपनी शाखाओं में तथा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए योग्य लेनदेनों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) फंड ट्रान्सफर सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एनईएफटी सेवा बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए प्रदान की जाती है। एनईएफटी और आरटीजीएस आज भी धन-प्रेषण की बहुत ही किफायती एवं समय कुशल पद्धति है। एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले बाहरी फंड ट्रान्सफर की संख्या वित्त वर्ष 2017 के दौरान 229.70 मिलियन रहीं। बैंक ने अपने आपको सबके आगे स्थापित किया है। 31 जनवरी 2017 को एनईएफटी में बैंक का बाजार अंश 13.45% रहा (आरबीआई द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार)। आरटीजीएस में, बैंक ने 28 फरवरी 2017 को 10.34% बाजार अंश बनाए रखा (आरबीआई द्वारा नवीनतम आंकडों के अनुसार)। बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा के जरिए एनईएफटी फंड ट्रांसफर में भी हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है।

14. लोटस परियोजना

देश में 300 मिलियन से भी अधिक ग्राहकों वाला सबसे बड़ा और अति विश्वसनीय बैंक होने के नाते आपका बैंक भारत में बैंकिंग और वित्तीय सहभागिता बढ़ाने के लिए अपने ढेरों तकनीकी संचालित समाधानों के साथ सबसे आगे बना हुआ है।

आपका बैंक दक्षता बढ़ाने और नियंत्रण सुधारने की दृष्टि से आईटी परिक्षेत्र का विस्तार व उसका आधुनिकीकरण कर अपनी आईटी संरचना को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। लागत/आय अनुपात में दक्षता लाने और उच्च ग्राहक संतुष्टि स्कोर को अर्जित करने के लिए डिजिटल परिवर्तन के लक्ष्यों के माध्यम से तकनीकी संचालित चैनलों का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है। यह बैंक की कार्य-संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाने के अलावा उसे विश्व के अति आधुनिक बैंकों के समकक्ष खड़ा करता है। आपके बैंक की क्षमताओं का सुसंचालन इतना संगत है कि इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं की सटीक पहचान के साथ-साथ उन्हें वरीयमान तरीके से संतुष्ट करने में कामयाबी मिल रही है। डिजिटल परिवर्तन कराने में आपके बैंक ने इतिहास में पहली बार डिजाइन थिंकिंग एप्रोच के साथ ऐसी दक्ष पद्धति अपनाई है ताकि इस प्रयास से व्यवसाय आवश्यकताओं की बात की जा सके। तकनीक में परिवर्तन स्वीकार्यता की इस बाजार स्वीकृति को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठित उद्योग निकायों द्वारा कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं।

15. वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं (एफआई एंड जीएस) में नई प्रगति

- बीसी/सीएसपी स्थापनाओं में अंतर-परिचालनीय एटीएम कार्ड आधारित लेनदेन उपलब्ध कराना।
- किओस्क एप्लीकेशन के माध्यम से सीएसपीज हेतु मर्चेंट लेनदेन मेनू ग्राहक द्वारा सीएसपी स्थापनाओं से क्रय की गई वस्तुओं/सेवाओं के लिए ई-भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- कम नकदी अर्थव्यवस्था की सुविधा हेतु एसबीआई आधार पे मर्चेंट ऐप की शुरुआत।
- आईएमपीएस के अंतर्गत ओटीपी आधारित रिफंड सुविधा से प्रमाणिक ग्राहकों के असफल हुए आईएमपीएस लेनदेनों का रिफंड आसान हुआ है।
- किओस्क से जुड़ी 'बडी ने किओस्क चैनल पर 'बडी' के माध्यम से नकद जमा एवं निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई है।
- उच्च मात्रा की हैंडलिंग के लिए मजबूत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण समाधान का विस्तार तथा खातों फंड्स निधि के पूर्ण समाधान के लिए टी+0 प्रोसेसिंग।
- राज्य सरकार की सहायता प्रदान करने वाली डीटीबी सेवाओं को राज्य स्तरीय सहायता भुगतान करने वाली एजेंसियों को प्रोसेस करने हेतु नया सॉल्यूशन।

वित्त वर्ष 2017 के दौरान प्राप्त आईटी पुरस्कारों की सूची

अवार्ड	श्रेणी
आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नॉलॉजी वर्ष 2015-16 के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार	(1) तकनीकी का नवोन्मेषी प्रयोग (बड़े बैंकों की श्रेणी में) (2) डिजिटल बैंकिंग (बड़े बैंकों की श्रेणी में)
सीएसआई आईटी इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2016	बिग डेटा एनालिटिक्स के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ बैंक
स्कॉच (एसकेआसीएच) अवार्ड	ई-कॉमर्स, एसबीआई मिंगल हेतु ईएमआई
फिन्नोविटी अवार्ड 2017	ई-कॉमर्स हेतु ईएमआई, ऋण जोखिम से संबंधित लेनदेन का स्वचालन
आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड 2017	वर्ष का सर्वश्रेष्ठ तकनीकी बैंक, डिजिटल एवं चैनल टेक्नॉलॉजी में सर्वश्रेष्ठ (रनर-अप), एनॉलिटिक्स के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ (रनर-अप), वित्तीय समावेशन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ (रनर-अप), वित्तीय समावेशन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ (रनर-अप)
नेटऐप्प इनोवेशन अवार्ड 2017	डेटा भंडारण, ग्रीन आईटी का नवोन्मेषी प्रयोग
एनपीसीआई-नेशनल पेमेंट्स एक्सीलेंस अवार्ड	सभी श्रेणियों में विजेता रहने का विशेष अवार्ड

वर्ष 2016-17 में सर्वश्रेष्ठ सीआईओ हेतु प्राप्त पुरस्कारों की सूची

अवार्ड	श्रेणी
आईडीजी मीडिया प्रा. लि. द्वारा सीआईओ 100	सर्वश्रेष्ठ सीआईओ
बीएफएसआई आईटी लीडरशिप अवार्ड 2016	सर्वश्रेष्ठ सीआईओ
सीएसआई आईटी इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2016	सर्वश्रेष्ठ सीआईओ
यूबीएस ट्रांसफार्मेस द्वारा होस्ट किया गया	लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड

3. जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन का विहंगावलोकन

आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत जोखिम पहचान, जोखिम उपाय, जोखिम निर्धारण, जोखिम न्यूनीकरण शामिल हैं और इसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता एवं पूँजी पर इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करना है। बैंक को ऐसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी बैंकिंग व्यवसाय के अभिन्न अंग होते हैं। प्रमुख जोखिमों में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम एवं परिचालन जोखिम आते हैं, जिनमें सूचना-प्रौद्योगिकी जोखिम भी शामिल हैं।

आपके बैंक के पास अपने सभी संविभागों में इन जोखिमों के मापन, उनकी निगरानी एवं इनके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतियां और कार्यविधियां मौजूद हैं। ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के अंतर्गत नवीनतम पद्धति को लागू करने में बैंक अग्रणी रहा है। बैंक ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से उद्यम और समूह जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं भी शुरू की हैं। ये परियोजनाएं बाहरी परामर्शदाताओं के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं।

बेसल III पूंजी विनियमों से संबंधित आरबीआई के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है और आपके बैंक में बेसल III की वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप पूंजी लगाई गई है। जोखिम मापन, निगरानी और नियंत्रण कार्यों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कर्तव्यों को अलग करने के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना लागू की गई है। इस संरचना में परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों को ज्यादा अधिकार दिए दिखाई देते हैं जिससे प्रौद्योगिकी, जो प्रमुख संचालक है, की सहायता से उद्गम स्थल पर ही जोखिम की पहचान और उसका प्रबंधन किया जा सकेगा। कार्यपालक स्तर की समितियों तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अपनी नियमित बैठकों में भारतीय स्टेट बैंक और इसके समूह बैंकों में विद्यमान विभिन्न जोखिमों की निगारानी और समीक्षा की जाती है। परिचालन इकाई और व्यवसाय इकाई स्तर पर भी समितियां मौजूद हैं।

1. ऋण जोखिम

किसी प्रत्यक्ष चूक या संविभाग मूल्य में कमी के कारण ऋणियों या अन्य पक्षों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी हानि की आशंका को ऋण जोखिम कहा जाता है। बैंक द्वारा किसी व्यक्ति, गैर-कॉरपोरेट, कॉरपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थान या राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले लेनदेन से जोखिम पैदा होती है।

न्यूनीकरण के उपाय

आपके बैंक में ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन का सुदृढ़ मजबूत ढाँचा मौजूद है, जिससे ऋण से जुड़े जोखिमों और उनकी मात्रा की जानकारी मिलती है और उन पर निगरानी एवं नियंत्रण भी किया जाता है। एक समर्पित टीम द्वारा संरचनात्मक तरीके से औद्योगिक वातावरण को परखा जाता है, उस पर शोध किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि सभी चिह्नित 37 उद्योगों/क्षेत्रों, जो हमारे देशीय विस्तार का 70 प्रतिशत भाग होते हैं, के लिए आपके बैंक का दृष्टिकोण और संवृद्धि का लक्ष्य तय किया जा सके। इन क्षेत्र के जोखिमों की सतत निगरानी की जाती है और आवश्यक होने पर संबंधित उद्योगों की तत्काल समीक्षा की जाती है। ब्रेक्जिट, विमुद्रीकरण, टेलीकॉम दरों में घटती स्पर्धा, ऊर्जा की घटती कीमतों और कुछ वस्तुओं की कीमतों की उथल-पुथल का विश्लेषण किया गया तथा संभावित जोखिम को कम करने के लिए आपके बैंक द्वारा उपयुक्त उपाय किए गए। रियल एस्टेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वृद्धि की नियमित अंतराल पर

समीक्षा की जाती है। ऊर्जा, टेलीकॉम, आयरन एवं स्टील, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जाती है और नई प्रगति से व्यवसाय समूहों को अवगत कराया जाता है ताकि वे बेहतर ऋण निर्णय ले सकें। शीर्ष कार्यपालकों और प्रचालन स्टाफ के लाभ के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान सत्रों का आयोजन किया जाता है।

भविष्य की संभावनाओ के आधार पर प्रत्येक उद्योग के लिए ऋण दर सीमा निर्धारित की जाती हैं।

आपका बैंक उधारकर्तावार ऋण जोखिम का निर्धारण करने के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल और स्कोरकार्ड प्रयोग करता है। उधारकर्ताओं के आंतरिक ऋण निर्धारण मॉडल बैंक द्वारा ही तैयार किए गए हैं। इनकी समीक्षा हर पहलू की पुष्टि और बाद में उनकी परख करके की जाती है।

आपके बैंक ने लोन ओरिजनेटिंग साफ्टवेयर/लोन लाईफसाइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एलओएस/एलएलएमएस) के माध्यम से ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक आईटी प्लेटफार्म का अंगीकार किया है। बैंक द्वारा तैयार किए गए मॉडल इस प्लेटफार्म पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जिन्हें सीआईबीआईएल और आरबीआई चूककर्ता सूची में शामिल कर दिया जाता है।

पूँजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और पूँजी पर प्रतिलाभ बढ़ाने के क्रम में आपके बैंक ने जोखिम आधारित बजटिंग (आरबीबी) लागू की है। जोखिम में छूट और पूँजी पर प्रतिलाभ को ऋण जोखिम पूँजी पर मिलने वाले प्रतिलाभ के आधार पर मापा जाता है। बजटीकृत अग्रिमों के स्तर की प्राप्ति विशेषीकृत लीवर्स के अंतर्गत जाँच कर की जाती है। पूँजीगत जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) ढाँचे को वित्त वर्ष 2016 से लागू किया गया है। ग्राहक स्तरीय पूँजीगत जोखिम समायोजित लाभ की परिगणना को भी डिजिटलीकृत किया गया है। साथ ही, फुटकर ऋणी के निष्पादन की निगरानी और स्कोरिंग के लिए व्यावहारिक मॉडल विकसित किए गए हैं और इन्हें ऋण जोखिम डेटा मार्ट पर दर्शाया गया है।

आपके बैंक ने ऋण केंद्रित जोखिम के प्रबंधन हेतु एकल और समूह दोनों प्रकार के ऋणियों के लिए जोखिम संभावी आंतरिक विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को लागू करके एक विकसित मैकेनिज्म तैयार किया है। यह सीमाएं ऋणी की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर नियत की जाती हैं। यह ढाँचा विवेकपूर्ण एक्सपोजर शर्तों के विनियामक निर्धारण, जो कि प्रकृति में उत्तम है, से एक कदम आगे है। इन एक्सपोजर शर्तों की एक निर्धारित आवधिकता में नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

आपका बैंक अपने ऋण संविभाग पर अर्धवार्षिक तनाव परीक्षण का आयोजन करता है। हम तनाव परिदृश्य को आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार, उद्योग की उत्तम प्रथाओं और बृहत् आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों के अनुसार नियमित रूप से अद्यतित करते रहते हैं।

ऋण जोखिम के उन्नत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग्स बेस्ड (एफआईआरबी) के लिए समानांतर संचालन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। इससे प्राप्त डेटा आरबीआई को प्रस्तुत किया जाता है। चूक की संभावना (पीडी), चूक के कारण हुई हानि (एलजीडी) और चूक के कारण हुए एक्सपोजर का अनुमान लगाने के मॉडल आंतरिक रूप से तैयार किए गए हैं। आईआरबी पूँजी की गणना के लिए बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली बाहर से खरीदी है। ऋण जोखिम प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के प्रयासों में आपके बैंक ने स्वतंत्र जोखिम एडवाइजरी (आईआरए) नाम का एक नया प्रयास शुरू किया है। इसके द्वारा मध्यम एवं उच्च मूल्य वाले ऋण प्रस्तावों की जाँच की जाती है।

2. बाजार जोखिम

विनिमय दर, बाजार दर और इक्विटी की कीमत आदि बाजार के परिवर्तनकारी कारकों में परिवर्तन से बैंक के व्यापार संविभाग के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण बैंक को जो हानि हो सकती है, उसे बाजार जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण के उपाय

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन में जोखिम और उसकी मात्रा की पहचान, प्रतिरोधक उपाय, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है।

बाजारगत जोखिम को नियंत्रित करने का कार्य विभिन्न सीमाएं बाँधकर किया जाता है। नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन, मॉडीफाइड ड्युरेशन, पीवी 01, स्टॉप लॉस, अपर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, लोअर मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर, कंसंट्रेशन एंड एक्सपोजर लिमिट्स ऐसी सीमाओं के उदाहरण हैं।

आपके बैंक ने व्यापार संविभाग के लिए आस्तियों की श्रेणीवार जोखिम सीमाएं तय की हैं, जिन पर निरंतर निगाह रखी जाती है।

वर्तमान में बाजारगत जोखिम पूँजी की गणना मानकीकृत मापन विधि (एसएमएम) से की जाती है। बैंक ने बाजारगत जोखिमों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के अंतर्गत आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) पर माइग्रेट करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय का पत्र भेजा है।

वैल्यू ऐट रिस्क (वीएआर) आपके बैंक के व्यापार संविभाग की जोखिम पर निगरानी रखने का साधन है। उद्यम स्तर के वैल्यू ऐट रिस्क की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। बैक टेस्ट भी दैनिक आधार पर किया जाता है। बाजार जोखिम के लिए वैल्यू ऐट रिस्क की गणना भी दैनिक आधार पर की जाती है। व्यापार संविभाग के तिमाही तनाव परीक्षणों द्वारा वैल्यू ऐट रिस्क तरीके का संवर्धन किया जाता है।

3. परिचालन जोखिम

आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रणालियों की अपर्याप्तता या असफलता से होने वाली हानि को परिचालन जोखिम कहते हैं।

न्यूनीकरण के उपाय

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के प्रमुख तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख हैं - प्रणालियों और नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा, पूरे बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता लाना, घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-निर्धारण (आरसीएसए) प्रक्रिया के माध्यम से परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, की इंडीकेटर्स (केआईएस) (की रिस्क इंडीकेटर केआरआईएस को मिलाकर), की कंट्रोल इंडीकेटर्स (केसीआईएस) व की प्रोसेस इंडीकेटर्स (केपीआईएस) के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी सूचना में सुधार लाना, निर्धारण के परिणाम की प्रभावी खोज एवं अनुवर्तन द्वारा जोखिमों का समाधान, जोखिम स्वामित्व का निर्धारण, व्यवसाय युक्ति के साथ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को जोड़ना। ये नीतियां नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त बेहतर पूँजी प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं और बैंक की सेवाओं/उत्पादों। प्रक्रियाओं में सुधार लाती हैं।

समानांतर रन आधार पर परिचालन जोखिम पूँजी प्रभार की गणना करने हेतु परिचालन जोखिम के उन्नत मानक दृष्टिकोण (एएमए) पर माइग्रेट करने के लिए आपके बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सैद्धांतिक अनुमोदन (एकल आधार पर) प्रदान किया है।

वित्त वर्ष 2017 के लिए बैंक ने स्टैंड अलोन आधार पर बेसिक इंडीकेटर एप्रोच (बीआईए) के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूँजी रखी है। एएमए के अनुसार पूँजी प्रभार की गणना भी समानांतर रन आधार पर की गई है।

01 सितंबर को आपके बैंक में जोखिम जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्टाफ को प्रशिक्षित कर जोखिम संस्कृति विकसित की जा रही है।

4. उद्यम जोखिम

उद्यम जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है - उपयुक्त युक्ति-रचना के माध्यम से बैंक स्तर पर विभिन्न जोखिमों और जोखिम के घटकों के प्रबंधन के लिए व्यापक ढाँचा तैयार करना। इसमें जोखिम निर्वहन, जोखिम समूहन और जोखिम आधारित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं का समावेश है।

न्यूनीकरण के उपाय

जोखिम की भूमिका को बदलने और उसे व्यावसायिक ध्येय से जोड़ने की रणनीति संबंधी हमारे बैंक के विजन के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति लागू की गई है।

वर्तमान में आपका बैंक उद्यम स्तर पर जोखिम प्रोफाइल तैयार करने हेतु संगठन में जोखिम उपादानों की पहचान करके, जोखिमों के स्तर का मापन करके और उन्हें मिलाकर उपादान जोखिम निर्धारण को कार्यान्वित कर रहा है।

सामान्य एवं तनावग्रस्त स्थितियों में पूँजी पर्याप्तता की जानकारी हेतु आपका बैंक वार्षिक आधार पर व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) को अपनाता है। आईसीएएपी के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) सकेंद्रण जोखिम जैसे पिलर 2 के जोखिमों सहित ऋण, बाजार और परिचालन आदि पिलर 1 के जोखिम आते हैं।

5. समूह जोखिम

समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है समूह की इकाइयों से जोखिम प्रबंधन की मानक प्रक्रियाओं को पूरा करना।

न्यूनीकरण के उपाय

बैंक में समूह जोखिम प्रबंधन, समूह तरलता और आकस्मिकता निधीयन योजना (सीएफपी), निकटवर्ती समूह व अंतर्समूह लेनदेन एवं एक्सपोजर नीतियां विद्यमान हैं।

समेकित विवेकपूर्ण जोखिमों और समूह जोखिम घटकों की निगरानी भी नियमित रूप से की जाती है। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और चलनिधि जोखिम आदि के लिए जोखिम आधारित मापदंडों की तिमाही समीक्षा समूह जोखिम प्रबंधन समिति (ईजीआरएमसी)/बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रस्तुत की जाती है।

समूह की आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ग्रुप आईसीएएपी) प्रलेख में समूह की इकाइयों द्वारा चिह्नित जोखिमों का निर्धारण, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम न्यूनीकरण उपाय तथा सामान्य और दबावपूर्ण दशाओं में पूँजी निर्धारण सम्मिलित है। समूह की सभी इकाइयां, जहाँ भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक है, जिनमें गैर-बैंकिंग इकाइयां भी सम्मिलित हैं, समूह आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया पूरी करती हैं और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समूह आईसीएएपी नीति विद्यमान है।

6. बासेल कार्यान्वयन

नियामक द्वारा आपके बैंक को डी-एसआईबी के रूप में चिह्नित किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2016 से चरणबद्ध ढंग से आरडब्ल्यूए का 0.60 प्रतिशत अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी) रखना होगा। 1 अप्रैल 2019 से यह पूर्णतया लागू होगा। आपके बैंक ने चरणबद्ध तरीके से सीसीबी को भी मेनटेन करना शुरू किया है और यह मार्च 2019 तक 2.5 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। आपका बैंक उचित शुल्क के साथ सभी नियामक शर्तों का अनुपालन करने के लिए पूरी तरह से सज्जित है और इसके लिए इसे न्यूनतम नियामक पूँजी की आवश्यकता होगी।

जोखिम प्रबंधन संरचना

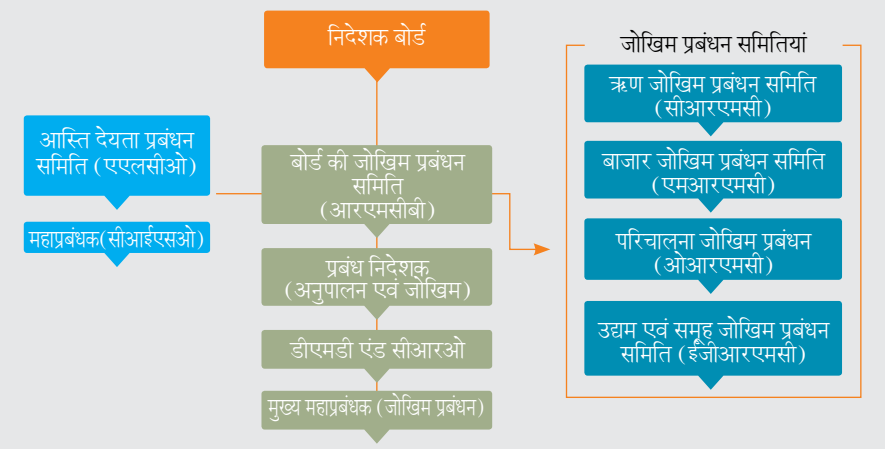

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक का आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य आंतरिक प्रक्रियाओं और कार्यविधियों के अनुपालन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। यह आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके बैंक की सभी परिचालन इकाइयों की जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा भी करता है। तेजी से होते डिजिटलीकरण के साथ कदम मिलाकर बैंक ने विभिन्न प्रकार के लेखा-परीक्षा कार्यों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू किया है और लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में स्वचालन की ओर बढ़ रहा है। कुछ प्रमुख पहलों में ये भी शामिल हैं :-

- नियामक द्वारा व्यवसाय एक्सपोजर के उच्च समूह को समाहित कर वेब आधारित लेखा-परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है।
- लेनदेनों में पाए गए अपवादों की निगरानी के लिए ऑफसाइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)।
- ₹50 लाख और उससे अधिक के ऋणों की गुणवत्ता की शीघ्र समीक्षा के लिए वेब आधारित शीघ्र समीक्षा तंत्र।
- वेब आधारित जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए), जो कि स्वचालन के बढ़े हुए स्तर के साथ विस्तार योग्य, लचीला एवं मापनीय है।
- विभिन्न योजनाओं/उत्पादों के अंतर्गत ऋणों की लेखा-परीक्षा के लिए आरएफआईए में ऋण उत्पाद आधारित माड्यूल।
- शाखाओं द्वारा स्व-मूल्यांकन हेतु अपनी ऑन-लाइन लेखा-परीक्षा और नियंत्रकों द्वारा उसकी जाँच।
- प्रबंधन द्वारा अनुपालन की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करते हुए एमआईएस डैश बोर्ड पर टी+1 आधार पर लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

आपके बैंक में एक अंतर्निहित नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें हर स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा (आई एंड एमए) विभाग के माध्यम से आंतरिक लेखा-परीक्षा की

जाती है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा विभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करती है।

बैंक में मुख्य रूप से दो प्रकार की लेखा-परीक्षा होती है - जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए) और प्रबंधन लेखा-परीक्षा। इनमें आंतरिक लेखा-परीक्षा के विभिन्न पहलुओं का समावेश हो जाता है। बैंक की लेखा इकाइयों की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। आपके बैंक की प्रबंधन लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं और इसके तहत उनके कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता के साथ-साथ नीतियों और कार्यविधियों की जाँच हो जाती है।

इसके अतिरिक्त आई एंड एमए विभाग द्वारा ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (केंद्रीकृत आईटी स्थापनाएं एवं शाखाएं), होम कार्यालय लेख-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा), संगामी लेखा-परीक्षा, एफईएमए लेखा परीक्षा, बैंक की आउट सोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा एवं व्यय लेखा-परीक्षा की जाती है। साथ ही, शाखाओं द्वारा अनियमितताओं में सुधार के स्तर का सत्यापन करने के लिए कुछ चुनिंदा शाखाओं में अनुपालन लेखा-परीक्षा की जाती है।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआईए)

निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग आरएफआईए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का समन्वयकर्ता है, के माध्यम से लेखा-परीक्षित इकाइयों के समस्त परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा करता है। व्यवसाय के प्रकार और जोखिम के आधार पर देशीय शाखाओं को मोटे तौर पर तीन समूहों (समूह 1, 2 और 3) में रखा गया है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान आई एंड एमए ने आरएफआईए के अंतर्गत 10,349 देशीय शाखाओं/बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा की है।

फेमा लेखा-परीक्षा

फेमा लेखा-परीक्षा आरएफआईए के तहत अलग से की जाती है। यह उन अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो विदेशी विनिमय व्यवसाय एवं फेमा/आरबीआई के दिशा-निर्देशों से भलीभाँति परिचित होते हैं। वित्त वर्ष 2017 के दौरान 575 इकाइयों की फेमा लेखा-परीक्षा की गई।

प्रबंधन लेखा-परीक्षा

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय, शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, सहयोगी बैंक और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रबंधन लेखा-परीक्षा के दायरे में आते हैं। वित्त वर्ष 2017 के दौरान 35 संस्थापनाओं/प्रशासनिक कार्यालयों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

ऋण लेखा-परीक्षा

ऋण लेखा परीक्षा का उद्देश्य बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता में निरंतर निखार लाना है। ₹10 करोड़ और इससे अधिक के हर एक वाणिज्यिक ऋण के विवेचनात्मक परीक्षण द्वारा इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ₹100 करोड़ एवं उससे अधिक के उच्च जोखिम खातों की अर्धवार्षिक अंतराल पर समीक्षा की जाती है। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली, चेतावनी संकेतों के रूप में, व्यवसाय इकाइयों को ऋण संविभाग की गुणवत्ता के बारे में प्रतिसूचना देती है तथा सुधार के उपाय भी सुझाती है।

ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम)

उच्च मूल्य के ऋण क्षेत्र की लेखा-परीक्षा में भी संस्वीकृति /संवर्धन/नवीकरण के 3 से 6 महीनों के अंदर ₹5 करोड़ से अधिक के अलग-अलग अग्रिमों की संस्वीकृति-पूर्व एवं संस्वीकृति प्रक्रिया का ऑफसाइट तंत्र (ऋण समीक्षा तंत्र) उपलब्ध है। ऑनलाइन समीक्षा, एटीआर की प्रस्तुति एवं नियंत्रकों की निगरानी हेतु एलआरएम को एलएलएमएस के साथ जोड़ दिया गया है।

मंजूरी के बाद शीघ्र समीक्षा

मंजूरी के बाद शीघ्र समीक्षा की शुरुआत ₹ 50 लाख से ₹5 करोड़ तक की मंजूरियों की समीक्षा के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य मंजूर प्रस्तावों में कोई खास जोखिम होने पर उसे प्रारंभिक चरण में ही पकड़ना और उसे कम करने के लिए नियंत्रकों को सूचित करना है।

सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (आईएस लेखा-परीक्षा)

शाखा की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआइए) के तहत सभी शाखाओं की सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखा-परीक्षा कर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिमों का आकलन किया जाता है। केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षा अर्हताप्राप्त अधिकारियों/बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान 32 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की गई।

विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा - होम ऑफिस लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 2017 के दौरान 51 शाखाओं की होम ऑफिस लेखा-परीक्षा तथा 4 प्रतिनिधि कार्यालयों, 1 कंट्री हेड कार्यालय व 1 अनुषंगी/संयुक्त उद्यम की प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली

संगामी लेखा-परीक्षा मौलिक रूप से नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जो आंतरिक सुदृढ़ लेखा कार्यों को सुव्यवस्थित तथा नियंत्रण को प्रभावी बनाती है। संगामी लेखा परीक्षा में नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बैंक के अग्रिम एवं अन्य जोखिम सम्मिलित हैं। वेब आधारित समाधान लागू करके संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली को पुनः निर्धारित किया गया है और इसे अधिक कार्यक्षम बनाया गया है।

अन्यत्र लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

निरंतर ऑफ साइट निगरानी द्वारा ट्रांजेक्शन ऑडिट को और मजबूती प्रदान करने, विपथन को बिना अधिक समय गँवाए पकड़ लेने तथा सुधार कार्रवाई करने हेतु ऑफ-साइट ट्रांजेक्शन मॉनीटरिंग सिस्टम (ओटीएमएस) नाम के वेब आधारित समाधान की शुरुआत की गई थी। कतिपय व्यवसाय नियमों के आधार पर डेटा वेयरहाउस (डीडब्ल्यू) द्वारा अपवादात्मक डेटा निकाला जाता है और उसकी निरंतर निगरानी की जाती है। वर्तमान में 27 प्रकार के विपथनों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें सत्यापन हेतु शाखाओं को भेजा जाता है। अपवादों की आवधिक समीक्षा की जाती है और उन्हें आवश्यकता और कतिपय रोक के आधार पर बढ़ाया जाता है।

विधिक लेखा-परीक्षा

सभी व्यवसाय समूहों में विधिक लेखा-परीक्षा की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक के समग्र जोखिम (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) वाले खातों के ऋण और बंधक से संबंधित सभी प्रलेखों की लेखा-परीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2017 तक 9,170 खातों में विधिक लेखा-परीक्षा की गई।

आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा

बैंक में आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखा-परीक्षा को देखने के लिए महाप्रबंधक (सीएयू) की अध्यक्षता में एक पूर्ण सज्जित विभाग की स्थापना की गई है।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक अनुपालन जोखिम प्रबंधन को अत्यधिक महत्व देता है। अनुपालन कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक पहल की गई हैं। इनमें कारोबार संचालन की मात्रा और जटिलताओं को ध्यान में रखा गया है। कुछ प्रमुख पहलों की जानकारी नीचे दी गई है:

- सभी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, नीतियों को अनुमोदित और लागू करने के पहले विनियामक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर इनकी जांच की जाती है। वर्तमान नीतियों/प्रक्रियाओं/उत्पादों की समीक्षा की अनुपालन की दृष्टि से भी जांच की जाती है। इससे आपके बैंक को अनुपालन का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।
- एक अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विभिन्न व्यवसाय समूहों तथा सहायता कार्य में संलग्न विभागों के वरिष्ठ कार्यपालकों को शामिल किया गया है। इन कार्यपालकों की अनुपालन से जुड़े सभी विषयों पर नजर रहती है। समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर होती है। इन बैठकों में सभी संबंधितों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का कार्य सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन किया जाता है। इस समिति द्वारा समीक्षा और पुष्टिकरण समूह भी बनाए गए हैं। इन समूहों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सूचना/डेटा की गुणवत्ता और निरंतर उपलब्धता के कार्य की प्रगति पर लगातार नजर रहती है और ये आबीएस सूचना प्रणाली के तहत समय पर सूचना प्रस्तुत सुनिश्चित की जाती है।

- भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निरंतर जांच की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक सुदृढ़ नियंत्रण व्यवस्था उपलब्ध रहे और यह विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन कराने के लिए पर्याप्त है। नियंत्रण व्यवस्था और जहाँ आवश्यक हो, नई व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों को पिछले अनुभवों की जानकारी भी दी जाती है।

घ. एएमएल-सीएफटी संबंधी उपाय

- बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से लेनदेनों पर कारगर निगरानी रखने के लिए आपके बैंक द्वारा अलग से एक एएमएल/सीएफटी विभाग स्थापित किया गया है। एएमएल/सीएफटी के क्षेत्र में उभर रही जटिलताओं से निपटने के लिए आपके बैंक में विश्व के बड़े बैंकों में उपयोग में लाए जा रहे सॉफ्टवेयर के अनुरूप अपने बैंक के सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- केवाईसी और एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुपालन के प्रति बैंक स्टाफ में और अधिक जागरूकता विकसित करने के लिए बहुत सी पहल की गई हैं। समस्त स्टाफ में केवाईसी अनुपालन के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों हेतु ई-लेसन उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्टाफ को इससे जोड़ने के लिए पूरे बैंक में ऑनलाइन क्विज आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को एएमएल-सीएफटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी शाखाओं/प्रोसेसिंग सेंटर्स और प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिज्ञा की जाती है। इसी तरह 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन और धोखाधड़ी रोकथाम दिवस मनाया जाता है।

4. राजभाषा

आपके बैंक द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए गंभीर प्रयास किए गए। कुछ उल्लेखनीय प्रयास इस प्रकार हैं :-

हिंदी माध्यम से क्षेत्रीय भाषा शिक्षण

भारत सरकार की अपेक्षा रही है कि बैंक के स्टाफ सदस्यों को स्थानीय भाषा की भी जानकारी हो ताकि वे आम जनता के साथ उनकी भाषा में संपर्क स्थापित कर बेहतर ग्राहक सेवा दे सकें। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए मंडल के विभिन्न राजभाषा विभागों ने अपने स्टाफ को हिंदी माध्यम से क्षेत्रीय भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित प्रकाशन तैयार करवाए हैं :-

- आइए असमिया सीखें
- आइए सीखें हिंदी से ओडिया
- हिंदी-पंजाबी संवाद सहायिका
- हिंदी भाषा के माध्यम से कन्नड़ सीखें - कन्नड़ कलि
- आइए मलयालम सीखें

विश्व हिंदी दिवस का आयोजन

आपके बैंक के विदेश स्थित सभी कार्यालयों में 10 जनवरी 2017 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य वहाँ हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और स्टाफ-सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षानुसार हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष पिछले वर्ष से बिल्कुल भिन्न नई तरह की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रमुख हैं :-

- हिंदी शब्द पहेली प्रतियोगिता
- हिंदी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
- हिंदी में विज्ञापन और स्लोगन तैयार करने संबंधी प्रतियोगिता
- हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों का प्रदर्शन और प्रश्नमंच
- हिंदी के प्रसिद्ध नाटकों का मंचन
- हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता
- हिंदी पुस्तक पठन प्रतियोगिता
- विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार पर परिचर्चा

अखिल भारतीय ऑनलाइन हिंदी क्विज

अगस्त एवं सितंबर 2016 माहों में बैंककर्मियों के लिए एक अखिल भारतीय ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी की गई, जिसमें 13,000 से अधिक स्टाफ-सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रतियोगिता राजभाषा विभाग की नई तैयार की गई वेबसाइट पर आयोजित की गई। इस दौरान वेबसाइट की हिट्स संख्या बढ़कर 1,20,000 से भी अधिक हो गई।

सभी 3 भाषायी क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया

इस वर्ष आपके बैंक में 'क', 'ख' और 'ग' तीनों भाषायी क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। बैंक अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा 14 सितंबर 2016 को बैंक के सभी स्टाफ-सदस्यों के नाम एक वीडियों संदेश भी प्रसारित किया गया।

श्री प्रसून जोशी का सम्मान

भारतीय स्टेट बैंक हर वर्ष ऐसे महानुभावों का सम्मान करता है, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में बहुमूल्य योगदान किया है। बैंक की अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य ने इस वर्ष एक प्रमुख लेखक, कवि, गीतकार और विज्ञापन जगत की नामचीन हस्ती श्री प्रसून जोशी को सम्मानित किया।

हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मंडलों को शील्ड

कॉरपोरेट केंद्र द्वारा राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 'क', 'ख' तथा 'ग' (पूर्व एवं दक्षिण) मंडलों को शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। शील्ड एवं प्रमाण-पत्र पाने वालों में नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता व हैदराबाद मंडल 'प्रथम' तथा लखनऊ, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलुरू मंडल 'द्वितीय' रहे।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस वर्ष आपके बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, संसद भवन शाखा और क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, उदयपुर का निरीक्षण किया गया। मुंबई में समिति के निरीक्षण दौरे/कार्यक्रम का समन्वय कार्य भी आपके बैंक को सौंपा गया था। बैंक ने समन्वय कार्य को अत्यंत कारगर ढंग से संपन्न किया और समिति की संस्तुतियों पर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की। इसकी सराहना में हमारे बैंक की अध्यक्ष को माननीय समिति के संयोजक से प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त हुआ है।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के संबंध में प्रश्नावली भरने और अन्य तैयारियों/व्यवस्थाओं के संबंध में 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में राजभाषा कार्य से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 18 जून 2016 को स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र, पंचकूला तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में राजभाषा कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए 18 मार्च 2017 को स्टाफ ज्ञानार्जन केंद्र (एसबीटी) एर्नाकुलम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शीर्ष कार्यपालकों के लिए संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का एक द्विभाषी संकलन वर्ष के दौरान तैयार किया गया और उसे स्टेट बैंक टाइम्स में राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 'प्रयास' को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

आपके बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'प्रयास' को इस वर्ष भारत के माननीय राष्ट्रपतिजी से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी का हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए सम्मान करती हुईं

हमारे बैंक की अध्यक्ष को राजभाषा रत्न सम्मान

आपके बैंक की अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य को प्रतिष्ठित साहित्यिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' से वर्ष 2016 के लिए राजभाषा रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

बैंक के नेतृत्व में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां पुरस्कृत

आपके बैंक के नेतृत्व में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया गया है। ये शील्डें संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा प्रदान की गईं। आपके बैंक की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'प्रयास' भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में पुरस्कृत की गई।

5. विपणन एवं संप्रेषण

बैंकिंग क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान फिनटेक कंपनियों के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पारंपरिक बैंक अपनी व्यवसाय कार्यनीतियों, विशेषकर तकनीकी आधारित ग्राहक के महत्ता अनुपात में, में आशोधन/बदलाव के लिए बाध्य हुए हैं। यही नहीं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों द्वारा स्मार्ट और संवर्धित विपणन पहल के माध्यम से पारंपरिक उत्पादों को भी स्पर्धा में शामिल किया गया है।

इस उद्देश्य से आपके बैंक प्रबंधन ने मार्च 2016 में मुख्य विपणन आधिकारी की नियुक्ति की है। मुख्य विपणन अधिकारी आपके बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में खोले गए विपणन एवं संप्रेषण (एम एंड सी) विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग खुलने से पहले का कॉरपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन विभाग इसी के साथ मिल गया है। विपणन एवं संप्रेषण विभाग आपके बैंक द्वारा शुरू किए जाने वाले हर ब्रांड एवं उत्पाद के विपणन, जनसंपर्क एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के लिए जिम्मेदार है। आपके बैंक द्वारा शुरू की गई सभी ब्रांडिंग पहलों में सहयोग सुनिश्चित करने और सम-सामयिक विपणन दृष्टिकोण अपनाते हुए बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के प्रोत्साहन में आशान्वित प्रयास करने तथा युवावर्ग को अपने से जोड़ने के लिए बैंक की डिजिटल पहलों के प्रति उन्हें प्रेरित करने हेतु विपणन एवं संप्रेषण विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व यह है कि वह भारत या विदेश सहित बैंक के विभिन्न प्रभागों की व्यवसाय चुनौतियों से जुड़ी एकीकृत विपणन कार्यनीति विकसित करे और उसका कार्यान्वयन करे। इस विभाग में मीडिया, विपणन संप्रेषण, विज्ञापन एवं जनसंपर्क जैसे विभिन्न संबंधित क्षेत्रों से प्रभावी कार्यकुशल पेशेवरों/विशेषज्ञों को रखा गया है।

विभाग ने बैंक के सभी व्यवसाय समूहों और दूसरे प्रकार्यों पर कार्य करना प्रारंभ किया है। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2017 में की गई प्रमुख सफल पहलों में होप लोन अभियान है। यह एक अनूठी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य से जुड़े गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को इस उद्देश्य से समर्थन प्रदान किया जाता है कि वे बैंक के परिसंपत्ति ऋणों यथा - गृह, ऑटो एवं वैयक्तिक ऋणों को प्रोत्साहित करें। इस पहल के माध्यम से बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य/आश्रय, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी समाधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले 5 एनजीओ को ₹3.88 करोड़ प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त देश में विमुद्रीकरण के बाद तीसरी तिमाही के दौरान मिले अवसर को केंद्र में रखकर हमने दूसरा बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था - "कैश की आदत बदलो", जिसे लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इसकी सफलता का प्रमाण यह है कि डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट डाउनलोड करना, स्टेट बैंक बडी और एसबीआई पे, यूपीआई डिजिटल भुगतान समाधान से लेनदेनों की संख्या उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। मार्च के अंत में विपणन एवं संप्रेषण विभाग ने आपके बैंक के साथ सहयोगी बैंकों के विलय पर विज्ञापन अभियान भी विकसित किया। इन अभियानों के अतिरिक्त, बैंक के लिए यह उत्साहजनक रहा कि हमें विज्ञापन कार्य में नई सोच लाने के लिए अपने ग्राहकों और स्टाफ से सकारात्मक प्रतिसूचना मिली है। आगे की बात करें तो अन्य विपणन पहलों, विशेषकर डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, के अतिरिक्त आपका बैंक इस बात से आशान्वित है कि स्टेट बैंक समूह की मजबूती अपनी विपणन चाहत को बढ़ाएगी और गतिमान वित्तीय सेवाओं से उद्योग स्तर पर सुसंगत और प्रतिस्पर्धी बनेगी।

6. सतर्कता तंत्र

भारतीय स्टेट बैंक में सतर्कता कार्य के तीन पहलू हैं - निवारक, दंडात्मक एवं सहभागी। इस वर्ष 31 अक्तूबर 2016 से 5 नवंबर 2016 तक बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी - 'निष्ठा बढ़ाने और भ्रष्टाचार के उन्मूलन में जन सहभागिता'। आयोजन की एक कड़ी के रूप में बैंक स्टाफ सहित बड़ी संख्या में लोगों को इस अवसर पर 'निष्ठा शपथ' दिलाई गई। भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक कॉरपोरेट के रूप निष्ठा की शपथ ली। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और इन सभाओं में लोगों को निष्ठा की शपथ दिलाई गई। निवारक सतर्कता के लिए पर्दाफाशी एक प्रभावी माध्यम है।

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष द्वारा सतर्कता पत्रिका का विमोचन

पर्दाफाश योजना के अंतर्गत किसी कदाचार को उजागर करने के लिए बैंक द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है। पर्दाफाशी ऐसे कदाचार की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है और वह इस संबंध में होने वाली प्रगति की निगरानी भी करता है। हमारे बैंक में पर्दाफाशी की एक पूर्ण परिभाषित नीति है, जो कर्मचारियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है और उन्हें कदाचार की गतिविधियों से दूर रखती है। हम पर्दाफाशी की गोपनीयता बनाए रखते हैं तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि वे कदाचारियों के विरुद्ध बिना किसी भय के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करते रहें।

जिन शाखाओं में गंभीर प्रकृति की कुछ कमियां देखी जाती हैं, उन्हें चिह्नित कर अपने आप जाँच शुरू कर दी जाती है, ताकि संभावित धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता किया जा सके और बचाव के उपाय किए जा सकें।

वित्त वर्ष 2017 के दौरान कुल 1163 मामलों (753 नए मामलों) की जाँच शुरू की गई, जिनमें से अब तक 805 मामलों निपटा लिए गए हैं।

7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम)

- आस्ति एवं देयता प्रबंधन वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन के बीच एक केंद्रीय विषय बन गया है। इसके लिए विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान और कौशल होना आवश्यक है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से दक्षतापूर्वक निपटा जा सके।
- तुलन-पत्र को व्यवस्थित रखने के लिए आपके बैंक में अपेक्षित कौशल वाला एक प्रभावी आस्ति एवं देयता प्रबंधन दल है। यद्यपि यह दल नियामक दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होता है, तथापि श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को सम्मिलित करते हुए एएलएम के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन मॉडल विकसित करने में आपका बैंक आगे है।
- बैंक की आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति ब्याज दर और तरलता जोखिमों को देखती है, तुलन-पत्र के कारकों की समीक्षा करती है और इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन हेतु बेंचमार्क निर्धारित करती है। यह समिति, कुल मिलाकर, ब्याज-दरों के परिदृश्य, देयता उत्पादों की संवृद्धि के रूझान, ऋण संवृद्धि एवं तरलता प्रबंधन की समीक्षा करती है और बैंक उत्पादों की सही कीमतों का अनुमोदन करती है। नियामक अपेक्षाओं की शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से आपका बैंक निधि आधारित ऋण दरों की सीमांत लागत तक आ गया है।
- एएलएम टीम को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्धारित संविदात्मक परिपक्वता न रखने वाली आस्ति एवं देयता के व्यावहारिक तरीके को मापने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। इन व्यावहारिक अध्ययनों में ग्राहक को उपलब्ध सन्निहित विकल्प, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, संभावित ऋण हानियों के प्रभाव सम्मिलित हैं।
- आपके बैंक ने 'आस्ति एवं देयता प्रबंधन', 'दबाव परीक्षण' जैसे तुलन-पत्र के घटकों के लिए उपयुक्त नीतियां बनाई हैं। नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप निधीयन पर सकेंद्रण से बचते हुए आधार रूप में इष्टतम तरलता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तैयार किया गया है। तरलता की आकस्मिक योजना के रूप में उपयुक्त 'आकस्मिक निधीयन योजना' शुरू की गई है।
- अनिवार्य तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को बनाए रखते हुए अल्पावधि लोच को प्रोत्साहित करने हेतु तरलता जोखिम से संबंधित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के दिशा-निर्देशों को बैंक द्वारा सख्ती से अपनाया जा रहा है। उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्तर की उच्च गतिशील परिवेश में प्रभावी निगरानी की जाती है।
- जोखिम पर अर्जन के प्रभाव और इक्विटी के बाजार मूल्य निर्धारण का आधुनिक तरीका ब्याज जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत निवल ब्याज आय के संभावित क्षरण को तय करता है। अनुमेय सीमाएं पूर्व-परिभाषित हैं और इनकी निरंतर निगरानी की जाती है। जहाँ आवश्यक होता है, सक्रिय कदम उठाए जाते हैं।
- नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप, आपके बैंक में सुदृढ़ वर्गीकरण, जवाब एवं प्रभावी संरचना वाली आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के एक सहयोगी के रूप में आपके बैंक का आस्ति एवं देयता प्रबंधन विभाग सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रिया से युक्त है और उपर्युक्त कार्यों को व्यावसायिक तरीके से करता है।

8. आरचण नीति एवं व्यवसाय संचालन

आपका बैंक अपने बढ़ते आकार, कार्य-क्षेत्र और पहुँच के बावजूद उच्चतम व्यवसाय एवं आचरण मानदंडों के अनुपालन के प्रति निरंतर अपनी बेहिचक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता रहा है। विगत वर्षों में भारतीय बैंकिंग को भविष्य दृष्टि और विचारशील नेतृत्व भी प्रदान करता रहा है। स्टाफ की बड़ी संख्या, विशाल शाखा नेटवर्क और सभी समय-क्षेत्रों में विस्तार के बावजूद हमारा ध्येय, लक्ष्य और मूल्य; हम जहाँ कहीं भी हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं; हमें एक सूत्र में पिरोकर जोड़े हुए हैं।

200 से अधिक वर्षों से समान लोकाचार के साथ प्रतिबद्ध आपके बैंक ने एक और बड़ी पहल की है। यह पहल है - बैंक में मुख्य आचरण नीति अधिकारी पद की परिकल्पना और सृजन करना। इन अधिकारी को पूरे संगठन में स्वतंत्र आचरण नीति और व्यवसाय संचालन कार्य की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पीछे मूल विचार समस्त संगठन में एक सकारात्मक आचरण संस्कृति का सूत्रपात, विकास, पोषणी और स्थापना करना है। इसका ध्येय बैंक के नाम और प्रतिष्ठा को बाजार में नई ऊंचाई प्रदान करना है। मुख्य आचरण नीति अधिकारी के पद का सृजन पहली बार किसी भारतीय सरकारी क्षेत्र के संगठन में किया गया है।

9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सामाजिक दायित्व बोध हमारे बैंक की संस्कृति में गहरे बैठा हुआ है। आज कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा आम हो गई है या कहें कि यह उद्योगों की एक शर्त हो गई है, लेकिन हमारा बैंक इससे बहुत पहले समाज कल्याण के कार्य करता आ रहा है। बैंक का मानना है कि समाज में सुविधाओं से वंचित और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के जीवन में भलीभाँति सामाजिक परिवर्तन लाना उसका कर्तव्य है। आपके बैंक ने आम जन, विशेषकर अत्यंत निर्धन लोगों के हित का सदैव प्रमुखता से ध्यान रखा है। एसबीआई हमेशा से ही एक जिम्मेदार और मददगार संगठन रहा है और हमारी धारणीय व्यवसाय प्रथाएं हमारे व्यवसाय प्रचालन का हृदय रही हैं। हमारा बैंक अपने निवल लाभ का 1 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करता है और हमारी इन गतिविधियों ने वंचित वर्ग के लाखों लोगों के जीवन में वास्तकि बदलाव किया है। भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एसबीआई की प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ

- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- कौशल विकास एवं आजीविका सृजन
- पर्यावरण संरक्षण

वर्ष 2016-17 के दौरान सीआरएस पर खर्च

वित्त वर्ष 2017 में आपके बैंक ने सीआरएस पर ₹109.82 करोड़ खर्च किए। बैंक के विभिन्न मंडलों ने ₹89.82 करोड़ खर्च किए और शेष ₹20 करोड़ एसबीआई फाउंडेशन को दान किए गए।

यह लगातार छठी बार है, जब आपके बैंक ने सीएसआर पर खर्च के ₹1,000 मिलियन के मीलपत्थर को पार किया। हमारा क्षेत्रवार खर्च इस प्रकार रहा :-

मंडलों मे क्षेत्रवार सीएसआर खर्च (₹89.82 करोड़)

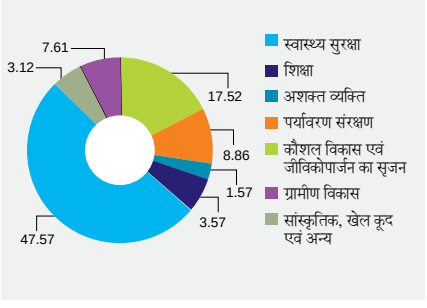

स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग

भारत में 60 प्रतिशत से अधिक लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ उनकी चिकित्सा देखभाल होती ही नहीं या फिर बहुत कम होती है। समुचित स्वास्थ्य सुविधा की आधारभूत संरचना का अभाव तथा बच्चों की नाजुक स्थिति ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या है। खरीदने की शक्ति न होना, सुविधाओ की अनुपलब्धता एवं जागरूकता का अभाव भारत में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव के मुख्य कारण रहे हैं।

आम जन की दशा को सुधारने के लिए मूल आधारिक संरचना उपलब्ध कराना सदैव ही प्राथमिक ध्येय रहा है। समाज के अल्प-सुवधि प्राप्त एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने काफी संख्या में अस्पतालों को सहायता दी है। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए गए मुख्य प्रयास इस प्रकार हैं :-

मेडिकल वैन : आपके बैंक ने 49 धर्मार्थ संस्थाओं को एंबुलेस व मेडिकल वैन खरीदने के लिए ₹6.87 करोड़ की राशि दान में दी है।

हमारी अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य अदयाचल राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) को मोबाइल आई क्लिनिक दान करते हुए

चिकित्सा एवं सर्जिकल उपकरण : आपके बैंक ने स्ट्रेस टेस्ट मशीन, डॉयलसिस मशीन, नेत्र उपकरण, एक्सरे मशीन, आईसीयू सुविधा और नवजात शिशु केयर यूनिट जैसे विभिन्न चिकित्सीय/सर्जिकल उपकरणों की खरीद हेतु 23 धर्मार्थ संगठनों/अस्पतालों को ₹7.52 करोड़ की राशि दान में दी है। इससे वंचित रोगियों की सेवा करने के लिए अस्पतालों की क्षमता और संभावना बढ़ गई है।

ओल्ड एज होम्स एवं मोबिलिटी सॉल्यूशंस : ओल्ड एज होम्स को सहयोग करने और दिव्यांगजन को राहत पहुँचाने के लिए आपके बैंक ने ₹1.50 करोड़ की राशि दान में दी है।

कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम : आपका बैंक अल्प-सुविधा प्राप्त ग्रामीण जनसंख्या के लिए आरोग्यकर और निवारक स्वास्थ्य संबंधी शिविरों का आयोजन करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है :-

- नेत्र परीक्षण
- कैंसर जाँच
- री-प्रोडक्टिव स्वास्थ्य परीक्षण
- बेसिक स्वास्थ्य परीक्षण (रक्तचाप, हीमोग्लोबिन)
- मधुमेह परीक्षण

इन शिविरों के आयोजन में प्रतिष्ठित स्थानीय एनजीओ ने मुख्य भूमिका निभाई।

शिक्षा में सहयोग :

शिक्षा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है। देश के बहुत से क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, में विद्यालयों का घोर अभाव है। आधारिक संरचना, परिवहन सुविधा और मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीण भारत में शिक्षा की मुख्य रुकावटें हैं। आपका बैंक सुदूरस्थ, अगम्य और कम विकसित क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा के लिए सदैव सहायता देने का प्रयास करता रहा है।

समग्र सहायता : आपके बैंक ने ग्रामीण/सुदूर क्षेत्रों में स्थित बहुत से विद्यालयों को ढाँचागत सुविधाओं के लिए ₹1.35 करोड़ की राशि दान में दी है।

कंप्यूटर एवं अन्य संबंधित वस्तुएं : आपके बैंक ने कंप्यूटर लैबों/आईटी लैबों की स्थापना के लिए ₹1.15 करोड़ की राशि दान में दी है। बहुत सारे एनजीओ को कंप्यूटर, साफ्ट बोर्ड खरीदने और डिजिटल कक्षाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई।

स्कूल बसें/वाहन : आपके बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु 35 स्कूल बसें/वाहन खरीदने के लिए ₹3.99 करोड़ की राशि दान में दी है, ताकि अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चों को परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके।

दिव्यांगजन को सहयोग : आपके बैंक ने प्रतिष्ठित एनजीओ को ₹1.57 करोड़ की राशि निम्नलिखित गतिविधियों के लिए दान की :-

- कृत्रिम अंगों, कैलीपर्स, बैसाखियों और व्हील चेयरों का वितरण
- अन्य सहायक उपकरणों एवं डिवाइसों का संवितरण
- मानसिक/शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना
- ब्रेल एम्बॉसर सिस्टम
- अशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष वाहन

ऑपरेशन थिएटर 1, के जे सोमाया अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर को एसबीआई द्वारा सीएसआर के तहत सहायता

पर्यावरण एवं संवहनीयता

आपका बैंक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए अनुकूल योगदान करता है। प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता एवं अपकर्ष को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तथा पर्यावरण की दीर्घावधि गुणवत्ता बनाए रखना बैंक की एक प्राथमिकता है। आपके बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में ₹3.57 करोड़ का योगदान किया है;

- सोलर पॉवर प्लांट, सोलर लैम्प, सोलर वाटर हीटर और सोलर स्ट्रीट लैम्प खरीदने में मदद करना।
- अनेक सोलर पॉवर प्लांट खरीदना, स्थापित करना और उनका रखरखाव करना।

कौशल विकास पहल और आजीविका सृजन

ग्रामीण स्व-विकास प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

भारत विश्व में सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है जहाँ उसकी जनसंख्या में 54% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। बढ़ती हुई युवा जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना देश के आर्थिक विकास के प्रमुख घटकों में से एक है। देश में बेरोजगारी और युवाओं की अल्परोजगार समस्या को कम करने में मदद करने वाले एक संस्थान के रूप में आपके बैंक ने 116 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की है।

आपके बैंक ने आरएसईटीआई बिल्डिंगों के निर्माण और अन्य आधारिक संरचना सहायता के लिए ₹12.84 करोड़ का योगदान किया है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बैंक के सभी 116 आरएसईटीआई संस्थानों का आवर्ती व्यय ₹34.73 करोड़ रहा

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया एक ऐसा फेलोशिप प्रोग्राम है जिसे प्रतिष्ठित एनजीओ की भागीदारी से आपके बैंक द्वारा शुरू किया गया, निधि की व्यवस्था की गई और इसका प्रबंध किया गया। यह शहरी शिक्षित युवाओं को स्वैच्छिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ने की सुविधा देता है। इस पहल के अंतर्गत, आपके बैंक ने नवोन्मेषी परियोजनाएं जिनमें युवा हिस्सा लेते हैं, तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य से जुड़े सात प्रख्यात गैर-सरकारी संगठनों से भागीदारी की है। 61 फेलोशिप वाला चौथा बैच नौ राज्यों के 32 स्थानों पर कार्य कर रहा है। वे ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता को समझने वाली विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और नवोन्मेषी समाधानों से उप पर ध्यान दे रहे हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के कार्य-क्षेत्र के अंदर आती हैं, जिनमें गरीबी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य, जन-कल्याण, गुणवत्ता शिक्षा, सस्ती एवं क्लीन एनर्जी, असमानता में कमी/भूमि पर जीवन और जलवायु असर जैसी परियोजनाओं के साथ अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

एसबीआई बाल कल्याण कोष

आपके बैंक ने वर्ष 1983 में एक ट्रस्ट के रूप में एसबीआई बाल कल्याण कोष बनाया था, जो अनाथ एवं निःसहाय जैसे अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चों के कल्याण से जुड़ी शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। इस कोष में स्टाफ सदस्यों द्वारा जितना अंशदान किया जाता है, उतना ही अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान, बैंक ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को ₹71 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।

पुरस्कार एवं सम्मान

आपके बैंक को संवहनीयता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

V. सहयोगी एवं अनुषंगी

परिचय एवं निष्पादन विशेषताएं

संपूर्ण भारत में सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के मिशन के रूप में स्टेट बैंक समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से जीवन बीमा, मर्चेंट बैंकिंग, ट्रस्टी बिजनेस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग, सिक्युरिटी ट्रेडिंग, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा(गैर - जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है।

सहयोगी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहयोगी बैंकों का 31 मार्च 2017 को जमा - राशियों में बाजार अंश लगभग 5.02 प्रतिशत और अग्रिमों में बाजार अंश 4.41% रहा। सहयोगी बैंकों की शाखाओं की संख्या 6,847 और एटीएमों की संख्या 9075 रही।

31 मार्च 2017 को सहयोगी बैंकों के निष्पादन की उल्लेखनीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

क्र.	बैंक का नाम		एसबीआई का स्वामित्व	कुल आस्तियां	कुल जमा राशियां	कुल अग्रिम	परिचालन लाभ	निवल लाभ	ऋण जमा अनुपात	सीएआर %	सकल एनपीए	निवल एनपीए
		निवेश	%									
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	676.12	75.07	1,16,293	1,03,662	68,774	1,942.14	-1,368.33	66.34	9.25	15.52	10.53
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	367.55	100.00	1,63,190	1,42,955	87,715	2,909.86	-2,760.26	61.36	11.73	20.76	12.84
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	628.63	90.00	88,996	77,769	38,608	913.58	-2,006.26	49.64	12.41	25.68	16.90
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4,859.10	100.00	1,22,829	1,00,507	77,100	1,454.83	-3,579.46	76.71	12.43	23.15	15.48
5	स्टेट बैंकऑफ त्रावणकोर	885.11	79.09	1,25,917	114,323	52,506	1,503.32	-2,152.46	45.93	12.19	16.79	10.22

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
पुरस्कार एवं सम्मान

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त कुछ अवार्ड और सम्मान निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान राजभाषा नीति का उत्कृष्ट निष्पादन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से प्राप्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।
- अटल पेंशन योजना चरण-II को लागू करने हेतु पीएफआरडीए से प्राप्त सर्वोत्कृष्ट निष्पादन पुरस्कार सरकारी क्षेत्रो के सभी बैंकों में 3 रा पुरस्कार।
- एसोचैम द्वारा अतिलघु ऋण देने की श्रेणी में एसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016
- स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरला द्वारा वित्त वर्ष 2016 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे अच्छे बैंक के लिए।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच)
पुरस्कार और सम्मान

- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत 'ग' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- भारत का शीर्ष बैंक और और 75 वर्ष का कार्य पूरा करने के लिए 'दून और ब्राड्स्ट्रीट' का बैंकिंग अवार्ड 2016.
- आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रघुरामन राजन से 'आईडीआरबीटी बैंकिंग सर्वोत्कृष्टता अवार्ड'

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
पुरस्कार एवं सम्मान

- सीआईएमएसएमई द्वारा वर्ष 2016-17 में इको टेक्नोलोजी सेवी बैंक अवार्ड (उभरती हुई श्रेणी) दिया गया।
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर द्वारा प्रायोजित एमआईपीएसईडी, टुमकुर, आरएसईटीआई को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015-16 के लिए 'एए' ग्रेडिंग (सर्वोच्च ग्रेडिंग) दी गई है।

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
पुरस्कार एवं सम्मान

- एमएसएमई में खंड नेतृत्व के लिए 8 जून 2016 को स्कॉच पुरस्कार मिला।
- सामाजिक समावेश के लिए 8 जून 2016 को स्कॉच पुरस्कार मिला।
- एसबीटी ग्रामीण विकास ट्रस्ट में अर्हता प्राप्त करने के लिए एसबीटी आरएसईटीआई स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट।
- भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का माइक्रो उद्यमों को उधार देने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (एसबीआई के सहयोगी के बीच विशेष पुरस्कार)
- एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) से सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक का एसएमई एक्सिलेस अवार्ड 2016।

गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित	स्वामित्व का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2017 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड(समेकित)	58.03	100.00	251.80
2	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	139.15	*63.78	176.44
3	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.10	100.00	2.42
4	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	137.79	86.18	1.01
5	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड	18.00	*60.00	1.03

*एसबीआई पेंशन फंड्स प्राईवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की धारिता 100% है (एसबीआई 60%, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई कैपिटल प्रत्येक का 20%) तथा एसबीआई डीएफएचआई में स्टेट बैंक की धारिता 72.17% (एसबीआई 63.78%, सहयोगी बैंक 5.27% तथा एसबीआई कैपिटल 3.12%) है।

गैर- बैंकिंग अनुषंगियां: संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई का हित)	स्वामित्व का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2017 के लिए निवल लाभ (हानियां)
1	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	31.50	63	224.32
2	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	471.00	60	390.41
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	701.00	70.10	955
4	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	52.00	65	11.74
5	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	159.47	74	153
6	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	9.44	40	47

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआई कैप)

एसबीआई कैप भारत का प्रमुख निवेश बैंक है, जो विभिन्न ग्राहक वर्गों को तीन उत्पादों के समूहों - आधारिक संरचना, ईक्विटी पूंजी बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार में वित्तीय परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शी सेवाएं, स्ट्रक्चर्ड ऋण नियोजन, विलयन एवं अधिग्रहण, निजी ईक्विटी, पुनर्संरचना परामर्शी सेवाएं, दबावग्रस्त आस्ति समाधान, आईपीओ, एफपीओ अधिकार निर्गम, ऋण एवं हाइब्रिड पूँजी जुटाना शामिल है।

वित्त वर्ष 2016 के दौरान, एसबीआई कैप ने अकेले ₹425.29 करोड़ का कर - पूर्व लाभ दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2017 के दौरान इसने ₹312.57 करोड़ का कर - पूर्व लाभ दर्ज किया था और वित्त वर्ष 2016 को इसने ₹283.39 करोड़ का कर - पश्चात लाभ कमाया, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह राशि ₹217.95 करोड़ रही थी।

एसबीआई कैप्स ने वित्त वर्ष 2017 के दौरान 200% लाभांश घोषित किया जबकि यह वित्त वर्ष 2016 में 320% रहा था।

1. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों को नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में इक्विटी बौंकिंग सेवाए प्रदान करने के अलावा म्यूचुअल फंड, कर मुक्त बांड, आवास ऋण, ऑटो ऋण, ट्रैक्टर ऋण जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण कार्य में लगी हुई है। एसएसएल की 100 से अधिक शाखाएं हैं और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमेट , ई-बौंकिंग, ई-आईपीओ एवं ई-एमएफ सेवाएं उपलब्ध कराती है। एसएसएल के पास इस समय 12 लाख से अधिक ग्राहक हैं। वित्त वर्ष 2016 के दौरान इस कंपनी को 160.82 करोड़ की सकल आय हुई, जबकि वित्त वर्ष 2017 के दौरान यह ₹250.35 करोड़ रही।

2. एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। डीएफआईडी(डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट) ने भारतीय स्टेट बैंक समूह के साथ मिलकर 'नीव फंड' स्थापित किया है, जिसका प्रबंधन एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल) करेगा। एसवीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य कर रही है।

नींव फंड की प्रारंभिक पेशकश 10 अप्रैल 2015 को समाप्त हुई और इस फंड का वर्तमान कारपस ₹469.39 करोड़ है। फंड का निवेश भारत के 8 चुनिंदा राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छता, कृषि सप्लाई चेन जैसे आधारिक संरचना क्षेत्रों में किया जाएगा। एसवीएल ने प्रबंधन शुल्क अर्जित करना शुरू किया।

3. एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड (एसयूएल)

एसबाआई कैप सिंगापुर यूके लिमिटेड जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एस पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि, फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाने वाली कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया हैं। इसे विदेशी मुद्रा वाले बांडों की मार्केटिंग और एसबीआई कैप सिक्युरिटीज के लिए ग्राहक जुटाने के कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त है।

4. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएलजीएल)

एसबीआई कैप सिंगापुर लिमिटेड जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने दिसंबर 2012 से अपना व्यवसाय आरंभ किया है। एसबीआई कैप के व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। इसे विदेशी मुद्रा वाले बांडों की मार्केटिंग और एसबीआई कैप सिक्युरिटीज के लिए ग्राहक जुटाने के कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त है।

5.एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। एसटीसीएल ने 1 अग्स्त 2008 से प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया है। वित्त वर्ष 2017 के दौरान इसे ₹11.68 करोड़ का निवल लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2016 के दौरान यह ₹13.35 करोड़ रहा। एसटीएल ने

व्यक्तियों के लिए 'माई विल सर्विस ऑनलाइन' नामक ऑनलाइन विल क्रियेशन सफलतापूर्वक शुरू की है। उसने अपनी 'ट्रस्टी एंटरप्राइस मैनेजमेंट सिस्टम' जो इसकी न्यास संबंधी सभी परिचालनों के समाधान से संबद्ध प्रणाली है, भी सफलतापूर्वक शुरू की है और इस तरह न्यासी संबंधी सभी परिचालनों का संपूर्ण स्वाचालन करने वाली भारत की पहली एवं एकमात्र कंपनी बन गई।

ख. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएफएचआई)

एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड अकेले यह कारोबार करने वाली सबसे बड़ी स्टैंड प्राथमिक डीलर (पीडी) कंपनी है, जिसकी देश भर में उपस्थिति है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसके लिए प्राथमिक निलामियों में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में सहयोग करना और सरकारी प्रतिभूतियों के संबंद्ध में द्वितीयक बाजारों के लिए व्यापक सुविधाएं और चलिनिधि उपलब्ध कराना आवश्यक किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा यह मनी मार्केट लिखत, गैर-सरकारी प्रतिभूति ऋण लिखत आदि में भी व्यवसाय करती है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसकी व्यावसायिक गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित/विनियमित होती हैं।

एसबीआई समूह का कंपनी में 72.17% शेयर है। वित्त वर्ष 2016 के ₹72.19 की तुलना में वित्त वर्ष 2017 को कंपनी ने ₹176.44 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2017 को कुल तुलनपत्र आस्तियां ₹3,187.70 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2016 को इनकी राशि ₹5,836.20 करोड़ रही थी।

एसबीआई डीएफएचआई का बाजार हिस्सा सभी बाजार सहभागियों में 2.97% और 31 मार्च, 2017 को अकेले कारोबार करने वाले प्राथमिक डीलरो में 19.13% हिस्सा था।

ग. एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेंटस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई सीपीएसएल)

एसबीआईसीपीएसएल भारत में अकेली क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक जीई कैपिटल कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उपक्रम है तथा एसबीआई की इसमें 60 प्रतिशत भागीदारी है।

एसबीआईसीपीएसएल का 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹45.69 लाख आधार के साथ वर्ष दर वर्ष 26% बाजार वृद्धि के साथ ही कार्ड्स के मामले में उद्योग में प्रदर्शन बढ़िया रहा। खर्च के संदर्भ में, कंपनी के खर्च में 51% की दर से वृद्धि हुई और इसकी राशि ₹43,436 करोड़ रही। कंपनी ने इस वर्ष में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर से ₹390 करोड़ का शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) अर्जित किया है।

चालू वर्ष में कंपनी कार्ड्स एंड स्पेंड्स दोनों श्रेणियों में पूरे उद्योग में दूसरे स्थान पर रही।

- कार्ड आधार के मामले में 15% मार्केट शेयर के साथ तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई।
- खर्च के मामले में, यह 13% मार्केट शेयर के साथ चौथे से दूसरे स्थान पर आ गई।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा पाँच नए उत्पाद शुरू किए जिससे कार्डधारकों को पेश किए जाने वाले अनेक प्रकार के उत्पादों को मजबूती मिली :

- एसबीआई इलीट कार्ड (पूर्ववर्ती एसबीआई सिग्नेचर कार्ड्स का नवीकृत उत्पाद)
- एसबीआई उन्नति कार्ड
- को-ब्रांडिड कार्ड, जैसे सेंट्रल एसबीआई सेलेक्ट और सेलेक्ट + कार्ड
- को-ब्रांडिड बैंकिंग कार्ड्स, जैसे एसबीआई साउथ इंडियन बैंक कार्ड और एसबीआई कर्नाटका बैंक कार्ड.

चालू वर्ष के दौरान एसबीआई कार्ड्स को निम्नलिखित अवार्ड प्राप्त हुए:

- 25वीं वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में टाइम्स एसेंट(टाइम्स ऑफ इंडिया समूह) की भागीदारी में एसबीआई कार्ड को पाँच पुरस्कार प्राप्त हुए।
  - सर्वश्रेष्ठ एचआर उन्मुखी सीईओ
  - भारत में सबसे प्रभावशाली मानव संसाधन अग्रणी का पुरस्कार।
  - सर्वोत्तम कार्यस्थल परिपाटियों के लिए
  - काम पर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पुरस्कार
  - कर्मचारी नियुक्ति में सर्वश्रेष्ठ अग्रिम
- देश भर में शीर्ष 75 कंपनियों में से 14 वीं सबसे अच्छी स्वप्नदर्शी कंपनी चुना गया
- रीडर डाईजेस्ट का सबसे भरोसेमंद ब्रांड पुरस्कार 2016
- क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम पर क्लिक करने के लिए सर्वोत्तम मास्टर कार्ड नवाचार पुरस्कार 2016
- अनुपालन रजिस्टर प्लैटिनम पुरस्कार: दो श्रेणियों में सबसे अच्छा अनुपालन दल-विनियमित फर्म और अनुपालन का सर्वश्रेष्ठ प्रधान।
- एसबीआई के लिए ऑडियो विजुअल फिल्म में उपलब्धि के लिए कांस्य पुरस्कार, वाह पुरस्कार एसिया 2016 में एसबीआई सिम्पली सेव कार्ड।
- लंदन में वैश्विक अनुपालन रजिस्टर प्लैटिनम पुरस्कार समारोह में एसबीआई कार्ड ने उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता और विनियामक अनुपालन श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख में भी उप विजेता का पुरस्कार हासिल किया ।
- वार्षिक अनुपालन में भारतीय उद्योगों के लिए पुरस्कार उत्कृष्टता अनुपालन प्रदर्शन 2016 पुरस्कार 10/10 पुरस्कार।
- एसबीआई कार्ड ने जीआरसीआई वार्षिक पुरस्कार 2016 में आस्ट्रेलेशिया के विदेशी पुरस्कार का अनुपालन टीम पुरस्कार जीता।
- लीगल एरा मैगजीन द्वारा आयोजित भारतीय विधि पुरस्कारों के लिए विधि टीम को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ घरेलू टीम (मध्य आकार) में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वित्तीय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ वफादारी कार्यक्रम के लिए पुरस्कार: गैर बैंकिंग ग्राहक फेस्ट शो के दौरान, वफादारी शिखर सम्मेलन के 10 वें संस्करण में।
- एसबीआई कार्ड टीम को एनबीएफसी श्रेणी में सर्वोत्म डेटा क्वालिटी पुरस्कार मिला। हाल ही में समाप्त सिबिल कॉन्फ्रेन्स अवार्ड्स में लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार मिला हैं।

घ. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की भागीदारी 70.1 प्रतिशत है और बीएनपी पारिवास कार्डिफ की 26% हैं। बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए एसबीआई लाइफ के पास एक विशेष बहु-वितरण मॉडल है, जिसमें बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक इंश्योरेंस, रिटेल एजेंसी, वैकल्पिक, समूह कॉरपोरेट और ऑनलाइन चेनेल शामिल हैं। वैल्यू लाईन प्रा.लि. (केकेआर एशियन फंड II से जुड़ी हुई है) और मैक रिची इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि.(टेमासेक होल्डिंग्स प्रा.लि. की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है) प्रत्येक का 1.95% हिस्सा है।

कंपनी ने 31 मार्च 2017 को एक बार फिर दिखा दिया है कि वह बाजार अग्रणी है। इस अवधि में उसकी वृद्धि दर उद्योग की वृद्धि से भी अधिक रही। निजी उद्योग की 24 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कंपनी के नए व्यवसाय प्रीमियम में 43 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार सभी निजी प्लेयरों में एसबीआई लाइफ नये व्यवसाय प्रीमियम का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की 17.3 प्रतिशत की तुलना में 20.0 प्रतिशत रहा। नये व्यवसाय प्रीमियम के मामले में निजी उद्यम में कंपनी का पहला स्थान है। इसके अलावा कंपनी ने इंडिविजुअल एडजस्टिड प्रीमियम इक्विलेंट में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री की वृद्धि 26.4 प्रतिशत रही।

एसबीआई लाइफ को वित्त वर्ष 2017 में ₹955 करोड़ का कर पश्चात लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह ₹861 करोड़ था। ऑस्तियों में 23 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई, जिससे ये 31 मार्च 2017 को ₹1,02,240 करोड़ रही।

अपने 801 कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से अपनी व्यापक पहुँच का उपयोग करते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित ढंग से व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों को बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई। वित्त वर्ष 2017 में कंपनी ने कुल पालिसियों में से 24% पालिसियां इस खंड में बेची। कंपनी ने अल्पसुविधा प्राप्त सामाजिक क्षेत्र में 5,89,932 लोगों का बीमा किया।

कंपनी की सर्वप्रथम प्रतिबद्धता अपने ग्राहकों के प्रति है। वर्ष के दौरान कंपनी अपनी मृत्यु दावा निपटान अनुपात को बढ़ाकर 98% कर लिया। मिस सैलिंग से संबंधित शिकायतों को बेची गई पॉलिसियों के 0.20% तक घटा लिया। यह बीमा उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। आने वाले समय में कंपनी का ध्यान अपनी वितरण दक्षता को और बढ़ाने तथा परिचालन लागत को कम करने, नवोन्मेषी उत्पादों की शुरुआत करने तथा ग्राहक केन्द्रित रहने पर रहेगा।

'एसबीआईलाइफ' ने अपने ग्राहक केंद्रित गुणवत्तापूर्ण प्रयासों, प्रतिबद्धता और कारोबारी उत्कृष्टता के चलते बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए. वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों एवं सम्मानों की सूची में निम्नांकित शामिल हैं :

1. फिनटेलीक्ट द्वारा आयोजित भारतीय बीमा पुरस्कार 2016 में 'लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ द ईयर, और 'बैंकएश्योरेंस लीडर लाइफ इंश्योरेंस (विशाल वर्ग).
2. "अमेरिका के बाहर किसी कंपनी द्वारा सामाजिक मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग" श्रेणी के अंतर्गत LIMRA और LOMA सिल्वर बाउल पुरस्कार 2016 जीता.
3. भारत CLO मुख्य ज्ञानार्जन अधिकारी शिखर सम्मेलन - 2016 में निम्नांकित वर्ग में पुरस्कार जीता:
   क) प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम
   ख) मोबाइल ज्ञानार्जन कार्यक्रम
4. द इकोनॉमिक टाइम्स ब्रांड इक्विटी- निल्सन सर्वे द्वारा लगातर छठी बार "सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रांड, 2016" का पुरस्कार
5. iCMG वैश्विक पुरस्कार इनके लिए :
   क) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रबंधन - आर्किटेक्चर एक्सेलेंस
   ख) टॉप 30 ग्लोबल सीआईओ अवार्ड
6. 2015-16 में वार्षिक रिपोर्ट में उत्कृष्टता के लिए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा "सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्लेक अवार्ड".

   जीवन बीमा श्रेणी में 'आउटलुक मनी अवार्ड 2016' में रहा ।.

ङ. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SBIFMPL)

SBIFMPL एसबीआई म्यूचुअल फण्ड की आस्ति प्रबंधन कंपनी है जो कि औसत "प्रबंधनाधीन आस्तियां" के मामले में 5वीं सबसे बड़ी निधि कंपनी है तथा 5.8 मिलियन से अधिक निवेशकों की संख्या के साथ बाजार में सबसे आगे है. SBIFMPL ने वित्त वर्ष 2017 में ₹224.32 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है जबकि वित्त वर्ष 2016 में इसने " ₹165.36 करोड़ का लाभ अर्जित किया था. मार्च 2016-17 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी की औसत "प्रबंधनाधीन आस्तियां" 8.58% बाजार अंश के साथ ₹1,57,025 करोड़ रही जो मार्च 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान 7.89% बाजार अंश के साथ ₹1,06,781 करोड़ थी. कंपनी की "एसबीआई निधि प्रबंधन (इन्टरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड" नामक मारीशस में एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी है जो अपतटीय-निधि का प्रबंधन करती है.

च. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (SBIGFL)

एसबीआई-जीएफएल देश विदेश में व्यापार के लिए फैक्टरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में सबसे आगे है, कंपनी में एसबीआई की 86.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. कंपनी की सेवाएं, बही ऋणों में फंसी राशियों को अन्यत्र उपयोग के लिए उपलब्ध कराने हेतु, एसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं. कंपनी फैक्टर्स चैन इन्टरनेशनल की सदस्य है, इसलिए यह 2 फैक्टर मॉडल में निर्यात प्राप्यों में ऋण जोखिम के साथ तालमेल बिठा पाती है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी, कंपनी को ₹3.25 करोड़ कर-पूर्व का लाभ (पिछले वर्ष में ₹2.53 करोड़) और ₹1.01 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पिछले वर्ष में ₹0.86 करोड़) रहा. कंपनी का वित्त वर्ष 2017 तक का टर्न ओवर ₹3,047 करोड़ (पिछले वर्ष के संबंधित समय के ₹2,532 की तुलना में 20% की वृद्धि) रहा. एफआईयू स्तर ₹1,059 करोड़ रहा जो कि पिछले वर्ष की ₹1,008 करोड़ की तुलना में ज्यादा है. भारतीय रुपये मे ईएफ टर्न ओवर वित्त वर्ष 2017 वर्ष में ₹306.58 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹237.52 करोड़ था.

कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है तथा इसके उधार कार्यक्रमों को प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों से एएए/ए1+ रेटिंग प्राप्त है.

छ. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (SBIPFPL)

एसबीआई-पीएफपीएल, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उन तीन पेंशन-निधि-प्रबंधकों में से एक है, जिनको राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था(एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन निधियों का प्रबंध सौंपा गया है. एसबीआई-पीएफपील को नागरिक पेंशन योजनाओं की पेंशन निधि का 6 अन्य कम्पनियों के साथ पेंशन निधि प्रबंधक भी नियुक्त किया गया है. एसबीआई-पीएफपील स्टेट बैंक समूह की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जिसने अपना कारोबार अप्रैल 2008 में शुरू किया था. 31 मार्च 2017 को कंपनी की प्रबंधनाधीन आस्तियों की कुल राशि ₹66,723 करोड़ रही (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 45%), जबकि मार्च 2016 में यह राशि ₹46,019 करोड़ रही थी.

यह कंपनी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की प्रबंधनाधीन आस्तियों के पेंशन निधि प्रबंधकों में अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है. निजी क्षेत्र में समग्र प्रबंधनाधीन आस्तियों(एयूएम) का बाजार अंश 62% तथा सरकारी क्षेत्र में यह 35% था.

कंपनी के पास एक परिपूर्ण डीलिंग रूम है, जिसका प्रबंध अनुभवी बांड और इक्विटी मार्केट विशेषज्ञों द्वारा संभाला जाता है।

कंपनी को आउटलुक मनी द्वारा वर्ष 2016 के लिए "पेंशन निधि प्रबंधक वर्ग में लगातार दूसरी बार सर्वोत्तम निधि-प्रबंधक" चुना गया.

ज. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIGIC)

एसबीआई-जीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 74% है. कंपनी का ध्यान वाजिब कीमत निर्धारण, निष्पक्ष और पारदर्शी दावा प्रबंधन व्यवहारों पर केंद्रित है. कंपनी की संवृद्धि की आकांक्षा बैंका चैनल पर निर्भर है जो ऐसे चुनिंदा वैकल्पिक चैनल और उत्पाद विकसित कर रही है, जिससे हमारे व्यवसाय के उद्देश्य और लाभप्रद वृद्धि को पूरा किया जा सके. कंपनी ने मोटर संविभाग में संवृद्धि हासिल करने के लिए तीन बड़े कार उत्पादनकर्ताओं के साथ कार्यनीतिक गठबंधन किया है.

वित्त वर्ष 2017 में सकल लिखित प्रीमियम ₹2,607 करोड़ रहा. कंपनी ने सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वर्ष-दर-वर्ष 27.7% की संवृद्धि दर्ज की है जबकि उद्योग क्षेत्र की संवृद्धि 32.4% रही. ऐसा पहली बार हुआ है कि एसबीआईजी ने वित्त वर्ष 2017 के लिए ₹153 करोड़ लाभ अर्जित किया है. सभी सामान्य बीमा कंपनियों के बीच

एसबीआईजीआईसी ने पीएमएफबीवाई में सहभागिता करके और अपने कार्य क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार करके वित्त वर्ष 2017 के लिए फसल बीमा में 194% की वृद्धि दर्ज की। इस वर्ष समग्र बाजार अंश 2.04% से बढ़कर 4.9% हुआ. निजी बीमा कर्ताओं के क्षेत्र में बाजार अंश दिसंबर 2016 के 4.64% से बढ़कर वित्त वर्ष 2017 में 4.66% हुआ. कंपनी की बाजार रैंकिंग वित्त वर्ष 2016 में उद्योग में 14वीं तथा निजी क्षेत्र में 8वीं रही. वित्त वर्ष 2017 में कंपनी "वैयक्तिक दुर्घटना" मामले में निजी बीमा-कर्ताओं में 2रे स्थान और उद्योग में 3रे स्थान पर रही. वित्त वर्ष 2017 में इस कंपनी को निजी बीमा कर्ताओं के रूप में "फायर" मे दूसरा स्थान और उद्योग में छठा स्थान प्राप्त हुआ. स्वास्थ्य व्यवसाय का हिस्सा 11% से बढ़कर 14.3% हुआ जो यह वर्ष-दर-वर्ष 73% की वृद्धि है, जबकि उद्योग की वृद्धि सिर्फ 23.8% थी. समग्र उद्योग स्तर पर स्वास्थ्य रैंकिंग 17 से सुधर कर 13 हो गई. आईएजी, एसबीआई की हिस्सेदारी खरीद कर अपनी हिस्सेदारी को बढाकर 49 प्रतिशत करना चाहता है.

पुरस्कारों तथा पहचान में एसबीआई जनरल ने "कम सेवा प्राप्त बाजार में "पैठ भेदन" और "कमर्शियल लाइन्स ग्रोथ लीडरशिप" में इंडिया इंश्योरेंस अवार्ड 2016 प्राप्त किए. इकोनोमिक टाइम्स ने एसबीआई जनरल को "सर्वोत्तम ET BFSI अवार्ड 2016" के लिए चुना. कंपनी को वित्त वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ कार्य स्थल का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ.

झ. एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (SBISGPL)

एसबीआईएसजी भारतीय स्टेट बैंक और सोसाइटी जनरल का संयुक्त उद्यम है जो उच्च स्तरीय अभिरक्षा एवं निधि प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है. इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि एक ही वित्तीय घराने द्वारा सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकें. एसबीआईएसजी ने अभिरक्षा व्यवसाय की वाणिज्यिक शुरुआत मई 2010 में तथा निधि प्रबंधन व्यवसाय की वाणिज्यिक शुरुआत 2010 में की. इस कंपनी का निवल लाभ वित्त वर्ष 2016-17 में ₹11.74 करोड़ रहा जो कि वित्त वर्ष 2016-17 में ₹8.66 करोड़ था. संचित लाभ ₹20 करोड़ रहा।

31 मार्च 2017 को अभिरक्षाधीन आस्तियां बढ़कर ₹3,27,158 करोड़ हो गई जो कि 31 मार्च 2016 को ₹2,10,370 करोड़ थी और 31 मार्च 2017 को प्रबंधनाधीन आस्तियां ₹1,83779 करोड़ रही जो मार्च 2016 को ₹1,31,254 करोड़ थीं.

एसबीआईएसजी को वित्तीय वर्ष 2015 में ग्लोबल फायनैंस मैग्ज़ीन द्वारा सर्व श्रेष्ठ सब कस्टोडियन की रेटिंग प्राप्त हुई.

ञ. एसबीआई फाउंडेशन

वित्त वर्ष 2017 के दौरान एसबीआई फाउंडेशन (भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 8 अंतर्गत आपके बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी) ने कंपनी अधिनियम के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) नियमों में दर्शित क्षेत्रों की लगभग सभी सीएसआर परियोजनाओं पर कार्य किया है. वर्ष के दौरान फाउंडेशन ने ₹24.71 करोड़ की 26 परियोजनाओं की मंजूरी दी है तथा ₹9.89 करोड़ का संवितरण किया है. परियोजनाएं जो वर्तमान वर्ष 2018 में जारी रहेंगी उनकी संवितरण अनुसूची भी तैयार है. एसबीआई फाउंडेशन द्वारा की जा रही प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. स्वास्थ्य रक्षा

- लाइफलाइन एक्सप्रेस (रेल पर चल अस्पताल)
- नेत्र रक्षा (मोतियाबिंद शल्यचिकित्सा)
- एसबीआई अनुग्रह (घरों में धर्मशाला एवं उपशामक रक्षा)
- कैंसर उपचार
- श्रवण शक्ति (कर्णवर्त आरोपण शल्यचिकित्सा)
- वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा
- जीवन दान (अंग दान)
- संजीवनी - पहियों पर क्लिनिक
- मौली सेवा (मानसिक रोगियों एवं बेसहारा औरतों की रक्षा)
- भायखला जेल (मुंबई) के महिला कैदियों की स्वास्थ्य जांच

2. शिक्षा

- बेटी पढ़ाओ केंद्र (पांच राज्यों में बच्चियों की शिक्षा)
- बोधशाला (सामुदायिक विद्यालय)
- डिजिटल कक्षाएं (चार राज्यों में)
- खेलवाड़ी (वंचित बच्चों के लिए विद्यालय)
- दिशा (करियर मार्गदर्शन एवं सलाह)
- वर्चुअल आइ (नेत्रहीनों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा)

3. पर्यावरण

- हिमालय बचाओ (वृक्षारोपण)
- हरित कलिंगद्वार (वृक्षारोपण)

4. ग्रामीण विकास

- गाँवों का सूखारोधी कार्यक्रम

5. महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता

- समृद्धि - किशोरियों के लिए कार्यक्रम (जनसंख्या क्रियाकलापों हेतु संयुक्तराष्ट्र निधि की परियोजना)

6. समावेशी कार्यस्थल एवं पर्यावरण को बढ़ावा देना

- लोक निर्माण विभागों के लिए उत्कृष्टता का केंद्र

7. स्वच्छता

- स्वच्छ बेलूर मठ (203 इकाइयों वाला शौचालय खंड)

8. गरीबी एवं भूख

- मध्याह्न भोजन सहायता (अक्षयपात्र)

9. कौशल विकास

- कौशल विकास (अर्ध चिकित्सकीय एवं संबद्ध स्वास्थ्य प्रशिक्षण)

ट. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लि?

बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ``एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लि." का 17 जून 2016 को निगमन हुआ। यह एसबीआई के रियल इस्टेट से संबंधित निम्नलिखित कार्यों की देखरेख करेगी;

(i) ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट/एड्वायजरी सर्विसेस: परिसरों को खरीदना, बेचना या लीज़ पर देना, लीज का नवीकरण आदि और मौजूदा तथा भविष्य में खुलने वाले व्यवसाय केंद्रो के बारे में परामर्श सेवाएं देना, महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाना।

(ii) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: नई बिल्डिंगों के प्लान तैयार करना, उन्हें लागू कराना और निर्माण कार्य पर नजर रखना, एसबीआई के सभी परिसरों की आंतरिक साज सज्जा और फर्नीशिंग, लैंड-स्कैपिंग की व्यवस्था करना तथा बड़े परिवर्तन करना/ मरम्मत परियोजनाएं हाथ में लेना।

(iii) फ़ैकल्टी मैनेजमेंट: बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके ग्राहकों के लिए सुरक्षित, आनंदप्रद, कारगर और उत्पादक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु मरम्मत और मैनेजमेंट सेवाओं का संचालन करना।

VI. उत्तरदायित्व वक्तव्य :

निदेशक बोर्ड एतद्द्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है :

ii. उन्होंने ऐसी लेखा- नीतियों का चयन एवं उनका सुसंगत प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2017 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु आपकी बैंक की लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत है;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनिमयन अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi. सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है.

VII. आभार

1. वर्ष के दौरान, श्री त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 28 अगस्त 2016 से बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए। श्री वी.जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक, एएंडएस, सेवानिवृत्ति की आयु होने पर 31 जुलाई 2016 को सेवानिवृत्त हो गए। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल दिनांक 27 सितम्बर 2016 से आरबीआई गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए और उनके स्थान पर श्री चन्दन सिन्हा को दिनांक 28 सितम्बर 2016 से आरबीआई नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्री सुनील मेहता ने पंजाब नेशनल बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति होने पर दिनांक 15.03.2017 से बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया।

2. श्री दिनेश के. खारा धारा 19(ख) के अंतर्गत 9 अगस्त 2016 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

3. निदेशक बोर्ड ने पदमुक्त हुए निदेशक, अर्थात श्री सुनील मेहता, श्री त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी, डॉ. ऊर्जित आर. पटेल और श्री वी.जी. कन्नन द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदान की सराहना की है। साथ ही बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल हुए श्री चन्दन सिन्हा और श्री दिनेश के. खारा का बोर्ड में स्वागत किया।

4. निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है।

5. निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाज़ारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 19 मई, 2017

कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उत्तम कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उत्तम अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन तथा ग्राहक सेवा संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम गुणवत्तापूर्ण कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करें तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करें।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतया प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम संरचना पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी करना;
- दक्ष प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकाधिक वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को बोर्ड में सात अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। इस तरह बोर्ड में अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशकों सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को केंद्रीय बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- तीन निदेशक, धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित,
- दो निदेशक धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित,
- एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित, और
- एक निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक का पदाधिकारी) धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित।

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के 17 (I) विनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/ समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की पंद्रह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 15

बैठकों की तारीखें : 17.05.2016, 27.05.2016, 30.06.2016, 26.07.2016, 12.08.2016, 18.08.2016, 29.09.2016, 27.10.2016, 11.11.2016, 28.12.2016, 25.01.2017, 10.02.2017, 15.03.2017, 24.03.2017 और 30.03.2017

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष और श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सीएंडआर) एवं डॉ. पुष्पेन्द्र राय, निदेशक सभी 15 बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	15	15
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	15	14
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	15	13
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	15	15
श्री वी. जी कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	04	04
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-एएंडएस (09.08.2016 से)	11	11
श्री संजीव मल्होत्रा	15	14
श्री एम डी माल्या	15	13
श्री सुनील मेहता (15.03.2017 तक)	13	13
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	15	10
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	06	03
डॉ. गिरीश के. आहूजा	15	08
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	15	15
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	15	02
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (27.09.2016 तक)	06	03
श्री चंदन सिन्हा (28.09.2016 से)	09	06

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है ।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	52	48
2	श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	52	46
3	श्री रजनीश कुमार एमडी - एनबीजी	52	47
4	श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	52	47
5	श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	17	14
6	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-एएंडएस (09.08.2016 से)	34	32
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	33
8	श्री एम.डी. माल्या	52	37
9	श्री सुनील मेहता (15.03.2017 तक)	50	46
10	श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	52	39
11	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (27.09.2016 तक)	25	0
12	श्री चंदन सिन्हा (28.09.2016 से)	27	17
निदेशकगण, जो सामान्यता वहाँ के निवासी नहीं हैं, जिस स्थान पर बैठकें हुई, परंतु बैठक के दिन उस स्थान पर उपस्थित थे, जहाँ बैठक हुई:			
13	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	21	01
14	डॉ. गिरीश के. आहूजा	52	02
15	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	52	19

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय अन्य ग्यारह समितियाँ गठित की हैं। ये हैं: बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि (₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति ओर बोर्ड की नामांकन समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनके प्रमुख क्षेत्र हैं - लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी और इरादतन चूककर्ता/असहयोगी घोषित ऋणियों से संबंधित समीक्षा करना और निदेशक पद हेतु नामांकन भरने वाला प्रत्याशी 'उपयुक्त एवं ठीक' है इसकी जांच करना । भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान के अनुमोदन हेतु पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। सामान्यतया तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार समय समय पर आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। नामांकन समिति का गठन जरूरत के अनुसार निदेशक पद हेतु नामांकन भरने वाले शेयरधारक प्रत्याशियों के उपयुक्त एवं ठीक, होने की स्थिति की जांच एवं पुष्टि करने के लिए किया जाता हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 30 मार्च 2017 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन यह देखने के लिए करती है कि कही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संपरीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 अनुपालन;

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों एवं अन्य आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' अनुमोदित किया गया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2016-17 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सात सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की तेरह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तिथियाँ : 22.04.2016, 26.05.2016, 29.06.2016, 27.07.2016, 11.08.2016, 18.08.2016, 21.09.2016, 20.10.2016, 10.11.2016, 22.12.2016, 11.01.2017, 09.02.2017 और 15.03.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या
श्री सुनील मेहता, समिति के अध्यक्ष (15.03.2017 तक)	13	13
डॉ. गिरीश के. आहूजा, समिति के सदस्य (29.03.2017 तक) एवं समिति के अध्यक्ष (30.03.2017 से)	13	08
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	13	11
श्री रजनीश कुमार, एमडी एनबीजी (वैकल्पिक सदस्य)	03	03
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	13	12
श्री एम. डी. माल्या	13	10
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	13	09
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	13	0
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (27.09.2016 तक)	07	3
श्री चंदन सिन्हा (28.09.2016 से)	06	5

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में न्यूनतम चार और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 23.06.2016, 14.09.2016, 16.12.2016 और 07.03.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम. डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	03
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	04
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	01	0
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी) का गठन 30 जनवरी 2001 को किया गया था। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और इसकी भूमिका सेबी विनियमों के अनुरूप है । समिति की वर्ष 2016-17 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 13.04.2016, 20.07.2016, 20.10.2016 और 17.01.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री एम. डी. माल्या - समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी (वैकल्पिक सदस्य)	02	02
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	03
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	02	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - एएंडएस (09.08.2016 से)	02	02
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (12.08.2016 से)	02	02
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय (12.08.2016 से)	02	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान): **749**

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुआ हो ऐसी शिकायतों की संख्या **निरंक**

लंबित शिकायतों की संख्या* (न्यायालय के विचाराधीन शिकायतों के अलावा) **निरंक**

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री संजय अभयंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव)

बड़ी राशि (₹ 5 करोड़ और अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि (₹ 5 करोड़ और अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान एस सी बी एम एफ की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 19.05.2016, 24.08.2016, 23.11.2016 और 17.02.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री एम.डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	02
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	01	0
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय (12.08.2016 से)	03	02

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 11.05.2016, 02.08.2016, 02.11.2016, 03.02.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	04	04
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा, (12.08.2016 से)	02	0
श्री एम.डी. माल्या	04	03
श्री सुनील मेहता	04	03
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	03
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	02	0
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति की बैंक के प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

i) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

ii) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

iii) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश के जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य है;

iv) प्रबंधन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल राशि की निगरानी करना; और

v) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन और व्यवसाय सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसाय संवर्धन में योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार प्रदर्शन) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 06.05.2016, 05.07.2016, 02.12.2016 और 20.02.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन, समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	01
श्री एम.डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	04

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई। इसमें छह सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 13.04.2016, 20.07.2016, 14.10.2016 और 17.01.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	02	0
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	03
श्री दिनेश कु. खारा, एमडी - एएंडएस (09.08.2016 से)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम.डी. माल्या (12.08.2016 से)	02	01
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 30 मार्च 2017 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो गैर कार्यपालक निदेशक श्री एम. डी. माल्या और श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन शामिल हैं। यह समिति पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की संवीक्षा कर उसका भुगतान करने की संस्तुति करती है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई थी। समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं जिनमें एनपीए प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के एनपीए खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रबंध निदेशक-सीबीजी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और कोई दो अन्य स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के बारे में पुष्टि करती है।

इस समिति की बैठक वर्ष 2016-17 के दौरान चार बार हुई।

बोर्ड की नामांकन समिति:

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की `उपयुक्त एवं ठीक' स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब-जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित करता है।

समिति पिछली बार 15.03.2017 को पुनर्गठित की गई थी।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक केन्द्र में जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) हो स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों को निष्पादित और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को दो स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष बारह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2015 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए ₹ 20,000 का और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए ₹10,000/- का बैठक-शुल्क दिया जाता है, किंतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

1. बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकनः बोर्ड अभिशासन को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक द्वारा एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली गईं। इस संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय समितियों और पूरे केंद्रीय बोर्ड की निष्पादन के पैरामीटर निर्धारित करने में सहायता देने के साथ साथ समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायता की। मूल्यांकन के पैरामीटर और समग्र प्रक्रिया सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा नए सेबी बोर्ड मूल्यांकन दिशानिर्देश नोट 2017 के प्रावधानों के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष और पूरे केंद्रीय बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की 30 मार्च 2017 को अलग से आयोजित बैठक में किया गया। स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड स्तरीय समितियों के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड द्वारा भी किया गया।

मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के अभिशासन मूल्यों में निदेशक बोर्ड के विश्वास और निदेशक बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड एवं प्रबंधन के बीच मौजूदा सहयोग की पुष्टि की है।

2. बैंकों के बोर्डों से अभिशासन के बारे में उत्तरोत्तर की जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं और हमारे बैंक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका को देखते हुए बैंक के अल्पावधि से मध्यावधि रोडमैप पर केंद्रित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला (13 फरवरी 2017 को) `मंथन-2017' नाम से बोर्ड के लिए मुंबई में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य हालिया बदलावों को समझने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने तथा प्रमुख कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप देने में बैंक की सहायता करना था। इस कार्यशाला में विभिन्न चुनौतियों, अवसरों और सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों वाले बैंकिंग परिवेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई प्रकार के मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला के दौरान बोर्ड द्वारा कई कार्यनीतियों, व्यवसाय संवर्धन के लक्ष्यों एवं प्रमुख वित्तीय पैरामीटरों का निर्धारण किया गया। साथ ही, प्रत्येक व्यवसाय समूह को ऐसी कार्य योजनाएं लक्ष्य सहित तैयार करके कार्यशाला में आने के लिए कहा गया था जिनकी प्रगति की बाद में समीक्षा की जा सके। एक विस्तृत कार्य योजना कतिपय समय सीमाओं के साथ और जिम्मेदारी निर्वाह तथा विभिन्न महत्वपूर्ण शुरुआतों को लागू करने की स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

3. कॉरपोरेट अभिशासन , जोखिम प्रबंधन, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण आदि कार्यों में निदेशक की बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास में बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की गईं:

(i) दो गैर-कार्यपालक निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए 29 से 30 नवंबर 2016 को बेंगलूरु में उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमर्शियल बैंकों के समाधान और पर्यवेक्षण से संबंधित नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देना, गैर-कार्यपालक निदेशकों में बैंकों की कार्य प्रणाली से जुड़े विभिन्न जोखिमों के प्रति जागरुकता विकसित करने, उनकी कार्य-दक्षता बढ़ाने तथा व्यवसाय कार्यनीतियों और जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन,

बासेल III, जोखिम आधारित पर्यवेक्षणों, कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में सुग्राही बनाना था।

(ii) जोखिम रेटिंग प्रक्रिया और जोखिम आकलन रिपोर्ट पर केंद्रीय बोर्ड को एक प्रस्तुतीकरण कु. मीना हेमचंद्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया ।

(iii) कॉरपोरेट गवर्नेंस को सशक्त करने लिए बैंक द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत कॉरपोरेट अभिशासन पर एक प्रस्तुतीकरण श्री एम. दामोदरन, भूतपूर्व चेयरमैन सेबी द्वारा केंद्रीय बोर्ड के समक्ष किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की संरचनाओं, विभिन्न बोर्डों द्वारा अपनाए जा रहे सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की मुख्य मुख्य बातों को शामिल किया गया था।

(iv) साइबर सुरक्षा जागरुकता पर एक प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था मेसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेजी से बदलती बैंकिंग, बैंकिंग में नवोन्मेषन के लिए टेक्नोलोजी, नई चुनौतियों, सुरक्षा हमलों में तेजी, बोर्ड आदि के लिए सुरक्षा कार्य सूची आदि का समावेश किया गया है। निदेशक जागरुकता कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in में कॉरपोरेट गवर्नेंस लिंक पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	बकाया	अन्य	योग
अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	3135000.00	-245100.00	0.00	6000.00	2895900.00
श्री बी. श्रीराम	2997405.00	-238399.50		22000.00	2781005.50
श्री वी. जी. कण्णन (31.07.2016 तक)	313295.00	405616.50	51684.00	0.00	770595.50
श्री रजनीश कुमार	2997405.00	-238399.50		14000.00	2773005.50
श्री पी. के. गुप्ता	2854500.00	-232563.00		2000.00	2623937.00
श्री दिनेश कुमार खारा	1590193.53	31804.16		0.00	1621997.69

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 30 जून 2016 को आयोजित वर्ष 2015-16 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री बी. श्रीराम, श्री वी.जी. कण्णन, श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, श्री एम. डी. माल्या, श्री सुनील मेहता और डॉ. पुष्पेन्द्र राय। वार्षिक महासभा (2014-15) 2 जुलाई 2015 को और वार्षिक महासभा (2013-14) 3 जुलाई 2014 को आयोजित हुई थी। ये तीनों वार्षिक महासभाएं वाई. बी. चव्हाण केंद्र, मुंबई में अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गईं और पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। पिछले वर्ष के दौरान पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से वस्तुतः ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जो वृहत् रूप में बैंक के हितों के विरुद्ध जाता हो।

2. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

3. कर्मचारियों द्वारा सेवा-नियमों के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी अनैतिक कार्य या व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए विसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और "स्टेट बैंक टाइम्स" पर प्रदर्शित की गई है। विसल ब्लोअर के हितों की रक्षा / पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किया गया है। यह नीति बैंक के सभी स्टाफ के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। वे चाहें तो बैंक में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों/वरीय किसी अनैतिक, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश करने के लिए विसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पीआईडीपीआई शिकायत का निपटान भारत सरकार के वर्ष 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को इन शिकायतों के निपटान के संबंध में नामित किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में दी गई कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का हर प्रकार से पालन उस सीमा तक किया है जहाँ तक इस खंड की आवश्यकताएँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विरुद्ध न हों।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट (www. sbi.co.in). पर भी प्रदर्शित किए गए थे। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	:	दिनांक 27 जून 2017, समय : अपराह्न 3.00 बजे स्थान : वाई.बी चव्हाण, केंद्र मुंबई
वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2016 से 31.03.2017
बहीबंदी की तारीख	:	30.05.2017 से 03.06.2017
लाभांश	:	₹ 2.60 प्रति शेयर
भुगतान तिथि	:	16 जून 2017
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	:	भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिए जाते है। तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता	:	मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशल सर्विसेस लिमिटेड प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	:	022-6671 2001 से 10 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 6.00 बजे तक)
सीधे नंबर	:	022-6671 2198 /66712199
ई-मेल पता	:	sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	:	(022) 6671 2204
पत्र-व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉरपोरेट 14 वां तल, केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ई-मेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय ₹ में जारी पूंजी लिखत)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों की अपेक्षाओं की पूर्ति: निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजी वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने निम्नानुसार ईक्विटी पूंजी जुटाई है:

1.वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹5680,99,99,766.00 (रुपये पांच हजार छह सौ अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹56,59,92,72,366.00 (रुपये पांच हजार छह सौ उनसाठ करोड़ बानवे लाख बहत्तर हजार तीन सौ छियासठ मात्र) शामिल हैं जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹ 1 के 21,07,27,400 ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 20.01.2017 को किया गया था।

हम यह भी बता दें हैं कि बैंक ने ₹ 2,100.00 करोड़ के बासेल-3 अनुपालक टियर 1 बॉण्ड 06.09.2016 को, ₹ 2,500.00 करोड़ के 27.09.2016 और ₹ 2,500.00 करोड़ के 25.10.2016 को जारी एवं आबंटित किए हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में हैं। इस लिखत को केयर रेटिंग्स द्वारा ''CARE AA+ और सीआरआईएसआईएल लिमिटेड द्वारा ''CRISIL AA+/Stable रेटिंग दी गई है। आपके बैंक ने अमेरिकी $300 मिलियन के बासेल-3 अनुपालक टियर 1 बांड दिनांक 22.09.2016 को जारी किए ।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने एडीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2017 को बैंक के पास 1,27,01,630 जीडीआर से संबंधित 12,70,16,300 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,016	2,43,870
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	10	1,600
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	10	1,600
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1006	2,42,270

ऐसे शेयरों के वास्तविक दावेदारों द्वारा दावा किए जाने तक इन शेयरों के मताधिकार पर रोक लगा दी गई।

लाभांश की परंपरा/लाभांश वितरण नीति

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्बाध रूप से अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर लाभांश का भुगतान करने की विशिष्ट परंपरा रही है।

शेयर कीमत में उतार चढ़ाव

शेयर कीमत और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2017 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 3.4% और एनएसई निफ्टी में 2.73% रहा।

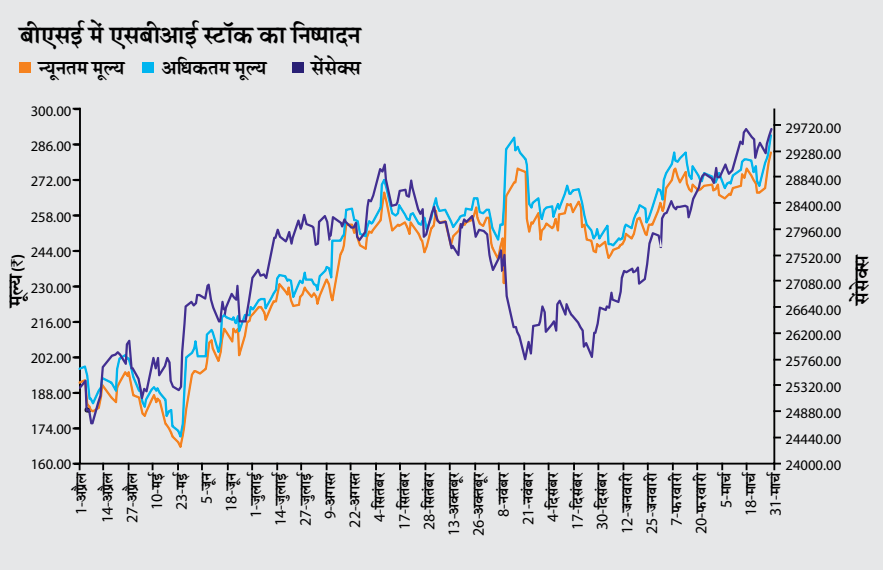

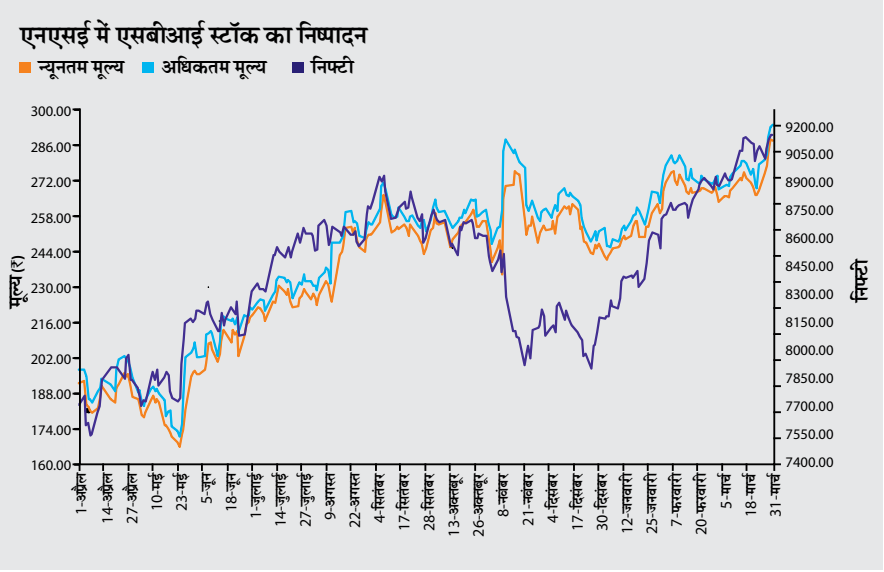

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (रुपया)		एनएसई (रुपया)		एलएसई (जीडीआर) (यू एस $)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-16	202.50	180.35	202.55	180.20	30.25	27.50
मई-16	205.60	166.60	205.70	166.40	30.15	17.00
जून-16	221.80	195.40	221.90	195.40	31.80	29.00
जुलाई-16	235.00	216.55	235.15	216.50	34.20	32.10
अगस्त-16	260.50	223.20	260.40	223.20	37.65	33.40
सितंबर-16	271.55	243.50	271.60	243.50	40.00	36.75
अक्तू-16	264.75	246.10	264.90	245.85	39.10	37.10
नवंबर-16	288.50	231.00	288.80	235.00	41.20	36.15
दिसंबर-16	269.45	243.10	269.35	243.10	39.50	36.65
जनवरी-17	288.25	241.10	268.20	241.10	39.60	35.90
फरवरी-17	282.45	261.00	282.80	261.60	41.30	40.00
मार्च-17	294.25	264.50	295.00	264.25	44.75	39.75

बही मूल्य प्रति शेयर ₹ 190.97, जोड़ा गया आर्थिक मूल्य (ईवीए) ₹ 3,874 करोड़

31.03.2017 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	61.23
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कॉरपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.17
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	8.29
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	2.70
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	10.00
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	6.61
कुल		**100.00**

31.03.2017 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	61.23
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	8.82
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	2.38
4	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	1.59
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	1.29
6	एसबीआई म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	1.13
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	0.76
8	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (निजी कॉरपोरेट निकाय)	0.75
9	फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मयूचुअल फंड(म्यूचुअल फंड)	0.62
10	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	0.52

शेयरों को डीमैट में रूपांतरित करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यतया इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही की जाती है।
31.03.2017 को कुल ईक्विटी पूंजी का 98.92% भाग अर्थात 788,75,73,568 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों का %
एनएसडीएल	903573	2825667613	35.44
सीडीएसएल	487170	5061905955	63.48
कागज रूप में	172637	85930874	1.08
कुल	1563380	7973504442	100.00

31 मार्च 2017 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य ₹ 1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का%	₹ में कुल धारिता	कुल पूंजी का %
1-5000	1556213	99.542	436,937,395.00	5.480
5001-10000	3833	0.245	27,285,006.00	0.342
10001-20000	1394	0.089	19,478,179.00	0.244
20001-30000	426	0.027	10,553,185.00	0.132
30001-40000	190	0.012	6,724,049.00	0.084
40001-50000	122	0.008	5,598,056.00	0.070
50001-100000	288	0.018	20,559,522.00	0.258
100001- से अधिक	914	0.059	7,446,369,050.00	93.390

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

बैंक इस समय ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) करेंसी डेरीवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिव्स सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरीवेटिव्स सौदों में वायदा, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी स्वैप्स और करेंसी ऑप्शंस सौदे होते हैं। बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का उपयोग ट्रेडिंग और तुलन-पत्र मदों, दोनों के लिए किया जाता है। बैंक के ग्राहकों को अपने जोखिम से बचाव करने के लिए बचाव उत्पाद ऑफर किए जाते हैं और ऐसे जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक डेरीवेटिव्स संविदाएं भी करता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में ऑप्शन बुक भी संचालित करता है, जिसका विभिन्न प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। 31 मार्च 2017 को, हानि सीमाओं या ग्रीक सीमाओं मे किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ।

डेरीवेटिव्स लेनदेनों में निम्नलिखित प्रकार के दो जोखिम रहते हैं:

i) बाजार जोखिम, अर्थात वह संभाव्य हानि, जो बैंकों की विनिमय दर में प्रतिकूल संचालन के कारण हो सकती है, और

ii) ऋण जोखिम, अर्थात वह संभाव्य हानि, जो प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण बैंक को हो सकती है।

डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति' में बाजार जोखिम मानदंड (कट-लॉस ट्रिगर्स, ऑपन पोजीशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, रिलेशनशिप की अवधि, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि) के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक पक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

ग्राहक लेनदेनों के कारण बैंक के सामने विदेशी मुद्रा जोखिम एवं पण्य जोखिम आती है। जहां तक पण्य जोखिम का संबंध है, बैंक केवल स्वर्ण बैंकिंग व्यवसाय करता है और ये केवल ग्राहकों की ओर से ही किया जाता है। निर्धारित जोखिम सीमाओं के अंदर जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक में निर्धारित नीतियाँ और प्रणालियां एवं कार्यविधियां लागू हैं। रक्षात्मक परिचालन एवं बचाव लेनदेन करने के लिए बैंक के पास विश्व श्रेणी का डीलिंग रूम है, जिसका प्रबंध सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी डीलरों द्वारा किया जाता है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव्स लेनदेनों से जुड़े हुए बाजार जोखिम की पहचान, मापन और निगरानी करता है। बैंक ऑफिस परिचालनों का प्रबंध जीएमयू, कोलकाता द्वारा किया जाता है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2017 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)

श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त में वरिष्ठ पदों पर 42 वर्ष का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री एम. डी. माल्या

(जन्म दिनांक : 9 नवंबर 1952)

श्री माल्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाकर बैंक की कायापलट कर दी थी।

श्री माल्या मई 2008 से नवंबर 2012 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। उनके प्रेरक नेतृत्व एवं नवोन्मेषी कार्यनीतिक पहल से बैंक ने निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त की, जिससे बैंक को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार मिले और व्यापक पहचान प्राप्त हुई।

श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन

(जन्म दिनांक : 20 अप्रैल 1966)

श्री अमीन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस. उपाधि प्राप्त हैं। श्री अमीन सीटल और भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी कोविलिक्स, इंक (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिग्रहित) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमीन वीजंगल इनकॉरपोरेशन, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं जिसे स्ट्रीमसर्व, इनकॉरपोरेशन ने अधिग्रहीत किया था। श्री अमीन ने माइक्रोसॉफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वे माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं। श्री अमीन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनस की टेक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए प्रगामी वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. आहूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकादमिक सदस्य हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 45 वर्ष का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ. पुष्पेन्द्र राय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य का लगभग 37 वर्ष का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

(जन्म दिनांकः 27 अगस्त 1957)

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 3 सितंबर 2015 से केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में सचिव हैं।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)

श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2017 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.10.2013	अध्यक्ष : 04 निदेशक : 01
2	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
3	श्री राजनीश कुमार	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	26.05.2015	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
4	श्री पी. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
5	श्री दिनेश के. खारा	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.08.2016	निदेशक : 04 समिति सदस्य : 01
6	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6, मोटाभाई मेंशन, 130, महर्षि कर्वे मार्ग चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2014	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
7	श्री एम.डी माल्या	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक सी-601 अशोक टॉवर्स डॉ. एस.एस. राव मार्ग, एम.जी. हॉस्पिटल के सामने परेल, मुंबई - 400012	26.06.2014	निदेशक : 07 समिति अध्यक्ष: 02 समिति सदस्य : 04
8	श्री दीपक आई. अमीन	सलाहकार 104 नील कंठ तीर्थ छठी रोड, चेम्बूर मुंबई - 400071	26.06.2014	निदेशक :01 समिति सदस्य : 02
9	डॉ. गिरीश के. आहूजा	सनदी लेखाकार मेसर्स जी. के. आहूजा एण्ड कंपनी ई-6ए, एलजीएफ कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली 110048	28.01.2016	निदेशक :02 समिति अध्यक्ष : 02 समिति सदस्य : 01
10	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सरकारी नौकरशाह) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार नई दिल्ली-110057	28.01,2016	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
11	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारत सरकार नामिती	सचिव, (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001	03.09.2015	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
12	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती	कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई - 400001	28.09.2016	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01

अनुलग्नक II ए

उन कंपनियों की कुल संख्या जिनमें 31.03.2017 को बोर्ड-निदेशक /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति- **अध्यक्ष** वसूली निगरानी बोर्ड समिति- **अध्यक्ष**
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष	
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष	
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष	
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष	
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष	
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष	
8	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	अध्यक्ष	
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	
10	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	अध्यक्ष	
11	एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष	
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष	
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष	
14	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष	
15	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	
16	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	
17	भारतीय बैंक संघ	उपाध्यक्ष	
18	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड	एनआईबीएम वित्त समिति - **अध्यक्ष** एनआईबीएम स्थायी समिति **सदस्य**
19	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	सदस्य-गवर्निंग कॉउसिंल	
20	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य-गवर्निंग बोर्ड	
21	आईआईटी खड़गपुर	सदस्य-गवर्निंग बोर्ड	
22	फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफआईसीसी)	-	बैंकिंग एण्ड फाइनैंशियल इंस्टिट्यूट 2015 समिति- **अध्यक्ष**
23	आईआईएम-सम्बलपुर	अध्यक्ष-गवर्निंग बोर्ड	

2. श्री बी. श्रीराम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **अध्यक्ष** इरादतन चूककर्ताओं/असहयोगी ऋणियों की पहचान समिति - **अध्यक्ष**

3. श्री रजनीश कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति- **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **अध्यक्ष**
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	
4	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
5	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि.	निदेशक	

4. श्री पी. के. गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य**

5. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
7	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** निदेशकों की समिति - **अध्यक्ष** एचआर समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
8	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज प्रा. लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
9	एसबीआई कैप वैंचर्स लि.	निदेशक	
10	एसबीआई कैप (यू.के.) लि.	निदेशक	
11	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** एचआर समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
13	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बैंक एश्योरेंस समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** निवेश समिति - **सदस्य** पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** प्रौद्योगिकी समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
15	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** निवेश समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य** पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** बोर्ड की लाभ से संबंधित समिति - **सदस्य**
16	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	एचआर उप-समिति - **सदस्य**
17	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य**
18	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विस प्रा. लि.	निदेशक	सलाहकारी समिति - **सदस्य**
19	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यपालक समिति - **सदस्य**

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
2	कोटक एएमसी	निदेशक	-
3	फेयर फर्स्ट इंश्योरेंस लि. (श्रीलंका)	निदेशक	-

7. श्री एम. डी. माल्या

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
2	इंडिया इनफ्राडेब्ट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की ऋण एवं जोखिम समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की अभिशासन, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
3	नितेश इस्टेट्स लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
4	ईमामी लिमिटेड	निदेशक	-
5	आईएफएमआर रूरल चैनल एण्ड सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
6	सेवन आइलैंड शिपिंग लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
7	पुडुआरू फाइनैंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
8	इंटरग्लोब एवियशन लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** मुआवजा समिति - **सदस्य**
9	कॉफी डे एंटरप्राइजेज लि.	निदेशक	-
10	माइलस्टोन कैपिटल एडवाइजर्स लि.	निदेशक	

8. श्री दीपक आई. अमीन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
2	रेडियन एडवाइजर्ज प्रा. लि.	निदेशक	-
3	फाइव वैलेजेज एंटरप्राइजेज एलएलपी (भागीदारी फर्म)	भागीदार	

9. डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **अध्यक्ष**
2	फ्लेअर पब्लिकेशन्स प्रा. लि.	निदेशक	-
3	देवयानी इंटरनेशनल लि.	निदेशक	-
4	वरूण बेवरेज्स लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - **अध्यक्ष** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
5	देवयानी फूड स्ट्रीट प्रा. लि.	निदेशक	-

10. डॉ. पुष्पेन्द्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**

11. सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
3	नैशनल फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी लि.	निदेशक	-

12. श्री चंदन सिन्हा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
१	भारतीय रिज़र्व बैंक	कार्यपालक निदेशक	-
२	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन समिति - **सदस्य**

(नोट : केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई जनरल विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।)

अनुलग्नक - III

31.03.2017 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	2,000
2	श्री बी. श्रीराम	500
3	श्री रजनीश कुमार	कुछ नहीं
4	श्री पी. के. गुप्ता	4,900
5	श्री दिनेश कुमार खारा	3,100
6	श्री संजीव मल्होत्रा	32,926
7	श्री एम. डी. माल्या	5,000
8	श्री दीपक आई. अमीन	5,000
9	डॉ. गिरीश के. आहूजा	2,000
10	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	कुछ नहीं
11	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	कुछ नहीं
12	श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक - IV

वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	280000	450000	730000
2	श्री एम. डी. माल्या	260000	660000	920000
3	श्री सुनील मेहता	260000	840000	1100000
4	श्री दीपक आई. अमीन	200000	680000	880000
5	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	60000	10000	70000
6	डॉ. गिरीश के. आहूजा	160000	170000	330000
7	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	300000	360000	660000

अनुलग्नक - V

भारतीय स्टेट बैंक
घोषणा
बैंक की आचार संहिता (2016-17) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

प्रकटीकरण अपेक्षाएं
(सेबी सूचीकरण दायित्व विनियम, 2015 का विनियम 27)

1. **दि बोर्ड** - चूंकि बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष है, इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - बैंक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तथापि, बैंक प्रत्येक शेयरधारक के पते पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम नहीं भेजता है।
3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प** - 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा-परीक्षा संशोधन नहीं है।
4. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद** - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक (उप प्रबंध निदेशक - निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा) सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने, वर्मा एण्ड वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 004532S), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कॉरपोरेट केन्द्र स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन-400 021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त यथा प्रयोज्य सूचीकरण करार में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 004532S

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता सं. 16043

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और यह 4थी रिपोर्ट है। सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार उन कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट को शामिल करना अनिवार्य है, जिन्होंने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रति वित्त वर्ष 31 मार्च को परिकलन किया जाता है) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में स्थान पाया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट समाविष्ट है, को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर लिंक इनवेस्टर रिलेशन्स पर उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक जो इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस पते पर लिख सकते हैं या ई-मेल कर सकते हैं: महाप्रबंधक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड मुंबई - 400 021. ई-मेल पता : gm.snb@sbi.co.in

भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	797,35,04	776,27,77
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	187488,71,22	143498,15,83
जमाराशियाँ	3	2044751,39,47	1730722,43,61
उधार-राशियाँ	4	317693,65,83	323344,58,61
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	155235,18,85	159276,08,09
योग		**2705966,30,41**	**2357617,53,91**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	127997,61,77	129629,32,53
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	43974,03,21	37838,33,12
निवेश	8	765989,63,09	575651,78,28
अग्रिम	9	1571078,38,11	1463700,41,75
अचल आस्तियाँ	10	42918,91,79	10389,27,72
अन्य आस्तियाँ	11	154007,72,44	140408,40,51
योग		**2705966,30,41**	**2357617,53,91**
आकस्मिक देयताएँ	12	1046440,93,19	971956,00,58
वसूली के लिए बिल	-	65640,42,04	92211,64,83
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गिरीश के. आहूजा
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
श्री चंदन सिन्हा

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं. 11684
फर्म पंजी. सं. 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं. 046050
फर्म पंजी. सं. 109208 W

कृते मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 797,43,25,472 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 776,35,98,072 इक्विटी शेयर)	797,43,25	776,35,98
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 797,35,04,442 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 776,27,77,042 इक्विटी शेयर)	797,35,04	776,27,77
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹ 1 के 14,45,93,240 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,27,01,630 (पिछला वर्ष 1,44,59,324) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।		
योग	**797,35,04**	**776,27,77**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	प्रारंभिक शेष	50824,60,59		47839,40,98	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3145,23,08		2985,19,61	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			53969,83,67		50824,60,59
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	प्रारंभिक शेष	2194,78,95		1849,51,49	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1493,38,64		345,27,46	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			3688,17,59		2194,78,95
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	प्रारंभिक शेष	49769,47,71		41444,68,60	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5659,92,72		8333,44,99	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,17,07		8,65,88	
			55423,23,36		49769,47,71
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	प्रारंभिक शेष	6056,24,72		6172,34,71	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		757,82,36	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1627,60,78		873,92,35	
			4428,63,94		6056,24,72

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ *				
प्रारंभिक शेष	34652,72,18		30385,37,08	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3740,13,81		4267,35,10	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		38392,85,99		34652,72,18
VI. आरक्षित पुनर्मूल्यन				
प्रारंभिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	31895,24,17		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	309,59,18		-	
		31585,64,99		-
VII. लाभ और हानि खाते की शेष राशि		31,68		31,68
* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछला वर्ष ₹5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ ₹10177,67,23 हजार (पिछला वर्ष ₹8499,18,16 हजार)				
योग		**187488,71,22**		**143498,15,83**

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. माँग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	5507,43,88	5735,58,63
(ii) अन्य से	146913,66,68	134071,44,66
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	758961,38,54	597746,06,02
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	19561,05,68	6818,59,65
(ii) अन्य से	1113807,84,69	986350,74,65
योग	**2044751,39,47**	**1730722,43,61**
ख) I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1953300,08,27	1636424,58,65
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	91451,31,20	94297,84,96
योग	**2044751,39,47**	**1730722,43,61**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			5000,00,00		99154,00,00
(ii) अन्य बैंक			1475,00,00		-
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			69489,26,76		1902,52,33
(iv) पूंजीगत लिखत :					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	9265,00,00			2165,00,00	
ख) गौण ऋण	32406,33,80			42374,23,80	
			41671,33,80		44539,23,80
योग			**117635,60,56**		**145595,76,13**
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ					
(i) भारत के बाहर उधार राशियाँ और पुनर्वित्त			194059,42,77		173607,88,73
(ii) पूंजीगत लिखत					
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)			5998,62,50		4140,93,75
योग			200058,05,27		177748,82,48
कुल योग			**317693,65,83**		**323344,58,61**
उपरोक्त I और II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं			**77576,26,94**		**107200,77,79**

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	26666,84,28	18438,45,65
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	35645,54,15	36843,46,74
III.	उपचित ब्याज	13080,91,99	24934,79,20
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2989,77,14	2684,95,65
V.	अन्य (प्रावधान सहित) * * मानक आस्तियों के लिए ₹136782356 हजार का विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल है (पिछला वर्ष ₹11188,59,82 हजार)	76852,11,29	76374,40,85
योग		**155235,18,85**	**159276,08,09**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	12030,31,17	15080,91,89
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	115967,30,60	114548,40,64
	(ii) अन्य खातों में	-	-
योग		**127997,61,77**	**129629,32,53**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	190,86,27	151,94,16
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	6743,00,00	2972,00,00
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग		**6933,86,27**	**3123,94,16**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	22807,45,51	24084,90,46
	(ii) अन्य जमा खातों में	4454,77,98	1144,46,21
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9777,93,45	9485,02,29
योग		**37040,16,94**	**34714,38,96**
कुल योग (I एवं II)		**43974,03,21**	**37838,33,12**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	575238,70,65	459552,87,65
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) शेयर	5445,69,97	3743,80,86
	(iv) डिबेंचर और बांड	59847,40,25	41111,36,35
	(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)	11363,45,35	8784,23,26
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट , कमर्शियल पेपर इत्यादि)	72363,63,94	23022,78,82
योग		**724258,90,16**	**536215,06,94**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II.	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	8821,01,82	9969,94,18
	(ii) विदेशों में स्थापित समनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम	2643,75,00	2591,72,94
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	30265,96,11	26875,04,22
योग		**41730,72,93**	**39436,71,34**
कुल योग (I एवं II)		**765989,63,09**	**575651,78,28**
III.	**भारत में निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	725421,41,68	537109,05,62
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	1162,51,52	893,98,68
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	724258,90,16	536215,06,94
IV.	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	41815,76,58	39496,32,30
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	85,03,65	59,60,96
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) **योग**	41730,72,93	39436,71,34
कुल योग (III एवं IV)		**765989,63,09**	**575651,78,28**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	73997,86,42	94360,70,33
	II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	605016,33,99	589442,33,19
	III.	सावधि ऋण	892064,17,70	779897,38,23
योग			**1571078,38,11**	**1463700,41,75**
ख)	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1206185,33,70	1086206,36,64
	II.	बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	82006,91,83	61714,99,56
	III.	अप्रतिभूत	282886,12,58	315779,05,55
योग			**1571078,38,11**	**1463700,41,75**
ग)	I.	भारत में अग्रिम		
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	341257,50,06	328551,49,99
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	121630,62,69	144401,91,16
		(iii) बैंक	1404,44,69	1473,74,93
		(iv) अन्य	823349,18,79	725604,44,16
योग			**1287641,76,23**	**1200031,60,24**
	II.	भारत के बाहर अग्रिम		
		(i) बैंकों से प्राप्य	87802,75,38	71628,62,37
		(ii) अन्यों से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	11672,61,58	15179,05,89
		(ख) सिंडीकेट ऋण	101077,74,18	88579,38,30
		(ग) अन्य	82883,50,74	88281,74,95
योग			**283436,61,88**	**263668,81,51**
कुल योग (ग) I+(ग) II			**1571078,38,11**	**1463700,41,75**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3634,58,00		3419,39,11	
	परिवर्धन :				
	वर्ष के दौरान	435,79,61		215,18,89	
	पुनर्मूल्यांकन हेतु	31895,24,17		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4,31,92		-	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	लागत पर	579,15,77		491,08,22	
	पुनर्मूल्यांकन पर	309,59,18		-	
			35072,54,91	-	3143,49,78
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	19551,20,04		17542,35,45	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2708,13,72		2280,58,65	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	402,98,43		271,74,06	
	अद्यतन मूल्यह्रास	14583,91,16		12875,53,82	
			7272,44,17		6675,66,22
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-		208,70,20	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		208,70,20	
	अद्यतन मूल्यह्रास, प्रावधान सहित	-		-	
			-		-
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		573,92,71		570,11,72
योग (I, II, III एवं IV)			**42918,91,79**		**10389,27,72**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	18658,87,85	16227,95,80
(iii) अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	8814,18,05	12698,28,68
(iv) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	427,90,49	472,51,88
(v) लेखन सामग्री और स्टांप	90,80,91	102,67,31
(vi) दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	3,91,00	3,91,00
(vii) अन्य *	126012,04,14	110903,05,84
(* नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास रखे गए जमा ₹59407,22,13 हजार (पिछला वर्ष ₹52401,25,93 हजार)		
योग	**154007,72,44**	**140408,40,51**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	28971,02,14	12347,03,03
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	599,95,40	154,55,16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	572601,53,62	506354,87,97
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	131207,73,38	135811,51,97
(ख) भारत के बाहर	71152,10,81	82799,97,90
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	100059,57,31	106928,52,26
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	141849,00,53	127559,52,29
* ₹139669,75,58 हजार डेरिवेटिव शामिल (पिछला वर्ष ₹ 125856,86,50 हजार)		
योग	**1046440,93,19**	**971956,00,58**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	175518,24,04	163998,29,75
	अन्य आय	14	35460,92,75	27845,36,87
	योग		**210979,16,79**	**191843,66,62**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	113658,50,34	106803,49,21
	परिचालन व्यय	16	46472,76,94	41782,36,65
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		40363,79,25	33307,15,39
	योग		**200495,06,53**	**181893,01,25**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ (वर्ष के लिए)		10484,10,26	9950,65,37
	आगे लाया गया लाभ		31,68	32,48
	योग		**10484,41,94**	**9950,97,85**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3145,23,08	2985,19,61
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		1493,38,64	345,27,46
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		3430,54,64	4267,35,10
	इस वर्ष भुगतान किया गया पिछला वर्ष का लाभांश (लाभांश पर कर सहित)		-	80
	चालू वर्ष हेतु लाभांश		2108,56,29	2018,32,20
	चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		306,37,61	334,51,00
	तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		31,68	31,68
	योग		**10484,41,94**	**9950,97,85**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 13.43	₹ 12.98
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 13.43	₹ 12.98
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गिरीश के. आहूजा
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
श्री चंदन सिन्हा

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: सं.सं. 11684
फर्म पंजी. सं. 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं. 046050
फर्म पंजी. सं. 109208 W

कृते मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	119510,00,30	115666,01,22
II.	निवेशों पर आय	48205,30,54	42303,97,93
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1753,46,71	621,06,84
iv.	अन्य	6049,46,49	5407,23,76
योग		**175518,24,04**	**163998,29,75**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	16276,57,34	14415,98,00
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	10749,61,95	5168,79,59
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (निवल)	-	(151,67,43)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	(37,05,48)	(16,69,37)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/(हानि)	2388,44,90	1799,34,94
VI.	विदेश / भारत में स्थित समनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	688,35,40	475,82,57
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	विविध आय #	5394,98,64	6153,78,57
योग		**35460,92,75**	**27845,36,87**

विविध आय में बट्टे खाते में ₹ 3476,93,83 हजार की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 2858,61,51 हजार)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	105598,75,22	98864,98,84
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	3837,46,97	4154,29,59
III.	अन्य	4222,28,15	3784,20,78
योग		**113658,50,34**	**106803,49,21**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	26489,28,01	25113,82,46
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3956,86,26	3709,15,28
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	411,17,79	376,81,38
IV.	विज्ञापन और प्रचार	281,13,58	307,64,06
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	2293,30,95	1700,30,45
	(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	86,12	63,37
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	216,10,88	197,04,21
VIII.	विधि प्रभार	189,56,07	179,50,08
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	759,95,19	609,35,30
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	639,75,29	598,08,43
XI.	बीमा	1929,23,12	1718,03,67
XII.	अन्य व्यय	9305,53,68	7271,97,96
योग		**46472,76,94**	**41782,36,65**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखा की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड / दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएँ शामिल हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/बट्टे पर आय का, लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर निर्धारण किया गया है, सिवाय इनके जहाँ (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है, को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में लिया गया है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी वाले निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन, प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे में बकाया निवल निवेश पर, पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है जोकि पट्टे में निवल निवेश की राशि के समान है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 समस्त अन्य कमीशन एवं शुल्क आय का निर्धारण उनके वसूली पर किया जाता है सिवाय अधोलिखित के : (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेंज फीस का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जिसे कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान संविभाजित किया जाता है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड जारी करने / जमाराशियों के संबंध में भुगतान / खर्च की गई दलाली / कमीशन को संबंधित बॉन्डों एवं जमाराशियों की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हे जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

2 निवेश :

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी)।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें सैद्धांतिक रूप से क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी भी निवेश को उसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" या "व्यवसाय के लिए रखे गए(एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बाद में विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)ड श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से जो न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसके लिए पूर्णतया प्रावधान किया गया है। हालांकि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के आधार पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं परिणामस्वरूप मूल्यह्रास यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी : क)"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है: (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित किया गया है। तात्कालिक के अतिरिक्त प्रत्येक निवेश में घाटे के लिए प्रावधान किया गया है: (ग)क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य पर किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक समूह के केवल निवल मूल्यह्रास (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य) का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को नजरंदाज किया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान करने पर, प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य, बाजार बही - मूल्य के अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य मे से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। एससी / एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का मूल्यांकन नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में एससी / एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/ किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतित तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹ 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते है।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय / आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय / राजस्व के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार से पुनः क्रय एवं प्रतिवर्ती पुनः क्रय लेन-देन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किए गए लेन-देन को भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान में लागू दिशानिर्देशों के तहत उधार एवं ऋण लेन-देन के तौर पर खाते में लिया गया है।

3. ऋण / अग्रिम और उन पर प्रावधान :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शनों / दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" "(आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान नामे ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते है।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये नीचे निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ?ण जोखिम - 20 %
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग		100%
हानिप्रद आस्तियाँ		100%.

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर हेतु प्रावधान किया गया है जोकि संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है। उपरोक्त के कारण अंकित मूल्य में कमी (डीएफवी) एवं छोड़े गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो उसे अग्रिम से घटा दिया जाता है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूल किए गए वर्ष में राजस्व के रूप में स्वीकारा गया है।

3.9 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाये गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्धारण करते समय इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.10 बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों में वसूली का विनियोजन यथा बकाया मूलधन या ब्याज में निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुरूप किया गया है

क) प्रभार

ख) अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग) मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेशों तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के तहत वर्णित आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए है। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलन-पत्र की / तुलन-पत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलन-पत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को उपचय आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/ देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं, उद्योग में प्रचलित सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से ठउचंत खाता कुल प्राप्यड में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से ठउचंत खाता सकारात्मक एमटीएमड में प्रतिवर्तित किया जाता है ।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन घटा कर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन किए गए प्रोफेशनल शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है।

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	स्ट्रेट लाइन मेथड	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जोकि कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	स्ट्रेट लाइन मेथड	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल न होने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिवर्धन की लागत	स्ट्रेट लाइन मेथड	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन /सिक्का डिस्पेंसर / सिक्का वेंडिंग मशीन	स्ट्रेट लाइन मेथड	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	स्ट्रेट लाइन मेथड	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपस्कर	स्ट्रेट लाइन मेथड	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	स्ट्रेट लाइन मेथड	अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता के आधार पर मुख्य अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि इस प्रकार है : परिसर 60 वर्ष; वाहन 5 वर्ष; सुरक्षित जमा लॉकर 20 वर्ष; फर्निचर व फिक्सचस 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों (देशी परिचालनों हेतु) के मामले में, आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए किया गया है, उसी के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों के मामले में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, उसे पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को संबंधित वर्ष में प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक, केवल अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर विचार करता है। विगत तीन वर्षों में अर्जित की गई संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके बाद पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्तियों के निवल बही मूल्य में हुई वृद्धि को लाभ और हानि विवरणी में ले जाए बिना, पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि खाता में जमा किया जाता है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यह्रास, आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय आस्तियों की शेष बची उपयोगिता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

8. पट्टे :

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसा कि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता :

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की गई आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव :

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/ वायदा) दरों का प्रयोग तुलन-पत्र की तिथि को कर दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उपचय हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उपचय विनिमय अंतर - राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी मुद्रा में विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताओं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि पर उस देश में लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित (स्पॉट/ फॉरवाड) अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताओं को स्पॉट दर पर रूपांतरित किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभः

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदानों को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक

अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या ₹ 10 लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक, एसबीआइ पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जोकि एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या(पीआरएएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि, बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय विधियों/ विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर :

आय कर व्यय, बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होती है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22 - "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसार किया गया है। ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है / होना निश्चित है। यदि विश्वास योग्य प्रमाण से वास्तव में यह निश्चित हो जाता है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भावी लाभ के सामने वसूल किया जा सकता है, तभी आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया जाता है ।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां :

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी ठ प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँड में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनो के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

(i) पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

(ii) किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.
ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन :

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों सहित सर्राफा आयात करता है। ये आयात सामान्यतः दुतरफा आधार पर होते है एवं ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक को इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर फीस के रूप में आय प्राप्त होती है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/ अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इस पर अदा किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्वर्ण जमाओं, धातु (मेटल) ऋण अग्रिमों और अंतिम स्वर्ण शेषों का मूल्य तुलन-पत्र की तिथि को उपलब्ध बाजार दर के आधार पर निकाला जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि :

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय :

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची- 18
लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.27%	10.41%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	3.29%	3.53%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.56%	13.94%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.82%	9.81%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.35%	9.92%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.76%	3.20%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.11%	13.12%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	61.23%	60.18%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	488,23,62,052	467,16,34,652
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	5,681.00	5,393.00
(viii)	अतिरिक्त टियर - 1(एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस:	शून्य	शून्य
	ख) पीडीआई:	9,045.50	शून्य
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित		
	क) ऋण पूंजी लिखत	शून्य	10,500.00
	ख) प्रिफरेंस शेयर पूंजी लिखत: ज्वेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी चप्रिफरेंस शेयर (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी. 83/ 21.06.201/ 2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा बैंकों को यह विवेकाधिकार दिया है कि आरक्षित पुनर्मूल्यांकन, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पूंजी पर्याप्तता की गणना सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रुप में की जाए। बैंक ने उपरोक्त विकल्प का प्रयोग 2016-17 की गणना के लिए किया है ।

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹5,681.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,393.00 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त किया है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹5,659.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,373.34 करोड़) शामिल हैं जो भारत सरकार को दिनांक 20.01.2017 को आबंटित प्रति ₹1/- के 21,07,27,400 (पिछले वर्ष 19,65,59,390) इक्विटी शेयर के अधिमानी (प्रीफरेंसियल) निर्गम के बदले प्राप्त हुई है।

ख) शेयर जारी करने से संबंधित खर्च: ₹6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.66 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

संमिश्र टियर-I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.17 को रुपए के समतुल्य	31.03.16 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड-12वीं श्रृंखला*	15.02.2007	बेमियादी नॉन-काल 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,594.00	2,650.20
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड -14वीं श्रृंखला#	26.06.2007	बेमियादी नॉन-काल 10 वर्ष और एक दिन	225 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,459.13	1,490.74
अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड-29वीं श्रृंखला	22.09.2016	बेमियादी नॉन-काल 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,945.50	--
कुल			925 मिलियन अमेरिकी डॉलर	5,998.63	4,140.94

* यदि बैंक 15 मई 2017 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
# यदि बैंक 27 जून 2017 से कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।
ये बॉण्ड अरक्षित बॉण्ड हैं और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं (एसजीएक्स-बॉण्ड बोर्ड)।

ख) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2007-08 एसबीआईएन श्रृंखला VI (टियर-1)	165.00	28.09.2007	10.25
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 श्रृंखला I (टियर-1)	1,000.00	14.08.2009	9.10
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 श्रृंखला II (टियर-1)	1,000.00	27.01.2010	9.05
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अरक्षित बेसल III एटी 1	2,100.00	06.09.2016	9.00
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अरक्षित बेसल III एटी 1 श्रृंखला II	2,500.00	27.09.2016	8.75
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अरक्षित बेसल III एटी 1 श्रृंखला III	2,500.00	25.10.2016	8.39
	कुल	**9,265.00***		

* इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से लिए गए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹550 करोड़ के निवेश को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडीम योग्य होते हैं।

बकाया गौण ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (I) (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (III)(उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (V)(उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 - एसबीआईएन (श्रृंखला VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) निम्न टियर II - बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	4,000.00	23.12.2015	8.33	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- ।। बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला I)		23.12.2025		
12	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	3,000.00	18.02.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला II)		18.02.2026		
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय	3,937.60	16.03.2011	9.95	180
	(पब्लिक इश्यू) (निम्न टियर II) - बॉण्ड 2011 रिटेल (श्रृंखला - IV)		16.03.2026		
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय	828.32	16.03.2011	9.45	180
	(पब्लिक इश्यू) (निम्न टियर II) - बॉण्ड 2011 नॉन- रिटेल (श्रृंखला - IV)		16.03.2026		
15	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	3,000.00	18.03.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)		18.03.2026		
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	500.00	21.03.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)		21.03.2026		
	कुल	**32,406.34**			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016* की स्थिति के अनुसार
I. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	7,25,421.42	5,37,109.06
(ख) भारत से बाहर	41,815.77	39,496.32
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	557.72	294.49
(ख) भारत से बाहर	85.04	59.61
iii) पुनर्संरचित खातों के ब्याज पूंजीकरण की देयताएं (एल आई सी आर ए)	604.80	599.49
iv) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	7,24,258.90	5,36,215.08
(ख) भारत से बाहर	41,730.73	39,436.71
2. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	354.10	479.90
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	552.48	610.39
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	0	293.72
iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	9.73	(18.36)
v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	254.09	460.83
vi) वर्ष की समाप्ति पर शेष	642.76	354.10

*भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र एपीएमआरडी.डीआईआरडी. 10/14.03.002/2015-16 दिनांकित 19 मई 2016 की शर्तों के अनुसार बैंक ने 3 अक्तूबर 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा एवं मार्जिनल स्टैडिंग सुविधा को अपने रेपो/रिवर्स रेपो को क्रमशः ऋण/ उधार के रुप में मान्यता दी है जो पहले निवेश के रुप में प्रचलित थी।

टिप्पणियां :

क) ₹ 18,676.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,827.96 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल)/ एनएससीएल/एमसीएक्स/यूएसईआईएल/एनएसईआईएल/ बीएसई के पास प्रतिभूति सेटलमेंट हेतु रखी गयी है।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई है, अर्थात i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹ 4,160 करोड़ *, (गत वर्ष ₹ 799.99 करोड़) ii) एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्युशंस प्रा. लि. में ₹ 10 करोड़, iii) एसबीआई जनरल बीमा कं. लिमिटेड में ₹ 166.50 करोड़, (74 प्रतिशत) और iv) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹ 2.13 करोड़।

* कुल ₹4,160 करोड़ के पूंजी निवेश में से ₹1760 करोड़ का भुगतान 30.03.2017 को किया गया जिसका प्रकटन हमारे बही में, "निवेश उचंत खाता" के अंतर्गत किया गया है, चूंकि वर्ष के अंत में आबंटन लंबित था।

घ) वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 1,755 करोड़ के लाभ पर एसबीआई लाइफ इन्सुयरेन्स कं. लि. के 390,00,000 इक्विटी शेयर पर बेच दिए। इसलिए बैंक की शेयरधारिता 74 प्रतिशत से घटकर 70.10 प्रतिशत हो जाएगी।

ग) 10 नवंबर 2016 को जियो पेमेंट बैंक लिं को संयुक्त उद्यम के रुप में शामिल किया गया है जिसमें एसबीआई और रिलांयस इंडस्ट्रीज लिं संयुक्त साझेदार हैं और उनकी शेयरधारिता क्रमशः 30% एवं 70% है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च 2017 तक इस संयुक्त उद्यम में ₹ 39.60 करोड़ की पूंजी लगाई है।

2. रेपो लेनदेन ढतरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित :

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2017 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	99,581.36	6,673.82	74,235.72
	(-)	(99,581.36)	(17,406.51)	(99,581.36)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	2,106.15	7,251.52	3,779.10	2,786.85
	(-)	(1,314.24)	(571.47)	(1,254.07)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	55.40	1,02,342.25	21,178.52	6,055.45
	(-)	(55,000.00)	(4,692.95)	(-)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	571.45	590.18	581.28	573.39
	(-)	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता - संरचनाः

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	प्राइवेट प्लेसमेंट की सीमा (राशि)	''निम्न निवेश श्रेणी'' वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	''बिना रेटिंग वाली'' प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	''असूचीगत'' प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	47,224.95	34,926.02	836.32	462.77	762.76
		(19,718.43)	(9,452.46)	(341.83)	(176.49)	(541.78)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	58,179.05	49,893.49	-	-	200.00
		(29,826.69)	(18,998.39)	(-)	(-)	(200.00)
(iii)	बैंक	21,201.42	8,494.71	1,331.60	23.62	2,373.63
		(15,398.01)	(1,256.40)	(1,118.15)	(23.62)	(23.62)
(iv)	निजी कारपोरेट	35,054.91	23,111.85	1,156.49	658.82	164.21
		(23,905.24)	(12,464.90)	(2,299.54)	(499.93)	(78.67)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	14,010.07	-	-	-	-
		(11,379.03)	(-)	(-)	(-)	(-)
(vi)	अन्य	16,328.08	-	974.89	848.03	-
		(16,825.10)	(-)	(1,219.73)	(1,147.88)	(-)
(vii)	मूल्यह्रास (एल आइ सी आर ए के साथ) के लिए रखा गया प्रावधान	1,247.56	-	-0.92	-	-
		(953.59)	(-)	(31.97)	(-)	(-)
	कुल	**1,90,750.92**	**1,16,426.07**	**4,300.22**	**1,993.24**	**3,500.60**
		(1,16,098.91)	**(42,172.15)**	**(4,947.28)**	**(1,847.92)**	**(844.07)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, रेटेड आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/लिस्टिंग दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	146.24	401.72
वर्ष के दौरान वृद्धि	348.37	52.36
वर्ष के दौरान कमी	47.07	307.84
अंतिम शेष	447.54	146.24
रखे गए कुल प्रावधान	**227.85**	**126.68**

4 एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5 प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटन (एसआर (ओं)

(₹ करोड़ में)

विवरण		पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर(ओं)	पाँच वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर(ओं) लेकिन पिछले 8 वर्षों के अंदर	आठ वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर(ओं)	कुल
i	बैंक द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित एसआर(ओं) का बही मूल्य	5,497.02	-	47.06	5,544.08
	प्रावधान .. (i)	-	-	47.06	47.06
ii	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित एसआर(ओं) का बही मूल्य	19.97	2.68	-	22.65
	प्रावधान .. (ii)	-	-	-	-
कुल (i) + (ii)		**5,516.99**	**2.68**	**47.06**	**5,566.73**

6 प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचे गए अनर्जक आस्तियों के बदले में प्रतिभूति रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए(ओं) द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए(ओं) द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
31 मार्च 2017 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	5,544.08	5,425.63	22.65	27.19	5,566.73	5,452.82
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	281.89	783.92	-	2.65	281.89	786.57

18.3 डेरीवेटिव्स:

क) वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	1,42,876.87	1,30,624.90
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	881.75	2,080.00
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v) विनिमय-बही का उचित मूल्य	52.59	946.31

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 9,299.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,232.11 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

31 मार्च 2017 को फारवर्ड दर करार तथा ब्याज दर स्वाप की प्रकृति एवं शर्तें निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

इंस्ट्रूमेंट	प्रकृति	सं.	नोशनल सिद्धांत	बेंचमार्क	शर्तें
एफआरए	ट्रेडिंग	1	24.33	लिबोर	निर्धारित देय बनाम अस्थिर प्राप्य
एफआरए	ट्रेडिंग	1	24.33	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	59	2,946.96	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	35	609.72	अन्य	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	70	47,959.33	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	37	2,271.50	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	1	3,242.50	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	58	7,932.00	लिबोर	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	62	8,430.17	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	561	24,115.00	मिबोर	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	556	26,598.00	मिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	6	200.00	मिफोर	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	7	225.00	मिफोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	57	10,680.87	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	51	6,990.73	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	1	145.51	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	9	306.90	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	1	174.02	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
	कुल		**1,42,876.87**		

31 मार्च 2016 को फारवर्ड दर करार तथा ब्याज दर स्वाप की प्रकृति एवं शर्तें निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

इंस्ट्रूमेंट	प्रकृति	सं.	नोशनल सिद्धांत	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	5	882.30	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	10	355.02	अन्य	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	53	8,486.30	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	51	8,353.58	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	492	16,690.00	मिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	509	18,065.00	मिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	3	150.00	मिफोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	83	49,972.29	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	66	4,023.47	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	1	3,312.75	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	81	13,197.83	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	31	7,077.58	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	2	58.77	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
	कुल		**1,30,624.89**		

ख) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरीवेटिव्स की ब्याज-दर

(₹ करोड़ में)

क.ख.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	7,819.64	235.74
2	31 मार्च 2017 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	538.76	शून्य
3	बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज - डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र)

(क) गुणात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र)

i बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय-प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव-व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में विकल्प की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम, अर्थात यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की ठडेरीवेटिव्स नीतिड में बाजार जोखिम (ग्रीक सीमा, हानि सीमा) (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण-सीमा निर्धारित किया जाता है एवं बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है।

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड-ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है एवं इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीतियां आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई हैं जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2016-17 की अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यतः आस्ति और देयताओं की बचाव-व्यवस्था हेतु किया जाता है।

vi. बचाव- व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में जाने वाले परस्पर मुद्रा-विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की बचाव-व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं।

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे

viii. डेरीवेटिव अंतरण में स्वाप शामिल है जिसका आकस्मिक देयताओं के रुप में प्रकटन किया गया है। स्वाप का वर्गीकरण ट्रेडिंग या हेजिंगस के रुप में किया गया है

ix. डेरिवेटिव सौदा केवल उन अंतर-बैंक प्रतिभागियों के साथ किया जाता है जिनके लिए प्रतिपक्षी जोखिम सीमा संस्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदा केवल उन कारपोरेटों के साथ किया जाता है जिनके लिए ऋण जोखिम सीमा संस्वीकृत है। डेरिवेटिव लेनदेन हेतु संपार्श्विक ऋण संस्वीकृति सीमा के रुप में मामलावार दी गई है। ऐसे संपार्श्विक आवश्यकताओं को ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है। बैंक नें हानि को कम करने के उपाय के रुप में कुछ मामलों में लेनदेन को रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है।

(ख) मात्रात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोज़र):

(₹ करोड़ में)

मद		मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I)	डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेड्जिंग केलिए	6,968.86 @	17,713.28 @	54,347.59 #	55,699.48 #
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	2,02,472.85	2,32,714.53	88,529.27	74,925.42
(II)	बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति	4,675.49	3,971.40	574.79	1,642.57
	(ख) देयता	1,285.33	2,145.05	565.10	369.89
(III)	ऋण जोखिम	7,428.09	7,960.90	2,286.34	3,487.84
(IV)	ब्याज दर (100*पीवी01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
	(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	-0.25	-0.04	-7.60	-63.09
	(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	0.97	2.68	46.52	20.34
(V)	वर्ष के दौरान (100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेड्जिंग पर				
	- अधिकतम	0.00	0.08	2.87	-34.14
	- न्यूनतम	-0.04	-0.04	-0.64	-44.36
	ख) क्रय-विक्रय पर				
	- अधिकतम	1.03	0.67	0.77	0.90
	- न्यूनतम	0.04	-	-0.11	-0.05

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹4,988.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7811.17 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों एवं अन्य बैंकों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹9,299.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,232.11 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। करेंसी डेरीवेटिव्स- (₹ शून्य) और ब्याज दर डेरिएटिव्स (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2017 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 7,571.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,043.28 करोड़) है और 31 मार्च 2017 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 16,955.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 18,071.97 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2017 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 53,675.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 66,453.24 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.71%	3.81%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) प्रारंभिक शेष	98,172.80	56,725.34
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	39,071.38	64,198.49
उप-योग (I)	1,37,244.18	120,923.83
घटाएं:		
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	3,436.91	2,598.59
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	894.48	4,389.18
ङ) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टा खाता	शून्य	शून्य
(च) वर्ष के दौरान बट्टे खाते के कारण कमी	20,569.80	15,763.26
उप- योग (II)	24,901.19	22,751.03
(च) अंतिम शेष(I-II)	1,12,342.99	98,172.80
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	55,807.02	27,590.58
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	3,238.02	36,192.76
(ग) वर्ष के दौरान कमी	767.66	7,976.32
(घ.) अंतिम शेष	58,277.38	55,807.02
iv) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	42,365.78	29,134.76
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,833.35	28,005.73
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	24,133.52	14,774.71
(घ) अंतिम शेष	54,065.61	42,365.78

प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में प्राप्त एवं स्थगित ईसीजीसी दावे शामिल है और बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 62.64 करोड़) और ₹ 1.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 67.27 करोड़) है।

ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विचलन से संबंधित प्रकटन जो कि अनर्जक आस्तियों (मानक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधान को छोड़कर) हेतु बैंक द्वारा किए गए प्रावधान जिसे आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18 अप्रैल 2017 द्वारा आदेशित किया गया है, बैंक पर लागू नहीं है।

(ग) पुनर्संरचित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1अप्रैल 2016 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	62	3	74	3	142	186	46	123	11	366
			(121)	(7)	(47)	(2)	(177)	(315)	(90)	(107)	(11)	(523)
		बकाया राशि	14186.03	219.43	14045.42	236.23	28687.11	1746.93	444.99	2148.54	31.56	4372.02
			(25,079.31)	(999.76)	(5,035.94)	(477.48)	(31,592.49)	(3,325.56)	(369.03)	(2,202.13)	(85.28)	(5,982.00)
		संबंधित प्रावधान	779.15	13.64	411.89	0.94	1205.62	49.49	18.24	104.21	(-)	171.95
			(1,847.05)	(103.90)	(183.40)	(47.65)	(2,182.00)	(121.85)	(9.95)	(71.77)	(-)	(203.58)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	3	-	3	-	3	9	-	12
			(2)	(-)	(3)	(-)	(5)	(22)	(5)	(10)	(1)	(38)
		बकाया राशि	64.19	23.18	236.82	-	324.18	5135.02	51.01	138.13	-	5324.16
			(1,679.91)	(2.46)	(393.89)	(92.71)	(2,168.97)	(143.57)	(12.54)	(28.47)	(-)	(184.58)
		संबंधित प्रावधान	0.36	0.19	-	-	0.55	0.20	0.33	2.98	-	3.51
			(-183.63)	(-5.69)	(46.15)	(2.58)	(-140.59)	(4.18)	(1.17)	(1.65)	(-)	(7.00)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	2	-1	-1	-	-	1	-	-1	-	-
			(2)	(-)	(-1)	(-1)	(-)	(5)	(-)	(-5)	(-)	(-)
		बकाया राशि	478.88	-79.13	-399.76	-	-	20.89	-17.31	-3.58	-	-
			(217.44)	(-)	(107.47)	(-324.91)	(-)	(58.68)	(-14.62)	(-44.06)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	37.06	-0.42	-36.64	-	-	-	-	-	-	-
			(6.05)	(-)	(23.27)	(-29.32)	(-)	(2.25)	(-0.03)	(-2.22)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-17				-17	-50				-50
			(-16)				(-16)	(-79)				(-79)
		बकाया राशि	-1063.82				-1063.82	-271.96				-271.96
			(-968.10)				(-968.10)	(-612.91)				(-612.91)
		संबंधित प्रावधान	-18.74				-18.74	-2.20				-2.20
			(-41.87)				(-41.87)	(-1.77)				(-1.77)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-16	-2	15	3	-	-25	-3	18	10	-
			(-35)	(-3)	(34)	(4)	(-)	(-31)	(-7)	(29)	(9)	(-)
		बकाया राशि	-4942.66	-163.48	4860.65	245.50	-	-164.71	-54.54	206.59	12.66	-
			(-9,512.83)	(-760.38)	(10,252.24)	(20.97)	(-)	(-588.47)	(223.45)	(303.16)	(61.86)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-288.33	-13.41	289.39	12.35	-	-8.79	1.45	7.34	-	-
			(-537.57)	(-80.29)	(637.83)	(-19.97)	(-)	(-33.32)	(13.96)	(19.36)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-3	-	-23	-2	-28	-31	-21	-21	-2	-75
			(-12)	(-1)	(-9)	(-2)	(-24)	(-46)	(-42)	(-18)	(-10)	(-116)
		बकाया राशि	-1010.82	-	-1712.45	-399.14	-3122.42	-825.52	-220.09	-24.96	-37.34	-1107.94
			(-2,309.70)	(-22.41)	(-1,744.12)	(-30.02)	(-4,106.25)	(-579.50)	(-145.41)	(-341.16)	(-115.58)	(-1,181.65)
		संबंधित प्रावधान	-182.17	-	-303.90	-12.35	-498.42	-16.77	-9.37	-0.55	-	-26.69
			(-310.88)	(-4.28)	(-478.76)	(-)	(-793.92)	(-43.70)	(-6.81)	(13.65)	(-)	(-36.86)
7	31 मार्च 2017 को कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	28	-	68	4	100	81	25	128	19	253
			(62)	(3)	(74)	(3)	(142)	(186)	(46)	(123)	(11)	(366)
		बकाया राशि	7711.79	-	17030.68	82.59	24825.06	5640.65	204.06	2464.71	6.88	8316.28
			(14,186.03)	(219.43)	(14,045.42)	(236.23)	(28,687.11)	(1,746.93)	(444.99)	(2,148.54)	(31.56)	(4,372.02)
		संबंधित प्रावधान	327.32	-	360.74	0.94	689.01	21.94	10.65	113.98	-	146.58
			(779.15)	(13.64)	(411.89)	(0.94)	(1,205.62)	(49.49)	(18.24)	(104.21)	(-)	(171.95)

क्रम सं.	पुनर्संरचना के प्रकार / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		अन्य (3)					योग (1+2+3)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2016 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	301	520	2336	90	3247	549	569	2427	104	3649
			(676)	(1,273)	(1,351)	(463)	(3,763)	(1,112)	(1,370)	(1,505)	(476)	(4,463)
		बकाया राशि	23122.42	578.73	9210.75	146.17	33058.07	39178.48	1254.11	25470.39	424.81	66327.79
			(27,437.97)	(770.82)	(5,140.13)	(305.27)	(33,654.17)	(55,842.83)	(2,139.61)	(12,378.20)	(868.03)	(71,228.67)
		संबंधित प्रावधान	403.03	7.13	30.54	0.03	440.73	1232.45	38.97	603.00	0.98	1875.40
			(1,095.69)	(12.58)	(138.97)	(5.73)	(1,252.98)	(3,064.59)	(126.43)	(394.15)	(53.39)	(3,638.56)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	7	130	63	5	205	7	133	75	5	220
			(105)	(252)	(73)	(19)	(449)	(129)	(257)	(86)	(20)	(492)
		बकाया राशि	11674.54	646.34	2029.00	6.35	14356.24	16873.75	720.53	2403.95	6.35	20004.58
			(6,497.48)	(65.63)	(284.39)	(102.82)	(6,950.32)	(8,320.96)	(80.63)	(706.75)	(195.54)	(9,303.88)
		संबंधित प्रावधान	22.76	1.05	25.60	-	49.41	23.32	1.57	28.58	-	53.47
			(15.54)	(4.62)	(3.25)	(0.18)	(23.59)	(-163.92)	(0.10)	(51.04)	(2.77)	(-110.01)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	2	2	6	-10	-	5	1	4	-10	-
			(13)	(1)	(4)	(-18)	(-)	(20)	(1)	(-2)	(-19)	(-)
		बकाया राशि	129.73	0.03	-129.45	-0.31	-	629.50	-96.41	-532.78	-0.31	-
			(373.49)	(-2.06)	(-322.69)	(-48.74)	(-)	(649.61)	(-16.67)	(-259.29)	(-373.65)	(-)
		संबंधित प्रावधान	0.96	-	-0.96	-	-	38.02	-0.42	-37.60	-	-
			(13.90)	-	(-10.94)	(-2.96)	(-)	(22.20)	(-0.03)	(10.11)	(-32.28)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा / अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-19				-19	-86				-86
			(-51)				(-51)	(-146)				(-146)
		बकाया राशि	-1747.00				-1747.00	-3082.78				-3082.78
			(-3,065.11)				(-3,065.11)	(-4,646.12)				(-4,646.12)
		संबंधित प्रावधान	-20.25				-20.25	-41.19				-41.19
			(-117.18)				(-117.18)	(-160.82)				(-160.82)

Sl. No.	Type of Restructuring / Asset Classification / Particulars		Others (3)					TOTAL (1+2+3)				
			Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की सं.	-87	-222	290	19	-	-128	-227	323	32	-
			(-203)	(-832)	(1,132)	(-97)	-	(-269)	(-842)	(1,195)	(-84)	-
		बकाया राशि	-3,698.54	1,631.73	1,752.57	314.24	-	-8,805.91	1,413.70	6,819.81	572.40	-
			(-5,583.94)	(291.06)	(5,332.77)	(-39.89)	(-)	-(15,685.24)	-(245.88)	(15,888.18)	(42.94)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-102.40	23.63	78.77	-	-	-399.52	11.67	375.50	12.35	-
			(-256.08)	(5.21)	(253.79)	(-2.92)	(-)	(-826.97)	(-61.12)	(910.99)	(-22.90)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-104	-224	-705	-55	-1088	-138	-245	-643	-59	-1085
			(-239)	(-174)	(-224)	(-277)	(914)	(-297)	(-217)	(-251)	(-289)	(-1,054)
		बकाया राशि	-6200.01	-142.69	-6,088.43	-435.90	-12867.01	-8,159.48	-373.73	-7891.51	-883.23	-17,307.95
			(-2,537.47)	(-546.72)	(-1,223.85)	(-173.28)	(-4,481.31)	(-5,426.67)	-(714.53)	(-3,309.13)	(-318.91)	(-9,769.24)
		संबंधित प्रावधान	-61.83	-3.67	-40.87	-0.03	-24.66	-261.54	-12.99	-319.94	-12.39	-606.86
			(-348.84)	(-15.28)	(-354.53)	(-)	(-718.65)	(-703.40)	(-26.36)	(-819.66)	(-)	(-1,549.42)
7	31 मार्च 2017 को कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	100	206	1990	49	2345	209	231	2186	72	2698
			(301)	(520)	(2,336)	(90)	(3,247)	(549)	(569)	(2,533)	(104)	(3,755)
		बकाया राशि	23,281.14	2,714.14	6,774.45	30.56	32,800.30	36,633.56	2,918.20	26,269.85	120.03	65,941.64
			(23,122.42)	(578.73)	(9,210.75)	(146.17)	(33,058.07)	(39,055.37)	(1,243.16)	(25,404.71)	(413.95)	(66,117.19)
		संबंधित प्रावधान	242.27	28.14	174.82	-	445.23	591.54	38.79	649.55	0.94	1,280.82
			(403.03)	(7.13)	(30.54)	(0.03)	(440.73)	(1,231.68)	(39.02)	(546.63)	(0.98)	(1,818.31)

टिप्पणी:

1. बकाया राशि में ₹ 1,922.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,731.40 करोड़) नए ऋण में शामिल ।
2. ₹10,070.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,398.11 करोड़) की बंदी और ₹ 2,090.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,413.95 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान के लिए निकाली गई मानक आस्तियाँ कुल योग के कॉलम में शामिल नहीं की गयी है।

घ) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
ii) योग :तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	शून्य	शून्य
iii) उप कुल योग (क)	शून्य	शून्य
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	शून्य	शून्य
v) 31 मार्च तक अंतिम शेष (क - ख)	शून्य	शून्य

ङ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	38	46,399
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	503.91	1,500.88
iii) समग्र प्रतिफल*	516.52	1,007.63
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ (हानि)#	12.61	(493.25)

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।
इसमें ₹0.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.52 करोड़) की राशि जो खर्च/ (ब्याज) खाता में जमा किया गया है, भी शामिल है।

च) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	5.23	11.70

छ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य

ज) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	31	45,331
2) कुल बकाया राशि	938.63	2,168.54
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	487.76	955.62

झ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर 31 मार्च 2017 को किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	13,678.24	11,188.59

ञ) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (खाते जो वर्तमान में यथास्थिति में हैं) का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनपर एसडीआर लागू किए गए हैं	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता बकाया है		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता हो चुकी है	
	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत
7	4,281.47	शून्य	2,634.44	शून्य	1,647.03	शून्य

ट) वर्तमान ऋण की लचीली संरचना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ता की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशि		भारित एक्सपोजर लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की औसत अवधि	
		स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना हेतु आवेदन से पूर्व (वर्ष)	लचीली संरचना हेतु आवेदन के बाद (वर्ष)
गत वर्ष	18	12,743.61	7,133.78	7.56 वर्ष	15.28 वर्ष
वर्तमान वित्तीय वर्ष (01.04.2016 से 31 मार्च 2017)	6	3,230.38	-	4.43 वर्ष	8.66 वर्ष

ठ) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो वर्तमान में यथा-स्थिति अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

ऐसे खातो की संख्या जिसके स्वामित्व परिवर्तन का निर्णय बैंक ने ले लिया है	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता बकाया है /इक्विटी शेयर के प्लेज को लागू करना बकाया		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता हो चुकी है है /इक्विटी शेयर के प्लेज को लागू किया जा चुका है		रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि जिसके स्वामित्व परिवर्तन का निर्णय नए शेयर जारी कर या प्रोमोटर के इक्विटी को बेचकर करने का निर्णय ले लिया गया है	
	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ड) कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो वर्तमान में यथा-स्थिति अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋणों की संख्या जिनमें बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		
	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(छ) दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के धारणीय पुनर्संरचना की योजना के संबंध में प्रकटीकरण, 31.03.2017 को

(₹ करोड़ में)

ऐसे खातों की संख्या जिसमें एस4ए के लिए आवेदन किया गया है	बकाया कुल राशि	बकाया राशि		प्रावधान रखा गया
		पार्ट ए में	पार्ट बी में	
स्टैंडर्ड खाता (3)	888.03	460.49	427.54	188.40
अनर्जक आस्तियां (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.86%	7.27%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.39%	1.25%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.99%	1.92%
iv. आस्तियों पर आय*	0.41%	0.46%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	16.24	14.11
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	511.10	470.27

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक से 2 मास तक	2 माह से 3 मास तक	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	24,697.20	38,065.95	25,980.69	42,544.33	59,304.31	62,862.54	1,77,889.82	3,50,586.32	4,57,630.51	2,04,524.39	6,00,665.33	20,44,751.39
	(32,254.69)	(31,224.38)	(18,964.10)	(26,786.00)		(91,505.07)	(1,42,701.27)	(3,29,433.98)	(4,06,204.54)	(1,59,306.39)	(4,92,342.02)	(17,30,722.44)
अग्रिम	88,220.08	11,902.42	10,735.41	24,246.23	26,857.91	33,575.28	25,110.19	34,647.16	5,73,668.96	1,30,137.82	6,11,976.92	15,71,078.38
	(81,248.64)	(10,318.80)	(8,806.38)	(17,512.55)		(89,543.50)	(51,218.22)	(66,019.16)	(6,65,803.22)	(1,75,530.67)	(2,97,699.28)	(14,63,700.42)
निवेश	0.11	2,467.87	3,533.97	9,420.60	20,303.63	23,030.42	65,709.50	47,135.41	1,00,108.55	1,09,188.92	3,85,090.65	7,65,989.63
	(0.70)	(2,178.40)	(13,283.39)	(7,983.89)		(23,234.47)	(16,584.72)	(24,030.26)	(1,00,763.66)	(63,387.22)	(3,24,205.07)	(5,75,651.78)
उधार-राशियाँ	5,668.32	87,457.90	8,903.41	18,284.39	23,097.43	24,040.18	37,371.23	13,169.80	20,431.03	23,590.79	55,679.18	3,17,693.66
	(2,111.64)	(1,08,418.22)	(3,753.41)	(16,751.13)		(55,712.26)	(25,352.81)	(17,601.19)	(31,350.48)	(16,574.17)	(45,719.28)	(3,23,344.59)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	80,272.16	1,328.79	3,953.60	8,351.58	9,722.94	9,768.94	12,432.10	32,353.90	63,954.10	67,312.64	40,758.58	3,30,209.33
	(78,671.10)	(1,495.59)	(990.85)	(7,330.95)		(30,412.64)	(19,118.60)	(20,894.87)	(59,109.37)	(65,118.64)	(47,100.93)	(3,30,243.54)
विदेशी मुद्रा देयताएँ$	30,639.24	12,268.81	10,316.45	21,500.13	28,558.95	30,283.69	51,784.89	35,556.34	46,971.60	34,795.54	18,202.56	3,20,878.20
	(28,569.54)	(9,803.31)	(4,293.14)	(20,231.25)		(62,665.39)	(36,463.27)	(52,236.94)	(59,586.10)	(32,578.57)	(10,116.16)	(3,16,543.67)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ एवं देयता, अग्रिम एवं निवेश (उनकी प्रावधान राशि को घटाकर) को दर्शाते हैं
$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2016 के हैं)

18.7 एक्सपोजर

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
I) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	2,51,386.94	2,06,765.40
ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त हैं या प्राप्त होंगी या जो किराए पर हैं।	2,51,386.94	2,06,765.40
जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (जनसंख्या > 10 लाख) में ₹ 28 लाख (पिछले वर्ष ₹ 25 लाख) तक एवं अन्य केंद्रों में ₹ 20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 15 लाख) तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	1,06,094.23	1,04,934.43
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर- निधि आधारित सीमा भी ऋण जोखिम में शामिल है।	36,915.86	27,364.60
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेश :	214.69	877.99
क) आवासीय	214.69	877.99
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II) अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	70,703.93	28,656.55
कुल	**3,59,221.42**	**2,63,664.54**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	4,357.59	4,026.53
2) शेयरों (आइपीओ/ईएसओपी सहित)/बांडों/डिबेंचरों, तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर या बिना किसी जमानत के दिए गए अग्रिम	5.78	5.36
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	15,236.39	9,339.52
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/ परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	668.52	19.82
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियां	0.17	333.40
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण	410.19	516.87
7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	शून्य	शून्य
9) शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	245.00	0.04
10) उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित ऋण-जोखिम (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	1,879.93	1,618.44
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम	**22,803.57**	**15,859.98**

ग) जोखिम श्रेणीवार देशगत ऋण-जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिक एक्सपोजर		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	75,637.24	1.00	116.04	शून्य
बहुत कम	53,117.01	69,481.69	शून्य	78.60
कम	3,834.73	2,599.83	शून्य	शून्य
मध्यम कम	शून्य	55,125.36	शून्य	शून्य
मध्यम	10,844.54	5,942.22	शून्य	शून्य
अधिक	8,823.27	6,914.11	शून्य	शून्य
अत्यधिक	4,954.18	2,790.41	शून्य	शून्य
प्रतिबंधित	4,124.84	4,182.70	शून्य	शून्य
ऋण अयोग्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	1,61,335.81	1,47,037.32	116.04	78.60

घ) बैंक द्वारा सीमा से अधिक ली गई एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम :

बैंक ने एकल उधारकर्त्ता एवं समूह उधारकर्ता ऋण-जोखिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर ही लिया है ।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल रक्षित अग्रिम	2,82,886.13	3,15,779.06
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	277.42	2,183.46
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर(i) के अनुसार)	277.42	2,748.40

18.8 विविध :

क) अर्थदंडों का प्रकटीकरण

सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने मस्कट शाखा पर बैंकिंग विधि 2000 एवं सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के परिपत्रों का अनुपालन न करने हेतु ₹0.13 करोड़ (ओमान रियाल 8000) का अर्थदंड लगाया।

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थ दंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएं

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

कर्मचारी की पेंशन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7,182.35
वर्तमान सेवा लागत	715.64	843.64	151.08	128.33
ब्याज लागत	4,767.60	4,237.68	576.31	589.67
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	1,200.00	-	-	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	6,525.61	6,212.17	227.95	451.06
संदत्त लाभ	(2,175.52)	(1,511.96)	(996.46)	(1,019.27
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
31 मार्च 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7,110.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,304.88	4,296.75	540.75	618.59
नियोक्ता द्वारा अंशदान	6,771.00	1,400.54	674.78	213.24
कर्मचारियों के अपेक्षित अंशदान	3.09	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(2,175.52)	(1,511.96)	(996.46)	(1,019.27)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,246.60	(162.93)	182.34	(43.04)
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
कमी/(अधिशेष)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
आस्तियाँ	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/आस्तियाँ	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	715.64	843.64	151.08	128.33
ब्याज लागत	4,767.60	4,237.68	576.31	589.67
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,304.88)	(4,296.75)	(540.75)	(618.59)
कर्मचारियों के अपेक्षित अंशदान	(3.09)	-	-	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) अंतिम शेष	1,200.00	-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	4,279.01	6,375.10	45.61	494.10
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	6,654.28	7,159.67	232.25	593.51
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,304.88	4,296.75	540.75	618.59
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,246.60	(162.93)	182.34	(43.04)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	6,551.48	4,133.82	723.09	575.55
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	6,654.28	7,159.67	232.25	593.51
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(6,771.00)	(1,400.54)	(674.78)	(213.24)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना- आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	33.02%	24.96%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	26.44%	24.99%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	34.68%	21.59%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--	23.30%
अन्य	5.86%	5.16%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	पेंशन योजनाएं		ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.45%	8.06%	7.27%	7.86%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.45%	8.06%	7.27%	7.86%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,050.57	6,838.07	7,182.35	7,332.14	7,291.02
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6,549.31	7,090.59	7,110.25	6,879.77	7,281.18
अंतर	501.26	(252.52)	72.10	452.37	9.84
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	200.00	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	301.26	(252.52)	72.10	452.37	9.84

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	459.56	210.19	(24.69)	326.09	10.62
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	62.46	23.87	106.04	(43.09)	182.34

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	39,564.21	45,236.99	51,616.04	59,151.41	67,824.90
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	35,017.57	42,277.01	49,387.97	53,410.37	64,560.42
अंतर	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48
एक्सपिरियंस समायोजन					
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	345.90	7,709.67	1,732.86	5,502.35	3,007.59
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	419.58	335.40	2,285.87	(162.93)	2,246.60

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभव जन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखा-परीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।
बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दिखाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	25,159.70	22,498.51
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1,632.22
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,031.10	1,983.67
बीमांकिक हानि /(लाभ)	-	0.01
प्रदत्त लाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
31 मार्च 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	25,921.96	25,159.70
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,177.60	2,026.72
अंशदान	1,842.46	3,615.89
प्रदत्त हितलाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	167.65	126.32
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	26,915.23	25,985.32
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,921.96	25,159.70
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26,915.23	25,985.32
कमी/(अधिशेष)	(993.27)	(825.62)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	993.27	825.62
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1632.22
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,177.60)	(2,026.72)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है।	811.36	1,632.22
तुलन-पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	811.36	1,632.22
नियोक्ता का अंशदान	(811.36)	(1,632.22)
तुलन-पत्र में ली गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.56%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.16%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बॉण्ड	33.35%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--
अन्य	4.93%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टादर	7.27%	7.86%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.80%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु दर सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर एक निर्धारित प्रतिलाभ दर लागू होती है जो निम्न से कम नहीं हो सकती।

(क) औसत मानक दर से 1.5 प्रतिशत से अधिक (ब्याद में से एक चौथाई प्रतिशत की कमी या वृद्धि के साथ सामयोजित) पूर्ववर्ती वर्ष में बैंक द्वारा घोषित बारह माह के नए मियादी जमा पर (पिछले वर्ष को 31 मार्च को समाप्त)।

(ख) कार्यकारी समिति के अनुमोदन से 3 प्रतिशत वार्षिक।

ii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार के देखरेख में किया जाएगा। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 218.15 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹ 191.18 करोड़ था)।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,375.49	3,756.50
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41
बीमांकिक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
प्रदत्त लाभ	(575.86)	(511.00)
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,754.10	4,375.49
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 -''कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान'' में शामिल	954.47	1,129.99
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,375.49	3,756.50
यथा उपर्युक्त व्यय	954.47	1,129.99
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(575.86)	(511.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,754.10	4,375.49

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

(ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घ कालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ 46.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-)7.62 करोड़) की राशि का (प्रतिलेखन)/प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उनके प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घाकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा :

(₹ करोड़ में

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत(नकदीकरण/उपयोग)	15.10	10.00
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	30.64	(7.79)
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(0.25)	(0.54)
5	रुग्ण अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	1.45	(9.29)
योग		**46.94**	**(7.62)**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

ख) खंड सूचना

I) खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) राजकोष -

राजकोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। राजकोष खंड की आय मूलतः व्यापार परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय पर आधारित है।

ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग -

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण- गतिविधियां सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iii) खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित- वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय-

जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयां

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है। कोषीय एवं कारपोरेट/ थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है। निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।

IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं. बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	राजकोष	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
राजस्व #	63,551.80	60,676.63	84,411.17	-	2,08,639.60
	(49,572.24)	(63,983.80)	(76,531.65)	(-)	(1,90,087.69)
अनाबंटित राजस्व #					2339.57
					(1,755.98)
कुल राजस्व					2,10,979.17
					(1,91,843.67)
परिणाम #	14,043.57	-18,192.09	20,864.26	-	16,715.74
	(8,246.77)	(-11,466.70)	(18,967.10)	(-)	(15,747.17)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-1860.58
					(-1,973.11)
कर पूर्व लाभ #					14,855.16
					(13,774.06)
कर #					4,371.06
					(3,823.41)
असाधारण लाभ #					शून्य
					शून्य
निवल लाभ #					10,484.10
					(9,950.65)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	8,04,449.56	9,31,293.68	9,54,597.65	-	26,90,340.89
	(6,05,816.23)	(8,74,603.31)	(8,57,750.16)	(-)	(23,38,169.70)
अनाबंटित आस्तियां *					15,625.41
					(19,447.84)
कुल आस्तियां *					27,05,966.30
					(23,57,617.54)
खंड देयताएं *	6,08,747.16	8,44,527.74	9,97,848.30	-	24,51,123.20
	(3,91,330.86)	(7,96,500.56)	(965,368.29)	(-)	(21,53,199.71)
अनाबंटित देयताएं *					66,557.04
					(60,143.40)
कुल देयताएं *					25,17,680.24
					(22,13,343.11)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व #	2,00,296.31	1,80,078.66	10,682.86	11,765.01	2,10,979.17	1,91,843.67
निवल लाभ #	7637.52	5,936.62	2846.58	4,014.03	10,484.10	9,950.65
आस्तियां *	23,45,534.83	20,29,344.28	3,60,431.47	3,28,273.26	27,05,966.30	23,57,617.54
देयताएं*	21,57,248.77	18,85,069.85	3,60,431.47	3,28,273.26	25,17,680.24	22,13,343.11

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
* 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ (01 अप्रैल 2017 से समामेलन)

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाल
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
2. एसबीआई कनाडा बैंक
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
7. बैक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंडट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप वैंचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि.
7. एसबीआई काड्र्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा. लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
15. एसबीआई फाउंडेशन
16. एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूसंस प्रा लि

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके)लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
2. सी-एजटेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मेघालय ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक
10. पूर्वांचल बैंक

11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (31.07.2016 तक)
3. श्री बी. श्रीराम प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)
4. श्री रजनीश कुमार प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)
5. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम)
6. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (09.08.2016 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
जमा राशि	14.91	शून्य	14.91
	(39.07)	(शून्य)	(39.07)
अन्य देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य
बैंकों में शेष	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
निवेश	81.15	शून्य	81.15
	(41.55)	शून्य	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
जमा राशि	29.17	शून्य	29.17
	(51.95)	शून्य	(51.95)
अन्य देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य
	(0.02)	(शून्य)	(0.02)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
बैंकों में शेष	शून्य	शून्य	शून्य
	(2.12)	(शून्य)	(2.12)
अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
निवेश	81.15	शून्य	81.15
	(41.55)	(शून्य)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
ब्याज खर्च	0.18	शून्य	0.18
	(1.86)	शून्य	(1.86)
लाभांश से अर्जित आय	33.83	शून्य	33.83
	(27.32)	शून्य	(27.32)
अन्य आय	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
अन्य व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
भू-भाग/भवन और अन्य आस्तियाँ की बिक्री पर लाभ/(हानि)	शून्य	शून्य	शून्य
	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
प्रबंधन संविदाएँ	शून्य	1.39	1.39
	(शून्य)	(1.58)	(1.58)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार का लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

घ परिचालन पट्टों के लिए देयताएं

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर नवीकरण योग्य है।

i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से अधिक नहीं	282.78	277.70
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्षों से कम	1,145.19	1,165.78
5 वर्षों से अधिक	303.09	311.17
योग*	**1,731.06**	**1,754.65**

ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते के लिए अभिनिर्धारित की गई राशि ₹2,582.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,110.27 करोड़) है।

ङ) प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर के पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर ठमूलआयड की गणना की गई है। वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए	7,76,27,77,042	746,57,30,920
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	21,07,27,400	29,70,46,122
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	7,97,35,04,442	7,76,27,77,042
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	7,80,37,67,851	7,66,55,68,627
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	780,37,67,851	7,66,55,68,627
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	10,484.10	9,950.65
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	13.43	12.98
प्रति शेयर मूल आय (₹)	13.43	12.98
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	1	1
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)		

च) आय पर कर का लेखांकन

क. वर्तमान कर :-

वर्तमान कर के रूप बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹4,165.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4,003.27 करोड़) नामे किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान कर में उपयुक्त कर छूट ली गई है।

ख. आस्थगित कर :-

वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹337.78 करोड़ नामे किया गया। (पिछले वर्ष ₹245.47 करोड़ नामे किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹2,561.87 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹2,212.44 करोड़) रही, जिसमें अन्य देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत शामिल की गई ₹2,989.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,684.96 करोड़) और अन्य आस्तियों में शामिल की गई ₹427.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹472.52 करोड़) की आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2,332.20	1,605.78
प्रावधान/निर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान/आरबीआई के निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड के तहत मानक आस्तियाँ	2,564.22	1,791.21
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान/ वीआरएस/ अन्य देयताएं	724.65	238.29
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि पर डीटीए	-	262.27
बट्टा का परिशोधन	2.26	11.79
विदेशी कार्यालयों के कारण	427.91	472.52
योग	**6051.24**	**4,381.86**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	219.73	174.61
ब्याज संचित किन्तु प्रतिभूतियों पर देय नहीं *	4,305.62	3,476.39
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	3,522.29	2,941.40
विदेशी कार्यालयों के कारण	2.19	1.90
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व	563.28	-
योग	**8,613.11**	**6,594.30**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयताएँ)	**(2,561.87)**	**(2,212.44)**

छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹78.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.43 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता%
1	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	9.44 (9.44)	भारत	40%
2	सी-एजटेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	1.07 (0.93)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
9	जियो पेमेंट बैंक	39.6 (शून्य)	भारत	30%

#एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 31 मार्च 2016 तक किए गए निवेश पर 100% प्रावधान किया है,

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

मानक एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	230.72	174.57
जमा-राशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	9.93	5.31
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	118.74	101.07
योग	**359.39**	**280.95**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमा-राशियाँ	0.02	0.01
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	139.84	114.50
निवेश	54.65	9.00
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	44.68	31.02
अन्य आस्तियाँ	120.20	126.42
योग	**359.39**	**280.95**
पूँजी वायदे	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	1.52	6.04
आय		
अर्जित ब्याज	9.14	6.75
अन्य आय	366.32	328.38
योग	**375.46**	**335.13**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.71	0.96
परिचालन व्यय	299.69	260.30
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	23.91	22.18
योग	**324.31**	**283.44**
लाभ	**51.15**	**51.69**

जियो पेमेंट बैंक लि को 10 नवंबर 2016 को संयुक्त उद्यम के रुप में शामिल किया गया जिसमें एसबीआई एवं रिलांयस इंडस्ट्रीज लि संयुक्त रुप से साझीदार हैं और उनकी शेयरधारिता क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत है। एसबीआई ने संयुक्त उद्यम में 31.03.2017 तक ₹ 39.60 करोड़ की पूंजी लगाई है।

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो।

झ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक 29)

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा. बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि पर देयताएँ	यह मद अंशतः चुकता निवेशों की चुकाने हेतु शेष राशि के प्रति देयता दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं ।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य कार्य-व्यवसाय के भाग स्वरूप विदेशी विनिमय संविदाएं करता है जिसमें विदेशी मुद्रा को भविष्य में पूर्व-निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए वायदा किया जाता है। आनुमानिक राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेनों के संबंध में, बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसके फलस्वरूप बकाया लेनदेनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार, अधिकांश सकल आनुमानिक राशि इस संविभाग की मूल राशि है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक सहभागिता से मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। मुद्रा विनिमय पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/पूंजी को एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के नकदी प्रवाहों की प्रतिबद्धताएं हैं। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई आनुमानिक राशि को संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी आनुमानिक राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि खाता के तहत बैंक की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	401.10	443.58
वर्ष के दौरान वृद्धि	98.27	190.90
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	2.10	6.00
उपयोग में नहीं लाई गई राशि जिसे वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित किया गया	73.93	227.38
अंतिम शेष	423.34	401.10

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ जिन्हें लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	4,165.83	4,003.27
- आस्थगित कर	337.78	245.47
- आय कर / फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	-132.54	-425.34
- अन्य कर	-	-
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	298.39	149.56
प्रतिचक्रीय बफर से आहरण	-	-1,149.00
अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	32,905.63	29,880.77
पूनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	-658.94	-1,747.63
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,499.64	2,157.55
अन्य प्रावधान	948.00	192.50
योग	**40,363.79**	**33,307.15**

2. अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इतिशेष	25.14	25.14

3. आरक्षित निधि से निकासी

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई निकासी नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति :

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	15,335	30,896
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14,68,471	12,22,250
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	14,37,524	12,37,811
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	46,282	15,335

एक कार्यदिवस में निपटान किए गए शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	15
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	42	16
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	39	31
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	-

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मूलधन या ब्याज के विलम्बित भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2017 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कोई राशि बकाया नहीं है। (पिछला वर्ष ₹ शून्य)

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2017 को बैंक के सकल अर्नजक आस्तियाँ अनुपात हेतु 65.95 % प्रावधान किया गया है।(पिछला वर्ष 60.69%)

8. बैंकाश्योरेंश व्यवसाय के संदर्भ में शुल्क/ मानदेय

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	491.55	379.94
एसबीआई जनरल इंश्योरेंसकं. लि.	107.20	82.25
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	0.86	1.65
टोकियो मैरिन, एसीई	0.05	0.16
यूनिट ट्रस्ट	0.04	0
एआईए सिंगापुर	0.14	0
योग	**599.84**	**464.00**

9. जमाराशियों / अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का क्रेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बृहत्तम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,24,740.17	1,13,783.78
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बृहत्तम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.10%	6.57%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम	1,82,031.00	2,34,099.47
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	11.19%	15.51%

ग. ऋण - जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम	3,98,050	3,51,117.08
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण ॐ जोखिम में बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण - जोखिम का प्रतिशत	14.67%	14.93%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	21,901.53	26,863.55

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पिछला वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,30,231.77	7,354.64	5.65	1,26,455.87	9,839.11	7.78
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	78,050.67	11,536.03	14.78	91,144.42	11,602.30	12.73
3	सेवाएं	53,723.75	2,378.55	4.43	32,341.80	1,747.36	5.40
4	वैयक्तिक ऋण	89,888.59	972.64	1.08	89,625.80	1,033.79	1.15
	उप-योग (क)	3,51,894.78	22,241.86	6.32	3,39,567.89	24,222.56	7.13
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	2,692.79	99.26	3.69	5,644.32	496.94	8.80
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	7,89,932.27	82,086.39	10.39	7,22,102.72	67,674.75	9.37
3	सेवाएं	1,70,032.85	6,704.73	3.94	1,90,365.38	4,355.62	2.29
4	वैयक्तिक ऋण	3,12,724.85	1,210.75	0.39	2,51,819.51	1,422.93	0.57
	उप-योग (ख)	12,75,382.76	90,101.13	7.06	11,69,931.93	73,950.24	6.32
ग	**योग(क)+(ख)**	**16,27,277.54**	**1,12,342.99**	**6.90**	**15,09,499.82**	**98,172.80**	**6.50**

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,60,431.47	3,28,273.26
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	6,794.16	7,785.13
3	कुल राजस्व	10,682.86	11,765.01

12. तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्थाएं (एसपीवी)

प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्था (एसपीवी) का नाम		
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	शून्य	शून्य
पिछला वर्ष	शून्य	शून्य

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम क) तुलन पत्र से इतर जोखिम i) प्रथम हानि ii) अन्य ख) तुलन पत्र जोखिम i) प्रथम हानि ii) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन ॐ देन से संबंधित जोखिम की रकम क तुलन पत्र से इतर जोखिम i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ख) तुलन पत्र जोखिम i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14 . ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा क) उनमें से जो भौतिक रुप से निपटाएं गए/ जाएंगे ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किए गए क) वर्तमान वर्ष से संबंधित ख) पिछले वर्ष से संबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च/हानि) क) प्रीमियम अदा/ प्राप्त किया गया ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान : *अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) *प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	31 मार्च तक बकाया लेनदेन क) लेनदेनों की संख्या ख) संरक्षण की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार) ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	23,296.28	9,251.34
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	23,296.28	9,251.34
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.86	0.39
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	शून्य	शून्य

16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अथशेष	880.92	757.14
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	201.64	123.78
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	1.14	शून्य
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	1,081.42	880.92

17. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपीबीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकता हेतु विदेशी मुद्रा जोखिम गैर-बचाव व्यवस्था के लिए ₹ 110.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 161.27 करोड़) की गयी है। मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम एवं वृद्धिशील पूंजी के रूप में ₹ 246.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 237.62 करोड़) की व्यवस्था की गयी है।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात :

क. एकल एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ अपनाया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर रखें जिन्हें नकदी में परिवर्तित कर अत्यधिक तरलता तनाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिन की समयावधि हेतु तरलता आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- $\frac{\text{'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)'}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्तायुक्त आस्तियाँ शामिल है जिनकी बिक्री त्वरित की जा सकती है या तनाव के परिदृश्य में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट मार्जिन वाली है जबकि स्तर 2क एवं 2बी आस्तियाँ 15%, 50% हेयरकट वाली हैं। कुल शुद्ध नगदी बहिर्गमन कुल अनुमानित नकद बहिर्गमन से कुल अनुमानित नकद अंतर्गमन के अगले 30 कैलेंडर दिनों से कम है। कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के या प्रकारों के देयताओं के बकाया शेषों तथा तुलन पत्र से इतर दरों की प्रतिबद्धताओं जिसके आधार पर इनका निर्धारण किया जाना है, उनको गुणा करके निकाला जाता है। कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के संविदागत प्राप्यों को अपेक्षित दरों पर गुणा करके की जाती है जिसका सकल कैप 75% कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का होता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : पूंजी

चलनिधि सुरक्षा अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक (₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2017 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून 2016 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च 2016 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		510,555		449,193		366,350		301,395		250,927
	नकदी बहिर्गमन										
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	190,776	9,539	191,139	9,557	176,287	8,814	170,104	8,505	161,391	8,070
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	1,327,592	132,759	1,289,130	128,913	1,171,315	117,132	1,145,641	114,564	1,126,491	112,649
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से :										
(i)	परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	61	15	0	0
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	470,093	282,965	449,400	269,807	417,604	244,737	373,748	229,660	372,702	227,461
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	3,687	0	29,241	0	8,887	1	16,673	319	59,444	29
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	126,314	126,314	136,539	136,539	125,334	125,334	91,975	91,975	76,881	76,881

भारतीय स्टेट बैंक

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2017 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून 2016 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च 2016 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	78,531	10,964	69,000	9,763	75,927	10,139	239,603	40,260	208,731	29,801
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	22,157	22,157	20,903	20,903	19,419	19,419	16,243	16,243	14,283	14,283
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	465,170	16,683	476,156	17,127	477,622	17,456	338,840	10,175	365,189	15,889
8	कुल नकदी बहिर्गमन	2,684,321	601,381	2,661,509	592,609	2,472,395	543,031	2,392,888	511,716	2,385,113	485,064
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	50,698	0	15,254	0	5,437	0	2,942	0	312	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	235,209	213,985	237,226	220,232	176,384	161,597	149,177	132,804	141,656	123,564
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	40,317	32,989	50,040	40,192	38,958	31,484	38,076	31,634	41,950	32,874
12	कुल नकदी अंतर्वाह	326,224	246,974	302,520	260,424	220,779	193,081	190,194	164,438	183,918	156,437
13	कुल एचक्यूएलए		510,555		449,193		366,350		301,395		250,927
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		354,407		332,185		349,951		347,278		328,627
15	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		144.06%		135.22%		104.69%		86.79%		76.36%

नोट 1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर का प्रकटन 31 मार्च 2017 से दैनिक पर्यवेक्षण के सामान्य औसत पर आधारित होना चाहिए। इसको देखते हुए बैंक नें 1 जनवरी 2017 से एलसीआर की गणना दैनिक आधार पर 64 आँकड़ा बिंदुओं के आधार पर करना प्रारंभ किया है।
नोट 2 उपरोक्त आँकड़े संबंधित तिमाही के मासिक पर्यवेक्षण के सामान्य औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऊपर दर्शायी गई एलसीआर स्थितियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 80% से अधिक है। दैनिक औसत के आधार पर बैंक का एलसीआर 144.06% आता है जो पिछले तीन महीने के औसत है। (तिमाही 4 वित्तीय वर्ष16-17) तिमाही 4 वित्तीय वर्ष16-17 का औसत एचक्यूएलए ₹ 5,10,555 करोड़ था जिसमें लेवल1 की आस्तियां कुल एचक्यूएलए तथा नकदी, सीआरआर आधिक्य एवं विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी 93.49% थी। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल1 आस्ति का 96.62% है। लेवल 2 ए आस्ति कुल एचक्यूएलए का 5.33% है और लेवल 2वी की आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 1.18% है। तुलनपत्र के आकार में वृद्धि होने के कारण कुल निवल नकदी बहिर्गमन बढ़ा है। डेरिवेटिव एक्सपोजर समान अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह के कारण लगभग नगण्य है। तिमाही के दौरान यूएसडी औसत एलसीआर 87.45% था (महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का बैंक के तुलन पत्र में 5% से अधिक हिस्सा था)।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरिज, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) को रिपोर्ट करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधीयन नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है जिससे निधीयन के स्रोत का विविधिकरण हो तथा यह सुनिश्चित हो सके कि वह बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं। मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के साथ-साथ बैंक संरचनात्मक दैनिक तरलता विवरण तैयार करता है ताकि बैंक की तरलता आवश्यकताओं का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, गतिशील तरलता रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं ताकि तरलता आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जा सके और तदनुसार कार्यनीति बनाई जा सके।

बैंक एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रुप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधीयन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ऐसे निधीयन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुरक्षा है।

ख. समेकित चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 को जारी अपने पूरक दिशा-निर्देशों में 1 जनवरी 2016 से समेकित एलसीआर के कार्यान्वयन का अनुबंध किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रही है।

एलसीआर समूह में छह देशी बैंकिग तथा सात विदेशी बैंकिग सहायक शामिल हैं। ये हैं भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लि., एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरिसस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया।

एसबीआई समूह एलसीआर तीन माह के औसत के आधार पर 146.53% है जो निम्नानुसार है:

एसबीआई ग्रुप एलसीआर घटक		मार्च 2017 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून 2016 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च 2016 तिमाही के समाप्ति पर	
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		640,508		561,005		454,193		382,930		325,539
	नकदी बहिर्गमन										
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	241,589	12,079	241,740	12,087	221,518	11,076	214,196	10,710	242,670	12,134
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	1,704,999	170,500	1,660,872	166,087	1,514,128	151,413	1,478,756	147,876	1,419,909	141,991
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से :										
(i)	परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	59	15	55	14	53	13	111	28	4,540	1,127
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	586,666	336,902	567,051	330,893	538,012	307,532	500,563	295,628	494,122	287,505
(iii)	अप्रतिभूत उधार	7,456	7,456	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	3,709	1,236	29,908	0	10,730	6	18,474	404	66,768	5,872
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	154,037	154,119	158,427	158,427	148,165	148,165	111,774	111,774	99,420	99,420
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	104,556	12,695	82,684	10,815	89,045	11,109	245,520	40,858	218,045	33,777
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	28,620	28,620	28,307	28,307	26,887	26,887	22,774	22,774	22,415	22,415
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	540,151	19,328	569,042	20,663	567,690	20,821	432,971	13,682	453,671	17,154
8	कुल नकदी बहिर्गमन	3,371,843	742,951	3,338,086	727,293	3,116,228	677,022	3,025,139	643,734	3,021,560	621,395
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	60,900	0	29,016	1	7,517	1	3,533	1	1,400	331
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	278,044	249,098	285,616	260,774	219,922	197,273	191,672	167,273	185,061	157,195
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	65,560	56,743	62,192	50,510	49,606	39,998	46,381	38,222	55,503	42,258
12	कुल नकदी अंतर्वाह	404,503	305,841	376,824	311,285	277,045	237,272	241,586	205,496	242,004	199,784
21	कुल एचक्यूएलए		640,508		561,005		454,193		382,930		325,539
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		437,110		416,008		439,750		438,238		421,611
23	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		146.53%		134.85%		103.28%		87.38%		77.21%

** विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों हेतु तीन महीने के आँकड़ों का मासिक औसत
** घरेलू बैंकिंग अनुषंगियों हेतु तीन महीने के आँकड़ों का दैनिक औसत

समूह एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रुप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधियन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और एसे निधियन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

19. धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी ₹ 2,424.74 करोड़ (837 मामले) में से ₹ 2,360.37 करोड़ (278 मामले) के अग्रिम को धोखाधड़ी घोषित किया गया। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के लिए अतिरिक्त ₹ 302.05 करोड़ का प्रावधान किया गया।

20. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाशोधन किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

21. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों में आई कमी जो कि कुल ₹ 48.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹461.39 करोड़) है तथा 31 मार्च 2016 को अपरिशोधित राशि कुल ₹1131.01 करोड़ है, को चालू वर्ष में पूरी तरह परिशोधित कर दिया गया है।

22. प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)

ठअस्थायी प्रावधानों / प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफरड पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर उपयोग में लाने हेतु बैंकों को 31 दिसंबर 2014 को उनके द्वारा सीसीपीबी में धारित 50 प्रतिशत तक अनुमति दी है, जो कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमोदित नीति के तहत है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

23. खाद्यान्न क्रेडिट

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने राज्य सरकार की बकाया दीर्घावधि खाद्य ऋण अग्रिम के संदर्भ में 7.5 प्रतिशत का प्रावधान किया है जो कुल ₹856 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 543.50 करोड़) है।

24. बैंक की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन:

(क) वर्ष के दौरान बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया। पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाता में जमा किया गया और 31 मार्च 2017 को अंतिम शेष (मूल्यह्रास के लिए निवल राशि की निकासी) ₹31,585.65 करोड़ है ।

(ख) बासेल III पूंजी विनियामन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 83 / 21.06.201/2015-16 दिनांकित 01.03.2016 की शर्तों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को 55% की छूट पर सीईटी I पूंजी के रूप में मान्य किया गया है।

25. बैंकिंग अनुषंगियों एवं भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण

भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पाँच घरेलू अनुषंगियों जिनके नाम हैं ॐ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावण कोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा भारतीय महिला बैंक (इसके बाद सामूहिक रूप से ट्रांसफेरर बैंक) का अधिग्रहण दिनांक 22 फ़रवरी 2017 और 20 मार्च 2017 के आदेशों के आधार पर किया गया। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिग्रहण की यह योजना 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगी (इसके बाद संदर्भ तिथि कहा जाएगा)।

इन बैंकों के वचनबंध जिसमें समस्त व्यवसाय, आस्ति, देयताएँ, आरक्षित तथा अधिशेष, वर्तमान या आकस्मिक और अन्य सभी अधिकार एवं हित जो इन सम्पत्तियों से प्रभावी तिथि से पूर्व संबंधित हैं, प्रभावी तिथि के बाद भारतीय स्टेट बैंक में स्थानांतरित और निहित होंगे।
आवश्यक लेखा संबंधी समायोजन प्रभावी तिथि से किए गए हैं।

26. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के साथ वर्गीकरण के लिए जहां आवश्यक हुआ है, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक / लेखा मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप जहां पहली बार प्रकटन किए गए हैं वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ 000 में

विवरण		31.03.2017 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :			
कर पूर्व निवल लाभ		14855,16,27	13774,05,74
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		2293,30,96	1700,30,45
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/ हानि (निवल)		37,05,49	16,69,37
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		0	151,67,43
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर (लाभ) / हानि		(1755,00,00)	(108,00,00)
उचित मूल्य में ह्रास एवं अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान		32246,69,15	26984,14,36
मानक आस्तियों पर प्रावधान		2499,64,29	2157,54,91
निवेशों पर मूल्यह्रास/ (मूल्य वृद्धि) के लिए प्रावधान		298,39,39	149,55,88
अन्य प्रावधान जिसमें आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान शामिल है		948,00,40	192,49,87
समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में निवेश से प्राप्त आय		(688,35,40)	(475,82,57)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4195,23,59	3722,80,38
		54930,14,14	48265,45,82
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		314028,95,86	153929,19,11
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		(4640,71,53)	112056,76,40
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि)/कमी		(188005,00,05)	(92600,49,79)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(139624,65,51)	(190658,16,81)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(7469,50,80)	22846,83,70
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(18051,26,83)	(34583,68,76)
असमाकलित परिचालन में निवेश के निपटान से एफ सी टी आर में कमी		0	(873,92,35)
		11167,95,28	18381,97,32
कर वापसी /(कर भुगतान)		(107,63,17)	(7185,42,60)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	11060,32,11	11196,54,72
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि) / कमी		(2631,24,15)	(1593,77,02)
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर लाभ / (हानि)		1755,00,00	108,00,00
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों से प्राप्त लाभांश		688,35,40	475,82,57
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(2960,56,19)	(2738,42,72)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न /(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	(3148,44,94)	(3748,37,17)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि जिसमें शेयर के प्रीमियम शामिल हैं		5674,82,91	5384,49,57
पूंजीगत लिखतों का निर्गम/(मोचन) (एनईटी)		(922,40,00)	5902,84,20

₹ 000 में

विवरण		31.03.2017 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष ₹
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4195,23,59)	(3722,80,38)
कर सहित लाभांशों का भुगतान		(2337,46,38)	(3058,65,86)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	**(ग)**	**(1780,27,06)**	**4505,87,53**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवतर्नों पर प्रभाव	**(घ)**	**(1627,60,78)**	**757,82,36**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी)	**(क)+(ख)+(ग)+(घ)**	**4503,99,33**	**12711,87,44**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**167467,65,65**	**154755,78,21**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**171971,64,98**	**167467,65,65**

टिप्पणी : नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक इस प्रकार हैं :	31.03.2017	31.03.2016
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	127997,61,77	129629,32,53
बैंक में नकद शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	43974,03,21	37838,33,12
योग	**171971,64,98**	**167467,65,65**

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

निदेशक:
श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गिरीश के. आहूजा
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
श्री चंदन सिन्हा

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं. 11684
फर्म पंजी. सं. 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं. 046050
फर्म पंजी. सं. 109208 W

कृते मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के 31 मार्च, 2017 की वित्तीय विवरणियां जिसमें 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह) केन्द्रीय, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 शाखाओं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 9,873 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है;

   iii) विदेश स्थित 53 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरुप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 8,200 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाईयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 3.86%, जमाराशियों में 15.50%, ब्याज आय में 4.90% तथा ब्याज व्यय में 14.51% है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा ॐ नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंर्तगत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबन्धित है। ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो ।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2017 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

   ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

   iii) इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः ञ्कट और ञ्खट फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं ।

8. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :

   क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

   ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

   ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

9. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरुप है।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं. 11684
फर्म पंजी. सं. 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं. 046050
फर्म पंजी. सं. 109208 W

कृते मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	797,35,04	776,27,77
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	216394,79,86	179816,08,85
अल्पांश हित		6480,64,58	6267,40,44
जमाराशियाँ	3	2599810,66,19	2253857,56,44
उधार राशियाँ	4	336365,66,48	361399,39,05
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	285272,43,87	271366,42,27
योग		**3445121,56,02**	**3073483,14,82**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	161018,61,07	160424,56,91
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	112178,54,46	44134,89,64
निवेश	8	1027280,86,90	807374,58,30
अग्रिम	9	1896886,82,01	1870260,89,28
अचल आस्तियाँ	10	50940,73,77	15255,68,28
अन्य आस्तियाँ	11	196815,97,81	176032,52,41
योग		**3445121,56,02**	**3073483,14,82**
आकस्मिक देयताएँ	12	1184907,81,79	1184201,34,24
संग्रहण के लिए बिल		77727,05,90	106611,67,61
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा	**श्री पी. के. गुप्ता**	**श्री रजनीश कुमार**	**श्री बी. श्रीराम**	**चेरीयन के. बेबी**
प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	भागीदार
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)	(अनुपालन एवं जोखिम)	(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)	(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)	सदस्यता क्र.: 16043
				फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1प्रति शेयर (पिछले वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 797,43,25,472 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1 (पिछले वर्ष 776,35,98,072 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर)	797,43,25	776,35,98
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 797,35,04,442 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर, (पिछले वर्ष ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के 776,27,77,042) [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 12,70,16,300 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 14,45,93,240 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं, जो 1,27,01,630 (पिछले वर्ष 1,44,59,324) वैश्विक डिपाजिटरी के रूप में हैं]**	797,35,04	776,27,77
योग	**797,35,04**	**776,27,77**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	61499,16,34		57789,72,97	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3254,35,78		3709,43,37	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	64753,52,12	-	61499,16,34
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	3354,19,48		2816,00,26	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1892,26,33		538,20,31	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	35,82	5246,09,99	1,09	3354,19,48
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	49769,47,71		41444,68,60	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5659,92,72		8333,44,99	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,17,07	55423,23,36	8,65,88	49769,47,71
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6813,62,99		6765,70,93	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,09,80		937,97,19	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1761,80,78	5073,92,01	890,05,13	6813,62,99

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	1374,03,37		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	34558,77,73		1374,03,37	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	338,92,97	35593,88,13	-	1374,03,37
VI	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	53725,75,67		49208,96,59	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	960,88,92		4885,36,61	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	42,46,38	54644,18,21	368,57,53	53725,75,67
VII	**लाभ और हानि खाते की शेष**		(4340,03,96)		3279,83,29
योग			**216394,79,86**		**179816,08,85**

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹242,83,39 हजार (पिछले वर्ष ₹ 242,83,39 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	6991,80,91	6740,88,18
	(ii) अन्य से	181890,89,78	163938,91,29
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	947361,71,12	744908,74,55
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	19848,97,66	9082,28,40
	(ii) अन्य से	1443717,26,72	1329186,74,02
योग		**2599810,66,19**	**2253857,56,44**
ख.	**I.** भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2491369,62,12	2143972,00,39
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	108441,04,07	109885,56,05
योग		**2599810,66,19**	**2253857,56,44**

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			5000,00,00		106576,79,00
(ii) अन्य बैंक			4376,17,42		3686,76,87
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			71912,62,74		10547,50,98
(iv) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	11505,00,00			3849,72,60	
ख) गौण ऋण एवं बांड	42070,76,40	53575,76,40		53873,63,80	57723,36,40
योग		**134864,56,56**			**178534,43,25**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ					
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित			195439,97,42		178661,48,05
(II) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	5998,62,50			4140,93,75	
ख) गौण ऋण एवं बांड	62,50,00	6061,12,50		62,54,00	4203,47,75
योग		**201501,09,92**			**182864,95,80**
कुल योग (I व II)		**336365,66,48**			**361399,39,05**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		**79426,89,27**			**116776,47,33**

अनूसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	31016,63,09	23335,72,69
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	100,17,15	237,92,52
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	36342,34,83	37419,45,02
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	15664,32,19	29833,04,28
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	3362,04,95	2930,88,61
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	96797,49,57	78668,25,79
VII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	101989,42,09	98941,13,36
योग		**285272,43,87**	**271366,42,27**

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	14942,25,80	17787,02,59
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ		
	I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	146076,35,27	142637,54,32
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ	-	-
योग		**161018,61,07**	**160424,56,91**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	365,03,31	288,01,40
	(ख) अन्य जमा खातों में	43707,37,40	2170,64,23
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	30001,53,04	4122,29,44
	(ख) अन्य संस्थाओं में	19,45,50	37,97,35
योग		**74093,39,25**	**6618,92,42**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	24958,30,27	26911,87,69
	(ii) अन्य जमा खातों में	4720,03,93	1571,46,56
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	8406,81,01	9032,62,97
योग		**38085,15,21**	**37515,97,22**
कुल योग (I एवं II)		**112178,54,46**	**44134,89,64**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**		
	(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	778210,37,55	635075,24,22
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7423,43,57	3759,80,59
	(iii) शेयर	30156,08,39	22921,99,08
	(iv) डिबेंचर और बांड	84954,01,86	61372,52,22
	(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	2731,15,94	2456,08,15
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)	81382,11,01	41525,68,15
योग		**984857,18,32**	**767111,32,41**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश			
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		10926,92,52	12291,86,27
(ii) सहयोगी		110,56,19	91,26,16
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		31386,19,87	27880,13,46
योग		**42423,68,58**	**40263,25,89**
कुल योग (I एवं II)		**1027280,86,90**	**807374,58,30**
III. भारत में निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		987835,48,02	768901,72,04
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		2978,29,70	1790,39,63
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**984857,18,32**	**767111,32,41**
IV. भारत के बाहर निवेश			
(i) निवेशों का सकल मूल्य		42524,45,77	40360,83,74
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		100,77,19	97,57,85
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**42423,68,58**	**40263,25,89**
कुल योग (III एवं IV)		**1027280,86,90**	**807374,58,30**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	79390,60,01	105904,33,41
II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	753228,61,48	768139,02,40
III.	सावधि ऋण	1064267,60,52	996217,53,47
योग		**1896886,82,01**	**1870260,89,28**
ख) I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1495899,32,42	1449464,11,29
II.	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	82409,50,15	65407,28,51
II.	अप्रतिभूत	318577 ,99,44	355389,49,48
योग		**1896886,82,01**	**1870260,89,28**
ग) I.	भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	471076,83,62	475038,00,97
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	131884,87,37	163126,02,25
	(iii) बैंक	2641,74,42	2541,75,87
	(iv) अन्य	993005,12,78	952633,31,09
योग		**1598608,58,19**	**1593339,10,18**
II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	87892,69,43	71750,72,87
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	11719,22,54	15298,95,44
	(ख) सिंडीकेट ऋण	105052,29,85	92239,49,49
	(ग) अन्य	93614,02,00	97632,61,30
योग		**298278,23,82**	**276921,79,10**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]		**1896886,82,01**	**1870260,89,28**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	6505,13,56		4672,16,65	
	परिवर्धन:				
	वर्ष के दौरान	1048,36,09		367,05,63	
	पुनर्मूल्यांकन के लिए	34558,77,73		1468,30,64	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4,70,79		2,39,36	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	- लागत पर	731,28,94		629,80,93	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	384,87,11	40991,40,54	42,50,95	5832,81,68
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	25746,84,21		23192,34,20	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3339,55,38		3056,76,25	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	573,51,87		502,26,24	
	अद्यतन मूल्यह्रास	19269,63,13	9243,24,59	17125,95,43	8620,88,78
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	122,51,66		329,83,42	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9,39,35		2,09,22	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	14,52,20		209,40,98	
	आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	101,51,40		101,52,99	
		15,87,41		20,98,67	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	4,70,45	11,16,96	4,70,45	16,28,22
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		694,91,68		785,69,60
योग			**50940,73,77**		**15255,68,28**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	4771,18,77	2700,12,71
(II)	प्रोद्भूत ब्याज	25611,05,79	21428,47,87
(III)	अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	12295,19,88	15697,31,41
(IV)	लेखन सामग्री और स्टांप	133,01,28	140,48,46
(V)	दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	34,19,97	52,20,86
(VI)	आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	4923,37,87	1161,66,36
(VII)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋणान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के पास रखी हुई जमाराशियाँ #	67709,71,52	60047,16,38
(VIII)	अन्य #	81338,22,73	74805,08,36
योग		**196815,97,81**	**176032,52,41**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 943,41,50 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 945,21,86 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	33145,36,29	16060,79,90
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	603,35,11	157,84,11
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	656625,33,39	655899,96,45
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	160434,10,71	164515,57,51
	(ख) भारत के बाहर	75098,54,00	88084,20,47
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	117916,38,53	131160,23,60
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	141084,73,76	128322,72,20
योग		**1184907,81,79**	**1184201,34,24**
संग्रहण के लिए बिल		**77727,05,90**	**106611,67,61**

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	230447,49,17	220632,74,66
अन्य आय	14	68192,96,20	52828,38,55
योग		**298640,45,37**	**273461,13,21**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	149114,67,40	143047,35,65
परिचालन व्यय	16	87290,07,01	74307,17,20
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		62626,38,25	43363,31,29
योग		**299031,12,66**	**260717,84,14**
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		(390,67,29)	12743,29,07
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		293,28,42	275,81,61
घटाएं : अल्पांश हित		(338,62,12)	794,51,18
समूह के लिए निवल लाभ		241,23,25	12224,59,50
आगे लाया गया शेष		3279,83,29	2615,87,62
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**3521,06,54**	**14840,47,12**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3254,35,78	3709,43,37
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		2110,21,56	5388,68,06
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		-	80
वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		2108,56,29	2018,32,20
लाभांश पर कर		387,96,87	444,19,40
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		(4340,03,96)	3279,83,29
योग		**3521,06,54**	**14840,47,12**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 0.31	₹ 15.95
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 0.31	₹ 15.95
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 16043
फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	156790,48,00	157001,74,81
II.	निवेशों पर आय	64201,37,45	56462,19,73
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	2591,57,08	1112,24,09
IV.	अन्य	6864,06,64	6056,56,03
योग		**230447,49,17**	**220632,74,66**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	19701,03,46	17662,46,76
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	13778,42,77	6460,52,31
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	-	(151,67,43)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(43,81,46)	(21,05,23)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2792,18,63	2226,38,64
VI.	भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	3,85,50	7,52,34
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	1415,89,43	981,08,93
IX.	बीमा प्रीमियम आय (निवल)	22243,83,01	16636,87,72
X.	विविध आय	4090,89,93	3352,02,43
XI.	Miscellaneous Income	4210,64,93	5674,22,08
योग		**68192,96,20**	**52828,38,55**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	138786,78,15	132402,04,61
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4617,77,07	4893,83,34
III.	अन्य	5710,12,18	5751,47,70
योग		**149114,67,40**	**143047,35,65**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	35691,20,50	32525,59,82
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5270,90,67	4939,78,70
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	544,30,58	511,61,80
IV.	विज्ञापन और प्रचार	600,28,87	609,67,64
V.	(क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	2911,03,48	2248,14,79
	(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	3,64,95	4,05,74
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	9,52,63	7,71,33
VII.	लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	311,82,32	285,40,65
VIII.	विधि प्रभार	414,86,73	362,14,06
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	975,44,05	812,91,81
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	870,95,63	797,06,39
XI.	बीमा	2479,26,16	2228,56,82
XII.	अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	1655,63,91	1163,24,81
XIII.	अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित	24228,88,09	18520,29,63
XIV.	अन्य व्यय	11322,28,44	9290,93,21
योग		**87290,07,01**	**74307,17,20**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (समेकित)

क. तैयार करने का आधार:

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएं सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं यथोचित है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार :

1. समूह **(जिसमें 32 अनुषंगियां, 9 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, अवसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/ आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना के संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

   घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी-पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में "सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक" 23 के अनुसार किया गया है।

   ङ. "कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना" से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी/सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदारी का नहीं।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी- राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (इक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल विनिवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिवेश के समान राशि को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज का छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है:

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं ए टी एम इंटरचेंज फीस जो कि प्रोद्भवन आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित किया जाता है को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क-आय को वसूली के बाद मान्य किया गया है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉण्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान/खर्च की गई दलाली/कमीशन को संबंधित बॉण्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपने वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करती है तो इसे अपने खातों से हटा देती है ।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है ।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान को आरबीआई की अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ङ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोदभवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन :

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

ङ. असीमित अवधि वाली इक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) से संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

ख. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय

के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक के गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एफसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटियों प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन आगम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किस्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहाँ कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाककर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब में लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब में लिया जाता है। ऐसे प्रावधान की अतिरिक्त सूचना, जब कभी भी उपलब्ध होती है, के आधार पर यथा उपयुक्त समीक्षा/में संशोधन किया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा वर्ष जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या
- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है, (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनआर), से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहाँ कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/ करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

आधारिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :

जब कभी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परियोजना प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन और रखरखाव संविदाओं से प्राप्त आय को संविदा की अवधि के दौरान यथानुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि"(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एच टी एम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एच एफ टी)

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित(एच टी एम)" रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

2.3 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एस टी टी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु धारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारितड श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थाई से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यन आईसीएआई के एएस 23 के अनुसार निर्धारित इक्विटी लागत पर किया गया है।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँः एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही-मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है ।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य मे से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है । आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य को नॉन एस एल आर के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है । तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध म उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

viii. **रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:**

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित किया गया ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनःखरीद और रिवर्स पुनःखरीद लेनदेनों के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन आरबीआई के साथ किए गए लेनदेनों को आरबीआई के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार उधार लेने और ऋण देने संबंधी लेनदेनों के रूप में लेखे में लिया गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी की निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीए द्वारा यथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उद्धृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट "इक्विटी" के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बेसल III अनुपालक) बेमीयादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार पर किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियां "आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)" में और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)" क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों की मूल्यन नीति के अनुसार किया जाता है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट "इक्विटी" के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बेसल-3 अनुपालक) बेमीयादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों , जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ?ण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ		
- प्रतिभूत भाग	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग		100%
हानिप्रद आस्तियाँ :		100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य का एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए है। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ठअन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्यड शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार देय मूलराशि या ब्याज से संबंधित एनपीए की हुई वसूलियों का समायोजन (संबंधित ऋणी को संस्वीकृत अतिरिक्त/नई ऋण सुविधाओं में से नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार
ख. वसूल नहीं हुआ ब्याज/ब्याज
ग. मूल राशि

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए है। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से ठउचंत खाता कुल प्राप्यड में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एम टी एम को भी लाभ और हानि खाते से ठउचंत खाता सकारात्मक एम टी एमठ में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास / परिशोधन से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन डिस्पेंसर/ क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी कटौती पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी कटौती पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी कटौती पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी कटौती पद्धति	आस्ति अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। परिसर - 60 वर्ष वहान - 5 वर्ष सुरक्षित जमा - 20 वर्ष फ़र्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित की गई संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन नहीं की गई संपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ एवं हानि विवरण में लिए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित आस्ति के शेष उपयोगी जीवन के अनुसार किया जाता है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन - देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन - देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को कर दी गई है तथा परिणामी लाभ/हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर परिवर्तित कर दिया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन - देन को लेन - देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या 10 लाख रुपए की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ङ नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है , जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाल कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबन्धित कर्मचारी की पंजीकरण

प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा -रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आकार अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा कराते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर 'मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन का परिणाम के फलस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है ;

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते है एवं ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होते हैं। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस की आय करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा बेचता है। बैंक सोना जमा लेता है एवं उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमाओं, धातु ऋण अग्रिमों और अंतिम स्वर्ण शेषों का मूल्यांकन तुलनपत्र की तिथि को उपलब्ध बाजार दर के आधार पर किया गया है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची 18 (समेकित) लेखा-टिप्पणियाँ

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समेकित विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 32 अनुषंगियां, 9 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है, जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित है:

क) अनुषंगियां

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	90.00	90.00
4)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	79.09	79.09
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00
11)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यू.के.	100.00	100.00
12)	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	71.58	71.58
13)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
14)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	भारत	100.00	-
15)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	92.60	92.60
18)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.@	भारत	60.00	60.00
19)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
20)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	70.10	74.00
21)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. @	भारत	65.00	65.00

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
22)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
23)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00	63.00
24)	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को@	रूस	60.00	60.00
25)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	100.00	100.00
26)	एसबीआई कनाड़ा बैंक	कनाड़ा	100.00	100.00
27)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
28)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजिल	100.00	100.00
29)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.60
30)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
31)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.10
32)	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	-

@ ऐसी कंपनियां जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये वित्तीय विवरणों का समेकन से संबंधित एएस21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम :

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन - देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सीएज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इंवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इंवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
9)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	-

ग) सहयोगी

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन - देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2.	अरुणांचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4.	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5.	लंगपी देहांती रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7.	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00

क्र सं.	अनुषंगी का नाम		समूह का हिस्सा (%)	
		पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
8.	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9.	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10.	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
11.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12.	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14.	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
16.	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17.	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	31.50	31.50
18.	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19.	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	24.42	24.42
20.	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क. एसबीआई इनफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 17 जून 2016 को एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में निगमित किया गया। अगस्त 2016 मास के दौरान एसबीआई ने ₹10 करोड़ पूंजी के रूप में लगाए।

ख. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 10 नवंबर 2016 से संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया जिसमें एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयुक्त भागीदार है और क्रमशः 30% और 70% के हितधारक हैं। 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उक्त संयुक्त उद्यम में एसबीआई ने पंजी के रूप में ₹39.60 करोड़ का निवेश किया।

ग. दिसंबर 2016 के माह में, भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआई की एक सहयोगी संस्था) में अपने 3.90% हित को बेच दिया जिसके बाद एसबीआई का हित 74.00 प्रतिशत से घटकर 70.10% रह गया है।

घ. फरवरी 2017 के माह में, नेपाल एसबीआई बैंक लि., जो भारतीय स्टेट बैंक की एक विदेशी अनुषंगी है, ने अपने अनभिदत्त हिस्से से 67,767.87 अतिरिक्त शेयर आधे से कम के शेयरधारक को जारी किए और एसबीआई का हित 55.10% से घटकर 55.00% हो गया।

ङ. नेपाल एसबीआई बैंक लि. (जो भारतीय स्टेट बैंक की एक विदेशी अनुषंगी है) ने नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. के नाम में एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी निगमित की है और उसमें एनपीआर 10 करोड़ लगाए। चूंकि एसबीआई का नेपाल एसबीआई बैंक लि. में 55% की हितधारिता है, इसलिए इसे नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. के समेकन के लिए शामिल किया गया है।

च. एसबीआई फाउंडेशन, (एक अलाभकारी कंपनी) ने 26 जून 2015 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के अंतर्गत एसबीआई की एक अनुषंगी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे कि समूह के सीएसआर कार्यकलापों पर अलग से ध्यान दिया जा सके। चूंकि यह एक अलाभकारी कंपनी है, इसलिए समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु एसबीआई फाउंडेशन पर विचार नहीं किया गया है।

छ. एसबीआई होम फाइनैंस लि. जो एक सहयोगी संस्था है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का हित 25.05% है, परिसमापन के अधीन है, इसलिए लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में इस पर विचार नहीं किया गया है।

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2016-17 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाड़ा) बैंक और एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लि.) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

2. शेयर पूंजी

2.1 वर्ष के दौरान, एसबीआई ने भारत सरकार से ₹5,681 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,393 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹5,659.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,373.34 करोड़) शामिल है जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹1 के 21,07,27,400 (पिछले वर्ष 19,65,59,390) इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 20 जनवरी 2017 को किया गया।

2.2 शेयर जारी करने से संबंधित खर्च ₹6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.66 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए)।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.1.1.1 कर्मचारी पेंशन योजनाएं और ग्रेच्युटी योजनाएं

निम्नतालिका में लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	73,164.38	64,529.56	9,898.24	9,543.10
वर्तमान सेवा लागत	1,285.52	1,360.54	287.33	256.26
ब्याज लागत	5,834.23	5,276.63	766.59	778.43
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	1,200.00	-	0.01	0.03
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	8,106.01	6,909.53	263.87	652.16
प्रदत्त हितलाभ	(3,360.17)	(2,665.72)	(1,286.52)	(1,331.74)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
31 मार्च 2017 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**83,870.13**	**73,164.38**	**9,929.52**	**9,898.24**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	66,813.97	61,886.14	9,249.72	9,362.94
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,522.97	5,341.46	755.56	798.31
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	7,817.68	2,322.17	876.22	383.63
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान	3.09	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,360.17)	(2,665.72)	(1,286.52)	(1,331.74)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	2,505.66	(70.08)	268.79	36.58
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**79,303.20**	**66,813.97**	**9,863.77**	**9,249.72**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	83,870.13	73,164.38	9,929.52	9,898.24
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
कमी/(अधिशेष)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	**4,566.93**	**6,350.41**	**65.75**	**648.52**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	83,870.13	73,164.38	9,929.52	9,898.24
आस्तियाँ	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,285.52	1,360.54	287.33	256.26
ब्याज लागत	5,834.23	5,276.63	766.59	778.43
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,522.97)	(5,341.46)	(755.56)	(798.31)
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान	(3.09)	-	-	-
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	-	-	-	-
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	1,200.00	-	0.01	0.03

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के दौरान शामिल की गई निवल बीमांकिक हानियां / (लाभ)	5,600.35	6,979.61	(4.92)	615.58
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**8,394.04**	**8,275.32**	**293.45**	**851.99**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,522.97	5,341.46	755.56	798.31
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,505.66	(70.08)	268.79	36.58
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	8,028.63	5,271.38	1,024.35	834.89
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	**6,350.41**	**2,643.42**	**648.52**	**180.16**
लाभ एवं हानि खाते में लिया गया व्यय	8,394.04	8,275.32	293.45	851.99
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(7,817.68)	(2,322.17)	(876.22)	(383.63)
पिछली सेवा लागत	-	शून्य	-	शून्य
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**4,566.93**	**6,350.41**	**65.75**	**648.52**

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.43%	21.19%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	27.23%	22.31%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	35.38%	22.85%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	2.38%	27.77%
अन्य	6.58%	5.88%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.45% to 7.51%	8.00% to 8.10%	7.27% to 7.27%	7.86% to 8.10%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.00% to 8.00%	8.00% to 9.00%	7.00% to 8.00%	7.86% to 9.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2016-17 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	25,159.70	22,498.51
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1,632.22
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,031.10	1,983.67
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	-	0.01
प्रदत्त हितलाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
31 मार्च 2017 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	25,921.96	25,159.70
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,177.60	2,026.72
अंशदान	1,842.46	3,615.89
प्रदत्त हितलाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानियाँ)	167.65	126.32
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	26,915.23	25,985.32
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,921.96	25,159.70
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26,915.23	25,985.32
कमी/(अधिशेष)	(993.27)	(825.62)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	993.27	825.62
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1632.22

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,177.60)	(2,026.72)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत को अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	811.36	1,632.22
तुलनपत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्त अनुसार व्यय	811.36	1,632.22
नियोक्ता का अंशदान	(811.36)	(1,632.22)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.56%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.16%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	33.35%
सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्र बांड	--
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	4.93%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
निश्चित प्रतिलाभ	8.80%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि की देयता पर गारंटीकृत प्रतिफल लागू होता है जो निम्न दोनों में से किसी में से भी घटाया नहीं जाएगा।

क) औसत मानक दर से डेढ़ प्रतिशत अधिक (एक चौथाई प्रतिशत ब्याज में से बढ़ाकर या घटाकर समायोजित किया गया है) जो पिछले वर्ष (पिछले 31 मार्च को समाप्त हो रहे) बारह महीनों के लिए निर्धारित नई जमाराशियों हेतु बैंक द्वारा उद्धृत किए गए हैं; या

ख) तीन प्रतिशत प्रति वर्ष, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के अधीन।

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 38.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36.98 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹ 328.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 266.32 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

3.1.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एसबीआई की संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थिति दर्शायी गई है :.

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,375.49	3,756.50
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41
बीमांकिक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
प्रदत्त लाभ	(575.86)	(511.00)
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,754.10	4,375.49

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41
बीमांकिक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 -''कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान'' में शामिल	954.47	1,129.99
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,375.49	3,756.50
यथा उपर्युक्त व्यय	954.47	1,129.99
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(575.86)	(511.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,754.10	4,375.49

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
वेतन वृद्धि	2.00%	2.00%
पलायन दर	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (एसबीआई को छोड़कर)
सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के संबंध में समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा ₹116.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹167.78 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में ' कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

3.1.3.2 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में समूह द्वारा ₹ (-)20.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.35 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	19.23	25.85
2	रुग्ण अवकाश	(53.14)	(1.43)
3	रजत जयंती अवार्ड	11.13	3.11
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	1.32	2.74
5	रुग्ण अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	0.94	(8.92)
योग		**(20.52)**	**21.35**

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) कोष: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग: कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कॉरपोरेट लेखा समूह, मध्य कॉरपोरेट लेखा समूह और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) देशीय परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें अनाबंटित व्यय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खण्ड	कोष	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय	78,525.43 (61,912.83)	83,694.12 (89,134.11)	1,06,413.35 (99,550.50)	28,047.72 (21,460.12)	6,174.73 (4,869.88)	3,02,855.35 (2,76,927.44)
अनाबंटित आय						2,419.27 (1,800.62)
घटाएं : अंतर खंड आय						6,634.17 (5,266.93)
कुल आय						2,98,640.45 (2,73,461.13)
परिणाम	14,559.33 (9,071.69)	(-)29,133.47 (-11,271.53)	15,156.76 (20,936.37)	1,308.71 (932.55)	1,717.58 (1,375.21)	3,608.91 (21,044.29)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल						(-)2,664.08 (-2,867.51)
परिचालन लाभ (पीबीटी)						944.83 (18,176.78)
कर						1,335.50 (5,433.50)
असाधारण लाभ/हानि						(-) (-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व						(-)390.67 (12,743.28)
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी						293.28 (275.82)
घटाएँ : अल्पांश हित						(-)338.62 (794.51)
निवल लाभ समूह के लिए						241.23 (12,224.59)
अन्य सूचना :						
खंड आस्तियाँ	10,07,725.87 (7,53,779.59)	11,51,526.43 (11,31,334.93)	11,33,220.08 (10,54,672.01)	1,06,318.18 (87,073.44)	18,110.16 (17,298.70)	34,16,900.72 (30,44,158.67)
अनाबंटित आस्तियाँ						28,220.84 (29,324.48)
कुल आस्तियाँ						34,45,121.56 (30,73,483.15)
खंड देयताएँ	7,09,453.02 (4,61,937.22)	11,03,341.85 (10,74,172.76)	12,14,492.46 (11,82,374.63)	99,646.13 (81,602.86)	12,525.34 (12,473.12)	31,39,458.80 (28,12,560.59)
अनाबंटित देयताएँ						88,470.61 (80,330.19)
कुल देयताएँ						32,27,929.41 (28,92,890.78)

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,86,663.05	11,977.40	2,98,640.45
	(2,60,555.43)	(12,905.70)	(2,73,461.13)
निवल लाभ	(-) 2,871.79	3,113.02	241.23
	(8,172.53)	(4,052.06)	(12,224.59)
आस्तियाँ	30,59,467.86	3,85,653.70	34,45,121.56
	(27,21,888.90)	(3,51,594.25)	(30,73,483.15)
देयताएँ	28,46,368.69	381,560.72	32,27,929.41
	(25,45,266.12)	(3,47,624.66)	(28,92,890.78)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2017 का है।

(ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

3.3.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) संयुक्त उद्यम :

1. सीएज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इंवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इंवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
9. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणांचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांती रूरल बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंक
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

19. दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
20. बैंक ऑफ भूटान लि.
21. एसबीआई होम फाइनैंस लि. (परिसमापनाधीन)

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (31.07.2016 तक)
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (09.08.2016 से)
4. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम)
5. श्री रजनीश कुमार,-प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)
6. श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए :

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम" के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2016-17 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
प्रदत्त ब्याज	0.18	-	0.18
	(1.86)	(-)	(1.86)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	33.83	-	33.83
	(27.32)	(-)	(27.32)
अन्य आय	0.30	-	0.30
	(3.46)	(-)	(3.46)
अन्य व्यय	11.54	-	11.54
	(5.70)	(-)	(5.70)
प्रबंधन संविदा	462.06	1.39	463.46
	(399.08)	(1.58)	(400.66)
31 मार्च 2017 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा	15.21	-	15.21
	(39.26)	(-)	(39.26)
अन्य देयताएं	47.99	-	47.99
	(42.23)	(-)	(42.23)
प्राप्य राशियाँ			
बैंकों में शेष	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
निवेश	81.15	-	81.15
	(41.55)	(-)	(41.55)
अग्रिम	0.41	-	0.41
	(0.33)	(-)	(0.33)
अन्य आस्तियां	0.07	-	0.07
	(0.13)	(-)	(0.13)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशियाँ			
उधार राशियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा	29.48	-	29.48
	(52.32)	(-)	(52.32)
अन्य देयताएँ	55.33	-	55.33
	(74.90)	(-)	(74.90)
बैंकों में शेष	-	-	-
	(2.12)	(-)	(2.12)
अग्रिम	0.42	-	0.42
	(0.37)	(-)	(0.37)
निवेश	81.15	-	81.15
	(41.55)	(-)	(41.55)
अन्य आस्तियाँ	0.07	-	0.07
	(0.13)	(-)	(0.13)
गैर-निधि वचनबद्धताएं	-	-	-
	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.4 पट्टे:

3.4.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	4.87	4.79
1 से 5 वर्ष तक	9.35	3.29
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**14.22**	**8.08**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.97	0.63
1 से 5 वर्ष तक	1.36	0.39
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	2.33	1.02
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	3.90	4.16
1 से 5 वर्ष तक	7.99	2.90
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**11.89**	**7.06**

3.4.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

रद्द नहीं होने वाले परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	307.04	335.87
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	1,189.15	1,285.14
5 वर्ष से अधिक	310.99	341.41
कुल	**1,80 7.18**	**1,962.42**

इस वर्ष लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹ 2,615.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,181.50 करोड़) है।

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से ालग करके प्रति शेयर 'मूल आय" की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए	776,27,77,042	746,57,30,920
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	21,07,27,400	29,70,46,122
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	797,35,04,442	776,27,77,042
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	780,37,67,851	766,55,68,627
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	780,37,67,851	766,55,68,627
समूह के लिए निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	241.23	12,224.59
मूल आय प्रति शेयर (₹)	0.31	15.95
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	0.31	15.95
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर के कारण ₹3507.06 करोड़ लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे (पिछले वर्ष ₹83.18 करोड़ नामे किए गए थे)।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	2,769.18	2,092.14
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान आरबीआई के विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियों/मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान/अतिरिक्त प्रावधान	2,845.49	2,136.25
संचित हानियों पर	5,281.99	57.40
अन्य आस्तियां/वीआरएस/अन्य देयता के लिए प्रावधान	724.65	238.29
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	3.89	5.18
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	128.93	1,214.43
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण आस्थगित कर आस्तियां	427.91	472.52
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	-	262.27
अन्य	455.01	405.67
योग	**12,637.05**	**6,884.15**

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	277.04	236.11
प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं	5,045.06	3,863.93
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,645.01	4,043.24
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	563.28	-
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण आस्थगित कर देयताएं	2.19	1.90
अन्य	543.14	508.19
योग	**11,075.72**	**8,653.37**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (देयताएं)	**1,561.33**	**(1,769.22)**

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

◆ **लाभ एवं हानि खाते में लिए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	4,842.56	5,350.36
	- आस्थगित कर	(3,507.06)	83.18
	- अन्य कर	-	(0.04)
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	57,155.07	38,024.06
ग)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(1,238.32)	(2,912.87)
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	2,191.63	2,284.22
ङ)	विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1,721.96	320.96
च)	अन्य प्रावधान	1,460.54	213.45
योग		**62,626.38**	**43,363.32**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

◆ **अस्थिर प्रावधान:**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	193.76	222.05
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	28.29
घ)	**अंतिम शेष**	**193.76**	**193.76**

◆ **आकस्मिक देयताओं लेखा मानक 29 का ब्योरा :**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा। यह समूह बकाया अपीलों के संबंध में विभिन्न कर मामलों के लिए पक्षकार हैं।
2	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड से संबंधित देयता	इस मद में आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों की देयता के संबंध में प्रदत्त नहीं की गई राशि प्रस्तुत की गई है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धताओं की राशि शामिल है।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से, प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने निजी खाते से और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से करेंसी ऑप्शन, वायदा दर करार, करेंसी स्वैप्स और ब्याज दर स्वैप्स करता है। करेंसी स्वैप्स की प्रतिबद्धताएं पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के सामने दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियां जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है, ऐसी विशिष्ट राशियां होती हैं जिनका संविदाओं के ब्याज घटक के आकलन हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें पूंजी खाते के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि में भी शामिल किया जाता है और इन्हें सहयोगी एवं अनुषंगी की ओर से एसबीआई द्वारा जारी व्यवस्था पत्र, जमाकर्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत एसबीआई की देयता और जागरूकता निधि के अंतर्गत एसबीआई की देयताओं और अन्य विविध आकस्मिक देयताओं के प्रावधान की गई राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

◆ **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :**

₹ करोड़ में

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	पिछला वर्ष	718.21	1,077.91
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	438.30	240.83
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	7.47	286.02
घ)	वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित अनुपयोजित राशि	127.66	314.51
ड)	**अंतिम शेष**	**1021.38**	**718.21**

4. अंतर कार्यालय खाता शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5. वर्ष के दौरान, देशीय बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा पूरे एसबीआई समूह में सामान्य ऋणों एवं अग्रिमों में निहित कमजोरियों के आधार पर विवेकपूर्ण समुचित प्रावधान करने की नीति अपनाई गई। इस कारण सकल एनपीए में ₹21,938.48 करोड़ की वृद्धि और ₹13,532.67 करोड़ के वृद्धिशील प्रावधान (मानक आस्ति प्रावधान ₹765.96 करोड़ शामिल है) किए गए हैं।

6. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों की आस्तियों की की गई बिक्री के कारण आई कमी की राशि ₹84.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1669.24 करोड़) और 31 मार्च 2016 की अपरिशोधित राशि ₹2281.20 करोड़ को चालू वर्ष में पूर्णतया परिशोधित की गई हैं।

7. प्रतिचक्रीय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)

भारतीय रिजर्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 30 मार्च 2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 79/21.04.048/2014-15 के माध्यम से बैंकों को 31 दिसंबर 2014 तक उनके द्वारा धारित 50 प्रतिशत प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर अनर्जक आस्तियों (सीसीपीबी) के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है जिससे कि बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके। वर्ष के दौरान एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

8. खाद्यान्न क्रेडिट

भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों के अनुसार, हितधारकों की अनुमति से एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने एक राज्य सरकार के खाद्यान्न ऋणों की बकाया राशि के संबंध में ₹1067.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 715.98 करोड़) का प्रावधान किया है।

9. बैंक की संपत्तियों का पुनर्मूल्यन :

क) वर्ष के दौरान एसबीआई और इसकी 4 देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन किया। पुनर्मूल्यन सरप्लस पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया गया था।

ख) 31 मार्च 2017 को पुनर्मूल्यन रिजर्व का अंतिम शेष (जनरल रिजर्व में ट्रांस्फर की गई राशि घटाकर) ₹35,593.88 करोड़ है।

10. देशीय बैंकिंग अनुषंगियों और भारतीय महिला बैंक लि. का अधिग्रहण :

भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप धारा (2) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पांच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों यथा - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड (बीएमबीएल) के अधिग्रहण के लिए (इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से अंतरणकर्ता बैंक कहा गया है) दिनांक 22 फरवरी 2017 और दिनांक 20 मार्च 2017 के उनके आदेशों के अनुसार अधिग्रहण किया गया है। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अधिग्रहण की ये योजनाएं 1 अप्रैल 2017 (इसके पश्चात प्रभावी तिथि कहा गया है) से प्रभावी हो गई है।

अंतरणकर्ता बैंकों का उपक्रम जिसमें सभी व्यवसाय, परिसंपत्तियां, देयताएं, रिजर्व और सरप्लस, वर्तमान या आकस्मिक तथा सभी अन्य अधिकार और हित जो प्रभावी तिथि के ठीक पहले अंतरणकर्ता बैंकों के स्वामित्व, कब्जे या अधिकार में थे, अंतरित हो जाएंगे एवं प्रभावी तिथि को और से एसबीआई में निहित होंगे।

इस संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन प्रभावी तिथि को किए गए हैं।

11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीए ने बीमा कंपनी अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसीधारकों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक प्रभार राशि ₹84.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹84.32 करोड) का संवितरण करने और आदेश

क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के अनुसार कॉरपोरेट एजेंटों को प्रदत्त किए गए कमीशन की आधिक्य राशि ₹275.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹275.29 करोड़) को क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को वापस करने के निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेशों/आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील प्राधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश बकाया है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

12. लाइफ और जनरल बीमा अनुषंगियों के विनिधानों को बैंकों द्वारा अनुपालन की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार इनको फिर से शामिल न करके आईआरडीए (विनिवेश विनियमन) 2016 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। 31 मार्च 2017 को बीमा कंपनियों के विनिधान कुल विनिधान का लगभग 9.35% (पिछले वर्ष 11.03%) रहे।

13. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/ 2007-08 के अनुसार, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हो) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

14. वर्तमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं को, जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और जो महत्वपूर्ण भी नहीं है, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा के अनुसार तैयार किए गए हैं।

15. जहाँ आवश्यक था वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः समूहन/पुनः वर्गीकरण किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुसार तालमेल बैठा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक/लेखांकन मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ पहली बार आंकड़ों का प्रकटीकरण किया गया है, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा	**श्री पी. के. गुप्ता**	**श्री रजनीश कुमार**	**श्री बी. श्रीराम**	**चेरीयन के. बेबी**
प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	भागीदार
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)	(अनुपालन एवं जोखिम)	(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)	(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)	सदस्यता क्र.: 16043
				फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर-पूर्व निवल लाभ		1576,73,82	17658,09,16
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		2914,68,43	2252,20,53
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		43,81,46	21,05,23
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		(1587,01,92)	(11,85,66)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि (निवल)		-	151,67,43
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		55916,75,12	35111,18,68
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		2191,62,66	2284,21,68
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		1721,95,84	320,96,40
अन्य प्रावधान		1460,54,04	213,44,87
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(293,28,42)	(275,81,61)
सहयोगियों के लाभांश		(3,85,50)	(7,52,34)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		5296,02,56	4797,86,72
उप योग		**69237,98,09**	**62515,51,09**
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		345953,09,75	200896,77,56
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		(22743,77,32)	110597,56,39
अनुषंगी एवं सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(221333,86,62)	(135350,58,44)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(82542,67,86)	(213160,74,55)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		10789,34,61	37786,51,08
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(20576,17,56)	(38436,00,12)
गैर-एकीकृत परिचालनों में निवेशों के निपटान पर एफसीटीआर में कमी		-	(873,92,35)
उप योग		**78783,93,09**	**23975,10,66**
प्रदत्त कर		(1377,93,39)	(9498,42,83)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	**77405,99,70**	**14476,67,83**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(1,09,40)	87,67,64
अनुषंगी एवं सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		1587,01,92	11,85,66
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		3,85,50	7,52,34
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		(4423,70,61)	(3775,61,16)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**(ख)**	1,80,36	-
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		**(2832,12,23)**	**(3668,55,52)**
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि शेयर प्रीमियम सहित		5674,82,91	5384,49,57
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		(2289,95,25)	6138,35,95
पूंजी लिखतों पर ब्याज		(5296,02,56)	(4797,86,72)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(2337,46,38)	(3058,65,86)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(161,10,37)	(88,16,60)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		213,24,14	770,28,69
वित्तीय कार्यकलाप से/(में प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी	(ग)	**(4196,47,51)**	**4348,45,03**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	(घ)	**(1739,70,98)**	**921,84,41**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**68637,68,98**	**16078,41,75**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**204559,46,55**	**188481,04,80**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**273197,15,53**	**204559,46,55**

नकदी और नकदी समतुल्य	**31.03.2017**	**31.03.2016**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां	161018,61,07	160424,56,91
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि)	112178,54,46	44134,89,64
योग	**273197,15,53**	**204559,46,55**

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 16043
फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन, मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) की 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदारी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21 -''समेकित वित्तीय विवरणटट, लेखा मानक-23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखाटट और लेखा-मानक-27 - ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टटट और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारियों में एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। हमें सूचित किया गया है कि इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत एक अनुषंगी और कतिपय सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारे द्वारा विचार किए जाने पर, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं उचित हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

   (क) 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र,
   (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और
   (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

अन्य मामले

7. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

   (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षितत खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹27,05,787 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹210,979 करोड़ का कुल राजस्व, और ₹4,504 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं;

   (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 31 (इकतीस) अनुषंगियों, 9 (नौ) संयुक्त उद्यमों और 19 (उन्नीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹7,62,739 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹90,993

करोड़ के कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹65,231 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश, और सहयोगियों से ₹274 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं;

(ग) 1 (एक) अनुषंगी और 1 (एक) सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित खाते 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹4,726 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹165 करोड़ का कुल राजस्व, ₹130 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और सहयोगियों से ₹19 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। जहाँ तक इनका ऐसी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के कार्यों से संबंध है, उसके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त संदर्भित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

8. इस समूह की एक अनुषंगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि ; चालू जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी इस कंपनी के नियुक्त बीमांकक ("नियुक्त बीमांकक") की है। चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2017 तक बनी हुई है, इनकी देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और हमारा अभिमत है कि ऐसे मूल्यांकन का पूर्वानुमान प्राधिकारी की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई / "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों पर आधारित है। इस कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा अभिमत चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता बनी हुई है, देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर आधारित है।

इन मामलों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 004532S

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र. 16043

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं। निम्नलिखित अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां मिलकर स्टेट बैंक समूह बनता है।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया।

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	एसबीआई (कनाडा) बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
29	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
30	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगीः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
31	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
33	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बरमुडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
40	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	जियो पेमेंट्स बैंक	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
45	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	लांग्पी देहाँगी रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
48	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
51	पूर्वांचल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
56	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
59	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
60	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
61	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	एक अलाभकारी कंपनी जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर ध्यान दे सके।	14.02	98.90%	विनियामिक पूँजी से काटी गई	14.03
2	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	परिसमापन अधीन	लागू नहीं	25.05%	पूर्ण प्रावधान उपलब्ध	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के नियंत्रक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएं	6,352.00	116,293.34
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएं	8,887.97	163,189.88
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएं	3,800.93	88,995.75
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएं	8,478.05	122,829.16
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएं	4,414.81	125,916.61
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं	1,156.90	1,243.09
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएं तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	142.04	280.55
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	44.85	46.44
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	64.35	67.83
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कॉरपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएं	8.37	8.49
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	58.74	59.34

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	1,046.42	3,187.70
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	व्यापारी अभिग्रहण व्यवसाय से संबंधित सेवाएं	2.70	3.50
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	323.82	920.40
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	एन पी एस ट्रस्ट की उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	35.11	35.92
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएं और फंड अकाउंटिंग सेवाएं	99.42	104.78
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएं	23.20	23.22
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएं	770.98	985.05
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएं	0.82	1.12
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड कारोबार	1,450.89	10,785.47
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएं	766.11	4,178.77
22	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएं	654.39	4,726.43
23	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएं	269.28	734.87
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएं	1,153.72	7,141.79
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएं	591.99	2,098.21
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएं	504.79	6,009.01
27	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	मर्चेण्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं	6.46	6.56
28	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएं	67.15	234.27
29	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजिल	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएं	2.31	2.38

$ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा सरप्लस शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं :

बीमा संस्था का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

- भारतीय रिजर्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है।

- जोखिम
- परिचालन जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- अनुपालन जोखिम
- पेंशन निधि दायित्व जोखिम
- प्रतिष्ठा जोखिम
- ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम
- निपटान जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- देश जोखिम
- नव व्यवसाय जोखिम
- कार्यनीतिक जोखिम
- मॉडल जोखिम
- कन्टेजन जोखिम
- प्रतिभूतिकरण जोखिम

- अग्रिमों और भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं। वह गौण ऋण और बेमीयादी ऋण लिखत के अतिरिक्त जब-जब जरूरत हो, इक्विटी जारी कर सकता है।
- विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना तैयार करने में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण किया जाता है। हर अनुषंगी की सीईटी-1/एटी-1 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹ 1,41,622.03 करोड़
• निवेश का प्रतिभूतिकरण	Nil
कुल	**₹ 1,41,622.03 करोड़**

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकत

• (*मानक अवधि पद्धति)	
- ब्याज दर जोखिम	₹ 10,491.81 करोड़
-विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹ 193.01करोड़
-इक्विटी जोखिम	₹ 3,643.74 करोड
कुल	**₹ 14,328.56 करोड़**

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मूल संकेतक पद्धति	₹ 16,432.65 करोड़
• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
कुल	**₹ 16,432.65 करोड़**

(ङ) साझा श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूंजी अनुपातः

- शीर्ष मेकित समूह के लिए, तथा
- बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

दिनांक 31.03.2017 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	श्रेणी-1(%)	योग (%)
एसबीआई समूह	9.92	10.41	13.03
भारतीय स्टेट बैंक	9.82	10.35	13.11
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	7.23	7.37	9.25
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8.63	9.23	11.73
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	6.10	8.09	12.41
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	7.34	9.03	12.43
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8.04	9.94	12.19
एसबीआई (मारीशस) लि.	19.80	19.80	20.80
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	15.92	15.92	18.28
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)	17.02	17.02	18.08
कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को	43.03	43.03	43.03
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	35.81	35.81	36.70
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	11.81	11.81	14.20
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	45.34	45.34	45.34

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)**

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहाँ :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

vii. चलनिधि सुविधा की राशि प्रतिभूतिकरण संबंधी दिनांक 1 फरवरी 2006 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो।

viii. डेरीवेटिव्स लेनदेनों के संबंध में, डेरीवेटिव संविदा के बाजार मूल्य की अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्यराशियां भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हो।

'अनियमित श्रेणी' स्थिति

कोई खाता उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो तो ऐसे खाते को **'अनियमित'** माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

- **बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर चर्चा**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से, अवधारणाओं के विकास और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

(i.) प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इस हेतु विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेना। ये जोखिमें मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

(ii.) औद्योगिक अनुसंधान, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाएं और नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ। समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों की गणना की जाती है। ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि इन घटकों के उदाहरण हैं।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदण्डों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक में एक ऋण नीति लागू है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंदर व्यक्तिगत आस्तियों की गुणवत्ता में अनुचित गिरावट न आए। साथ ही साथ, इसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए ऋण की मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएं, दस्तावेजी मानक और संस्थात्मक चिंता एवं कार्यनीतियों के प्रति जागरूकता से संबंधित समान दृष्टिकोण स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। ₹10 करोड़ और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के उपाय भी इस लेखा-परीक्षा का विषय होते हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (बीमा इकाइयां, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय इकाइयों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

सामान्य प्रकटीकरण :

मात्रात्मक प्रकटीकरण

		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
ख	ऋण जोखिम की कुल राशि	1981054.01	415294.43	2396348.44
ग	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
	विदेशी	294161.12	32872.69	327033.81
	देशीय	1686892.89	382421.74	2069314.63
घ	जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
ङ	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें		
च	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (I से iv का योग)			179166.62
	i. अवमानक			44229.63
	ii. संदिग्ध 1			44890.08
	iii संदिग्ध 2			71376.83
	iv. संदिग्ध 3			14674.62
	v. हानिप्रद			3995.46
छ	निवल अनर्जक आस्तियां			97656.82
ज	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			9.04%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			5.15%
झ	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारंभिक शेष			123416.43
	ii) वृद्धि			110903.95
	iii)कमी			55153.76
	iv)अंतिम शेष			179166.62
ञ	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	i) प्रारंभिक शेष			53627.25
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			59811.09
	iii) अपलेखन			31752.03
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			176.51
	v) अंतिम शेष			81509.80
ट	अनर्जक निवेशों की राशि			2418.79
ठ	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			431.35
ड	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	प्रारंभिक शेष			695.64
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			2079.22
	जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			0.00
	अपलेखन			154.96
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			326.55
	अंतिम शेष			2293.35
ढ	बड़े उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो बकाया ऋण, अलग से किया गया प्रावधान			102973.59
	निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान; और			14695.25
	चालू अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्रावधान और अपलिखित राशि			5475.37
ण	एनपीए की राशि और पिछले बकाया ऋण जिनके लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र वार अलग-अलग प्रावधान किया गया हो जिसमें निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान शामिल हो			47117.43
	प्रावधान			14978.78

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एक्सपोजरों का औद्योगिक वितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
1	कोयला	2,482.86	1,107.57	3,590.43	3153.32
2	खदान	8,431.59	832.76	9,264.35	1595.20
3	लोह एवं इस्पात	77,083.37	56,259.18	133,342.55	21604.48
4	धातु उत्पाद	42,687.41	4,603.60	47,291.01	6570.64
5	सभी अभियांत्रिकी	28,989.19	8,685.23	37,674.43	74646.76
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	6,478.21	441.43	6,919.64	4225.01
6	बिजली	9,354.34	648.30	10,002.64	1613.05
7	सूती वस्त्र	23,974.62	11,408.56	35,383.18	2138.25
8	जूट वस्त्र	318.78	28.88	347.66	45.57
9	अन्य वस्त्र	18,759.74	5,015.25	23,774.99	2415.78
10	चीनी	8,587.03	738.99	9,326.02	907.64
11	चाय	490.83	195.02	685.85	27.73
12	खाद्य प्रसंस्करण	28,646.85	10,365.36	39,012.21	2687.08
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	4,257.16	1,657.73	5,914.89	3380.12
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	504.48	69.37	573.85	351.65
15	कागज/कागज उत्पाद	4,157.55	1,000.22	5,157.77	1092.11
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	8,959.24	835.85	9,795.09	2301.28
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	66,423.83	3,615.03	70,038.86	42635.60
17.1	जिसमें उर्वरक	12,799.30	43.53	12,842.83	4069.83
17.2	जिसमें पेट्रोरसायन	27,544.72	1,065.64	28,610.36	33202.36
17.3	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	10,104.98	1,714.65	11,819.64	1518.78
18	सीमेंट	8,730.57	2,359.37	11,089.94	3133.09
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,381.24	111.25	2,492.49	441.12
20	रत्न एवं आभूषण	13,995.06	1,807.57	15,802.63	3022.46
21	निर्माण	20,212.31	2,397.42	22,609.74	7637.16
22	पेट्रोलियम	12,734.33	4,662.08	17,396.41	20571.57
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	11,603.23	3,738.63	15,341.86	6614.08
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,148.84	391.87	2,540.71	1294.29
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	241,651.36	23,317.14	264,968.50	88428.73
25.1	जिसमें बिजली	165,019.83	6,250.89	171,270.72	27526.43
25.2	जिसमें दूरसंचार	22,604.36	259.11	22,863.48	19030.38
25.3	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	22,600.42	7,319.72	29,920.14	15567.95
26	अन्य उद्योग	274,463.61	12,716.17	287,179.78	50673.33
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	198,032.90	7,799.73	205,832.63	26888.67
28	शेष अग्रिम	681,825.07	12,798.48	694,623.55	39423.67
	योग	**1,801,887.39**	**179,166.62**	**1,981,054.01**	**415294.43**

तालिका - ख

डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण*

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल	
1	नकदी	14815.23	0.35	0.40	0.40	1.21	2.43	3.24	0.00	0.00	14823.26
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	43023.53	1812.52	1582.71	1508.77	4775.35	13082.77	32127.76	11224.80	36938.13	146076.35
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	106060.84	924.66	1218.91	856.30	128.03	321.95	3321.17	424.33	382.03	113638.22
4	निवेश	53102.63	11055.34	22736.64	25716.82	73925.42	53783.21	123987.96	128138.44	457801.53	950247.99
5	अग्रिम	127823.01	32185.32	37861.43	43748.73	40721.58	54654.31	702458.86	169768.37	687883.09	1897104.70
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	8.65	50277.66	50291.84
7	अन्य आस्तियां	60041.66	7712.38	7500.42	3439.72	7330.46	12634.32	13781.29	7487.07	73954.10	193881.41
	कुल	404866.90	53690.57	70900.51	75270.73	126882.05	134478.99	875685.81	317051.66	1307236.54	3366063.77

***टिप्पणियां:**

(i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंत:-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

(ii) निवेशों में अनर्जक निवेश शामिल है और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल है।

(iii) उक्त (Bucketing) संरचना में तालिका दिनांक 23 मार्च 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन किया गया है।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण

- **प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमश: केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई**

  (i) एक वर्ष या कम समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक की बाह्य रेटिंग प्रयोज्यता रूपरेखा की प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं:

  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक की क्रमश: दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन जोखिमों के लिए निर्धारित की गई सभी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रेटिंगों पर बैंक द्वारा एक मुदे विशिष्ट रेटिंग्स के रूप में विचार किया जाता है।
  - विदेशी प्रभुसत्ता और विदेशी बैंक जोखिमें जोखिम भारित होती हैं जो जारीकर्ता के लिए निर्धारित की गई उनकी रेटिंग्स पर आधारित होती है।
  - बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणी की बाह्य रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की गई है और इसकी प्रयोज्यता की तिथि को यह लागू है।
  - जहाँ किसी संस्था को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा बहुविध जारीकर्ता रेटिंग्स निर्धारित की जाती है, वहाँ, इस संदर्भ में, जहाँ दो रेटिंग्स होती है, वहां निम्न रेटिंग और तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होती हैं, वहाँ सबसे कम से पहले वाली रेटिंग को दी गई सुविधा के लिए उपयोग में लाया जाता है।

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहाँ ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2017 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख)	जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% से कम जोखिम भार	1556276.87
		100% जोखिम भार	498821.42
		100% से अधिक जोखिम भार	339241.78
		घटाई गई	2008.37
		कुल	**2396348.44**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

ऋण जोखिम न्यूनीकरण - मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहाँ बैंक,

क. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश

बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)

स्वर्ण

केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां

ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3रेटिंग प्राप्त है

- **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता**

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं ढबैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।

- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी

बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण - 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहाँ लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात,) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	446227.14
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहाँ कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	20853.07

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा निर्वहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा; @संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो # कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन विद्यमान है (उदाहरण के लिए संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जैसाकि के एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में बताया गया है)।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन नीचे किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं

(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर ३॰ I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : शेयर/बाण्ड में क्रय-विक्रय	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गईं या खरीद गईं:	
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
	टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

1) मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना की पद्धति :

- व्यापार के लिए रखी गईट और ऊबिक्री के लिए उपलब्धट श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
- व्यापार के लिए रखी गईट श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और ऊबिक्री के लिए उपलब्धट श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- समस्त डेरीवेटिव्स स्थितियाँ, उन डेरीवेटिवों को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) ट्रेडिंग बही के लिए बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा

ग) निवेश नीति

घ) ट्रेडिंग नीति

ङ) दवाब परीक्षण नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण : 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

बाजार जोखिम पर पूंजी अपेक्षा

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2017
ब्याज दर जोखिम	₹10,491.81
इक्विटी स्थिति जोखिम	₹ 3,643.74
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	₹ 193.01
कुल	**₹14,328.56**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक (01.04.2017 से एसबीआई के साथ विलय हो गया है) में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। एसबीआई में मुख्य जोखिम अधिकारी एमडी (अनुपालन एवं जोखिम) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां ढांचागत दस्तावेज और मैनुअल लागू हैं :

नीतियाँ एवं ढांचागत दस्तावेज

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली
- आई एस नीति
- आई टी नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता ढांचागत (एसबीआई) दस्तावेज
- परिवर्तन प्रबंधन ढांचागत दस्तावेज
- पूंजी परिकलन ढांचागत दस्तावेज

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं -
आपदा रिकवरी योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उच्चस्तरीय आकलन पद्धति (साथ-साथ उपयोग)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय

एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।

- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बेसलनिर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित एक टेम्प्लेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंप्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 1000 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- समस्त व्यवसाय और सहायता समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों को लागू करने में हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है। इस समय 306 प्रमुख जोखिम संकेतकों की समस्त व्यवसाय एवं सहायता समूहों के स्तर पर प्रगति-समीक्षा की जा रही है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- बेसलII में निर्धारित उच्च स्तरीय आकलन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए आवश्यक विकसित आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान हैं।
- एएमए के साथ-साथ उपयोग के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- बैंक द्वारा "अनुदेशावलियाँ" (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठों, मोबाइल नगेट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता और पर्दाफासी की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को
- नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के
- 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति (एएमए) अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं। एएमए के तहत बैंक की पूंजी की गणना एएमए के साथ-साथ उपयोग के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भी की गई है।

डीएफ-9 : एसबीआई समूह बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अत: आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह ब्याज जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)- केवल बैंकिंग बही	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	4,663.66

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दर में 200 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	26,159.18
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दर में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	13,079.59

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

COUNTERPARTY CREDIT RISK

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे डेरीवेटिव्सलेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण - दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	91,516.19	641.21
ख) करेंसी विनिमय	28,006.55	910.46
ग) करेंसी विकल्प	14,247.75	247.21
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	312,858.86	6,320.25
ङ) करेंसी फ्यूचर्स	0.00	0.00
च) वायदा दर करार	125.18	76.52
छ) अन्य	0.00	0.00
योग	**446,754.53**	**8,195.65**

डीएफ-11: पूंजी के घटक

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	56220.58	ए1+बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	120631.18	B1 + B2 + B7 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	19822.31	B5 * 75% + B6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3381.90	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	200055.97	
साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	943.41	D
9	अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर (संबंधित कर देयता घटाकर)	72.32	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	5281.99	
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	52.59	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	150.81	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1485.29	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1474.30	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	10.99	
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है		
26घ	जिसमें : अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय		
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	7986.41	
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	192069.56	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	9045.50	

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व		संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	9045.50	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	2526.32	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1112.04	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	150.00	
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	12683.86	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ		
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	3265.48	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	9418.38	
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	201487.94	
	टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	12500	
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	15801.80	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	5419.31	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	17126.46	
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी	50847.57	
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश	88.01	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	4.22	
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	0	
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर 2 पूंजी में कमी		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	92.23	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	50755.34	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) ढ45 +58ज	252243.28	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1935270.15	
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1573578.10	
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	179107.02	
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	182585.03	

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व			संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
पूंजी अनुपात और बफर्स			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.92	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.41	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.03	
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	6.90	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	1.25	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.15	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.42	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	527.24	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	716.49	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	17126.46	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	19669.73	
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	0.00	
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं	50%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	50%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

टेम्प्लेट के नोट

टेम्प्लेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	(₹ करोड़ में)
10	संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां संचित हानियों के साथ	5281.99
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता घटाकर	716.49
	योग जैसे पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	5281.99
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेशों को पूंजी में से पूर्णतया नहीं घटाया गया है और इसके बजाय कटौती की 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत गणना में शामिल किया गया है, तो इस कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0
	जिसमें से : साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0
26b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेशों को नहीं घटाया गया है और इसलिए जोखिम भारित है:	0
	(i) साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	17126.46
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन रिजर्व्स	0
	पंक्ति 50 का योग	**17126.46**

*बी 7 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (रु. 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं

एफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएं

31.03.2017 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बेसल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	**रिपोर्टिंग की तारीख को**
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	797.35	797.35
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	216,394.79	210,605.34
	आधे से कम हित	6,480.65	4,530.98
	कुल पूंजी	**223,672.79**	**215,933.67**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,599,810.67**	**2,600,874.56**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	26,840.79	26,840.79
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,572,969.88	2,574,033.77
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
iii	**उधार**	**336,365.66**	**336,395.89**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,000.00	5,000.00
	जिनमें : बैंकों से	170,160.13	170,160.13
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	101,568.64	101,558.71
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	59,636.89	59,677.05
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	285,272.44	185,730.32
	कुल	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	161,018.61	160,891.35
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	112,178.54	109,998.02
ii	**निवेश**	**1,027,280.87**	**928,341.38**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	789,137.30	749,507.11
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7,423.44	0.13
	जिनमें : शेयर	30,162.44	7,188.43
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	116,117.35	92,906.51
	जिनमें : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,841.72	2,143.22
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	81,598.62	76,595.98
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,896,886.82**	**1,896,707.95**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	90,534.44	90,534.44
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,806,352.38	1,806,173.51
iv	**अचल आस्तियाँ**	50,940.74	50,300.68
v	**अन्य आस्तियाँ**	195,872.57	191,751.65
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	-	-
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	4,923.38	4,918.13
vi	**समेकन पर गुडविल**	943.41	943.41
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियाँ	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ क्रमांक
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	प्रदत्त पूंजी	797.35	797.35	A
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	797.35	797.35	A1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	216,394.79	210,605.34	B
		64,753.52	64,753.52	B1
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	5,246.10	5,244.53	B2
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	55,423.23	55,423.23	B3
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	1,157.10	1,157.10	B4
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	5,073.92	5,073.41	B5
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	35,593.88	35,593.88	B6
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	53,487.08	50,638.13	B7
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	-4,340.04	-7,278.46	B8
	आधे से कम हिस्सेदारी	6,480.65	4,530.98	
	कुल पूंजी	**223,672.79**	**215,933.67**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,599,810.67**	**2,600,874.56**	
	of which: Deposits from banks	26,840.79	26,840.79	
	of which: Customer deposits	2,572,969.88	2,574,033.77	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-	
iii	**उधार**	**336,365.66**	**336,395.89**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,000.00	5,000.00	
	जिनमें : बैंकों से	170,160.13	170,160.13	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	101,568.64	101,558.71	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	59,636.89	59,677.05	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**285,272.44**	**185,730.32**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**161,018.61**	**160,891.35**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**112,178.54**	**109,998.02**	
ii	**निवेश**	**1,027,280.87**	**928,341.38**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	789,137.30	749,507.11	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7,423.44	0.13	
	जिनमें: शेयर	30,162.44	7,188.43	
	जिनमें: डिबेंचर और बांड	116,117.35	92,906.51	
	जिनमें: अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,841.72	2,143.22	
	जिनमें: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	81,598.62	76,595.98	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,896,886.82**	**1,896,707.95**	
	जिनमें: बैंकों को ऋण और अग्रिम	90,534.44	90,534.44	
	जिनमें: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,806,352.38	1,806,173.51	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**50,940.74**	**50,300.68**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**195,872.57**	**191,751.65**	
	जिनमें: गुडविल	-	-	
	जिनमें: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)			
	जिनमें: आस्थगित कर आस्तियाँ	4,923.38	4,918.13	C
vi	**समेकन पर गुडविल**	**943.41**	**943.41**	D
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-	
	कुल आस्तियाँ	**3,445,121.56**	**3,338,934.44**	

चरण 3
साझा इक्विटि टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	56220.58	A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	120631.18	B1 + B2 + B7 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिजर्व)	19822.31	B5 * 75% + B6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3381.90	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	200055.97	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	943.41	D

* बी7: आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (रु. 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ16- इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में ये भी शामिल हैं : (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1)	
	• ऐसी धारिताएं, जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर	सहयोगियों, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिपक्वता तक रखी गई (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत सभी इक्विटी निवेश (देशीय) किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वभाव के होते हैं।
	• बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यन एवं लेखांकन संबंधी प्रमुख नीतियों में चर्चा। इसमें इन सभी प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रमुख धारणाओं एवं प्रथाओं को प्रभावित करने वाले मूल्यन सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यन पद्धतियां शामिल हैं।	एचटीएम प्रतिभूतियों के लेखांकन एवं मूल्यन के संबंध में बैंक के वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के पैरा सी-2 में बताए गए अनुसार
31 मार्च 2017 को मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलनपत्र में सूचित निवेशों का मूल्य तथा उन निवेशों का वास्तविक मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर का मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी अलग है।	80.12
2	निवेशों के प्रकार, साथ ही राशि जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:	
	सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड	2217.39
	निजी रूप से धारित	9210.38
3	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	1755.00
4	न वसूल किया गया लाभ (हानि)	39.08
5	नवीनतम पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	1.19
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि	0.00
7	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	16.55

तालिका डीएफ-17 : लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन की तुलना का सार

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	34451215.60
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है।	-1061871.30
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4	डेरीवेटिव्सवित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	154,712.88
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	697,149.32
6	तुलनपत्र इतर मदों (अर्थात तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3362414.39
7	अन्य समायोजन	-112518.90
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	37491101.99

तालिका डीएफ-18 : 31 मार्च 2017 को लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र निवेशों पर	
1	तुलनपत्र मदों पर (डेरीवेटिव्सएवं एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को मिलाकर)	33389344.30
2	बेसल III , टियर 1 की पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां	-112518.90
3	**कुल तुलनपत्र निवेश (डेरीवेटिव्सएवं एसएफटी को छोड़कर) लाइन 1 एवं 2 का योग**	33276825.40
	डेरीवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरीवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	61,048.37
5	सभी डेरीवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-आन राशियां	93,664.51
6	दिए गए डेरीवेटिव्स संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(डेरीवेटिव्स लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण डेरीवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरीवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौतियां)	0
11	**कुल डेरीवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	154,712.88
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवल को हिसाब में लिए बिना)	697149.32
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)**	697149.32
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	11121968.64
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-7759554.25
19	**तुलनपत्र इतर मदें (लाइन 17 एवं 18 का योग)**	3362414.39
	पूंजी एवं कुल निवेश	
20	**टियर 1 पूंजी**	**2014879.40**
21	**कुल निवेश (लाइन 3, 11, 16 एवं 19 का योग**	**37,491,101.99**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III का अनुपात**	**5.37**

डीएफ - समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में*	
(विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)	
सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियाँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा*, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

घ) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) ऋण चुकौती में चूक संबंधी शर्तोंट को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग - देश में स्थित	बैंकिंग - विदेश स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अंतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

31 मार्च 2017 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in पर corporate-governance के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।

हरी भरी धरती के लिए एक पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में हरी भरी धरती के लिए एक पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस "हरी भरी धरती के लिए एक पहल" में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रानिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbigreenar@dfssl.comई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनैंसियल सर्विसेज लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदें निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों (शेयरों) का तुरंत ट्रांसफर, प्रतिभूतियों के ट्रांसफर पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं।
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रानिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- ईक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरए) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रानिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस "हरी भरी धरती के लिए एक पहल" का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को उसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, "अप्रदत्त लाभांश खाता" नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक

प्रॉक्सी फार्म

फालियो क्र. _____

डीपी/ग्राहक आई.डी. क्र._____

मैं/हम,_____

निवासी_____

बैंक के कॉरपोरेट केंद्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के_____

शेयर/ शेयरों का धारक हूँ/ शेयरों के धारक हैं और एतदद्वारा_____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की_____ में दिनांक_____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांकित_____ के _____ दिवस को

15 पैसे का रसीदी टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथास्थिति उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी, कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थनीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केंद्र या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन प्वॉइंट, मुंबई-400 021 को प्रॉक्सी फाम, मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक
शेयरधारकों की वार्षिक महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक : ☐☐☐☐☐☐☐☐

फोलियो क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐

डी.पी./ग्राहक आई.डी क्र: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयरधारक/प्रथम धारक का पूरा नाम: _____

(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे/डी.पी. रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता : _____ पिन ☐☐☐☐☐☐

कुल धारित शेयरों की संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक (धारित शेयर कागजी स्वरूप में होने पर) ☐☐☐☐☐☐☐ से ☐☐☐☐☐☐☐ तक

क्या भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम आर. 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो मतों की संख्या, जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप में							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील/मोहर:

नोट:

I. भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II. यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारक है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टांप के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।

III. वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।

IV. शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभा स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे-पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

*विनियम 31-मतदान के अधिकारों का निर्धारण:

I. अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो महासभा की तारीख से तीन महीनों पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

II. प्रत्येक शेयरधारक जो केंद्र सरकार से भिन्न है और कंपनी नहीं है, जिसे उपर्युक्तानुसार मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिशः अथवा प्रॉक्सी अथवा कंपनी होने के कारण प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, को हाथ दिखाकर मत देने अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

III. केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ दिखाने पर एक मत अथवा मतदान कराए जाने की स्थिति में ऐसी बैठक की तारीख से पूर्व के तीन महीनों की पूरी अवधि के लिए उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

शेयरधारक (कों) के उपयोग के लिए

मेसर्स डेटामेटिक्स फाइनैंशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट:भारतीय स्टेट बैंक
प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,
एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400 093

टेलिफोन नं. 022-66712198/2199/2202

निवेशक द्वारा क्रेडिट क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतान प्राप्त करने का विकल्प देने के लिए

1. निवेशक का नाम (i)_____
   (ii)_____
   (iii)_____
2. वर्तमान पता _____
   _____
   _____
   पिन:_____
   टेलि.नं.औरमोबाइलनं_____
   (भविष्य में पत्राचार और ई-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए)
3. फोलियो नं _____(केवल कागजी स्वरुप वाले शेयरों के मामले में)
4. पीएफ सूचकांक: _____
   (केवल एसबीआई के उन कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए जिनके पास एसबीआई के शेयर हैं)
5. बैंक खाते का ब्योरा
   क. बैंक का नाम:_____
   ख. शाखा का नाम:_____
   (पूरा पता)
   _____
   पिन:_____
   ग. बैंक शाखा का 9 अंकों का एमआईसीआर कोड
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   (जैसे बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक में दिया गया है)
   घ. खाते का प्रकार:.....
   (बचत बैंक खाता (कोड 10) या चालू खाता (कोड 11) या कैश क्रेडिट (कोड 13)
   ड. खाता सं. (जैसे चेकबुक में दी गई है। कृपया एक कोरा "रद्द" चेक या उसकी फोटो प्रति संलग्न करें)
   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्योरा ठीक और पूरा है। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब होता है या यह पूरा नहीं हो पाता है तो भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान:

दिनांक: (प्रथम धारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य:

1. इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) में शेयरधारिता वाले शेयरधारक (कों) से अनुरोध है कि वे ऊपर दिया गया समस्त ब्योरा अपने डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी के साथ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सूचित कर दे (दें)।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कागज रूप में धारित शेयरों को डीमैट खाते में लाने के लिए विकल्प दें।
3. शेयरधारकों/बांडधारकों से अनुरोध है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ।
4. नामांकन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर कॉरपोरेट अभिशासन/शेयरधारक सूचना नामांकन फॉर्म लिंक के अंतर्गत अपलब्ध है।
5. नवीनतम जानकारी के लिए www.sbi.co.in कॉरपोरेट अभिशासन/शेयरधारक सूचना देखें।

वार्षिक महासभा के स्थल तक पहुँचने का मार्ग

स्थल: वाई.बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, वाई.बी. चव्हाण केन्द्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (महाराष्ट्र)

एसबीआई कॉरपोरेट केन्द्र से दूरी : 180 मीटर

चर्चगेट स्टेशन से दूरी : 0.95 किलो मीटर

छत्रपति शिवाजी स्टेशन से दूरी : 2.20 किलो मीटर

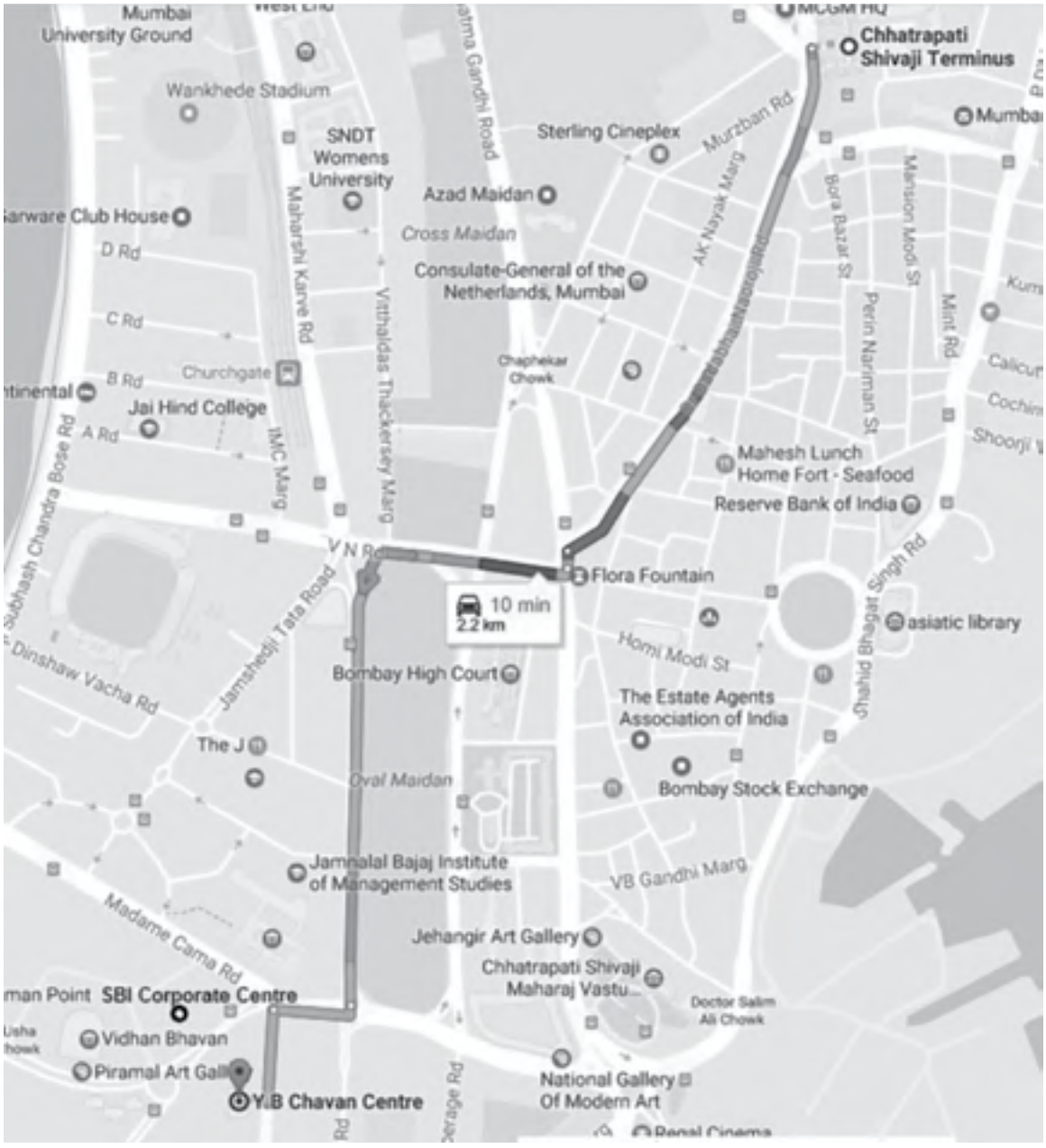

SBI

Challenge the world

with GLOBAL ED-VANTAGE

FASTER!
Apply Online

LIGHTER!
Attractive Interest Rate

HIGHER!
₹20 lakhs to ₹1.5cr

EASIER!
EMI Over 15 Years

EARLY APPROVAL!
before i20/Visa

TAX BENEFIT!
under section 80(E)

Overseas
Education
Loan

APPLY ONLINE AT
bank.sbi
or SMS 'GLOBAL' to 567676

*T&C Apply

For details, call on 1800 425 3800/1800 112211 (Toll free) or 080 26599990 Follow us on

स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट केन्द्र, मादाम कामा रोड, मुम्बई
महाराष्ट्र - 400 021, भारत